INSIGHTSIAS

SIMPLIFYING IAS EXAM PREPARATION

INSIGHTS CURRENT AFFAIRS

हिंदी संकलन

अप्रैल 2021

VISIT…

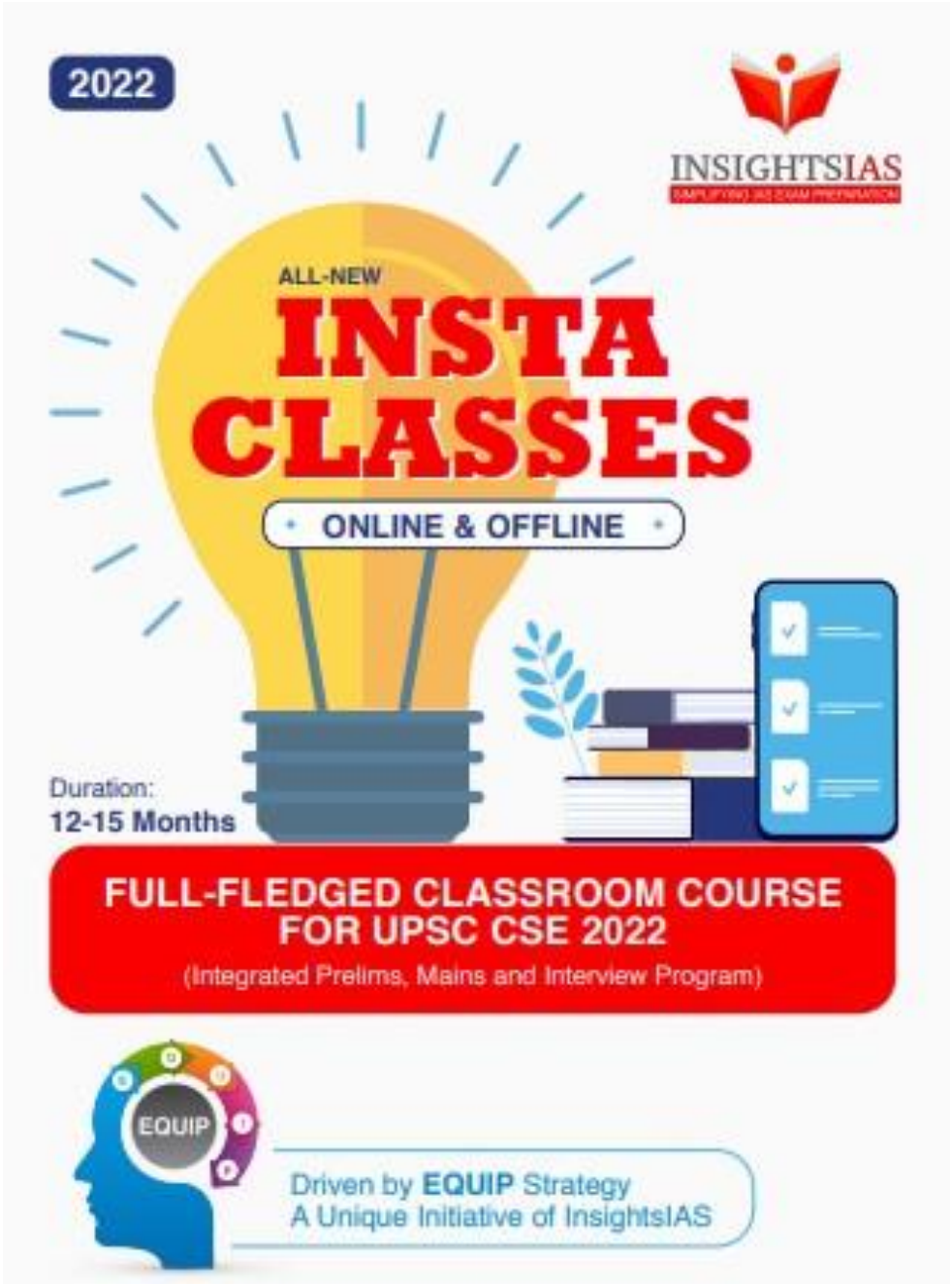
2022
INSIGHTSIAS
ALL-NEW
INSTA CLASSES
ONLINE & OFFLINE
Duration:
12-15 Months
FULL-FLEDGED CLASSROOM COURSE FOR UPSC CSE 2022
(Integrated Prelims, Mains and Interview Program)
EQUIP
Driven by EQUIP Strategy
A Unique Initiative of InsightsIAS

INSIGHTSIAS
INSTACLASSES 2022
Full-fledged Classroom Program for Freshers
OGP- Offline & Online Guidance Program
We Don't Just Guide You
We EQUIP You!
EQUIP Strategy for your SUCCESS!
ADMISSIONS OPEN
BATCH Starts from 12th April 2021
Early Bird Offer 10%
Bangalore Office : 7483163074 / 9380863034
Delhi Office : 7303318519 / 011-49520205 I Hyderabad Office : 8688512637
support@insightsias.com

सामान्य अध्ययन-I

भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज

विषय: भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे।

1. **श्री रामानुजाचार्य**
2. **खजुराहो मंदिर**

विषय: 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास- महत्त्वपूर्ण घटनाएँ, व्यक्तित्व, विषय।

1. **ज्योतिराव फुले**

विषय:स्वतंत्रता संग्राम- इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्त्वपूर्ण व्यक्ति/उनका योगदान।

1. **जलियांवाला बाग हत्याकांड**

विषय:विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएँ यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव।

1. **अर्मेनियाई नरसंहार**
2. **आर्मेनियाई लोगों के साथ वर्ष 1915 में हुई घटनाएँ**

विषय:महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके रक्षोपाय।

1. **तलाक और गुजारा भत्ता पर 'समान नागरिक कानून' के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका**
2. **विश्व आर्थिक मंच की 'वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट'**
3. **UNFPA की जनसंख्या रिपोर्ट**
4. **भारत में विज्ञापनों में लैंगिक पक्षपात और समावेशन**
5. **महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए दो-बच्चों का मानदंड**

विषय:भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्त्वपूर्ण भू भू-भौतिकीय घटनाएँ, भौगोलिक विशेषताएँ आदि।

1. **ग्रीष्म लहरें'**
2. **'स्काईमेट' द्वारा 'अच्छे मानसून' का पूर्वानुमान**

सामान्य अध्ययन-II

शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विषय: भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

1. **प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI)**
2. **सर्वोच्च न्यायालय का विस्तृत अधिकार क्षेत्र**
3. **गोवा की नागरिक संहिता**
4. **संविधान का अनुच्छेद 311 (2) (C)**
5. **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217**
6. **दिल्ली सरकार की जिम्मेदारियाँ पूर्ववत रहेंगी: केंद्र सरकार**

विषय:विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।

1. **जम्मू-कश्मीर का दरबार स्थानांतरण**
2. **लोग अपने धर्म का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं: उच्चतम न्यायालय**
3. **पीएम केयर्स**

विषय:संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।

1. **हरियाणा में विधानसभा कार्य-संचालन नियमों में संशोधन**
2. **नेताओं द्वारा संसदीय समितियों की बैठक बुलाए जाने की मांग**

विषय:विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व।

1. **तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति**
2. **मुख्य निर्वाचन आयुक्त**
3. **केंद्र सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति-प्रक्रिया तेज करने पर जोर**

4. **उच्च न्यायालयों में 'तदर्थ न्यायाधीशों' की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त**
5. **संविधान का अनुच्छेद 223**

विषय:सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय।

1. **अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021**
2. **सतर्कता अधिकारियों का प्रति तीन वर्ष में स्थानांतरण**
3. **फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण (FCAT)**
4. **राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC)**

विषय:सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।

1. **उपासना स्थल अधिनियम**
2. **भिक्षावृत्ति को गैर-अपराध घोषित करने हेतु याचिका**
3. **चंडीगढ़ का साइकिलिंग नीति मसौदा**
4. **नागालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर (RINN)**
5. **आरबीआई द्वारा 'एआरसी' के कामकाज की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन**
6. **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना**
7. **विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक**
8. **वाहन कबाड़ नीति**

विषय:केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन।

1. **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)**
2. **'राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक नीति' मसौदा**
3. **'लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना'**

विषय:स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।

1. **'वैक्सीन की बर्बादी' क्या है, और इसे किस प्रकार रोका जा सकता है?**
2. **राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021**
3. **ई 9 पहल**
4. **'सार्थक' कार्यक्रम**
5. **B.1.617: वायरस का 'डबल म्यूटेंट' प्रकार**
6. **अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF)**
7. **वैक्सीन पासपोर्ट**
8. **'वैक्सीन राष्ट्रवाद' क्या है?**
9. **स्वाइन फीवर**
10. **दिल्ली में वायरस के U.K प्रकार का बढ़ता प्रसार**

विषय:लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका।

1. **पुलिस सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2006 में दिया गया फैसला**
2. **चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स**

विषय:भारत एवं इसके पड़ोसी- संबंध।

1. **जम्मू में रोहिंग्या की प्रवासियों की रिहाई से उच्चतम न्यायालय का इंकार**
2. **भूटान और चीन के मध्य सीमा वार्ता तय**
3. **संयुक्तराष्ट्र में चीन और पाकिस्तान द्वारा एक-दूसरे के 'मूल हितों' को समर्थन**
4. **भारत द्वारा 156 देशों के लिए ई-वीजा की सुविधा बहाल**
5. **यूरोपीय संघ परिषद द्वारा इंडो-पैसिफिक रणनीति के निष्कर्षों का अनुमोदन**
6. **दंतक परियोजना**
7. **करेन विद्रोही**

विषय:द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

1. **बिम्सटेक**
2. **आपूर्ति श्रृंखला बेहतर बनाने संबंधी पहल (SCRI)**

विषय:भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव; प्रवासी भारतीय।

1. **संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)**
2. **'उइघुर' कौन हैं?**
3. **केंद्र सरकार द्वारा इतालवी नौसैनिकों संबंधी मामला बंद करने हेतु सम्मति की मांग**

4. **भारत और रूस S-400 मिसाइल प्रणाली सौदे के लिए प्रतिबद्ध**
5. **भारत, अमेरिकी ट्रेजरी की मुद्रा निगरानी सूची में शामिल**
6. **शिनजियांग अपराधों के लिए चीन की जांच: ह्यूमन राइट्स वॉच**
7. **'अमेरिकी मुद्रा निगरानी सूची' नीतियों में अनुचित हस्तक्षेप है: अधिकारी**
8. **'ट्रैवल बबल'**
9. **दक्षिण चीन सागर विवाद**
10. **अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की रिपोर्ट**
11. **'वैश्विक सैन्य-व्यय के रुझान' पर रिपोर्ट**

विषय:महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच- उनकी संरचना, अधिदेश।

1. **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)**
2. **उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO)**
3. **नौवहन कार्यवाही की स्वतंत्रता (FONOP)**
4. **बाजार में जीवित वन्य स्तनधारी जीवों की बिक्री पर रोक लगाने का आग्रह**
5. **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) संधि**
6. **नाटो भी अमेरिका के साथ अफगानिस्तान से वापस**
7. **कुलभूषण जाधव प्रकरण**
8. **अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरातत्व स्थल दिवस**
9. **बोआओ फोरम**
10. **'ग्लोबल यूथ मोबलाइज़ेशन लोकल सॉल्यूशंस' अभियान**
11. **'कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स' का पाँचवाँ सत्र**
12. **हेग स्थित 'रासायनिक हथियार निषेध संगठन' (OPCW) हेतु 'बाह्य लेखा परीक्षक'**
13. **'ह्यूमन राइट्स वॉच'**

सामान्य अध्ययन-III

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन

विषय:भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।

1. **मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण**
2. **हरियाणा का आरक्षण कानून**
3. **नामावली हेतु सामंजस्य प्रणाली संकेत (HSN कोड)**
4. **G-SAP: बाजार प्रोत्साहन हेतु प्रतिभूति अधिग्रहण योजना**
5. **अर्थोपाय ऋण**

विषय:समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय।

1. **उतिष्ठ भारत (स्टैंड अप इंडिया) योजना**
2. **आरबीआई द्वारा नाबार्ड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की सहायता**
3. **आरबीआई के समक्ष 'ऑन टैप' लाइसेंस हासिल करने हेतु आवेदन**
4. **बैंकिंग सुधारों के जनक: भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम नरसिंहम का निधन**

विषय:सरकारी बजट।

1. **उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का 'लोक ऋण' स्तर सर्वाधिक**

विषय:मुख्य फसलें- देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न- सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली।

1. **सरकार द्वारा अफ़ीम की पैदावार बढ़ाने संबंधी उपायों पर विचार**
2. **मेट्टूर-सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना**
3. **स्वामित्व योजना**
4. **वृहत क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना**

विषय:प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय; जन वितरण प्रणाली।

1. **कृषि कानूनों पर गठित समिति ने उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट सौंपी**
2. **खाद्य क्षेत्र प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट की मंजूरी**
3. **संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021**
4. **कृषि अवसंरचना निधि**

विषय:बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

1. **'सौर ऊर्जा क्षेत्र' के लिए प्रोत्साहन**

विषय:विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- विकास एवं अनुप्रयोग और रोज़मर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।

1. **बैकाल-जीवीडी**
2. **कॉन्वलसंट प्लाज्मा**
3. **एक घंटे के भीतर डेंगू के निदान हेतु उपकरण**
4. **भारत का 'राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज' (NIXI)**
5. **यूरेनियम का 60% तक संवर्धन शुरू : ईरान**
6. **सौर-प्रकाश को 99 प्रतिशत तक परावर्तित करने में सक्षम 'अब तक का सर्वाधिक सफ़ेद पेंट'**

विषय:सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता।

1. **नासा का इनसाइट लैंडर**
2. **इंजेन्युटी हेलीकाप्टर**
3. **अंतरिक्षीय कचरा**
4. **नासा के मंगल हेलीकॉप्टर की दूसरे ग्रह पर पहली उड़ान**
5. **वर्ष 2025 में रूस का निजी अंतरिक्ष स्टेशन**
6. **नासा के परसिवरेंस मिशन द्वारा मंगल पर ऑक्सीजन का निष्कर्षण**
7. **अनिवार्य लाइसेंस**
8. **ज़्यूरोंग (Zhurong)**
9. **आदित्य-एल 1 सपोर्ट सेल**

विषय:संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

1. **'वन संरक्षण अधिनियम' मसौदा संशोधन**
2. **चिल्का झील, बंगाल की खाड़ी का एक भाग: एक अध्ययन**
3. **महेंद्रगिरि में ओडिशा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व प्रस्तावित**
4. **इस वर्ष वसंत काल में वनाग्नि और उनकी बारंबारता**
5. **'नेट-ज़ीरो' और इस पर भारत की आपत्तियाँ**
6. **केन-बेतवा परियोजना**
7. **चिल्का झील में डॉल्फिनों की संख्या में तीव्र वृद्धि**
8. **इंडियन राइनो विज़न (IRV) 2020**
9. **राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट**
10. **कैरेबियाई ज्वालामुखी से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड के भारत पहुचने की पुष्टि**
11. **भारत और जर्मनी के मध्य 'समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे की समस्या' पर समझौता**
12. **पृथ्वी दिवस 2021**
13. **'पायरासोल' परियोजना**
14. **नेट ज़ीरो उत्पादक मंच**

विषय:आपदा और आपदा प्रबंधन।

1. **आपदा प्रबंधन अधिनियम**
2. **असम में भूकंप**

विषय:विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध।

विषय:आंतरिक सुरक्षा के लिये चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्त्वों की भूमिका।

1. **नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक**

विषय:संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका।

1. **चीन की डिजिटल मुद्रा**
2. **यूनाइटेड किंगडम, नीरव मोदी का प्रत्यर्पण करने पर सहमत**
3. **इंटरनेट से अपमानजनक सामग्री को हटाने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश**
4. **'व्हाट्सएप की निजता नीति'**
5. **क्रू-2 मिशन**
6. **साइबर अपराध स्वयंसेवक कार्यक्रम**

विषय:सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन- संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।

1. **पंजाब सरकार की ड्रग्स मामलों पर पुरस्कार नीति**

विषय:विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएँ तथा उनके अधिदेश।

सामान्य अध्ययन-IV
नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि

1. गंभीर अपराध से बरी अभ्यर्थी को नियोक्ता द्वारा खारिज किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

2. बंदर के भ्रूण में विकसित मानव कोशिकाओं पर नैतिकता संबंधी बहस

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु तथ्य

1. सैन्य फार्म
2. एआईएम-प्राइम
3. 'क्यूलेक्स' या आम घरेलू मच्छर
4. छोटी बचतों पर ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं
5. सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रोशेना 2021
6. मुंबई में तीसरा संयुक्त लॉजिस्टिक नोड (JLN)
7. दादा साहब फाल्के पुरस्कार
8. संकल्प से सिद्धि
9. चिनाब ब्रिज: विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल
10. 'ला पेरॉस' सैन्याभ्यास
11. 'इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम' (IVEP) 2021
12. लैब ऑन व्हील्स
13. वुल्फ-रेएट तारे
14. विश्व स्वास्थ्य दिवस
15. मधुक्रांति पोर्टल:
16. 'अनामाया'
17. बैसाखी
18. लाल सागर
19. हांगकांग से पलायन करने वाले प्रवासियों हेतु ब्रिटेन में 'निधि' की स्थापना
20. ज्ञानवापी मस्जिद
21. नैनोस्निफर
22. डूम्स-डे ग्लेशियर
23. उन्नत पुरावशेष प्रबंधन प्रणाली (AAMS)
24. ब्रुसेलोसिस
25. उमंगोत नदी
26. 'उरुका' क्या है?
27. 'ईवीआर पेरियार सलाई' का नाम ग्रैंड वेस्टर्न ट्रंक (GWT) रोड
28. सेरोजा (Seroja)
29. पोषण ज्ञान
30. ई-सांता (e-SANTA)
31. नवजात, छोटे बच्चे तथा उनकी देखभाल करने वाले लोगों के अनुकूल पड़ोस प्रशिक्षण तथा क्षमता सृजन कार्यक्रम
32. आहार क्रांति
33. 'मंकीडेक्टाइल' क्या है?
34. टीका उत्सव
35. रायसीना संवाद
36. नैरो-लाइन सेफ़र्ट 1 (NLS1) आकाशगंगा
37. मानस ऐप
38. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमों की समीक्षा हेतु प्राधिकारी का गठन
39. साइबरस्पेस में विश्वास और सुरक्षा हेतु पेरिस कॉल
40. ईटस्मार्ट सिटीज़ चैलेंज
41. सभी के लिए परिवहन (टी4ऑल) चुनौती
42. लैंगिक संवाद
43. डिस्क-फुटेड चमगादड़
44. चोलिस्तान मरुस्थल
45. टिकी विन्यास
46. वंदे भारत मिशन
47. यूरोपीय परिषद
48. नागरिक सेवा दिवस
49. # FOSS4GOV इनोवेशन चैलेंज
50. केआरआई नंग्गाला
51. सीमा सड़क संगठन
52. जलवायु पर नेताओं का शिखर सम्मेलन- 2021
53. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
54. डीप टाइम प्रोजेक्ट
55. बैंक के एमडी, सीईओ, निदेशक पदों के लिए 70 वर्ष की आयु सीमा
56. भारत, हेलीकाप्टरों के लिए सिंगल क्रिस्टल घटकों का निर्माण करने में सक्षम देशों में शामिल
57. चर्चित स्थल: साहेल
58. कोवलून प्रायद्वीप
59. CoWIN
60. युद्धाभ्यास वरुण- 2021
61. पाइथन-5
62. तियान्हे मॉड्यूल

63. विश्व का प्राचीनतम पानी
64. MACS 1407
65. ब्रिटेन, स्व-चालक वाहनों के उपयोग हेतु नियम-निर्धारण करने वाला पहला देश

सामान्य अध्ययन-I

भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज

विषय: भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे।

1. श्री रामानुजाचार्य

संदर्भ: 18 अप्रैल, 2021 को श्री रामानुजाचार्य की 1004 वीं जयंती मनाई गई।

श्री रामानुजाचार्य के बारे में:

- इनका जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था।
- इन्हें **श्री वैष्णववाद दर्शन** का सबसे सम्मानित आचार्य माना जाता है।
- इन्हें **इलाया पेरूमल (Ilaya Perumal)** के रूप में भी जाना जाता है जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान।
- इनके भक्तिवाद के दार्शनिक तत्वों से भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा था।
- ये वेदान्त दर्शन परंपरा में **'विशिष्टाद्वैत'** के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं।
- उन्होंने ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता पर भाष्य जैसे कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, इनकी सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं।

'विशिष्टाद्वैत' क्या है?

- यह वेदांत दर्शन की एक अद्वैतवादी परंपरा है। यह सर्वगुण-संपन्न परमसत्ता का अद्वैतवाद है, जिसमे मात्र ब्रह्म का असितत्व माना जाता है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति विविध रूपों में होती है।
- इसे परिमित वेदांत, अथवा सर्वगुण-संपन्न अद्वैतवाद अथवा या योग्य गैर-द्वैतवाद या गुण-सूचक अद्वैतवाद के रूप में भी वर्णित किया जाता है।
- वेदांत दर्शन की इस परंपरा यह मानती है, कि संपूर्ण जगत की विविधता अथवा बहुरूपता एक ही मूलभूत सत्ता में समाहित होती है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. श्री रामानुजाचार्य के बारे में
2. अद्वैत दर्शन के बारे में
3. भक्ति आंदोलन के बारे में

मेंस लिंक: द्वैत और अद्वैत दर्शन परम्पराओं के मध्य भिन्नता।

स्रोत: पीआईबी

2. खजुराहो मंदिर

संदर्भ: हाल ही में, पर्यटन मंत्रालय द्वारा 'देखो अपना देश' श्रृंखला के अंतर्गत 'खजुराहो में बने मंदिरों की वास्तुशिल्पीय भव्यता' पर वेबिनार का आयोजन किया गया था।

'देखो अपना देश' वेबिनार श्रृंखला, '**एक भारत-श्रेष्ठ भारत**' अभियान के अंतर्गत भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का प्रयास है।

'खजुराहो मंदिरों' के बारे में:

- खजुराहो के मंदिर देश के सबसे खूबसूरत मध्यकालीन स्मारकों में शामिल हैं।
- इन मंदिरों का निर्माण **950-1050 ईस्वी** के मध्य चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था।
- इन स्मारक मंदिरों में, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिर शामिल हैं।
- ये मंदिर स्थल, विंध्य पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित है, और नागर शैली के वास्तुशिल्प प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हैं।
- इन मंदिरों को यूनेस्को द्वारा वर्ष **1986** में **'विश्व धरोहर स्थल' का दर्जा** प्रदान किया गया।
- ये मंदिर, अपनी कामोद्दीपक मूर्तियों के लिए विश्व-विख्यात हैं।
- खजुराहो मंदिरों का पहली बार लिखित रूप से उल्लेख, ईस्वी सन् **1022** में अबू रिहान अल बिरूनी तथा **1335** ईस्वी में अरब यात्री इब्न बतूता के विवरणों में मिलता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. खजुराहो मंदिरों के बारे में।
2. 'वास्तुकला की नागर शैली' क्या है?
3. नागर और द्रविड़ शैलियों के मध्य अंतर?
4. यूनेस्को की 'विश्व धरोहर सूची' क्या हैं?

स्रोत: पीआईबी

विषय: 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास- महत्त्वपूर्ण घटनाएँ, व्यक्तित्व, विषय।

1. ज्योतिराव फुले

संदर्भ: इनका जन्म 11 अप्रैल, 1827 को हुआ था और उनकी जयंती, हर साल **ज्योतिबा फुले जयंती** के रूप में मनाई जाती है।

महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में:

- इनका जन्म वर्ष 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले हुआ था।
- फुले को महात्मा की उपाधि, महाराष्ट्र के एक **सामाजिक कार्यकर्ता विट्ठलराव कृष्णजी वांडेकर** द्वारा, 11 मई, 1888 को प्रदान की गयी थी।

सामाजिक सुधार और महत्वपूर्ण योगदान:

1. महात्मा ज्योतिराव फुले का कार्य मुख्य रूप से अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन, महिलाओं की मुक्ति और सशक्तिकरण, हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार से संबंधित है।

2. इने अपनी पत्नी, सावित्रीबाई फुले के साथ, भारत में महिलाओं की शिक्षा का अग्र-दूत माना जाता है।
3. यह दंपति पुणे, महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए अगस्त 1848 में भारत का पहला स्वदेशी स्कूल खोलने वाले पहले भारतीय थे।
4. इसके बाद फुले दंपति ने **'महार और मंग'** जैसी अछूत जातियों के बच्चों के लिए स्कूल आरंभ किए।
5. वर्ष 1863 में, ज्योतिबा फुले ने **गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु एक 'गृह' का आरंभ** किया।
6. उन्होंने **शिशुहत्या से बचाव के लिए एक अनाथालय** खोला। इस संबंध में, उन्हें दुर्भाग्यशाली बच्चों के लिए **अनाथालय शुरू करने वाला पहला हिंदू** माना जाता है।
7. वर्ष 1868 में, ज्योतिराव ने अपने घर के बाहर एक **सामूहिक स्नानागार** का निर्माण करने का फैसला किया, जिससे उनकी सभी मनुष्यों के प्रति अपनत्व की भावना प्रदर्शित होती है, इसके साथ ही, उन्होंने सभी जातियों के सदस्यों के साथ भोजन करने की शुरुआत की।
8. वर्ष 1873 में, फुले ने दलित वर्गों के अधिकारों हेतु, जाति व्यवस्था की निंदा करने तथा तर्कसंगत विचारधारा का प्रसार करने के लिए 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की।

उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ: तृतीय रत्न (1855), गुलामगिरि (1873), शेतकरायचा आसुद, या कल्टीवेटर व्हिपकॉर्ड (1881), सत्यशोधक समाजोत्कल मंगलाष्टक सर्व पूजा-विधि (1887)।

प्रीलिम्स लिंक:

1. महात्मा फुले की महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएँ।
2. उन्हें फुले की उपाधि किसने दी?
3. सत्यशोधक समाज के उद्देश्य।
4. किस राज्य ने ज्योतिराव फुले पर एक योजना शुरू की है और यह किससे संबंधित है?
5. सावित्रीबाई फुले का उल्लेखनीय योगदान।

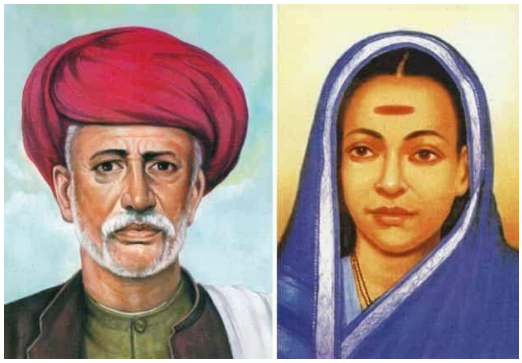

स्रोत: पीआईबी

विषय:स्वतंत्रता संग्राम- इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति/उनका योगदान।

1. जलियांवाला बाग हत्याकांड (Jallianwala Bagh massacre)

संदर्भ: 13 अप्रैल, 1919 को, ब्रिटिश सेना द्वारा जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर की गयी गोलीबारी की सैकड़ों लोग मारे गए थे।

घटना के बारे में: 13 अप्रैल, 1919 को 'बैसाखी' थी, और इस दिन अमृतसर के स्थानीय निवासियों द्वारा दो स्वतंत्रता सेनानियों सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को कैद करने तथा 'रौलट एक्ट' को लागू करने के खिलाफ चर्चा और विरोध करने के लिए एक सभा आयोजित करने का फैसला किया गया था। 'रौलट एक्ट' के तहत ब्रिटिश सरकार को बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई थी।

- जलियांवाला बाग़ चारो और से दीवारों से घिरा था और इसमें आने-जाने के लिए कुछ छोटे-छोटे दरवाजे थे। अंग्रेजों के आदेश के खिलाफ, इस बाग़ में एकत्रित भीड़ में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे।

- ब्रिगेडियर-जनरल रेजिनल्ड एडवर्ड हैरी डायर, एकत्रित भीड़ को सबक सिखाने के उद्देश्य से दबे पाँव बाग़ में पहुँच गया, और अपने साथ लाए 90 सैनिकों को, सभा के दौरान ही, भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया।
- भीड़ में कई लोगों ने दीवार फांद कर जान बचाने का असफल प्रयास किया, और कई लोग जान बचाने के लिए बाग़ के अंदर बने एक कुएं में कूद गए।

परिणाम: इस नरसंहार के बाद जनरल डायर को 'अमृतसर का कसाई' कहा गया और उसे कमांड से हटा कर वापस ब्रिटेन भेज दिया गया।

- इस घटना के प्रतिरोध में रवींद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने क्रमशः ब्रिटिश नाइटहुड और 'कैसर-ए-हिंद' की अपनी उपाधियों को त्याग दिया।
- वर्ष 1922 में कुख्यात रोलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा निरस्त कर दिया गया।

प्रीलिम्स लिंक:

1. इस घटना के दौरान भारत का वायसराय कौन था?
2. घटना के परिणाम?
3. रौलट एक्ट क्या है?

मेंस लिंक: जलियांवाला बाग त्रासदी, ब्रिटिश भारतीय इतिहास पर एक शर्मनाक निशान है। टिप्पणी कीजिए।

स्रोत: पीआईबी

विषय: विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएँ यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव।

1. अर्मेनियाई नरसंहार (Armenian Genocide)

संदर्भ: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, **अर्मेनियाई नरसंहार (Armenian Genocide)** को औपचारिक रूप से **'नरसंहार'** मानने की तैयारी कर रहे हैं।

प्रतिवर्ष, 24 अप्रैल को 'अर्मेनियाई नरसंहार स्मृति दिवस' के रूप में आयोजित किया जाएगा।

'अर्मेनियाई नरसंहार' क्या है?

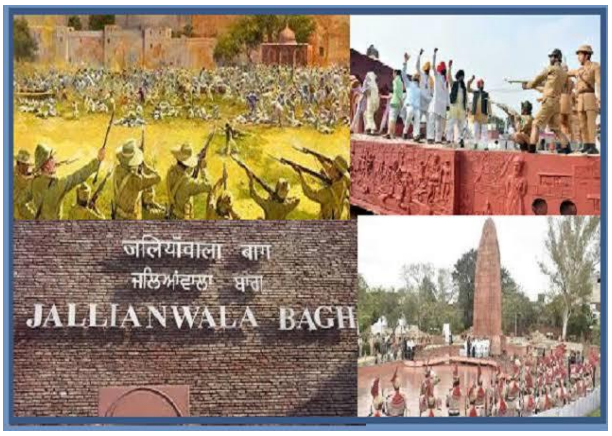

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, वर्ष 1915 से 1922 के बीच, ओटोमन तुर्कों द्वारा आर्मेनियाई आबादी को पूर्वी अनातोलिया से निर्वासित कर दिया गया था, इस दौरान हुए 'आर्मेनियाई नरसंहार' में हजारों आर्मीनियाई लोग, हत्याओं, भुखमरी और बीमारी के कारण मारे गए थे। तुर्की, इस घटना पर भिन्न राय रखता है, जबकि इतिहासकारों के बीच इतिहास की इस घटना पर आम सहमति है।

'इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड' के विद्वानों का अनुमान है, कि इस प्रकरण में 1 मिलियन से अधिक आर्मेनियाई लोग मारे गए थे।

इस स्वीकृति का महत्व:

शोधकर्ताओं का कहना है कि अमेरिकी सरकार द्वारा इस स्वीकृति का तुर्की पर बहुत कम कानूनी प्रभाव पड़ेगा, इससे तुर्की के लिए मात्र शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी अमेरिका के इस कदम से, अन्य देश इस 'नरसंहार' को स्वीकार करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

तथापि, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह स्वीकृति, तुर्की के लिए अवांछनीय और अरुचिकर हो सकती है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. प्रथम विश्व युद्ध के बारे में
2. युद्ध के दौरान प्रमुख घटनाएँ
3. अर्मेनियाई नरसंहार क्या है?

मेंस लिंक: अर्मेनियाई नरसंहार की स्वीकृति, तुर्की को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। चर्चा कीजिए।

https://indianexpress.com/article/explained/us-biden-prepares-to-recognise-armenian-genocide-heres-why-its-important-7284974/lite/.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

2. आर्मेनियाई लोगों के साथ वर्ष 1915 में हुई घटनाएँ

संदर्भ:हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने वर्ष 1915-16 में ऑटोमन तुर्कों द्वारा अर्मेनियाई लोगों की सामूहिक हत्याओं को आधिकारिक तौर पर "नरसंहार का कृत्य" के रूप में से मान्यता दी है।

पृष्ठभूमि:प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में, ओटोमन साम्राज्य के राज्य-क्षेत्र के भीतर लगभग 1.5 मिलियन आर्मेनियाई मारे जाने का अनुमान लगाया जाता है।

तुर्की की प्रतिक्रिया:

तुर्की द्वारा अर्मेनियाई लोगों के खिलाफ किये गए अत्याचारों को तो स्वीकार किया गया है, किंतु यह, इन घटनाओं को 'नरसंहार' मानने से इंकार करता है (क्योंकि इसके कानूनी निहितार्थ होंगे) तथा 1.5 मिलियन हत्याओं के अनुमान को भी चुनौती देता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन की संबंधित घोषणा पर तुर्की के विदेश मंत्रालय द्वारा एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा गया है, कि इसका "कोई शोध-आधारित अथवा विधिक आधार नहीं है, और न ही इसको साबित करने वाला कोई प्रमाण है"।

अर्मेनियाई नरसंहार के पीछे क्या कारण थे?

- अर्मेनियाई लोग 19 वीं शताब्दी के अंतिम तथा 20 वीं शताब्दी शुरुआती दौर में प्रमुख ताकतों के मध्य होने वाले शक्ति-संघर्ष के शिकार थे।
- जब 19 वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था, उस समय कांस्टेंटिनोपल में राज करने वालों ने अर्मेनियाई लोगों को 'देशद्रोहियों का समूह' या गद्दार (fifth column) माना।
- 1877-78 में हुए रूस-तुर्की युद्ध में तुर्कों को अपना काफी राज्य क्षेत्र खोना पड़ा था, इसके बाद से अर्मेनियाई लोगों के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा।

- युद्धोपरांत हुई **बर्लिन की संधि** में, बड़ी ताकतों द्वारा ओटोमन साम्राज्य पर कई शर्तें लगा दी गई, जिनके तहत, **सुल्तान अब्दुलामहिद द्वितीय** पर अर्मेनियाई आबादी वाले प्रांतों में सुधार लागू करने तथा इनको, सर्किशियन (Circassians) तथा कुर्दों से सुरक्षा की गारंटी देने के लिए दबाव डाला गया।
- सुल्तान ने इसे अर्मेनियाई और अन्य प्रतिद्वंद्वी देशों, विशेष रूप से रूस के बीच संबंध मजबूत होने के संकेत के रूप में देखा।
- बाद में, अक्टूबर 1914 में, तुर्की, जर्मनी की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। जनवरी 1915 में हुए **सारिकमिश (Sarikamish) की लड़ाई** में ओटोमन को रूस की सेना से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा।
- तुर्कों ने इस हार के लिए अर्मेनियाई लोगों पर "विश्वासघात" करने का आरोप लगाया।

इसके बाद, अर्मेनियाई लोगों पर हमलों की श्रृंखला शुरू हो गई।

प्रीलिम्स लिंक:

1. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रमुख घटनाएं।
2. अर्मेनियाई कौन हैं?
3. तुर्की की अवस्थिति

मेंस लिंक:

तुर्की, अर्मेनियाई लोगों के खिलाफ किये गए अत्याचारों को तो स्वीकार करती है, किंतु इन घटनाओं को 'नरसंहार' मानने से इंकार करती है। टिप्पणी कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GC78H6J5S.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

विषय:महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके रक्षोपाय।

1. तलाक और गुजारा भत्ता पर 'समान नागरिक कानून' के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका

संदर्भ:

हाल ही में, **सभी धर्मों के लिए 'समान कानून' उपलब्ध कराने के खिलाफ** सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है, कि उपरोक्त क़ानून की आड़ में मुस्लिम महिलाओं को उनके धर्म का पालन करने संबंधी मौलिक अधिकार छीनने की 'खुल्लम-खुल्ला कोशिश' की जा रही है।

संबंधित प्रकरण:

याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि, अदालत, तलाक, भरण-पोषण और गुजारा भत्ता के संबंध में एक 'समान नागरिक कानून' लागू होने से उसकी जैसी मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी पर फैसला करने से पहले उसकी बात सुन ले।

- पिछले वर्ष दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने, अधिवक्ता ए.के. उपाध्याय द्वारा दायर की गयी, सभी धर्मों के लिए तलाक, भरण-पोषण एवं गुजारा भत्ता हेतु एक कानून बनाए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने हेतु सहमति प्रदान की थी।
- अधिवक्ता ए.के. उपाध्याय ने तर्क दिया था, कि कुछ धर्मों में तलाक, भरण-पोषण एवं गुजारा भत्ता संबंधी क़ानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते है और उन्हें हाशिए पर छोड़ देते हैं।

'एक समान कानून' की आवश्यकता:

- धर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न मौजूदा विसंगतियाँ **समानता के अधिकार (संविधान का अनुच्छेद 14) और धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव (अनुच्छेद 15) और गरिमा से जीने का अधिकार (अनुच्छेद 21)** का उल्लंघन करती हैं।
- अतः, तलाक, भरण-पोषण एवं गुजारा भत्ता संबंधी कानून '**लिंग-तटस्थ और धर्म-तटस्थ**' होने चाहिए।

भारत में 'पर्सनल लॉ' की स्थिति:

'पर्सनल लॉ' संबंधी विषय, जैसे कि विवाह, संबंध-विच्छेद (तलाक), विरासत आदि, संविधान की **समवर्ती सूची** में आते हैं।

- 'हिंदू पर्सनल लॉज़' को वैधानिक क़ानून (हिंदू विवाह अधिनियम, 1955) को लागू करके सामान्यतः धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक बनाया जा चूका है।
- दूसरी ओर, 'मुस्लिम पर्सनल लॉज़' (जैसे कि, 1937 का शरीयत कानून) अभी भी अपनी विषय वस्तु और नजरिए में पारंपरिक और अपरिवर्तित हैं ।
- इसके अलावा, ईसाई और यहूदी धर्मो में अलग-अलग 'पर्सनल लॉज़' द्वारा लागू होते हैं।

अनुच्छेद 142: अनुच्छेद 142 के तहत, उच्चतम न्यायालय को पक्षकारों के मध्य 'पूर्ण न्याय' करने की अद्वितीय शक्ति प्रदान की गयी है, अर्थात, जब कभी स्थापित नियमों एवं कानूनों के तहत कोई समाधान नहीं निकल पाता है, तो ऐसे में अदालत, मामले से संबंधित तथ्यों के मुताबिक़ विवाद पर 'अंतिम फैसला' सुना सकती है।

गुजारा-भत्ता: सभी समुदायों पर लागू होने वाली **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125** के तहत, पत्नियों, बच्चों और माता-पिता को, अपने भरण-पोषण हेतु पर्याप्त और उचित साधनों से कमा पाने में अक्षम होने पर अथवा शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होने पर, गुजारा-भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस धारा के तहत, गैर-तलाकशुदा पत्नी को भी अपने पति से गुजारा-भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'समान नागरिक संहिता' क्या है?
2. अनुच्छेद 13, 14 और 19 के बारे में।
3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125
4. अनुच्छेद 142 किससे संबंधित है?
5. भारतीय संविधान की 7 वीं अनुसूची।

मेंस लिंक:

सभी धर्मों के लिए तलाक, भरण-पोषण एवं गुजारा भत्ता हेतु एकसमान दिशा-निर्देशों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G6J8EDVMB.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

2. विश्व आर्थिक मंच की 'वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट' (WEF's global gender gap report)

संदर्भ: हाल ही में, **'विश्व आर्थिक मंच' / 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम' (WEF)** द्वारा 'वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट' (Global Gender Gap Report), 2021 जारी की गई है।

रिपोर्ट में भारत संबंधी निष्कर्ष:

1. **समग्र प्रदर्शन:** भारत की स्थिति 28 स्थान नीचे पहुँच गई है- 'वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट' की **156 देशों की सूची भारत को 140 वां स्थान** मिला है।

2. **पड़ोसी देशों में स्थिति:** भारत, **दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों की श्रेणी** में पहुँच गया है, तथा अपने पड़ोसी देशों, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार से नीचे स्थान पर है।
3. **राजनीतिक सशक्तीकरण:** राजनीतिक सशक्तीकरण सूचकांक में भी, भारत के प्रदर्शन में **13.5 प्रतिशत** अंकों की गिरावट आई है।
4. **शिक्षा प्राप्ति के सूचकांक** में, भारत को 114 वें स्थान पर रखा गया है।
5. **"स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा"** सूचकांक में भी भारत का प्रदर्शन खराब रहा है। इस सूचकांक में लिंगानुपात तथा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को शामिल किया जाता है।
6. भारत में **महिलाओं की अनुमानित उपार्जित आय**, पुरुषों की आय के मात्र पांचवे हिस्से के बराबर है, जिससे इस सूचकांक में भारत का स्थान, वश्विक रूप से निचले दस देशों के मध्य पहुँच गया है।

वैश्विक परिदृश्य:

- आइसलैंड को, 12 वीं बार विश्व में **सर्वाधिक लैंगिक-समता वाला देश** घोषित किया गया है।
- **सर्वाधिक लैंगिक-समता वाले शीर्ष 10 देशों में**, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, रवांडा, स्वीडन, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।
- आर्थिक प्रदर्शन के मामले में, कई देशों ने **पिछले साल की तुलना में इस वर्ष की रैंकिंग में खराब प्रदर्शन** किया है।
- इस वर्ष की रिपोर्ट में, **राजनीतिक सशक्तीकरण में लैंगिक अंतर** सबसे अधिक रहा है: सम्पूर्ण विश्व की 35,500 संसदीय सीटों में से मात्र 26.1 प्रतिशत पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा है तथा कुल 3,400 मंत्रियों में से महिलाओं का प्रतिशत मात्र 22.6 रहा है।
- 15 जनवरी, 2021 तक, 81 देशों में कभी भी कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनीं है।
- **बांग्लादेश** ऐसा एकमात्र देश है, जहाँ पिछले 50 वर्षों के दौरान 'राष्ट्राध्यक्ष' के रूप में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने कार्य किया है।
- **आर्थिक भागीदारी में सर्वाधिक लैंगिक अंतराल वाले देशों** में ईरान, भारत, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, इराक और अफगानिस्तान शामिल हैं।

'वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट' के बारे में:

वर्ष 2006 में पहली बार प्रकाशित की गई।

रिपोर्ट में 156 देशों द्वारा चार आयामों के मद्देनज़र लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है:

1. आर्थिक भागीदारी और अवसर,
2. शैक्षणिक उपलब्धि;
3. स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा; और
4. राजनीतिक सशक्तीकरण।

सूचकांक में, उच्चतम स्कोर 1 होता है, जो 'समानता' को प्रदर्शित करता है, तथा निम्नतम स्कोर '0' अर्थात 'शून्य' होता है, जो 'असमानता' के स्तर को दर्शाता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'लैंगिक अंतराल रिपोर्ट' के बारे में।
2. देशों की रैंकिंग किस प्रकार की जाती है?
3. भारत का प्रदर्शन।
4. भारत और पड़ोसी।
5. वैश्विक परिदृश्य।

मेंस लिंक: नवीनतम 'वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट' में भारत के प्रदर्शन पर टिप्पणी कीजिए।

https://www.thehindu.com/news/national/wefs-gender-gap-index-india-slips-28-places-ranks-140-among-156-countries/article34206867.ece/amp/.

स्रोत: द हिंदू

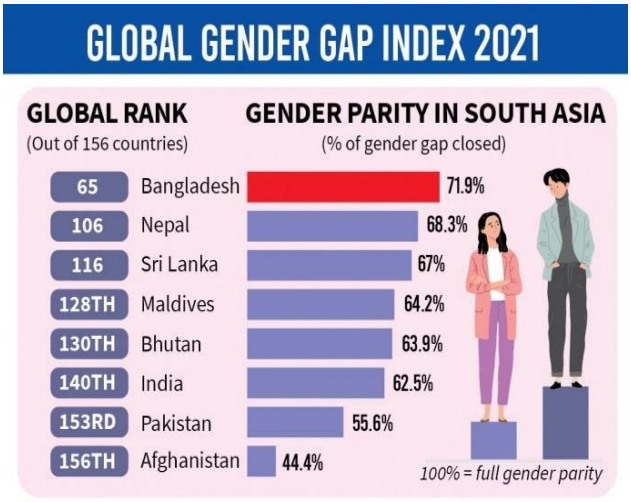

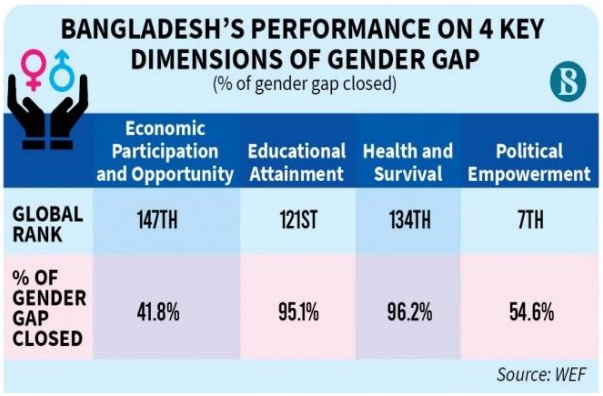

3. UNFPA की जनसंख्या रिपोर्ट

संदर्भ: हाल ही में, 'संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष' (United Nations Population Fund / UNFPA) द्वारा 'मेरा शरीर मेरा अपना है' (My Body is My Own) नामक शीर्षक से अपनी प्रमुख 'विश्व जनसँख्या स्थिति रिपोर्ट' (State of World Population Report)- 2021 जारी की गई है।

पहली बार संयुक्त राष्ट्र की किसी रिपोर्ट में 'दैहिक / शारीरिक स्वायत्तता' (**Bodily Autonomy**) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

'दैहिक स्वायत्तता' क्या है?

रिपोर्ट में 'दैहिक या शारीरिक स्वायत्तता' को, बगैर किसी हिंसा के डर से अथवा आपके निर्णय किसी अन्य के द्वारा किए जाने के बिना, आपकी देह अथवा शरीर के बारे में स्वयं विकल्प चुनने की शक्ति तथा अभिकरण के रूप में परिभाषित किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- 57 विकासशील देशों की लगभग आधी महिलाओं को अपने शरीर के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये महिलाएं, गर्भनिरोधक का उपयोग करने, स्वास्थ्य-देखभाल की मांग करने, और यहाँ तक अपनी काम–वासना के संबंध में भी खुद निर्णय नहीं ले सकती है।
- जिन देशों में आँकड़े उपलब्ध है, उनमे केवल 55% महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा, गर्भनिरोधक का उपयोग करने और सेक्स के लिए हां या ना कहने का विकल्प चुनने के लिए पूरा अधिकार हासिल है।
- केवल 75% देशों में गर्भनिरोधक के लिए पूर्ण और समान पहुंच कानूनी रूप से सुनिश्चित की गयी है।
- दुनिया भर में अधिकांश महिलाएं 'शारीरिक स्वायत्तता के मौलिक अधिकार' से वंचित कर दी जाती है, कोविड-19 महामारी के कारण इनके हालात और ख़राब हुए हैं।

रिपोर्ट में भारत संबंधी तथ्य:

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत के, 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (National Family Health Survey)- 4 अर्थात NFHS -4 (2015-2016) के अनुसार, वर्तमान में केवल 12% विवाहित महिलाएं (15-49 वर्ष आयु वर्ग) अपनी स्वास्थ्य-देखभाल के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती हैं।
- इसी आयुवर्ग की 63% विवाहित महिलाएं, इस संबंध में अपने जीवनसाथी के परामर्श से निर्णय लेती हैं।
- एक चौथाई महिलाओं (23%) के जीवनसाथी, मुख्य रूप से उनकी स्वास्थ्य-देखभाल के बारे में निर्णय लेते हैं।
- केवल 8% विवाहित महिलाएं (15-49 वर्ष आयुवर्ग) गर्भनिरोधक के उपयोग पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती हैं, जबकि 83% महिलाओं द्वारा अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर निर्णय लिए जाते हैं।
- महिलाओं को गर्भनिरोधक के उपयोग के बारे में दी गई जानकारी भी सीमित होती है।
- गर्भनिरोधक का उपयोग करने वाली केवल 47% महिलाओं को इस विधि के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया, और मात्र 54% महिलाओं को अन्य गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

रिपोर्ट में प्रयुक्त की गई कार्यप्रणाली: 'दैहिक स्वायत्तता' के संदर्भ में महिलाओं की पहुँच, रिपोर्ट के निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर मापी जाती है:

- उनकी प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य-देखभाल, गर्भनिरोधक उपयोग और यौन संबंधों के बारे में अपने निर्णय लेने की उनकी शक्ति; तथा
- इन फैसलों को लेने संबंधी महिलाओं के अधिकार में किसी देश के द्वारा कानूनी सहयोग अथवा हस्तक्षेप की सीमा।

'संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष' (UNFPA) के बारे में: UNFPA, 'संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संस्था' (United Nations sexual and reproductive health agency) है।

- इस संस्था का गठन वर्ष 1969 में किया गया था, इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषणा की गई थी कि 'माता-पिता को स्वतंत्र रूप से और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से अपने बच्चों की संख्या और उनके बीच अंतर को निर्धारित करने का विशेष अधिकार है।"
- UNFPA का लक्ष्य, एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है, जिसमे प्रत्येक गर्भ को स्वीकार किया जाए, प्रत्येक प्रसव सुरक्षित हो तथा हर युवा की संभाव्यतायें पूरी होती है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. UNFPA के बारे में।
2. रिपोर्ट
3. 'शारीरिक स्वायत्तता' क्या है?
4. नवीनतम रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

मेंस लिंक: रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों पर टिप्पणी कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G7J8G3308.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

4. भारत में विज्ञापनों में लैंगिक पक्षपात और समावेशन

संदर्भ: हाल ही में, **यूनिसेफ (UNICEF)** तथा **'जीना डेविस इंस्टिट्यूट ऑन जेंडर इन मीडिया' (Gender in Media on Gender in Media)** द्वारा **'भारत में विज्ञापनों में लैंगिक पक्षपात और समावेशन' (Gender bias and inclusion in advertising in India)** शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई है।

इस शोध अध्ययन में, वर्ष 2019 के दौरान संपूर्ण भारत में प्रसारित किए गए 1,000 से अधिक टेलीविज़न और यू ट्यूब (YouTube) विज्ञापनों का आकलन किया गया है। अध्ययन में, सर्वाधिक पहुँच हासिल करने वाले विज्ञापनों का विश्लेषण किया गया है।

प्रमुख निष्कर्ष (संक्षिप्त अवलोकन):

- यद्यपि, जहाँ तक कि स्क्रीन और बोलने के समय के संदर्भ में, लड़कियों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व की समानता की बात की जाए तो ये विज्ञापन, वैश्विक मानदंडो से बेहतर हैं, किंतु इनका चित्रण समस्यात्मक है, क्योंकि ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा देते हैं।
- इन विज्ञापनों में, पुरुष पात्रों की तुलना में, महिला पात्रों को विवाहित के रूप में अधिक, किसी आय अर्जित करने वाले व्यवसाय में कम, तथा देखभाल करने वाले और 'माता-पिता' के रूप में संभवतः अधिक चित्रित किया जाता है।
- महिला पात्रों को पुरुष पात्रों की तुलना में निम्नलिखित गतिविधियां करते हुए दिखाने की अधिक संभावना है - खरीदारी (2.3% पुरुष पात्रों की तुलना में 4.1%); सफाई (2.2% के मुकाबले 4.8%); और भोजन के लिए खरीदारी या बनाने की तैयारी (3.9% के खिलाफ 5.4%)।
- जिन पात्रों में, अधिक होशियार होने का गुण दिखाया जाता है, विज्ञापन में, उन पात्रों को अभिनीत करने के लिए पुरुष पात्रों को महिला पात्रों की तुलना में अधिक स्मार्ट दिखाया जाता है (26.2% महिला पात्रों की तुलना में 32.2%)।
- भारतीय विज्ञापनों में दो-तिहाई महिला पात्रों (66.9%) की में त्वचा का रंग उजला अथवा मध्यम-उजला होता है, और इनमे स्त्री पात्र हमेशा पतले होते हैं।

संबंधित मुद्दे एवं चिंताएं:

यद्यपि हम भारतीय विज्ञापनों में महिला प्रतिनिधित्व को हावी देखते हैं, फिर भी इनको रंगवाद, अत्यधिक लैंगिकीकरण के कारण, घर के बाहर आजीविका अथवा आकांक्षाओं को पूरा करने में हाशिए पर रहना पड़ता है।

- विज्ञापनों में महिलाओं की की गई गलत व्याख्या और हानिकारक रूढ़िवादिता का, महिलाओं और युवा लड़कियों पर इस संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है- कि वे खुद को किस प्रकार देखती हैं, तथा समाज में उनका क्या महत्व है?
- एक समतामूलक समाज सुनिश्चित करने के लिए इस कठोर असमानता का समाधान किया जाने की आवश्यकता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. यूनिसेफ के बारे में।
2. इसके कार्य और सदस्य।
3. रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु।

मेंस लिंक: विज्ञापनों में महिलाओं की की गई गलत व्याख्या और हानिकारक रूढ़िवादिता का महिलाओं और युवा लड़कियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। टिप्पणी कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G8B8GOR8P.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

5. महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए दो-बच्चों का मानदंड

संदर्भ: हाल ही में, महाराष्ट्र जेल विभाग की एक महिला अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि विभाग द्वारा की गई एक जांच में पता चला, कि महिला अधिकारी ने 'महाराष्ट्र सिविल सेवा' (छोटे परिवार की घोषणा) नियमों का उल्लंघन करते हुए अधिकारियों से अपने तीन बच्चे होने की बात छुपाई थी।

महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 'दो बच्चे' संबंधी सेवा नियम क्या है?

वर्ष 2005 के 'महाराष्ट्र सिविल सेवा' (छोटे परिवार की घोषणा) नियमों के तहत 'एक छोटे परिवार' को पति, पत्नी और दो बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है।

- इसमें कहा गया है, वर्ष 2005 के बाद से यदि किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे होने पर, वह व्यक्ति महाराष्ट्र सरकार के अधीन नौकरी पाने का पात्र नहीं होगा।
- इन नियमों के तहत बच्चों की परिभाषा में गोद लिए गए बच्चे शामिल नहीं हैं।

पृष्ठभूमि: महाराष्ट्र, देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक है जहाँ सरकारी नौकरियों में नियुक्ति तथा स्थानीय सरकारी निकायों के चुनावों में 'दो बच्चों की नीति' लागू है।

'दो बच्चों की नीति' लागू करने वाले अन्य राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड और असम है। असम में यह नीति वर्ष 2019 में लागू की गई थी।

प्रीलिम्स लिंक:

1. महाराष्ट्र में 'दो बच्चों की नीति'
2. प्रयोज्यता
3. अपवाद
4. उचित प्रतिबंध।
5. समान कानून वाले अन्य राज्य

मेंस लिंक: महाराष्ट्र सिविल सेवा (छोटे परिवार की घोषणा) नियमों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/explained/maharashtra-two-child-norm-for-government-employees-explained-7292173/lite/.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विषय:भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्त्वपूर्ण भू भू-भौतिकीय घटनाएँ, भौगोलिक विशेषताएँ आदि।

1. 'ग्रीष्म लहरें' (Heat Waves)

संदर्भ: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 'राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र' के अनुसार, राजस्थान, विदर्भ और तमिलनाडु के भीतरी भागों में छिटपुट जगहों पर **'गर्म हवा की लहरें' अर्थात 'ग्रीष्म लहरें' (Heat Waves)** चलने की की संभावना है।

यह चेतावनी, हाल ही में अधिकांश जगहों पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज करने के पश्चात जारी की गई है।

'ग्रीष्म लहरें' क्या होती हैं?

'भारतीय मौसम विज्ञान विभाग' के अनुसार, जब किसी जगह पर तापमान, मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, तथा तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तथा पर्वतीय क्षेत्रों न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है, तो इसे 'गर्म हवा की लहर' अर्थात 'ग्रीष्म लहर' (Heat Wave) माना जाता है।

'ग्रीष्म लहर' घोषित करने संबंधी 'मानदंड':

- तापमान में सामान्य से **4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि** होने पर 'ग्रीष्म लहर' की स्थिति घोषित कर दी जाती है, और **तापमान में सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि** होने पर इसे 'प्रचंड ग्रीष्म लहर' (severe heatwave) कहा जाता है।
- **मैदानी इलाकों के लिए,** वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर 'ग्रीष्म लहर' तथा 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर 'प्रचंड ग्रीष्म लहर' घोषित की जाती है।

भारत में अधिक 'ग्रीष्म लहरें' आने का कारण:

1. शहरी क्षेत्रों में पक्की और कंक्रीट सतहों से गर्मी का आवर्धित प्रभाव और वृक्षावरण की कमी।
2. शहरी गर्म द्वीपीय प्रभाव (Urban heat island effects) के कारण आस-पास का तापमान, वास्तविक तापमान से 3 से 4 डिग्री अधिक महसूस होता हिया।
3. पिछले 100 वर्षों में वैश्विक स्तर पर तापमान में औसत 0.8 डिग्री की वृद्धि होने से 'ग्रीष्म लहरों' की तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। रात्री-कालीन तापमान में भी वृद्धि हो रही है।
4. जलवायु परिवर्तन के कारण, वैश्विक स्तर पर दैनिक उच्च तापमान में वृद्धि, लंबे समय तक चलने वाली और और अधिक तीव्र 'ग्रीष्म लहरों' की आवृति में लगातार वृद्धि होती जा रही है।
5. मध्यम से उच्च 'ग्रीष्म लहर' क्षेत्रों में पराबैगनी किरणों की उच्च तीव्रता।
6. असाधारण गर्मी का दबाव और मुख्यतः ग्रामीण आबादी का संयोजन, भारत को 'ग्रीष्म लहरों' के प्रति अधिक संवेदनशील बना देता है।

भारत के लिए आगे की राह: भारत को 'ग्रीष्म लहरों' से किस प्रकार निपटना चाहिए?

- मौसम संबंधी आंकड़ों की उपयुक्त ट्रैकिंग के माध्यम से 'ऊष्मा हॉट-स्पॉट' की पहचान करना और संबंधित संस्थाओं के मध्य रणनीतिक समन्वय के साथ, सबसे कमजोर समूहों को लक्षित करते हुए स्थानीय स्तर पर 'गर्मी कार्य योजना' के निर्माण, कार्यान्वयन तथा प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना।
- जलवायु परिस्थितियों के संबंध में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु मौजूदा व्यावसायिक स्वास्थ्य मानकों, श्रम कानूनों और क्षेत्रीय नियमों की समीक्षा करना।
- स्वास्थ्य, जल और विद्युत, तीनो क्षेत्रों में नीतिगत हस्तक्षेप और समन्वय की आवश्यकता है।
- पारंपरिक अनुकूलन पद्धतियों, जैसेकि घर के अंदर रहना और आरामदायक कपड़े पहनना आदि को बढ़ावा देना।
- सरल डिजाइन सुविधाओं जैसेकि छायादार खिड़कियां, भूमिगत जल भंडारण टैंक और 'ऊष्मा-रोधी भवन सामग्री' को प्रचलित करना।
- कमजोर समूहों को सुरक्षित करने के क्रम में सरकार द्वारा, स्थानीय स्तर पर 'गर्मी कार्य योजनाओं' (Heat Action Plans) का अग्रिम कार्यान्वयन तथा साथ ही विभिन्न संस्थाओं के मध्य प्रभावी रणनीतिक समन्वय, महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया साबित हो सकती है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'हीट वेव' कब घोषित की जाती है?
2. मानदंड?
3. हीटवेव और सुपर हीटवेव के बीच अंतर?
4. IMD क्या है?

मेंस लिंक:

गीष्म लहरों के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का परीक्षण कीजिए तथा भारत को इससे कैसे निपटना चाहिए?

स्रोत: पीआईबी

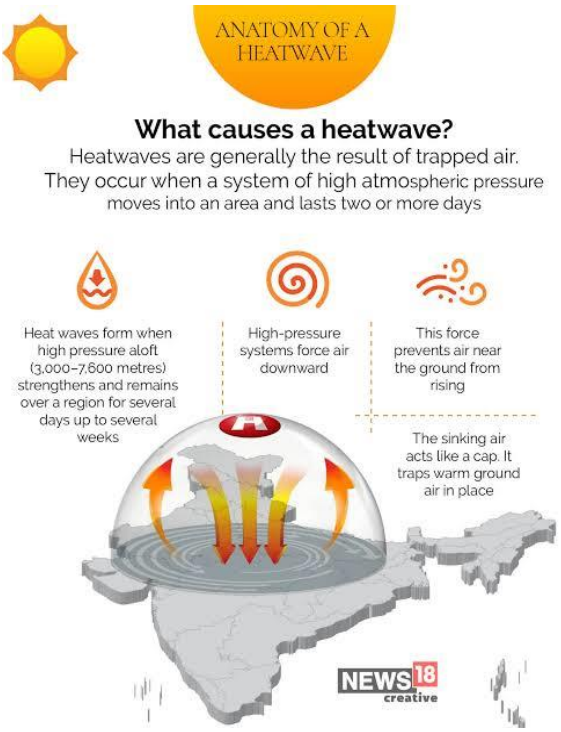

2. 'स्काईमेट' द्वारा 'अच्छे मानसून' का पूर्वानुमान

संदर्भ: स्काईमेट (एक निजी मौसम पूर्वानुमान कंपनी) की मौसम संबंधी रिपोर्ट-

1. इस वर्ष, मानसून की अवधि, **'औसतन दीर्घावधि' (long period average- LPA)** की 103% रहने की संभावना है। 'औसतन दीर्घावधि' (LPA) का तात्पर्य 'अखिल भारतीय मानसूनी वर्षा' के औसत (88 सेमी) से है, जोकि 50 वर्षों की औसतन 'मानसूनी वर्षा' के आधार पर निर्धारित किया गया है
2. इस वर्ष, **'अल-नीनो'** की संभावना काफी कम है। 'अल-नीनो' के दौरान, भूमध्यरेखीय मध्य प्रशांत महासागर के तापमान में आधे डिग्री से अधिक की वृद्धि हो जाती है। वर्तमान में, प्रशांत महासागर में [विपरीत] 'ला-नीना' की स्थिति व्याप्त है।
3. पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों सहित, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों इलाकों में मानसून के दौरान कम वर्षा होने की आशंका है।
4. इस वर्ष **'हिंद महासागरीय द्विध्रुव' (Indian Ocean Dipole- IOD),** जो पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर में 'तापमान प्रवणता' को व्यक्त करता है, के कुछ हद तक 'नकारात्मक' रहने की संभावना है। सकारात्मक 'हिंद महासागर द्विध्रुव' (IOD), आमतौर पर मानसून के लिए सहायक होता है।
5. वर्ष 2019 और 2020 में मानसून के दौरान भारत में, लगातार वर्षों में, सदी में केवल तीसरी बार, सामान्य वर्षा औसतन से अधिक (अर्थात सामान्य वर्षा के 5% से अधिक अथवा 105%) होगी।

'हिंद महासागरीय द्विध्रुव' (IOD) क्या है?

यह, उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में अल-नीनो के समान, वायुमंडल- महासागर के अंतर्संबंध से उत्पन्न की एक परिघटना होती है। 'हिंद महासागरीय द्विध्रुव' की स्थिति में सागरीय सतह के तापमान में भिन्नता उत्पन्न होती है।

प्रमुख विशेषताएँ: 'हिंद महासागरीय द्विध्रुव' (IOD), पूर्वी हिंद महासागर (बंगाल की खाड़ी) और पश्चिमी हिंद महासागर (अरब सागर) की सतह के तापमान का अंतर होता है।

- इस तापमान-भिन्नता के परिणामस्वरूप वायुमंडलीय दबाव में अंतर उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भागों में हवाओं का संचरण होने लगता हैं।

- **'सकारात्मक 'हिंद महासागरीय द्विध्रुव'- या केवल 'हिंद महासागरीय द्विध्रुव'**, के दौरान पूर्वी भूमध्यरेखीय हिंद महासागर में समुद्री सतह के सामान्य तापमान से ठंडा, तथा पश्चिमी उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में समुद्री सतह के सामान्य तापमान से अधिक गर्म होता है।
- इसके विपरीत घटना को **'नकारात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुव'** कहा जाता है, और इस स्थिति में, पूर्वी भूमध्यरेखीय हिंद महासागर में तापमान सामान्य से अधिक गर्म, तथा पश्चिमी उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में सामान्य से ठंडा होता है।

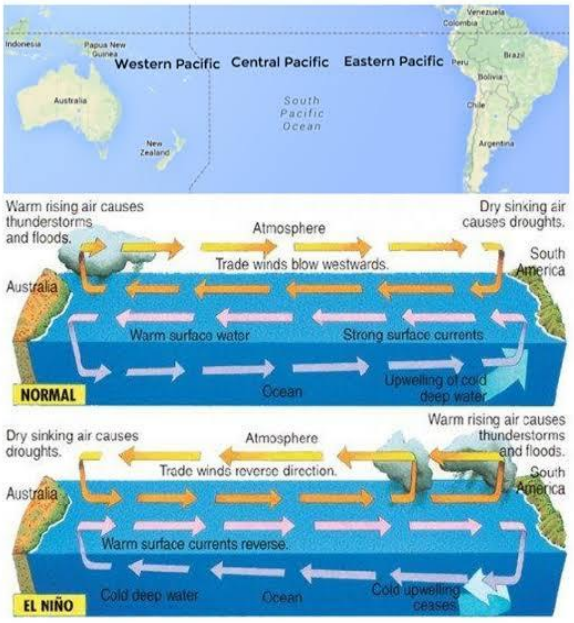

प्रभाव: अध्ययनों से पता चला है, कि एक 'पॉजिटिव IOD' अर्थात 'सकारात्मक 'हिंद महासागरीय द्विध्रुव' के साल, मध्य भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होती है।

- 'नेगेटिव आईओडी', अल नीनो की तीव्रता में वृद्धि करता है, और जिससे गंभीर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है।
- इसी समय, 'पॉजिटिव आईओडी' के कारण अरब सागर में सामान्य से अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं।
- 'नेगेटिव आईओडी' के कारण, बंगाल की खाड़ी में सामान्य से अधिक शक्तिशाली चक्रवात-उत्पत्ति (उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण) की स्थितियां निर्मित होती हैं। इस दौरान अरब सागर में 'चक्रवात-उत्पत्ति' प्रक्रिया मद्धिम हो जाती है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'अल नीनो' क्या है?
2. 'ला नीना' क्या है?
3. ENSO क्या है?
4. ये घटनाएँ कब होती हैं?
5. एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पर ENSO का प्रभाव।
6. 'हिंद महासागर द्विध्रुव' क्या है?

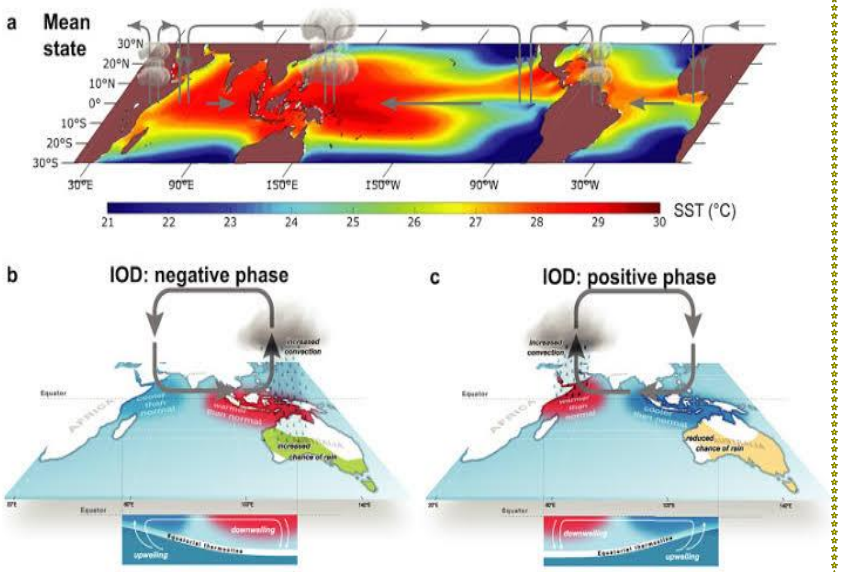

मेंस लिंक:

भारत पर 'ला नीना' मौसमी घटना के प्रभाव पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GK68FRU5V.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

सामान्य अध्ययन-II

शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विषय: भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

1. प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI)

संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि, प्रवासी भारतीय नागरिकों **(Overseas Citizens of India- OCI)** के लिए, हर बार उनके नाम पर नया पासपोर्ट जारी करते समय फिर से नए ओसीआई कार्ड के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं होगा।

पृष्ठभूमि: वर्तमान में, किसी भी प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) के लिए नया पासपोर्ट जारी करते समय, आवेदक के चेहरे में होने वाले जैविक परिवर्तनों के मद्देनजर, 20 वर्ष की आयु तक, OCI कार्ड को हर बार, तथा 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद एक बार फिर से जारी कराना होता है।

नवीनतम परिवर्तनों के अनुसार:

1. यदि किसी व्यक्ति द्वारा 20 वर्ष की आयु होने से पहले ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण करा लिया था, उसे 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, नया पासपोर्ट जारी करते समय एक बार फिर से ओसीआई कार्ड जारी कराना होगा, जिससे उसके वयस्क होने के बाद उसके चेहरे की रूपरेखा दर्ज की सकेगी।
2. यदि कोई व्यक्ति, 20 वर्ष की आयु के बाद ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण कराता है, तो उसके लिए ओसीआई कार्ड पुन: जारी कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

'प्रवासी भारतीय नागरिक' (OCI) कार्डधारक कौन होते हैं?

- भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करते हुए **प्रवासी भारतीय नागरिकता (Overseas Citizenship of India-OCI) योजना** आरंभ की गई थी।
- भारत सरकार द्वारा 09 जनवरी 2015 को **भारतीय मूल के नागरिक (PIO) कार्ड** को समाप्त करते हुए इसे **'प्रवासी भारतीय नागरिक' (OCI)** कार्ड के साथ संयुक्त कर दिया गया।

पात्रता: भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों के विदेशी नागरिकों को प्रवासी भारतीय नागरिकता कार्ड हेतु आवेदन करने की अनुमति दी गयी है:

1. जो दूसरे देश का नागरिक है, किन्तु संविधान के लागू होने के समय, 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात् किसी समय भारत का नागरिक थे; या
2. जो दूसरे देश का नागरिक है, किन्तु 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने के लिए पात्र थे; या
3. जो दूसरे देश का नागरिक है, किन्तु ऐसे राज्यक्षेत्र से संबद्ध थे, जो 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् भारत का भाग बन गया था; या
4. जो किसी ऐसे नागरिक का पुत्र/पुत्री या पौत्र/पौत्री, दौहित्र/दौहित्री या प्रपौत्र/प्रपौत्री, प्रदौहित्र/प्रदौहित्री है; या
5. किसी ऐसे व्यक्ति को, जो खंड (क) में वर्णित किसी व्यक्ति का अप्राप्तवय पुत्र/पुत्री है।

अपवाद: 'प्रवासी भारतीय नागरिक' (OCI) कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास किसी अन्य देश का वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है।

- ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है, वे 'प्रवासी भारतीय नागरिक' का दर्जा प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिनके माता-पिता या दादा-दादी पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक हैं, वे प्रवासी भारतीय नागरिक' कार्ड हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

ओसीआई कार्डधारकों के लिए लाभ:

1. भारत आने के लिए जीवनपर्यंत वीजा।
2. प्रवास के दौरान विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRO) के पास पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है।
3. अनिवासी भारतीयों (NRI) को मिलने वाली आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक, सुविधा उपलब्ध होती है, किंतु कृषि, संपत्ति या बागान खरीदने की छूट नहीं होती है।
4. भारतीय बच्चों के अंतर-देशीय गोद लेने के संबंध में अनिवासी भारतीयों के समान व्यवहार।
5. राष्ट्रीय स्मारकों में प्रवेश शुल्क, डॉक्टरों, दंत चिकित्सकों, नर्सों, अधिवक्ताओं, वास्तुकारों, चार्टर्ड एकाउंटेंट और फार्मासिस्ट जैसे व्यवसाय अपनाने पर अनिवासी भारतीयों के समान व्यवहार।
6. अखिल भारतीय प्री-मेडिकल परीक्षाओं एवं इस तरह की अन्य परीक्षाओं में भाग लेने के लिए अनिवासी भारतीयों समान व्यवहार।
7. भारतीय घरेलू क्षेत्रों में वायु-यातायात के मामलों में भारतीय नागरिकों के समान व्यवहार।
8. भारत के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में प्रवेश हेतु भारतीयों के लिए समान प्रवेश शुल्क।
9. प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) बुकलेट का उपयोग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पहचान के रूप में किया जा सकता है। OCI कार्ड को स्थानीय पता और एक शपथपत्र लगाकर आवासीय प्रमाण के रूप में संलग्न किया जा सकता है।

Eligible categories to apply for OCI Card	Is a Citizen of India at time of or after the Constitution came into effect i.e. 26 January 1950.
	Eligible to become citizin of India on 26 January 1950
	Belonged to a territory that became part of India after 15 August 1947
	Child or descendent of a person from any of the above mentioned categories
	A minor child of the persons belonging to any of the above.
	A minor child of whom either or both the parents are citizens of India.
	Foreign origin spouse of Citizen of India or of a person holding OCI status . - Marriage needs to be registered. - They are married for more than two years continuously beore the date of application.

ओसीआई कार्ड धारकों पर प्रतिबंध:

1. वोट देने का अधिकार नहीं है।
2. किसी भी सार्वजनिक सेवा / सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है।
3. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप-प्रधान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय, संसद के सदस्य या राज्य विधान सभा या परिषद के सदस्य - के पद पर नियुक्त का अधिकार नहीं होता है।
4. कृषि संपत्ति को नहीं खरीद सकते हैं।

प्रीलिम्स लिंक:

1. नागरिक की परिभाषा।
2. POI बनाम OCI बनाम NRI
3. नागरिकता प्रदान करने और निरस्त करने की शक्ति?
4. भारत में दोहरी नागरिकता।
5. ओसीआई कार्ड धारकों के लिए चुनाव में वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार।
6. क्या ओसीआई धारक कृषि भूमि खरीद सकते हैं?
7. ओसीआई कार्ड किसे जारी नहीं किए जा सकते हैं?

मेंस लिंक: भारत के प्रवासी नागरिक कौन होते हैं? ओसीआई कार्ड धारकों के लिए क्या लाभ उपलब्ध हैं? चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G7J8G3304.1&imageview=0.

2. सर्वोच्च न्यायालय का विस्तृत अधिकार क्षेत्र

संदर्भ: पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर कोविड-19 के कारण ख़राब होती स्थिति पर ध्यान देने तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों को राजनीतिक रैलियों, विरोध सभाओं, धार्मिक समागमों अथवा त्यौहार मनाने हेतु 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने हेतु "उपयुक्त निर्देश" जारी करने का आग्रह किया है।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को अपने विस्तृत क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 142 के तहत) का प्रयोग करते हुए स्वतः संज्ञान से उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा है।

आवश्यकता: यह आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जा चूका है और चिकित्सकीय रूप से इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, कि कोरोना मामलों की संख्या में जानलेवा वृद्धि, जोकि दुनिया में सबसे अधिक है, राजनीतिक रैलियों, धार्मिक समागमों तथा त्यौहारों पर होने वाले कार्यक्रमों, जैसे आयोजनों के कारण मुक्त रूप से हो रही है।

हालांकि, एक पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने के खिलाफ कोई एक मामला हो सकता है, लेकिन कोविड-19 संक्रमण फैलाने वाली भीड़ के एकत्रित होने पर रोक लगाना अति आवश्यक है।

अनुच्छेद 142 क्या है?

अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को पक्षकारों के मध्य **'पूर्ण न्याय'** करने की अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है, अर्थात, जब कभी स्थापित नियमों एवं कानूनों के तहत कोई समाधान नहीं निकल पाता है, तो ऐसे में अदालत, मामले से संबंधित तथ्यों के मुताबिक़ विवाद पर 'अंतिम फैसला' सुना सकती है।

अनुच्छेद 142 (1) में कहा गया है कि "उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री अथवा ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश, भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की गई रीति से, और जब तक इस निमित्त कोई उपबंध किए नहीं किया जाता है, तब तक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विहित रीति से प्रवर्तनीय होगा"।

प्रीलिम्स लिंक:

1. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 का प्रयोग करने के उदाहरण
2. उच्च न्यायालयों को प्राप्त इस प्रकार की समान शक्तियाँ
3. मूल आधिकारिता बनाम अपीलीय आधिकारिता

Article 142 in The Constitution Of India 1949

142. Enforcement of decrees and orders of Supreme Court and unless as to discovery, etc

(1) The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or orders so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, in such manner as the President may by order prescribe

(2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Supreme Court shall, as respects the whole of the territory of India, have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any documents, or the investigation or punishment of any contempt of itself.

मेंस लिंक: "अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी विस्तृत शक्तियों का उपयोग किये जाने से कई वंचित वर्गों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि, यह नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने का समय है।" चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GCM8G6M3O.1&imageview=0.

3. गोवा की नागरिक संहिता (Goa's Civil Code)

संदर्भ: हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबडे ने हाल ही में गोवा की 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code- UCC) की सराहना करते हुए, इसे लागू करने वाला एकमात्र राज्य बताया था।

मुख्य न्यायाधीश ने 'बुद्धिजीवियों' से गोवा की 'समान नागरिक संहिता' का गंभीरता से अध्ययन करने का आग्रह भी किया था।

गोवा की 'समान नागरिक संहिता' के बारे में:

1. गोवा की पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867, मूलतः पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया एक विदेशी संहिता / कोड है।
2. गोवा की 'नागरिक संहिता' / सिविल कोड के चार भाग हैं, जो 'नागरिकों की धारण शक्ति' (Civil Capacity), 'अधिकारों का अधिग्रहण', 'संपत्ति का अधिकार' और 'अधिकारों और उपचारों का उल्लंघन' से संबंधित हैं।
3. इसकी शुरुआत, 'गॉड और डोम लुइस, पुर्तगाल के राजा और अल्गार्वे' के नाम से होती है।
4. यह संहिता, **गोवा, दमन और दीव प्रशासन अधिनियम, 1962 की धारा 5 (1)** के कारण अभी भी लागू है, इस अधिनियम के तहत गोवा की 'नागरिक संहिता' को जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

संविधान के **अनुच्छेद 44** में कहा गया है, कि देश में एक 'समान नागरिक संहिता' (UCC) होनी चाहिए। इस अनुच्छेद के अनुसार, 'राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक 'समान सिविल संहिता' सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।' चूंकि 'नीति-निदेशक सिद्धांत' प्रकृति में केवल दिशा-निर्देशीय हैं, अतः राज्यों के लिए इनका पालन करना अनिवार्य नहीं है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'समान नागरिक संहिता' (UCC) के बारे में।
2. 'राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत' (DPSP) क्या हैं।

3. DPSP का प्रवर्तन।
4. शाह बानो केस किससे संबंधित है?

मेंस लिंक: इस बिंदु पर 'समान नागरिक संहिता' (UCC) वांछनीय क्यों नहीं है? चर्चा कीजिए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

4. संविधान का अनुच्छेद 311 (2) (C)

संदर्भ: हाल ही में, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा, सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले अथवा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से संबंधित किसी मामले में शामिल होने वाले, सरकारी कर्मचारियों की पहचान करने और उनकी जांच करने हेतु **'विशेष कार्यबल' (Special Task Force- STF)** का गठन किया गया है।

यह 'विशेष कार्यबल' (STF), संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (C) के अंतर्गत जिन गतिविधियों पर कार्रवाई की आवश्यकता निर्धारित की गई है, उनमें शामिल होने वाले संदिग्ध कर्मचारियों के मामलों की जांच करेगा।

पृष्ठभूमि: सरकार द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि अतीत में कई सरकारी कर्मचारियों द्वारा कश्मीर में जारी संघर्ष पर खुले आम अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करते हुए पाए गए थे।

- एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार, वर्ष 2016 में पांच महीने तक चले आंदोलन के दौरान कई कर्मचारी, भारत-विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने और सोशल मीडिया पर भारत-विरोधी भावनाओं को व्यक्त करने में शामिल पाए गए।

अनुच्छेद 311 (2) (C) के तहत:

- जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति को लोकसेवा में बनाए रखना राज्य की सुरक्षा के हित में समीचीन नहीं है, तो उसकी सेवाएँ, अनुच्छेद 311 (2) में निर्धारित सामान्य प्रक्रिया का पालन किये हुए बगैर, समाप्त की जा सकती हैं।
- इस प्रावधान में संदर्भित 'समाधान', राज्य की सुरक्षा के हित में संबंधित कर्मचारी को अवसर नहीं देने की समीचीनता के बारे में 'राष्ट्रपति का व्यक्तिपरक समाधान' (subjective satisfaction) होता है।
- इस अनुच्छेद के तहत, 'समाधान' के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य नहीं है। इसका अर्थ है, कि राष्ट्रपति के लिए प्रदत्त यह शक्ति 'बंधनमुक्त' (Unfettered) है, और इसे न्यायोचित मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि, इस शक्ति को अदालत में प्रश्नगत करना, 'राष्ट्रपति का समाधान' के स्थान पर 'न्यायालय की संतुष्टि' को प्रतिस्थापित करने के समतुल्य होगा।

क्या 'निलंबन' अथवा 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' सजा का एक स्वरूप होता है?

- **'बंशी सिंह बनाम पंजाब राज्य'** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा, कि सेवा से निलंबित किया जाना, सेवा से बर्खास्त करना या निष्कासित करना अथवा ओहदे को कम करना नहीं है, इसलिए, यदि किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है तो वह अनुच्छेद 311 के अंतर्गत प्रदत्त संवैधानिक गारंटी का दावा नहीं कर सकता है।
- **'श्याम लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य'** मामले में सुप्रीम ने कहा, कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति (compulsory retirement), सेवा से बर्खास्त करने और निष्काषित करने से भिन्न है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई दंडात्मक परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है, और 'अनिवार्य सेवानिवृत्त' होने वाले सरकारी कर्मचारी को

सेवा के दौरान अर्जित लाभों से किसी रूप में वंचित किया जाता है, अतः इस पर भी अनुच्छेद 311 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

लोक सेवकों के लिए प्राप्त संरक्षोपाय:

- **अनुच्छेद 311 (1):** के अनुसार, किसी लोक सेवक को, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा।
- **अनुच्छेद 311 (2):** के अनुसार, किसी लोक सेवक को, उसके विरुद्ध आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बगैर उसे पदच्युत अथवा पद से नहीं हटाया जाएगा या ओहदे में अवनत नहीं किया जाएगा।

प्रीलिम्स लिंक:

1. अनुच्छेद 311 (2) के बारे में।
2. संविधान के तहत लोक सेवकों के लिए प्राप्त संरक्षोपाय

मेंस लिंक: संविधान के अंतर्गत लोक सेवकों के लिए प्राप्त संरक्षोपाय पर एक टिप्पणी लिखिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G1M8GOVMF.1&imageview=0.

5. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217

संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के **अनुच्छेद 217 के उपबन्ध (1)** में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए **छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय** की अपर न्यायाधीश श्रीमती विमला सिंह कपूर को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में ही न्यायाधीश नियुक्त किया है।

अनुच्छेद 217(1) का अवलोकन:

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें:

(1) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् तथा मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात् की जाएगी, और वह न्यायाधीश, अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में, अनुच्छेद 224 में उपबंधित, और किसी अन्य दशा में, बासठ वर्ष की आयु पूरी होने तक पद धारण करेगा, बशर्ते:

(क) कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(ख) किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा।

(ग) किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्यक्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को, अंतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा।

प्रीलिम्स लिंक:

1. अनुच्छेद 217 और इसके उप खंड
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण
3. नियुक्ति और निष्कासन
4. कार्यवाहक न्यायाधीश- नियुक्ति, भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

स्रोत: पीआईबी

6. दिल्ली सरकार की जिम्मेदारियाँ पूर्ववत रहेंगी: केंद्र सरकार

संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है, कि **'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अधिनियम', 2021 (Government of National Capital Territory (GNCTD) Amendment Act, 2021),** स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु, निर्वाचित सरकार की संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करता है।

पृष्ठभूमि: 24 मार्च को संसद द्वारा पारित 'GNCTD अधिनियम' दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor - LG) को अधिक शक्तियां प्रदान करता है।

संशोधन अधिनियम का उद्देश्य, इसे राजधानी की जरूरतों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाना; निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के उत्तरदायित्व को परिभाषित करना; और, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना है।

संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

1. इस अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकार का तात्पर्य 'उपराज्यपाल' होगा।
2. यह क़ानून, जिन मामलों पर दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, उन मामलों में 'उपराज्यपाल' को विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।
3. इसके तहत, मंत्रिपरिषद (या दिल्ली मंत्रिमंडल) द्वारा लिए गए किसी निर्णय को लागू करने से पहले 'उपराज्यपाल' को अनिवार्य रूप से 'अपनी राय प्रदान करने के लिए' अवसर देना सुनिश्चित किया गया है।

संबंधित चिंताएं: राजधानी-नगर को प्रशासित करने के संदर्भ में, इस अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री की तुलना में उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

- विशेषज्ञों द्वारा इस विषय पर भिन्न राय वयक्त की गई हैं, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि, महामारी से निपटने की वर्तमान चुनौती को देखते हुए यह एक सही कदम है।
- जबकि कुछ विशेषज्ञों ने इस अधिनियम को लागू करने के समय पर सवाल उठाते हुए कहा है, कि इस क़ानून से, एक ही झटके में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को शक्तिहीन कर देने और एक गैर-निर्वाचित, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त गए व्यक्ति के मध्य टकराव का कारण बनने की संभावना है।

दिल्ली की प्रशासन पद्धति: वर्ष 1991 में संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 के द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 239AA को जोड़ा गया था,** इसके तहत एक विधायिका सहित केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का गठन किया गया था।

मौजूदा अधिनियम के अनुसार, दिल्ली विधान सभा को **लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर** सभी मामलों में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. अनुच्छेद 239A बनाम 239AA
2. दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल की शक्तियाँ
3. दिल्ली का प्रशासन, विधायिका वाले अन्य राज्यों के प्रशासन से किस प्रकार भिन्न है?
4. दिल्ली को विधायिका कब प्रदान की गयी?
5. दिल्ली उपराज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है?

मेंस लिंक: संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 पर एक टिप्पणी लिखिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GPK8HLMQ6.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

विषय:विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।

1. जम्मू-कश्मीर का दरबार स्थानांतरण

संदर्भ: इस वर्ष, जम्मू और कश्मीर में लगभग एक सौ पचास वर्षों (डेढ़ सदी) से चली आ रही 'दरबार स्थानांतरण' (Durbar Move) की परंपरा भंग होने वाली है। इस वर्ष, गर्मियों में 'दरबार स्थानांतरण' के दौरान केवल "संवेदनशील रिकॉर्ड" ही जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा है, जबकि पिछले वर्षों में, इस प्रक्रिया के दौरान समूचे प्रशासन और रिकॉर्ड को स्थानांतरित किया जाता था।

'दरबार स्थानांतरण' क्या है?

- यह, लगभग एक सदी पुरानी प्रथा है, जिसमें सरकार, **राज्य की दो राजधानियों, श्रीनगर और जम्मू**, में छह-छह महीने कार्य करती है।
- ख़बरों के अनुसार, यह परंपरा 19 वीं शताब्दी के अंत में जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासक महाराजा रणबीर सिंह द्वारा शुरू की गई थी।
- चूंकि, तत्कालीन डोगरा शासकों का राज्य कश्मीर के निकटवर्ती लद्दाख तक विस्तारित था, अतः 'दरबार स्थानांतरण' की शुरुआत, प्रशासन को कश्मीर की जनता के दरवाजे तक ले जाने के लिए की गई थी।
- इस परंपरा से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों के बीच संपर्क और संबंध अधिक प्रगाढ़ हुए।

इस परंपरा से संबंधित आलोचनाएँ:

- 'दरबार स्थानांतरण' प्रक्रिया में इस बेकार और अनावश्यक गतिविधि पर समय, प्रयास और ऊर्जा की भारी बर्बादी होती है।
- यह सुरक्षा बलों पर भी भार डालती है। इससे कार्य-अक्षमता विकसित होती है, जिसके परिणामस्वरूप शासन-अभाव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है।
- इसी से, न्याय-व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और न्यायिक प्रशासन के लिए बाधा उत्पन्न होती है।
- यह प्रक्रिया, न्याय-वितरण में देरी का कारण बंटी है, क्योंकि एक क्षेत्र में, याची के लिए, एक बार में छह महीने तक सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होते हैं।
- केंद्र शासित प्रदेश के, महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रकृति के सरकारी दस्तावेजों और संसाधनों को, परिवहन करने की प्रक्रिया में काफी जोखिम होता है। इनके लिए संदूकों में पैक करके किराए के ट्रकों में जम्मू से श्रीनगर, लगभग 300 किमी ले जाया जाता है, साल में यह क्रिया दो बार की जाती है।

इस संदर्भ में उच्च न्यायालय की टिप्पणी:

- पिछले साल, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा कि, 'दरबार स्थानांतरण' या 'दरबार मूव' परंपरा का कोई कानूनी औचित्य या संवैधानिक आधार नहीं है।
- अदालत की एक खंड पीठ ने, इस परंपरा को बेकार और अनावश्यक गतिविधि पर होने वाले समय, प्रयास और ऊर्जा की भारी बर्बादी बताते हुए कहा कि, जबकि केंद्रशासित प्रदेश, अपनी जनता को बुनियादी

जरूरतें भी प्रदान करने में असमर्थ है, ऐसे में राज्य के मूल्यवान संसाधनों (वित्तीय और भौतिक) को पूरी तरह से गैर-जरूरी कार्यों के लिए डायवर्ट नहीं किया जा सकता है।

- अदालत ने सिफारिश की, कि इस परंपरा के औचित्यपूर्ण होने की स्थिति में, संसाधनों एवं समय की बचत होगी जिसका उपयोग केंद्रशासित प्रदेश के कल्याण और विकास हेतु किया जा सकेगा; तथा इससे होने वाली धन की बचत का उपयोग, कोविड संबंधित से संबंधित मुद्दों, जैसे कि, खाद्य-सामग्री की कमी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी किया जा सकता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. जम्मू-कश्मीर में महत्वपूर्ण पर्वत श्रंखलाएं और मार्ग
2. जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली सड़कें और सुरंगें
3. संविधान में इसे विशेष प्रावधान क्यों दिए गए थे?
4. 'दरबार स्थानांतरण' क्या है?

मेंस लिंक: दरबार स्थानांतरण' से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

https://indianexpress.com/article/explained/jammu-and-kashmir-sensitive-records-durbar-move-7265198/lite/.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

2. लोग अपने धर्म का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं: उच्चतम न्यायालय

संदर्भ: हाल ही में, एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कि लोग अपने धर्म का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं।

संबंधित प्रकरण: हाल ही में, अदालत में दायर की गई एक याचिका में दावा किया गया था, कि देश भर में 'कैसे भी करके' सामूहिक धर्मांतरण करवाए जा रहें है।

- याचिका में शीर्ष अदालत से काला जादू, अंधविश्वास और धमकी से, डरा कर, अथवा प्रलोभन देकर धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने पर नियंत्रण करने हेतु केंद्र सरकार और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी।

अदालत द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

- सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की आजादी है (अनुच्छेद 25)।
- प्रत्येक व्यक्ति, अपनी पसंद के धर्म का चुनाव करने तथा अपनी पसंद का जीवन-साथी चुनने के संबंध में अंतिम निर्णयकर्ता होता है। अदालत, धर्म या जीवन साथी के संबंध में किसी व्यक्ति की पसंद के फैसले पर अपना निर्णय नहीं दे सकती है।
- धार्मिक आस्था, निजता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है।
- संविधान पीठ के फैसले में 'निजता के अधिकार' को 'जीवन, गरिमा तथा स्वतंत्रता के अधिकार' के समान बताते हर, इसकी अनुल्लंघनीयता को पहले ही बरकरार रखा गया है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. अनुच्छेद 25 के तहत अपवाद।
2. केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार
3. भारतीय संविधान के तहत धर्म का अधिकार

मेंस लिंक:

प्रत्येक व्यक्ति, अपनी पसंद के धर्म का चुनाव करने तथा अपनी पसंद का जीवन-साथी चुनने के संबंध में अंतिम निर्णयकर्ता होता है। चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GUG8FEF17.1&imageview=0.

3. पीएम केयर्स

संदर्भ: हाल ही में, पीएम केयर्स (**PM CARES**) फंड द्वारा पूरे देश में 'सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं' पर 551 **दबाव-परिवर्तन अधिशोषण (Pressure Swing Adsorption- PSA)** चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु धन के आवंटन को मंजूरी दी गई है।

इससे पहले भी, इस कोष द्वारा ऐसे 162 संयंत्रों की स्थापना के लिए 201.58 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।

'दबाव-परिवर्तन अधिशोषण'(PSA) क्या होता है?

दबाव-परिवर्तन अधिशोषण (Pressure Swing Adsorption- PSA), अधिशोषक सामग्री से समानता तथा गैसीय वर्ग की आणविक विशेषताओं के अनुसार, दबाव के माध्यम से, गैसों के मिश्रण से कुछ गैसीय वर्गों को पृथक करने में प्रयुक्त की जाने वाली एक तकनीक है।

- यह लगभग वातावरण के तापमान पर कार्य करती है, तथा गैस पृथक्करण की क्रायोजेनिक आसवन तकनीक से काफी भिन्न होती है।
- उच्च दाब पर लक्षित गैसीय वर्ग का अधिशोषण करने हेतु, विशिष्ट अधिशोषक (Adsorbent) सामग्रियों (जैसेकि जिओलाइट्स, सक्रिय कार्बन, आणविक छलनी, आदि) का उपयोग एक जाल (trap) के रूप में किया जाता है।
- इसके बाद, प्रक्रिया में परिवर्तन कर निम्न दाब करके अधिशोषित सामग्री का विशोषण (desorb) किया जाता है।

PM-CARES के बारे में:

आपातकालीन स्थिति में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund : PM-CARES Fund) का गठन, कोविड -19 महामारी, और इसी प्रकार की अन्य आपात स्थितियों के दौरान, दान स्वीकार करने और राहत प्रदान करने के लिए किया गया था।

पीएम केयर्स फंड के बारे में:

- **PM CARES** फंड की स्थापना 27 मार्च **2020** को 'पंजीकरण अधिनियम, **1908'** के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गयी थी।
- यह विदेशी अंशदान से से प्राप्त दान का लाभ उठा सकता है और इस निधि में दिया जाने वाला दान 100% कर-मुक्त होता है।
- **PM-CARES**, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (**PMNRF)** से अलग है।

फंड का प्रबंधन कौन करता है?

प्रधानमंत्री, **PM CARES** फंड के पदेन अध्यक्ष और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, भारत सरकार निधि के पदेन न्यासी होते हैं।

प्रीलिम्स लिंक:

1. सार्वजनिक खाता क्या है?
2. पीएम केयर फंड का प्रबंधन कौन करता है?
3. आरटीआई अधिनियम के दायरे से किन संगठनों को छूट दी गई है?

4. भारत की संचित निधि के बारे में
5. 'धर्मार्थ ट्रस्ट' क्या है?
6. एनडीआरएफ के बारे में

मेंस लिंक: PM CARES फंड को आरटीआई अधिनियम के दायरे में क्यों लाया जाना चाहिए? चर्चा कीजिए ।
https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G0P8H6STF.1&imageview=0.
स्रोत: द हिंदू

विषय:संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।

1. हरियाणा में विधानसभा कार्य-संचालन नियमों में संशोधन

संदर्भ: हाल ही में, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की **'विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों' (Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly)** के अंतर्गत कई प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

साथ ही, इनमे कई नए प्रावधान जोड़े भी गए हैं।

संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत नए नियम तथा उनकी आवश्यकता:

1. सदन में प्रत्येक बैठक / अधिवेशन के दौरान, **न्यूनतम दो मंत्रियों की उपस्थिति अनिवार्य** होगी, जिसका समय-समय पर, कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्तावों (Calling Attention Motions) पर होने वाली चर्चा अथवा सदन के अन्य कार्यों के दौरान पालन नहीं किया जाता था।
2. विधानसभा सदस्यों द्वारा **'विरोध प्रकट करते हुए सदन में दस्तावेजों को नहीं फाड़ा जाएगा'।** ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां विपक्ष के सदस्यों द्वारा विरोध के प्रतीक में, सदन में दस्तावेजों की प्रतियां फाड़ दी जाती थीं।
3. **विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किसी अनुपूरक प्रश्न को 'नियमविरुद्ध' घोषित कर दिया जाएगा**, यदि उनके विचार में, (i) कोई प्रश्न, मुख्य प्रश्न अथवा इसके उत्तर से संबंधित नहीं है; (ii) कोई प्रश्न, जानकारी मांगने के बजाय, जानकारी प्रदान करता है; (iii) कोई प्रश्न, किसी राय की पुष्टि या खंडन करने की मांग करता है; और (iv) कोई प्रश्न, सवालों के संबंध में किसी भी नियम का उल्लंघन करता है।
4. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कि**सी भी प्रश्न पर दो से अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं** दी जाएगी।

'नेता-प्रतिपक्ष' की नई परिभाषा:

'नेता-प्रतिपक्ष' अथवा विपक्ष के नेता (Leader of Opposition) का तात्पर्य, विधानसभा में सत्ताधारी दल अथवा गठबंधन के अलावा सर्वाधिक सदस्यों की संख्या तथा सदन की गणपूर्ति संख्या के बराबर सदस्यों वाले दल के नेता, और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 'नेता-प्रतिपक्ष' के रूप में मान्यता प्राप्त नेता से है।

- बशर्ते, यदि विधानसभा में 'नेता-प्रतिपक्ष' के रूप में मान्यता पाने हेतु प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक से अधिक दलों के पास सदस्यों की समान संख्या होती है, तो ऐसी स्थिति में, विधानसभा चुनावों में अधिक मत हासिल करने वाले दल को आधिकारिक विपक्ष और उसके नेता के रूप में मान्यता दी जाएगी।

- यदि प्रतिस्पर्धा करने वाले दलों को विधानसभा चुनावों में समान मत हासिल होने पर 'नेता-प्रतिपक्ष' का पद बारी-बारी से दोनों दलों को सौंपा जाएगा और इसके लिए 'ड्रा' के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा।

प्रीलिम्स लिंक:

1. नए नियमों का अवलोकन।
2. संसद में 'नेता-प्रतिपक्ष' कौन होता है?
3. राज्य विधानसभाओं में 'नेता-प्रतिपक्ष'।
4. विधानसभा तथा संसद में सदन की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम।

मेंस लिंक: सदन की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

https://indianexpress.com/article/explained/explained-haryanas-new-and-amended-rules-of-procedure-conduct-of-business-of-legislative-assembly-7254606/lite/.

2. नेताओं द्वारा संसदीय समितियों की बैठक बुलाए जाने की मांग

संदर्भ: संसद सदस्यों द्वारा राज्यसभा सभापति एम. वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसदीय समितियों की आभासी बैठकों को जारी करने की अनुमति देने के लिए अपील की गई है।

पृष्ठभूमि: देश में जारी कोविड-19 महामारी की उग्र रूप से संक्रामक दूसरी लहर के दौरान, एक महीने से अधिक समय से संसद की स्थायी समितियों की बैठक नहीं हुई है।

'संसदीय समितियाँ' क्या होती हैं?

लोकसभा वेबसाइट के अनुसार, संसदीय समिति (Parliamentary Committee) से तात्पर्य उस समिति से है, जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित की जाती है तथा अध्यक्ष के निदेशानुसार कार्य करती है एवं अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है।

संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं- स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ या प्रवर समितियाँ।

- स्थायी समितियाँ (Standing Committees), अनवरत प्रकृति की होती हैं अर्थात् इनका कार्य प्रायः निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार की समितियों को वार्षिक आधार पर पुनर्गठित किया जाता है।
- **तदर्थ समितियां (ad hoc Committees),** किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाती हैं और जब वे अपना काम समाप्त कर लेती हैं तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती हैं, तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

संवैधानिक प्रावधान: संसदीय समितियां, **अनुच्छेद 105** (संसद सदस्यों के विशेषाधिकार) और **अनुच्छेद 118** (संसदीय प्रक्रिया तथा कार्यवाही के संचालन के लिए नियम बनाने हेतु संसद की शक्ति) से अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं।

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों (DRSCs) की संरचना:

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की संख्या 24 है जिनके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आते हैं।

- **13 वीं लोकसभा** तक प्रत्येक DRSC में 45 सदस्य होते थे - जिनमे से 30 सदस्यों को लोकसभा से तथा 15 सदस्यों को राज्यसभा से नाम-निर्दिष्ट किया जाता था।
- **जुलाई 2004 में विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के पुनर्गठन के पश्चात**, इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं - 21 लोक सभा से तथा 10 राज्य सभा से। इन्हें क्रमश: लोक सभा के अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाता है।

- इन समितियों को एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए गठित किया जाता है और समितियों के पुनर्गठन में प्रतिवर्ष सभी दलों के सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है।

वित्तीय समितियों की संरचना:

- **प्राक्कलन समिति** में सदस्यों की संख्या 30 होती है तथा सभी सदस्य लोकसभा से नामित किये जाते हैं।
- **लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति**, दोनों में 22 सदस्य होते हैं - जिनमे से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से नामित किये जाते हैं।

प्रीलिम्स लिंक:

1. संसदीय समिति तथा मंत्रिमंडलीय समिति के मध्य अंतर।
2. स्थायी बनाम तदर्थ बनाम वितीय समितियां
3. इन समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
4. मात्र लोकसभा सदस्यों से गठित की जाने वाली समितियां
5. सदन के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समितियां

मेंस लिंक: संसदीय स्थायी समितियाँ क्या होती हैं? इनकी क्या आवश्यकता है? संसदीय स्थायी समितियों के महत्व को स्पष्ट करते हुए उनकी भूमिका और कार्यों पर चर्चा कीजिए।

संपर्क: https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GUN8HEG71.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

विषय:विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व।

1. तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of ad hoc judges)

संदर्भ: हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति व्यक्त की है, कि 'उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटाने हेतु तदर्थ आधार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की योजना', नियमित न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने या इसे आगे बढ़ाने का बहाना नहीं बनना चाहिए।

आवश्यकता: उच्च न्यायालयों में, 1 अप्रैल को, नियमित न्यायाधीशों के 411 पद रिक्त थे, जबकि न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1,080 है। वर्तमान में, उच्च न्यायालयों में कुल 669 न्यायाधीशों कार्यरत हैं।

अदालत द्वारा की गयी टिप्पणी:

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को, संबंधित उच्च न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियों को भरने में उनके प्रयासों के समक्ष विशेष अवरोध आने की स्थिति में ही 'तदर्थ न्यायाधीशों' (**Ad Hoc Judges**) की नियुक्ति करनी चाहिए, भले ही उनकी अदालत में लंबित मामलों की संख्या 'लाल रेखा' पार कर गयी हो। नियमित सिफारिशों के स्थान पर, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।

समय की मांग: एक ऐसी प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए जिसमे, मुख्य न्यायाधीश द्वारा 'तदर्थ न्यायाधीश' की नियुक्ति-प्रक्रिया कब शुरू की जानी चाहिए; इस प्रकार की नियुक्तियों के लिए लंबित मामलों की सीमा-रेखा; तदर्थ न्यायाधीशों का कार्यकाल एवं भत्ते आदि विवरण दिया गया हो।

इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 224A के अंतर्गत तहत संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों (ad-hoc judges) की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किये गए हैं।

अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

- उपरोक्त अनुच्छेद के तहत, किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उसी उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके किसी व्यक्ति से राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।
- इस प्रकार नियुक्त किये गए न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्ते प्रदान किये जाएंगे। उसके लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी आधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, किंतु उसके लिए उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।

प्रीलिम्स लिंक:

1. सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति।
2. शक्तियाँ और कार्य।
3. प्रक्रिया।

मेंस लिंक: उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा करने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किए जाने पर जोर दिया है। टिप्पणी कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GBB8FAJ4U.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner)

संदर्भ: हाल ही में, 'सुशील चंद्रा' ने भारत के 24 वें 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त' के रूप में पदभार ग्रहण किया है।

भारत निर्वाचन आयोग के बारे में:

'भारत निर्वाचन आयोग' (Election commission of India- ECI) एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है।

- यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है।
- **भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत** संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण तथा निर्वाचक मतदाता सूची तैयार कराने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग की संरचना

संविधान में चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित उपबंध किये गए हैं:

1. निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी
3. जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
4. राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझने पर, निर्वाचन आयोग की सलाह से प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है।

5. निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें तथा पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (EC):

यद्यपि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होते हैं,फिर भी उनकी शक्तियाँ अन्य निर्वाचन आयुक्तों के सामान होती हैं। आयोग के सभी मामले, सदस्यों के मध्य बहुमत के द्वारा तय किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को वेतन, भत्ते व अन्य अनुलाभ एक-सामान प्राप्त होते हैं।

पदावधि: मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल **छह वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक**, जो भी पहले हो, तक होता है। वे राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं।

पदत्याग:

- वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (EC) के बारे में।
2. नियुक्ति
3. पदत्याग
4. कार्यकाल
5. कार्य
6. संबंधित संवैधानिक प्रावधान

स्रोत: पीआईबी

3. केंद्र सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति-प्रक्रिया तेज करने पर जोर

संदर्भ: हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के लिए, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी, छह महीनों से अधिक समय से लंबित, **उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों** पर तीन महीने में फैसला करने का प्रस्ताव दिया गया है।

क्या भारत का संविधान, न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कोई समय-सीमा निर्दिष्ट करता है?

नहीं। एक 'प्रक्रिया ज्ञापन' (Memorandum of Procedure- MoP) के माध्यम से सरकार और न्यायपालिका को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में 'गाइड' किया जाता है। इस 'प्रक्रिया ज्ञापन' में किसी समय सीमा पर जोर नहीं दिया गया है, केवल अस्पष्ट से यह कहा गया है, कि नियुक्ति प्रक्रिया उचित समय के भीतर पूरी होनी चाहिए।

'कॉलेजियम प्रणाली': 'कॉलेजियम प्रणाली' (Collegium System), न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण संबंधी एक पद्धति है, जो **संसद के किसी अधिनियम अथवा संविधान के किसी प्रावधान द्वारा गठित होने के बजाय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।**

- **उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम** की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा की जाती है, और इसमें न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- **उच्च न्यायालय कॉलेजियम** के अध्यक्ष संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और इसमें संबंधित अदालत के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

1. **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (2)** के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात्, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।
2. **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है,** कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् तथा मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात् की जाएगी।

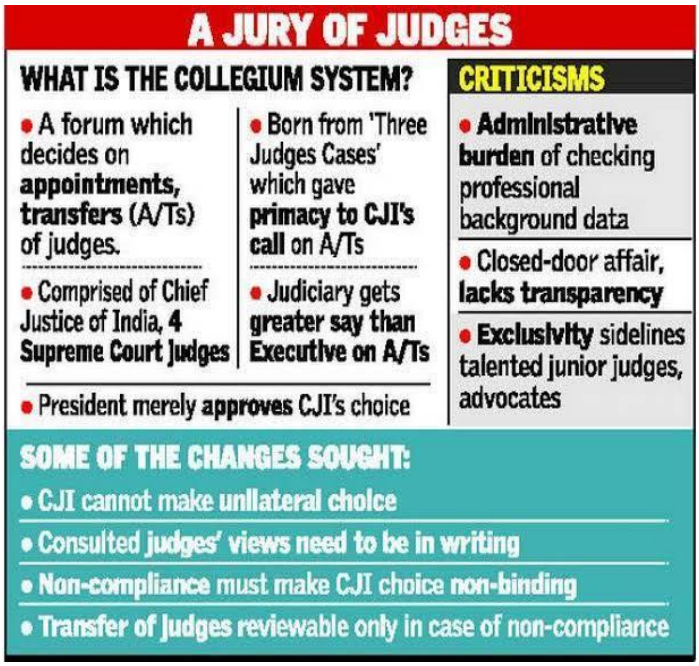

प्रीलिम्स लिंक:

1. कॉलेजियम प्रणाली' क्या है?
2. सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं?
3. सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
4. संबंधित संवैधानिक प्रावधान
5. शक्तियाँ और कार्य

मेंस लिंक: न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GC48G3747.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

4. उच्च न्यायालयों में 'तदर्थ न्यायाधीशों' की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त

संदर्भ: उच्च न्यायालयों में लगभग 57 लाख लंबित मामलों को "कार्य-सूची में अचानक वृद्धि" (docket explosion) बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने, पिछले शेष कार्य (बैकलॉग) को समाप्त करने हेतु **अनुच्छेद 224A** का प्रयोग करते हुए, दो से तीन साल की अवधि के लिए, 'तदर्थ न्यायाधीशों' के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। साथ ही इन नियुक्तियों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए है।

'अनुच्छेद 224A' क्या है?

'अनुच्छेद 224A' के अंतर्गत तहत संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों (ad-hoc judges) की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किये गए हैं। इस अनुच्छेद का उपयोग कभी कभार ही किया जाता है।

इसके अनुसार, "किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उसी उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके किसी व्यक्ति से राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है"।

बड़ी मात्रा में मामलों के लंबित होने का कारण:

- सरकार ही सबसे बड़ी वादी / मुकदमेबाज है।
- कम बजटीय आवंटन: न्यायपालिका को आवंटित बजट, सकल घरेलू उत्पाद का 0.08% और 0.09% के बीच होता है।
- कार्यस्थगन की मांग करने की परंपरा।
- न्यायिक नियुक्तियों में देरी।

प्रीलिम्स लिंक:

4. सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति।
5. संबंधित संवैधानिक प्रावधान।
6. शक्तियाँ और कार्य।
7. प्रक्रिया।

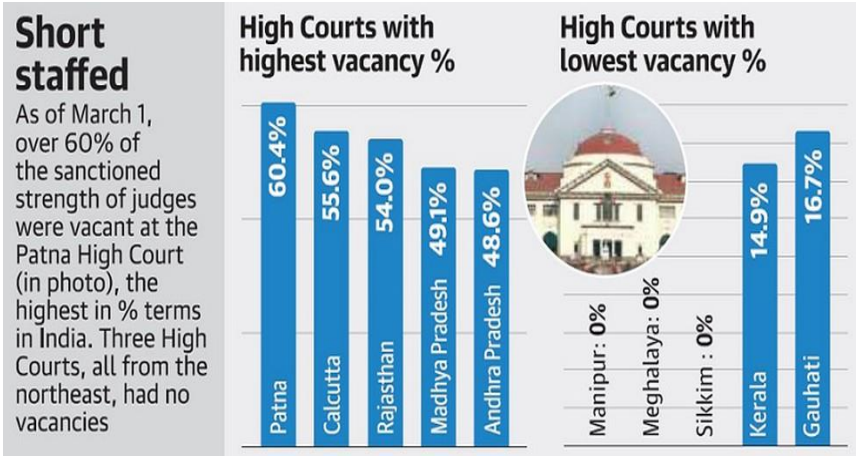

मेंस लिंक: उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा करने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किए जाने पर जोर दिया है। टिप्पणी कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G1M8GOVMH.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

5. संविधान का अनुच्छेद 223 (Article 223 of the Constitution)

संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के **अनुच्छेद 223** में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।

अनुच्छेद 223 के बारे में:

"कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति"

किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होने की स्थिति में, अथवा जब मुख्य न्यायमूर्ति, अनुपस्थिति या अन्य किसी कारणवश अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होते है, तब राष्ट्रपति द्वारा, न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त न्यायाधीश, उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

प्रीलिम्स लिंक:

1. अनुच्छेद 223 किससे संबंधित है?
2. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया।
3. शक्तियाँ और कार्य।

मेंस लिंक: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर एक टिप्पणी लिखिए।

स्रोत: पीआईबी

विषय:सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय।

1. अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021

संदर्भ: हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 'अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश', 2021 **(Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance, 2021)** लागू कर दिया गया है। अद्ध्यादेश के तहत किए गए परिवर्तन, 'मद्रास बार एसोसिएशन मामले' में पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों पर आधारित हैं।

मुख्य परिवर्तन:

- अध्यादेश के द्वारा, कुछ मौजूदा अपीलीय निकायों को भंग करके, तथा उनके कार्यों को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों के लिए स्थानांतरित किया गया है।
- इसके द्वारा, **केंद्र सरकार को**, अधिकरण के सदस्यों की, अहर्ता, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, पदत्याग, निष्कासन तथा अन्य सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने **का अधिकार दिया गया है।**
- इसके तहत, **खोज-एवं-चयन समिति की सिफारिश पर** अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के अध्यक्ष और सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है।
- इसके प्रावधानों के अनुसार, **समिति की अध्यक्षता,** भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।
- **कार्यकाल:** अधिकरण का अध्यक्ष, 4 वर्षों की अवधि तक अथवा 70 वर्ष की आयु पूरी करने तक, जो भी पहले हो, पद धारित करेगा। अधिकरण के अन्य सदस्य 4 वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो अपने पद पर कार्य करेंगे।

अध्यादेश में निम्नलिखित अधिकरणों / अपीलीय प्राधिकारियों को वित्त अधिनियम के दायरे से बाहर किया गया है:

1. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, 1994 के तहत स्थापित 'एयरपोर्ट अपीलीय न्यायाधिकरण'।
2. ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के अंतर्गत स्थापित अपीलीय बोर्ड।
3. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित 'अग्रिम आदेश प्राधिकरण' (Authority for Advance Ruling)।
4. सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत गठित 'फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण'।

'अधिकरण' क्या होते हैं?

'अधिकरण' (Tribunal), एक अर्ध-न्यायिक संस्था होते है, जिन्हें प्रशासनिक विवादों अथवा कर-संबंधी विवादों को हल करने जैसी समस्याओं का निपटारा करने के लिए गठित किया जाता है। यह, विवादों का फैसला करने, दावा करने वाले पक्षों के मध्य अधिकारों का निर्धारण करने, प्रशासनिक निर्णय लेने, मौजूदा प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करने, जैसे आदि कार्य करते हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

'अधिकरण', मूल रूप से संविधान का भाग नहीं थे।

'स्वर्ण सिंह समिति' की सिफारिशों के आधार पर, **42 वें संशोधन अधिनियम** के माध्यम से इन प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया।

इस संशोधन के अंतर्गत, संविधान में 'अधिकरणों' से संबंधित **'भाग XIV-A'** जोड़ा गया तथा इसमें दो अनुच्छेद शामिल किये गए:

1. **अनुच्छेद 323A:** प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण, लोक-सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को हल करने वाली अर्ध-न्यायिक संस्थाएं हैं।
2. **अनुच्छेद 323B**: अन्य विषयों जैसे कि कराधान, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात, भूमि सुधार, खाद्य सामग्री, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिये निर्वाचन, किराया और किराएदार के अधिकार, आदि का समाधान करने हेतु अधिकरणों के गठन से संबंधित है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. अधिकरण क्या होते हैं?
2. इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान।
3. संरचना और कार्य।
4. नवीनतम अध्यादेश का अवलोकन।

मेंस लिंक:

क्या 'अधिकरण', न्यायिक दक्षता के लिए रामबाण के समान होते हैं? क्या 'न्याय' हेतु अधिकरणों का गठन करना हमारे संविधान में निर्धारित सिद्धांतों को कमजोर करता है? जांच कीजिए।

स्रोत: पीआईबी

2. सतर्कता अधिकारियों का प्रति तीन वर्ष में स्थानांतरण

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा **'सरकारी संस्थाओं की सतर्कता इकाइयों में तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग'** से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।

नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार:

1. कार्मिकों के लिए, विभिन्न स्थानों पर, सतर्कता इकाइयों में दो लगातार 'पोस्टिंग' दी जा सकती है, इनमे से प्रत्येक 'पोस्टिंग' अधिकतम तीन वर्षों की होगी।
2. जो कार्मिक, किसी एक स्थान पर तीन साल से अधिक समय तक काम कर चुके हैं, उनमे से अधिकतम समय तक तैनात रह चुके कार्मिको को प्राथमिकता देते हुए, चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित किया जाए।
3. जो कार्मिक, किसी एक स्थान पर पाँच वर्षों से अधिक समय से तैनात हैं, उन्हें शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
4. यदि कोई कार्मिक किसी एक स्थान पर तीन वर्षों से अधिक समय से तैनात है, तो अगली जगह पर उसका कार्यकाल की अवधि को कम कर दिया जाएगा। अर्थात, कार्मिक का दोनों जगहों पर संयुक्त कार्यकाल छह साल तक का रहेगा।
5. सतर्कता इकाई से स्थानांतरण के बाद, किसी कार्मिक की 'इकाई' में फिर से पोस्टिंग पर विचार करने से पहले, उसे तीन साल का 'कूलिंग ऑफ' (cooling off) पीरियड पूरा करना अनिवार्य होगा।

आवश्यकता:

सतर्कता विभाग में किसी अधिकारी के लंबे समय तक तैनात रहने से, अनावश्यक शिकायतों या आरोपों में वृद्धि होने के अलावा उसके निहित स्वार्थ विकसित होने की संभावना रहती है।

'केंद्रीय सर्तकता आयोग' (CVC) के बारे में:

- फरवरी, 1964 में, 'केंद्रीय सर्तकता आयोग' (Central Vigilance Commission- CVC) की स्थापना, सरकार द्वारा **के. संथानम** की अध्यक्षता वाली **भ्रष्टाचार निवारण समिति** की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
- वर्ष 2003 में, संसद द्वारा **'केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम'** पारित किया गया, जिसके तहत 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग' को **वैधानिक दर्जा** प्रदान किया गया।
- 'केंद्रीय सर्तकता आयोग' (CVC), किसी मंत्रालय अथवा विभाग के अधीन कार्य नहीं करता है। अपितु, यह एक स्वतंत्र निकाय है तथा केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
- यह अपनी रिपोर्ट सीधे **'भारत के राष्ट्रपति'** को सौंपता है।
- 'केंद्रीय सर्तकता आयोग' भ्रष्टाचार अथवा पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों की जांच करता है और इन पर उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है।

'केंद्रीय सर्तकता आयोग' के समक्ष कौन शिकायत कर सकता है?

- केंद्र सरकार
- लोकपाल
- 'सचेतक' (Whistle blowers)

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'केंद्रीय सर्तकता आयोग' (CVC) के बारे में
2. नियुक्ति
3. निष्कासन
4. शक्तियाँ और कार्य
5. रिपोर्ट

मेंस लिंक:

'केंद्रीय सर्तकता आयोग' (CVC) की भूमिकाओं और कार्यों पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GAV8F2S8M.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

3. फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण (FCAT)

संदर्भ: हाल ही सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से **'फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण' (Film Certificate Appellate Tribunal- FCAT)** को समाप्त कर दिया गया।

4 अप्रैल को लागू किए गए **'अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश', 2021 (Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance, 2021),** के द्वारा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में कुछ अनुच्छेदों को निरसित कर दिया गया है तथा अन्य अनुच्छेदों में 'अधिकरण' (Tribunal) शब्द की जगह 'उच्च न्यायालय' कर दिया गया है।

FCAT के बारे में:

- 'फ़िल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण' (FCAT), सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1983 में गठित एक **वैधानिक निकाय** था।
- इसका मुख्य कार्य **केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC)** के फैसलों से असंतुष्ट प्रमाणपत्र आवेदकों द्वारा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5C के तहत दायर की गई अपील पर सुनवाई करना था।

- संरचना: 'अधिकरण' में एक अध्यक्ष तथा एक सचिव सहित चार अन्य सदस्य शामिल होते थे, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती थी। ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नई दिल्ली में था।

इस कदम के निहितार्थ:

FCAT को समाप्त करने का अर्थ है कि, अब फिल्म निर्माताओं को, CBFC प्रमाणन से असंतुष्ट होने पर, इसे चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी।

प्रीलिम्स लिंक:

1. CBFC के बारे में
2. संरचना
3. FCAT के बारे में
4. FCAT के निर्णय
5. सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के बारे में

मेंस लिंक: FCAT की भूमिकाओं और कार्यों पर चर्चा कीजिए।

https://indianexpress.com/article/explained/the-role-significance-of-film-certification-tribunal-now-abolished-7263409/lite/.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

4. राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC)

संदर्भ: हाल ही में, 'राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद' (National Startup Advisory Council-NSAC) की पहली बैठक आयोजित की गई थी।

NSAC क्या है?

- 'उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग' (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा 'राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद' का गठन किया गया है।
- इसका कार्य, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु, देश में नवाचार और स्टार्टअप्स को विकसित करने के लिए एक सशक्त परिवेश का निर्माण करने हेतु आवश्यक उपायों पर सलाह देना है।

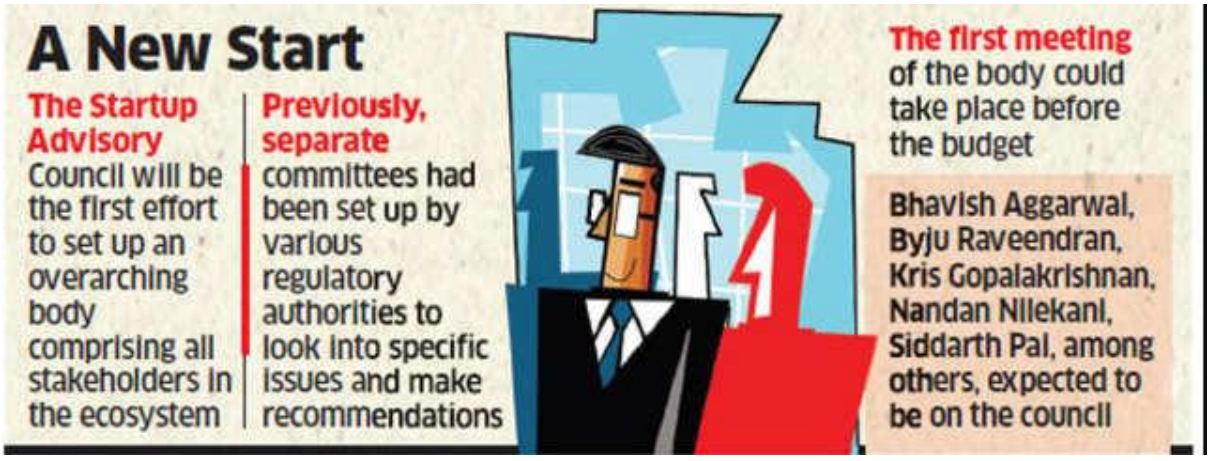

'राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद' (NSAC) के कार्य:

- नागरिकों और छात्रों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने संबंधी उपायों का सुझाव देना।
- अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना।
- उद्भवन (Incubation), अनुसंधान और विकास के माध्यम से रचनात्मक और अभिनव विचारों के लिए सहयोग देना तथा इन्हें कीमती उत्पादों के रूप में परिवर्तित करना।

NSAC की संरचना:

- 'राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद' की अध्यक्षता 'वाणिज्य और उद्योग मंत्री' द्वारा की जाएगी।
- 'परिषद' में केंद्र सरकार द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य भी शामिल किए जाएंगे।
- इस परिषद में, संबंधित मंत्रालयों / विभागों / संगठनों के सदस्य, पदेन सदस्य के रूप में शामिल होंगे, तथा इन सदस्यों के लिए भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद अथवा उससे ऊपर के पदों पर कार्य का अनुभव होना चाहिए।

प्रीलिम्स लिंक:

1. NSAC के बारे में
2. संरचना
3. कार्य

स्रोत: पीआईबी

विषय:सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।

1. उपासना स्थल अधिनियम (Places of Worship Act)

संदर्भ: विशेषज्ञों के अनुसार, उपासना स्थल अधिनियम (Places of Worship Act), 1991 के अंतर्गत **काशी और मथुरा** जैसे धार्मिक स्थलों की जाँच करना प्रतिबंधित है।

संबंधित प्रकरण: यह मामला, हाल ही में वाराणसी की एक अदालत द्वारा 'काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद' परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जांच करने का आदेश जारी करने के बाद सामने आया है।

- विशेषज्ञों ने यह भी सवाल उठाया है, कि क्या सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा उचित ठहराए गए कानून के खिलाफ, सिविल कोर्ट के न्यायाधीश को इस तरह का निर्देश जारी करने की शक्ति हासिल है?

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के बारे में:

- अधिनियम में यह घोषणा की गयी है, कि किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही रहेगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था।
- इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को अलग संप्रदाय या वर्ग में नहीं बदलेगा।
- इस क़ानून के अनुसार, 15 अगस्त 1947 को विद्यमान किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के संपरिवर्तन के संदर्भ में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपशमित हो जाएगी और इसं पर आगे कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

अधिनियम के उद्देश्य:

- इस अधिनियम का उद्देश्य, किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को, उसकी 15 अगस्त 1947 को विद्यमान स्थिति में स्थिर रखना है।
- अधिनियम में, उपासना स्थल के उक्त तिथि को विद्यमान धार्मिक स्वरूप के रखरखाव का भी प्रावधान किया गया है।

- इसका उद्देश्य किसी भी समूह द्वारा उपासना स्थल की पूर्व स्थिति के बारे में, तथा उस संरचना अथवा भूमि पर नए दावे करने से रोकने हेतु पहले से उपाय करना था।
- इस क़ानून से दीर्घकालीन सांप्रदायिक सद्भाव के संरक्षण में मदद करने की अपेक्षा की गयी थी।

अपवाद: अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित संदर्भों में लागू नहीं होंगे-

1. उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई उपासना स्थल, जो **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958** के अन्तर्गत आने वाला कोई प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या कोई पुरातत्वीय स्थल या अवशेष है।
2. इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा, उपरोक्त मामलों से संबंधित कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, जिसका अंतिम रूप से विनिश्चय, परिनिर्धारण या निपटारा कर दिया गया है।
3. इस अधिनियम की कोई बात उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के रूप में सामन्यतः ज्ञात स्थान या उपासना स्थल से संबंधित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही पर लागू नहीं होगी। इस अधिनियम के उपबंध, किसी अन्य लागू क़ानून के ऊपर प्रभावी होंगे ।

प्रीलिम्स लिंक:

1. उपासना स्थल अधिनियम की मुख्य विशेषताएं
2. उद्देश्य
3. कानून के तहत अपवाद

मेंस लिंक: 'उपासना स्थल अधिनियम' से संबंधित मुद्दों पर एक टिप्पणी लिखिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GUG8FEF0L.1&imageview=0.

2. भिक्षावृत्ति को गैर-अपराध घोषित करने हेतु याचिका

संदर्भ: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार तथा महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, चार राज्यों से 'भिक्षावृत्ति को गैर-अपराध घोषित करने संबंधी याचिका' याचिका पर प्रतिक्रिया देने को कहा है।

पृष्ठभूमि: अदालत द्वारा, फरवरी 2021 में, केंद्र सरकार और पांच राज्यों से 'भिक्षावृत्ति' से संबंधित एक याचिका पर जबाव माँगा था, जिसमे दावा किया गया था, कि 'भिक्षावृत्ति' का अपराधीकरण करने वाले क़ानून की धाराएं, **संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती** हैं।

संबंधित प्रकरण:

दायर की गई याचिका में **दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2018 में दिए गए एक फैसले** का हवाला दिया गया है, जिसमे अदालत ने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 'भीख मांगने' को गैर-अपराध घोषित कर दिया गया था, और कहा कि **'बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट' (Bombay Prevention of Begging Act), 1959** की 'भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करने वाली' धाराएं संवैधानिक जांच पर सही साबित नहीं होती हैं।

याचिका में तर्क दिया गया है, कि भीख मांगने के कृत्य को अपराध घोषित करने वाले क़ानूनों के प्रावधान, लोगों को **'अपराध करने या, अपराध नहीं करने तथा भूखा मरने'** में से एक अनुचित विकल्प चुनने की स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। जोकि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, और **'अनुच्छेद 21' अर्थात 'जीवन का अधिकार'** का उल्लंघन है।

अन्य सम्बंधित मुद्दे:

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4,13,670 है और पिछली जनगणना से इस संख्या में इज़ाफा हुआ है।

- संविधान में 'राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों' के अंतर्गत, सरकार के लिए सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया गया है। हालाँकि, भिखारियों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है, कि देश अपने सभी नागरिकों को 'बुनियादी सुविधाएं' प्रदान करने में विफल रहा है।
- इसलिए, राज्य द्वारा अपनी विफलता पर काम करने और लोगों द्वारा भीख मांगने के कारणों की जाँच करने के बजाय, भीख माँगने के कृत्य को अपराध घोषित करना तर्कहीन है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित समाजवादी राष्ट्र के उपागम के खिलाफ है।
- भीख मांगना एक शांतिपूर्ण तरीका भी है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, किसी दूसरे को अपनी स्थिति को बताता है और उनकी सहायता मांगता है। इस प्रकार, भीख माँगने का अपराधीकरण **'अनुच्छेद 19 (1) (क)** के तहत प्रद्दत 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का भी उल्लंघन है।

भारत में भिक्षावृत्ति संबंधी कानून:

- भारत में, भिक्षावृत्ति संबंधी कोई केंद्रीय अधिनियम नहीं है, हालांकि, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने, 'बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट', 1959 की कुछ धाराओं, के आधार पर अपने कानून बनाए हैं। 1959 का यह भीख मागने को आपराध घोषित करता है।
- इन कानूनों के माध्यम से, सरकारें, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, जबरन भीख मंगवाने अथवा 'भीख मांगने वाले के गिरोहों' का समाधान करने तथा पर्यटकों को परेशान करने से रोकने का प्रयास करती हैं।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट' के प्रमुख प्रावधान।
2. अनुच्छेद 19(1)(a) के बारे में
3. राज्य नीति निदेशक तत्वों से संबंधित प्रमुख तथ्य
4. अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकार

मेंस लिंक:

भिक्षावृत्ति को गैर-अपराध घोषित क्यों किया जाना चाहिए? चर्चा कीजिए।

https://www.google.com/amp/s/www.thehindu.com/news/national/sc-asks-centre-four-states-to-respond-to-plea-to-decriminalise-begging/article34291189.ece/amp/.

स्रोत: द हिंदू

3. चंडीगढ़ का साइकिलिंग नीति मसौदा

संदर्भ: हाल ही में, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा, अपनी तरह का पहला, 'साइकिल चलाने संबंधी नीति' अर्थात 'साइकिलिंग नीति' का मसौदा जारी किया गया है।

भारत में किसी शहर द्वारा पहली बार साइकिलिंग नीति का मसौदा तैयार किया गया है। यह मसौदा **चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड** द्वारा तैयार किया गया है।

मसौदे के प्रमुख बिंदु:

- महिला साइकिल चालकों के लिए पैनिक बटन से लैस सुरक्षित शरणस्थान।
- कार्यालयों के बाहर पार्किंग के लिए छतदार जगह।

- प्रत्येक सात दिनों तक काम पर साइकिल से जाने पर आधे दिन का अवकाश दिया जाएगा।
- एक विशिष्ट दूरी तक साइकिल से आने-जाने पर मौद्रिक प्रोत्साहन।
- दुर्घटनाओं की आशंकाओं को कम करने हेतु गैर-मोटर चालित परिवहन लाइनों में वृद्धि।
- प्रत्येक सरकारी कार्यालय तथा सभी प्रकार के निजी संस्थानों द्वारा काम पर साइकिल से आने को प्रोत्साहित करने हेतु एक अलग नीति तैयार की जाएगी।
- सुरक्षा बढ़ाने के लिए, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए, 24X7 सीसीटीवी निगरानी और पैनिक बटन से लैस सुरक्षित शरणस्थान बनाए जाने चाहिए।

नीति की आवश्यकता: 'साइकिलिंग नीति', शहर में साइकिल-चलाने को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह पर्यावरण अनुकूल, स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन का एक साधन है। यह, शहरी क्षेत्रों में कम दूरी की यात्रा के लिए कारों का विकल्प हो सकती है। अतः, शहरी परिवहन नीति के तहत, साइकिलिंग पर, शहरी यात्रा और अन्य भूमि उपयोग नीतियों के साथ एकीकृत संदर्भ में विचार करना चाहिए।

साइकिल चलाने के लाभ:

1. उत्सर्जन और शोर से मुक्त।
2. लागत प्रभावी- इसे मामूली कीमत पर खरीदा जा सकता है और मरम्मत जा सकती है और यह ऊर्जा-सक्षम भी है।
3. इसके लिए कम स्थान की जरूरत होती है, और कारों के लिए जरूरी पार्किंग सुविधाएं आदि की तुलना में कम लागत पर साइकिल पथ और पार्किंग सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं।

https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/cities/chandigarh/chandigarh-cycling-policy-maps-cycling-network-incentives-7252362/lite/.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

4. नागालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर (RINN)

संदर्भ: सूचनाओं के अनुसार, नागालैंड सरकार द्वारा 'नागालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर' (Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland-RIIN) तैयार करने संबंधी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है।

'नागालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर' (RINN) क्या है?

RINN कार्यक्रम, जुलाई 2019 में शुरू किया गया था।

- इसका उद्देश्य, बाहरी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तथा नौकरी हासिल करने के लिए नकली 'मूल निवासी प्रमाण पत्र' प्राप्त करने पर रोक लगाना है।
- 'नागालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर' (RINN), राज्य के सभी मूल निवासियों की प्रधान सूची होगी।
- यह सूची "एक व्यापक सर्वेक्षण" के आधार पर तैयार की जाएगी।
- इसमें ग्रामीण और (शहरी) वार्ड स्तर पर मूल निवासियों के आधिकारिक रिकॉर्ड शामिल किए जाएंगे और इसे जिला प्रशासन की देखरेख में तैयार किया जाएगा।

चिंता का विषय: यदि 'नागालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर' (RINN) के समर्थकों द्वारा 'पहचान प्रक्रिया' के तहत, **'1 दिसंबर, 1963'- नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने की तारीख'**- राज्य के 'स्थाई निवासियों' का निर्धारण

करने की अंतिम तिथि के रूप में लागू किया गया, तो इसके परिणामस्वरूप होने वाले "भयानक नतीजों" के प्रति स्थानीय निवासी में भारी आशंका है।

- यह तारीख निर्धारित किए जाने से, नागालैंड की सीमाओं से बाहरी क्षेत्रों से आकर बसे 'नागाओं' को 'सूची' से बाहर किए जाने की संभावना है।
- उन्हें यह भी डर है, कि गैर-स्थानीय नागाओं को "अवैध आप्रवासियों" के रूप में माना जा सकता है और उनकी भूमि और संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. RIIN के बारे में
2. प्रयोज्यता
3. RIIN बनाम NRC

मैंस लिंक:

'नागालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर' (RINN) प्रक्रिया से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा कीजिए।

https://www.google.com/amp/s/www.thehindu.com/news/national/other-states/tribal-body-flags-concerns-over-nagalands-version-of-nrc/article34314341.ece/amp/.

स्रोत: द हिंदू

5. आरबीआई द्वारा 'एआरसी' के कामकाज की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन

संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'सुदर्शन सेन' की अध्यक्षता में, वित्तीय क्षेत्र पारितंत्र में 'आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों' (Asset Reconstruction Companies- ARCs) के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने तथा क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में ऐसी संस्थाओं को सक्षम बनाने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

संदर्भ शर्तें (Terms of reference):

- 'आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों' (ARCs) पर लागू मौजूदा कानूनी और विनियामक ढांचे की समीक्षा और 'एआरसी' की प्रभावकारिता में सुधार के उपायों हेतु सिफारिश करना।
- **दिवालिया एवं शोधन अक्षमता कोड (IBC),** 2016 सहित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में 'एआरसी' की भूमिका की समीक्षा करना।

'आस्ति पुनर्संरचना कंपनी' (ARC) क्या है?

'आस्ति पुनर्संरचना कंपनी' (Asset Reconstruction Companies- ARC), ऐसे विशेष वित्तीय संस्थान होते है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 'गैर-निष्पादित आस्तियों' (Non Performing Assets- NPAs) खरीदते हैं, ताकि वे अपनी बैलेंसशीट को साफ कर सकें।

- इससे बैंकों को सामान्य बैंकिंग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।
- बैंक, बकाएदारों पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय, 'आस्ति पुनर्संरचना कंपनी' (ARC) को पारस्परिक रूप से सहमत कीमत पर अपनी 'गैर-निष्पादित आस्तियों' (NPAs) को बेच सकते हैं।
- 'आस्ति पुनर्संरचना कंपनी' अथवा 'एआरसी' (ARC), आरबीआई के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं।

कानूनी आधार: 'वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन' (**Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest** -SARFAESI) अधिनियम 2002, भारत में 'आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों' (ARCs) का गठन करने हेतु वैधानिक आधार प्रदान करता है।

- SARFAESI अधिनियम न्यायालयों के हस्तक्षेप के बगैर 'गैर-निष्पादित अस्तियों' की पुनर्संरचना में मदद करता है।
- तब से, इस अधिनियम के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अधीन पंजीकृत बड़ी संख्या में ARCs का गठन किया गया है। आरबीआई के लिए ARCs को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।

ARCs के लिये पूंजी आवश्यकताएँ:

- SARFAESI अधिनियम में, वर्ष 2016 में किये गए संशोधनों के अनुसार, किसी 'आस्ति पुनर्संरचना कंपनी' (ARC) के पास न्यूनतम 2 करोड़ रुपए की स्वामित्व निधि होनी चाहिये।
- रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 में इस राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर गिया गया था। 'आस्ति पुनर्संरचना कंपनी' के लिए अपनी जोखिम भारित आस्तियों / परिसंपत्तियों के 15% का **पूंजी पर्याप्तता अनुपात** बनाए रखना आवश्यक है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'एआरसी' क्या हैं?
2. 'SARFAESI अधिनियम' क्या है?
3. 'सुदर्शन सेन समिति' किससे संबंधित है?

मेंस लिंक: 'आस्ति पुनर्संरचना कंपनी' (ARC) की भूमिकाओं और कार्यों पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G0A8GH398.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

6. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (Startup India Seed Fund Scheme)

संदर्भ: हाल ही में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना' (Startup India Seed Fund Scheme- SISFS) की शुरूआत की गई है।

'स्टार्टअप सीड फंड' के बारे में:

- इस फंड का उद्देश्य स्टार्टअप्स की अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षणों, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के प्रमाणीकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- पूरे भारतवर्ष में पात्र इनक्यूबेटरों के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स को बीज का वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 945 करोड़ की राशि का विभाजन अगले 4 वर्षों में किया जाएगा।
- इस योजना में 300 इनक्यूबेटर (incubators) के माध्यम से अनुमानित रूप से 3,600 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने की संभावना है।
- **नोडल विभाग:** उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)।

महत्व: 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना' (SISFS), आवश्यक मूल वित्तपोषण सुनिश्चित करने, नवाचार प्रोत्साहन, परिवर्तनकारी विचारों का समर्थन, कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने और स्टार्टअप क्रांति की शुरूआत करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम करेगी।

- इस योजना के माध्यम से, विशेष रूप से, भारत के द्वि-**स्तरीय और त्रि-स्तरीय शहरों** में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा, ये शहर प्रायः आवश्यक धन से वंचित रह जाते हैं।

इस योजना की आवश्यकता:

- किसी उद्यम के विकास के शुरुआती चरणों में उद्यमियों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता अति आवश्यक होती है।
- स्टार्टअप के लिए, एंजेल निवेशकों और वेंचर कैपिटल फर्मों से वित्त, केवल 'अवधारणा-प्रमाण' अर्थात 'प्रूफ ऑफ़ कांसेप्ट' देने के बाद ही उपलब्ध होता है। इसी प्रकार, बैंक भी केवल परिसंपत्तियों के दस्तावेज आदि जमा करने वाले आवेदकों को ऋण प्रदान करते हैं।
- अतः, अवधारणा-प्रमाणों / 'प्रूफ ऑफ़ कांसेप्ट' के परीक्षण हेतु नवप्रवर्तक विचारों वाले स्टार्टअप को 'सीड फंडिंग' प्रदान करना आवश्यक हो जाता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'स्टार्टअप इंडिया' योजना क्या है?
2. 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम' (SISFS) के बारे में।
3. पात्रता
4. लाभ

मेंस लिंक:

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) के महत्व पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: पीआईबी

7. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index)

संदर्भ: हाल ही में, मीडिया निगरानी समूह, 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' द्वारा 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' (World Press Freedom Index) 2021 जारी की गई है।

- सूचकांक में 'नॉर्वे' लगातार पाँच वर्षों से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है।
- रिपोर्ट में 132 देशों को "बहुत खराब", " खराब" या "समस्याग्रस्त" के समूह में श्रेणीबद्ध किया गया है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है, कि पत्रकारों को अभिगम्यता (access) प्रदान करने से वंचित करने और कोविद -19 प्रकोप के बारे में सरकार द्वारा प्रायोजित अधिप्रचार को बढ़ावा देने के लिए, महामारी का उपयोग किया गया है।

सूचकांक में भारत और पड़ोसी देशों का प्रदर्शन:

1. 180 देशों की सूची में भारत 142 वें स्थान पर रहा है।
2. भारत के लिए ब्राजील, मैक्सिको और रूस के साथ "खराब" श्रेणी में रखा गया है।
3. रिपोर्ट में कहा गया है, भारत, ठीक से अपना काम करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों के लिए विश्व के सबसे खतरनाक देशों में से एक है।
4. वर्ष 2016 में, भारत 133 वें स्थान पर था, जोकि वर्ष 2020 में तेजी से लुढककर 142 वें स्थान पर पहुंच गया है।
5. 'सरकार की आलोचना करने का साहस करने वाले' पत्रकारों के खिलाफ 'सोशल मीडिया पर बेहद हिंसक नफरत फैलाने वाले अभियान' चलाए जाने पर, भारत की कड़ी आलोचना की जाती है।
6. सूचकांक में, दक्षिण एशिया में, नेपाल को 106, श्रीलंका को 127, म्यांमार को 140, पाकिस्तान को 145 और बांग्लादेश को 152 वें स्थान पर रखा गया है।

7. चीन को 177 वां और अमेरिका को 44 वां स्थान प्राप्त हुआ है।

'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' के बारे में:

- वर्ष 2002 से **'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (Reporters Without Borders) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित** किया जाने वाला, 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' 180 देशों में मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर का आकलन करना है।
- यह सूचकांक, मीडिया की स्वतंत्रता के निर्धारण के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमे मीडिया में बहुलवाद, मीडिया को प्राप्त आज़ादी, कानूनी तंत्र की गुणवत्ता तथा पत्रकारों की सुरक्षा आदि का आकलन किया जाता है।
- सूचकांक में, प्रत्येक क्षेत्र में मीडिया स्वतंत्रता के उल्लंघन स्तर संबंधी संकेतक भी शामिल होते हैं।
- यह सूचकांक, दुनिया भर के विशेषज्ञों द्वारा 20 भाषाओं में तैयार की गई एक प्रश्नावली के माध्यम से संकलित किया जाता है।
- इस गुणात्मक विश्लेषण को आकलन-अवधि के दौरान पत्रकारों के खिलाफ हुई हिंसा तथा दुर्व्यवहार संबंधी मात्रात्मक आंकड़ो के साथ संयोजित किया जाता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' के बारे में।
2. भारत और उसके पड़ोसी देशों का प्रदर्शन।
3. सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश।
4. पिछले वर्षों के दौरान विभिन्न देशों का प्रदर्शन और उनकी तुलना।

मेंस लिंक: भारत के संदर्भ में 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' के निष्कर्षों पर टिप्पणी कीजिए।

स्रोत: द हिंदू

8. वाहन कबाड़ नीति (Vehicle Scrappage Policy)

संदर्भ: एक रेटिंग प्रदाता कंपनी 'क्रिसिल' (CRISIL) द्वारा की गयी रिसर्च एनालिसिस से पता चलता है कि केंद्र सरकार की 'वाहन कबाड़ नीति' (स्क्रैपेज पॉलिसी) से माल-भाडा ट्रांसपोर्टर्स द्वारा पुराने वाहनों को बदलने के लिए कतार में लगाने की संभावना नहीं है। बसों, यात्री वाहनों और दुपहिया वाहनों के स्क्रैप किए जाने मात्रा भी सीमित ही रहेगी।

नई नीति के साथ समस्याएं:

1. ट्रकों के लिए सीमित प्रोत्साहन और खराब लागत वाली अर्थनीति।
2. पतालगाने योग्य अन्य वर्गों के वाहनों की कम संख्या।
3. 15 साल पुरानी एक शुरुआती श्रेणी की छोटी कार को स्क्रैप करने से लगभग 70,000 रुपए का फायदा होगा, जबकि इसे बेचने पर लगभग 95,000 रुपए मिल सकते हैं। इस कारण स्क्रैपिंग करना अनाकर्षक बन जाता है।

समय की मांग: इन सब कारणों को देखते हुए, स्क्रैपिंग नीति को पूरी तरह से लागू करने के लिए, हमें 'जिन वाहनों का जीवन समाप्त हो चुका है, अर्थात 'एंड ऑफ़ लाइफ व्हीकल्स' (ELV) को सड़क से हटाने के संदर्भ में एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए। माल-भाडा ट्रांसपोर्टर्स को एक पर्याप्त एवं उत्साही वित्तीय सहायता दिए

जाने की आवश्यकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब तक पुराने वाहनों के बेड़े सड़क से नहीं हटाए जाएंगे, तब तक बीएस-VI (BS-VI) वाहन लागू करने का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा।

'वाहन कबाड़ नीति'(Vehicle Scrappage Policy) **के बारे में:**

- इस नीति के अनुसार, पुराने वाहनों का फिर से पंजीकरण किए जाने से पहले इनके लिए एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, और **15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों तथा 20 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों को तोड़ दिया** जाएगा।
- हतोत्साहन उपाय के रूप में, 15 वर्ष या इससे पुराने वाहनों का फिर से पंजीकरण करने पर, इनके **शुरुआती पंजीकरण से ज्यादा शुल्क** लिया जाएगा
- नीति के तहत, पुराने वाहनों के मालिकों द्वारा पुराने और अनफिट वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु, **निजी वाहनों पर 25% तक और व्यावसायिक वाहनों पर 15% तक रोड-टैक्स में छूट** देने के लिए राज्य सरकारों से कहा जा सकता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. इस नीति की मुख्य विशेषताएं
2. प्रयोज्यता
3. नीति के तहत दिया जाने वाला प्रोत्साहन

मेंस लिंक: 'वाहन कबाड़ नीति' से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G1T8HHCS9.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

विषय:केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन।

1. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)

संदर्भ: हाल ही में, सरकार द्वारा 3 लाख-करोड़ रुपए की **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना** (**Emergency Credit Line Guarantee Scheme- ECLGS**) को आगामी तीन महीनों की अवधि अर्थात 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है तथा योजना के दायरे का विस्तार करते हुए इसमें **आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन** जैसे नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

विवरण:

- **ECLGS 3.0** के तहत 29 फरवरी, 2020 तक सभी ऋण देने वाली संस्थाओं की कुल बकाया ऋण के 40 प्रतिशत तक का विस्तार शामिल किया जाएगा।
- ECLGS 3.0 के तहत दिए गए ऋणों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, जिसमें 2 वर्ष की छूट अवधि शामिल होगी।

योजना के बारे में: आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) को मई 2020 में **आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज** के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कोरोनोवायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन से उत्पन्न संकट को कम करने के लिए, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को क्रेडिट प्रदान करना था।

- इसके अंतर्गत, **राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)** द्वारा 100% गारंटी कवरेज प्रदान की जाती है, जबकि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- यह ऋण, एक 'गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन' (Guaranteed Emergency Credit Line- GECL) सुविधा के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- योजना के तहत भागीदार ऋण प्रदाता संस्थानों (Member Lending Institutions- MLI) से NCGTC द्वारा कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों (financial Institutions) के लिए 9.25% ब्याज दर तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए 14% ब्याज दर की सीमा निर्धारित की गई है।

पात्रता:

- 29 फरवरी, 2020 तक 50 करोड़ रुपए के बकाया ऋण वाले तथा 250 करोड़ रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने वाले ऋणकर्ता इस योजना का लाभ उठाने हेतु पात्र होंगे।
- 1 अगस्त 2020 को सरकार द्वारा3 लाख-करोड़ रुपए की **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना** (**ECLGS**) का दायरा विस्तृत कर दिया गया। इसके तहत बकाया ऋण की सीमा को दोगुना कर दिया गया तथा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए डॉक्टरों, वकीलों और चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे पेशेवरों को एक निश्चित ऋण ऋण प्रदान करना शामिल किया गया है।

योजना के लाभ:

- इस योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों को कम लागत पर ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे MSME अपने परिचालन दायित्वों को पूरा करने और अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सक्षम होंगे।
- वर्तमान अभूतपूर्व स्थिति के दौरान अपना कार्य जारी रखने के लिए MSMEs को सहयोग प्रदान करने से, इस योजना का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने और इसके पुनरुद्धार में सहायता मिलने की भी उम्मीद है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. MSMEs का वर्गीकरण- पुराना बनाम नया।
2. MSMEs का जीडीपी में योगदान।
3. NBFCs क्या हैं?
4. GECL सुविधा क्या है?
5. NCGTC क्या है?

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GGQ8EDQEJ.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

2. 'राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक नीति' मसौदा (Draft National Migrant Labour Policy)

संदर्भ: हाल ही में, नीति आयोग द्वारा कार्यकारी अधिकारियों के एक उपसमूह तथा सिविल सोसाइटी के सदस्यों के सहयोग से **'राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक नीति'** (National Migrant Labour Policy) का मसौदा तैयार किया गया है। यह नीति, अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों के योगदान को चिह्नित करने और उन्हें उनके प्रयत्नों में सहायता प्रदान करने संबंधी इरादों की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

मसौदे के प्रमुख बिंदु- प्रमुख सिफारिशें:

- **प्रवासन को सुगम बनाना:** 'प्रवासन' के लिए विकास के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, और सरकारी नीतियों द्वारा इसमें बाधा उत्पन्न करने की बजाए, आंतरिक प्रवासन को सुविधाजनक बनाना चाहिए।

- **मजदूरी में वृद्धि:** मसौदे में प्रवासी श्रमिकों के मूल राज्यों से आदिवासियों की स्थानीय आजीविका में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने को कहा गया है, जिससे कुछ हद तक प्रवासन पर रोक लगाई जा सकती है।
- **केंद्रीय डेटाबेस:** नियोक्ताओं को "मांग और आपूर्ति के मध्य अंतर पाटने" और "सामाजिक कल्याण योजनाओं का अधिकतम लाभ" सुनिश्चित करने में मदद करने हेतु एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए।
- **शिकायत निवारण प्रकोष्ठ:** 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' (National Legal Services authority- NALSA) और श्रम मंत्रालय द्वारा 'शिकायत निवारण प्रकोष्ठों' की स्थापना की जानी चाहिए और प्रवासी श्रमिकों के संबंध में, तस्करी, न्यूनतम मजदूरी उल्लंघन, और कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार और दुर्घटनाओं हेतु 'त्वरित कानूनी प्रतिक्रियाएं' उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- मसौदे में एक **नई राष्ट्रीय प्रवासन नीति** तथा अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक **विशेष इकाई के गठन** करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

प्रस्तावित नीति के साथ समस्याएं:

1. यह नीति, भर्ती और नियुक्ति की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से जुड़े, श्रम कानूनों के खराब क्रियान्वयन संबंधी कारणों पर गहराई से विचार नहीं करती है।
2. इस दस्तावेज़ में अन्यायपूर्ण भर्ती पद्धतियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन वस्तुतः इस बात का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है कि सिस्टम क्यों जारी रहता है और इसे व्यवसायों और उद्यमों के रोजगार ढांचों द्वारा किस प्रकार मजबूत किया जाता है।

पृष्ठभूमि:

प्रवासन संबंधी नवीनतम सरकारी आंकड़े, वर्ष 2011 की जनगणना से लिए जाते है। जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 में भारत में प्रवासियों की संख्या 45.6 करोड़ (कुल जनसंख्या का 38 प्रतिशत) थी। जबकि, वर्ष 2001 में प्रवासियों की संख्या 31.5 करोड़ (जनसंख्या का 31%) थी।

प्रीलिम्स लिंक:

1. आंतरिक और बाह्य प्रवास पर डेटा
2. अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 के बारे में
3. ड्राफ्ट का अवलोकन

मेंस लिंक: नीति आयोग के 'प्रवासी श्रमिक नीति' मसौदे पर टिप्पणी कीजिए।

https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/explained/india-draft-migrant-labour-policy-priya-deshingkar-7262236/lite/.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

3. 'लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना' (Project Ladakh Ignited Minds)

संदर्भ: संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, भारतीय सेना द्वारा **प्रोजेक्ट लददाख इग्नाइटेड माइंड्स : उत्कृष्टता और देखभाल केंद्र** (**Ladakh Ignited Minds: A Centre of Excellence and Wellness**) की परिकल्पना की गई है।

परियोजना के बारे में:

इस परियोजना का उद्देश्य देश के उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करने हेतु सुविधाहीन लद्दाखी छात्रों को बेहतर शिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है।

कार्यान्वयन: इस परियोजना का कार्यान्वयन 'हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (HPCL) के सहयोग से **भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर** द्वारा किया जाएगा, और इसके लिए **राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षणिक विकास संगठन (NIEDO)** एक निष्पादन एजेंसी होगी। ये युवाओं के लिए एक समग्र प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

- पहले बैच में, 20 लड़कियों सहित लेह और कारगिल जिलों के 45 छात्र, जेईई और एनईईटी प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

प्रीलिम्स और मेंस लिंक:

परियोजना और इसका महत्व।

स्रोत: पीआईबी

विषय:स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।

1. 'वैक्सीन की बर्बादी' क्या है, और इसे किस प्रकार रोका जा सकता है?

संदर्भ: स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है, कि दूसरी खुराक के लिए टीकों को बचाकर रखने का कोई महत्व नहीं है तथा सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में, जहां भी मांग होगी, शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है।

केंद्र द्वारा राज्यों को दिशानिर्देश:

- 'वैक्सीन की बर्बादी' 1% से कम तक सीमित रखी जाए (वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर 'वैक्सीन बर्बादी' 6 % है)।
- सभी स्तरों पर होने वाली 'वैक्सीन की बर्बादी' की नियमित रूप से समीक्षा की जाए तथा इसे कम किया जाए।
- टीकों की बिना उपयोग के, उनकी समाप्ति तिथि से पहले उपलब्ध स्टॉक का समय पर उपयोग सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंटलाइन कर्मियों की श्रेणी में केवल पात्र लाभार्थियों को ही पंजीकृत तथा टीकाकरण किया जाना चाहिए।

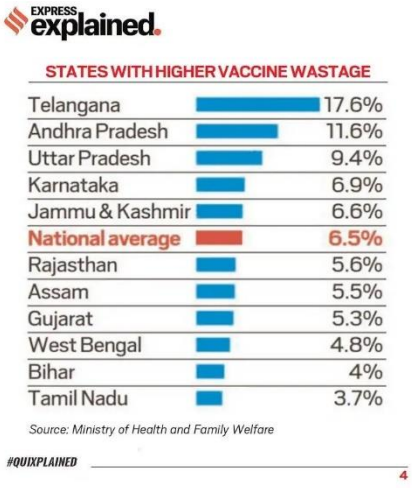

'वैक्सीन की बर्बादी' (Vaccine Wastage) क्या होती है?

'वैक्सीन की बर्बादी' किसी भी बड़े टीकाकरण अभियान का एक अपेक्षित घटक होता है। लेकिन बड़े पैमाने पर 'वैक्सीन की बर्बादी' होने से वैक्सीन की मांग में वृद्धि होने लगती है, जिससे इससे अनावश्यक खरीद में वृद्धि होती है।

'वैक्सीन की बर्बादी' के विभिन्न चरण:

1. कोल्ड चेन स्तर।
2. जिला टीका भंडार।
3. टीकाकरण लगाए जाने वाली जगहें।

'वैक्सीन की बर्बादी' रोकने के तरीके:

- उचित योजना
- प्रत्येक टीका सत्र में अधिकतम 100 लाभार्थियों को टीका दिया जाना चाहिए।
- टीका कर्मियों को स्रोत: द हिंदू

2. राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021 (National Policy for Rare Diseases, 2021)

संदर्भ: 'दुर्लभ बीमारियों' से ग्रसित मरीजों के देख-रेख करने वाले तथा अन्य संबद्ध संगठन हाल ही में जारी '**राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति' (National Policy for Rare Diseases), 2021** से संतुष्ट नहीं हैं।

संबंधित प्रकरण: इस नीति के तहत, 'दुर्लभ बीमारियों' से ग्रसित रोगियों को मिलने वाली सरकारी सहायता, 15 लाख रुपए से बढाकर 20 लाख रुपए तक करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन, देखभाल करने वालों का कहना है कि यह नीति, उपचार पर होने वाले वास्तविक व्यय पर विचार नहीं करती है।

- 'दुर्लभ बीमारियों' से ग्रसित रोगियों के हिमायती समूहों द्वारा जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले दुर्लभ, आनुवांशिक विकारों से ग्रस्त रोगियों के लिए 'राष्ट्रीय नीति' में वित्तीय सहायता की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की गई है।

'राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति' 2021 के प्रमुख बिंदु:

- दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीज, शीघ्र ही 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (**AB-PMJAY**) के तहत एक मुश्त उपचार के लिए पात्र होंगे।
- इस नीति के तहत, लाभार्थियों को 'निर्धनता रेखा से नीचे' (BPL) आने वाले परिवारों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इनको लगभग 40% आबादी तक विस्तारित किया जाएगा। योजना के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के 23 मानदंडों के अनुसार पात्र लाभार्थी, तृतीय संस्तर का इलाज करने वाले केवल सरकारी अस्पताल में उपचार करा सकते हैं।
- इस नीति के तहत, **दुर्लभ बीमारियों की तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है**: एक बार के उपचार की जरूरत वाली बीमारियाँ, दीर्घकालिक किंतु सस्ते उपचार की आवश्यकता वाली बीमारियाँ तथा महंगे एवं दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता वाली बीमारियाँ।

'दुर्लभ बीमारियाँ': 'दुर्लभ बीमारी' (rare diseases) को अनाथ बीमारी या 'ऑर्फ़न डिजीज' (orphan disease) के रूप में भी जाना जाता है। ये आबादी के छोटे प्रतिशत को प्रभावित करने वाली बीमारियाँ होती है, अर्थात प्रायः कम लोगों में पायी जाती है।

- अधिकांश दुर्लभ रोग आनुवंशिक होते हैं। किसी व्यक्ति में, ये रोग, कभी-कभी पूरे जीवन भर मौजूद रहते हैं, भले ही इसके लक्षण तत्काल दिखाई न देते हों।

आमतौर पर पाई जाने वाली दुर्लभ बीमारियाँ:

हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल-सेल एनीमिया और बच्चों में प्राथमिक रोगप्रतिरोधक क्षमता की कमी, ऑटो-इम्यून डिजीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर जैसे पॉम्पी डिजीज, हिर्स्चस्प्रुंग डिसीज, गौचर डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस,

हेमांगीओमास तथा कुछ प्रकार के पेशीय विकृति रोग, भारत में प्रायः पाई जाने वाली सबसे आम दुर्लभ बीमारियों के उदाहरण है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. दुर्लभ बीमारियों संबंधी भारत की नीति
2. किन रोगों को दुर्लभ रोगों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है?

मेंस लिंक:'दुर्लभ रोग' क्या हैं? ये किस प्रकार फैलते हैं और इनके प्रसार को कैसे रोका जा सकता है?

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G008ELH0G.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

3. ई 9 पहल (E9 initiative)

संदर्भ: 'ई 9 पहल' पर 'ई 9 देशों' के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक, शीघ्र ही आयोजित होने जा रही है। यह परामर्श बैठक वंचित रह जाने वाले बच्चों व युवाओं, विशेषकर लड़कियों को लक्ष्य करती डिजिटल लर्निंग और कौशल पर पहल के निर्माण की तीन चरणीय प्रक्रिया का पहला चरण है।

'ई 9 पहल' क्या है?

इस पहल का प्रमुख उद्देश्य 2020 में आयोजित 'वैश्विक शिक्षा सम्मलेन' की तीन प्राथमिकताओं, (i) शिक्षकों को सहयोग (ii) कौशल में निवेश और (iii) डिजिटल विभाजन को कम करना, में तेजी से बदलाव करके शिक्षा प्रणाली में बदलाव के माध्यम से '**सतत विकास लक्ष्य-4'** एजेंडा को आगे बढ़ाना और सुधार में तेजी लाना है।

प्रतिभागी: संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली इस पहल के तहत, **E9 देशों में** बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान शामिल हैं।

लाभ: E9 देशों के मध्य स्थापित भागीदारी पर निर्मित यह पहल, इन नौ देशों को इस वैश्विक पहल से लाभान्वित होने और **सतत विकास लक्ष्य-4:** गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को हासिल करने की दिशा में डिजिटल शिक्षा और कौशल-विकास संबंधी प्रगति में तेजी लाने का अवसर प्रदान करती है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. E9 पहल क्या है?
2. E9 देश।
3. 'सतत विकास लक्ष्य-4' किससे संबंधित है?
4. क्या भारत इस पहल का हिस्सा है?

मेंस लिंक:

'E9 पहल' के महत्व पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: पीआईबी

4. 'सार्थक' कार्यक्रम (SARTHAQ)

संदर्भ: हाल ही में, शिक्षा मंत्री द्वारा 'सार्थक' (SARTHAQ) नामक एक 'निर्देशात्मक और विचारोत्तेजक योजना' जारी की गई है।

'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से 'छात्रों' और 'शिक्षकों' की समग्र उन्नति' (सार्थक), अर्थात् ['Students' and Teachers' Holistic Advancement through Quality Education or SARTHAQ] के बारे में:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसरण में और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को इस कार्य में सहायता करने हेतु यह योजना शुरू की गई है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है।

- यह कार्यक्रम, छात्रों तथा शिक्षकों के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और अनुकूल शिक्षण वातावरण तैयार करेगा।
- 'सार्थक' (SARTHAQ) का प्रमुख ध्यान गतिविधियों को इस तरह परिभाषित करना है, जिससे लक्ष्यों, परिणामों और समय सीमा की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की जा सके। उदाहरण के लिए, यह NEP की सिफारिश को 297 कार्य योजनाओं सहित जिम्मेदार एजेंसियों, समय-सीमाओं, तथा इन कार्यों के 304 परिणामों के साथ जोड़ता है।

इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है:

1. यह स्कूली शिक्षा के लिए नए राष्ट्रीय एवं राज्य पाठ्यक्रम ढांचे, शुरुआती बचपन की देखभाल एवं पाठ्यक्रम सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा
2. इस कार्यक्रम में सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात, शुद्ध नामांकन अनुपात और ड्रॉप आउट एवं स्कूल तक न पहुंचने वाले बच्चों की संख्या कम करने, पर ध्यान दिया जाएगा।
3. यह, ग्रेड 3 तक गुणवत्ता ECCE और 'मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण' तक पहुंच प्रदान करेगा।
4. यह, सभी चरणों में व्यावसायिक शिक्षा, खेल, कला, भारत का ज्ञान, 21 वीं सदी के कौशल, नागरिकता के मूल्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता आदि को पाठ्यक्रम में लागू करेगा।
5. यह प्रायोगिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा।
6. इससे शिक्षक शिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

प्रीलिम्स लिंक:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के बारे में।
2. प्रमुख विशेषताएं।
3. SARTHAQ क्या है?

मेंस लिंक:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: पीआईबी

5. B.1.617: वायरस का 'डबल म्यूटेंट' प्रकार

संदर्भ: "डबल म्यूटेंट" वायरस, जिसे पिछले महीने वैज्ञानिकों ने भारत में महामारी के प्रसार पर असर डालने वाले वायरस के रूप में चिह्नित किया था, का औपचारिक वैज्ञानिक वर्गीकरण करके इसे '**B.1.617**' नाम दिया गया है। भारत में वायरस का यह 'वैरिएंट' आम है - हालांकि हर राज्य में इसके प्रसार संबंधी स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसके E484Q और L425R, नामक 'उत्परिवर्तनों' (Mutations) का निर्धारण किया जा चुका है, ये 'उत्परिवर्तन' इस वायरस को अधिक संक्रामक और एंटीबॉडी के प्रति बेअसर बनाने में सक्षम हैं।

वर्तमान में चिंता का विषय:

कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि ये उत्परिवर्तन, कोरोनवायरस को 'टी कोशिकाओं' (**T cells**) के प्रति प्रतिरोधी बना सकते हैं। 'टी सेल्स', वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को लक्षित करने और नष्ट करने के लिए आवश्यक कोशिकाओं का एक प्रकार होती है।

'वायरस उत्परिवर्तिन' का कारण:

उत्परिवर्तन अथवा 'म्युटेशन' का तात्पर्य, जीनोम अनुक्रमण में होने वाला परिवर्तन होता है।

- वायरस में 'उत्परिवर्तन' उनके क्रमिक विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है।
- लाखों लोगों के संक्रमित हो जाने के बाद वायरस पर 'क्रमिक विकास' का दबाव बढ़ जाता है।

SARS-CoV-2 के मामले में, जोकि एक राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA) वायरस है, उत्परिवर्तन का अर्थ, उसके अणु-क्रम संयोजन व्यवस्था में बदलाव होता है।

आरएनए वायरस में उत्परिवर्तन, प्रायः वायरस द्वारा स्व-प्रतिलिपियाँ (copies of itself) बनाते समय गलती करने के कारण होता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. कोविड-19 क्या है?
2. उत्परिवर्तन क्या है?
3. mRNA क्या है?
4. RT- PCR टेस्ट क्या है?

मेंस लिंक:

कोविड- 19 वायरस के उत्परिवर्तन से संबंधित चिंताओं पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GBB8FAABF.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

6. अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) (African swine fever)

संदर्भ: मिजोरम के लुंगलेई (Lunglei) जिले में संदिग्ध अफ्रीकी स्वाइन फीवर (African swine fever- ASF) के प्रकोप से 276 घरेलू सुअरों की मौत हो गई है।

निवारक उपायों के रूप में, स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रभावित क्षेत्र और जिले से सूअरों की खरीद और आपूर्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) के बारे में:

1. ASF एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है, जो घरेलू और जंगली सूअरों को संक्रमित करता है। इसके संक्रमण से सूअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार (Hemorrhagic Fever) से पीड़ित होते है।
2. इसे पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था।
3. इस रोग में मृत्यु दर 100 प्रतिशत के करीब होती है, और चूंकि इस बुखार का कोई इलाज नहीं है, अतः इसके संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका जानवरों को मारना है।
4. अफ्रीकी स्वाइन फीवर से मनुष्य के लिए खतरा नहीं होता है, क्योंकि यह केवल जानवरों से जानवरों में फैलता है।
5. FAO के अनुसार, यह रोग अत्याधिक संक्रामक है तथा इसकी सीमापार संक्रमण क्षमता से इस क्षेत्र के सभी देशों में संकट उत्पन्न हो गया है, इसके साथ ही एक बार फिर इस रोग का भूत अफ्रीका से बाहर पाँव पसार रहा है। यह रोग, वैश्विक खाद्य सुरक्षा तथा घरेलू आय के लिए महत्वपूर्ण संकट उत्पन्न कर सकता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. स्वाइन फीवर और स्वाइन फ्लू में अंतर?
2. क्या स्वाइन फीवर मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है?
3. क्या यह एक वायरल बीमारी है?
4. इसकी खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी?
5. 2020 में कौन से देश इससे प्रभावित हुए हैं?
6. क्या इसके खिलाफ कोई टीका उपलब्ध है?

मेंस लिंक:

अफ्रीकी स्वाइन स्वाइन फीवर, लक्षण और इसके प्रसरण पर एक टिप्पणी लिखिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GBB8FAJ6O.1&imageview=0. स्रोत: द हिंदू

7. वैक्सीन पासपोर्ट

संदर्भ: अभी तक, कई प्रकार के **कोरोनावायरस टीकाकरण संबंधी रिकॉर्ड,** जिन्हें अक्सर 'वैक्सीन पासपोर्ट (Vaccine Passports) भी कहा जाता है, कागज और डिजिटल प्रारूप में मौजूद हैं। सैकड़ों एयरलाइंस, सरकारें और अन्य संगठनो द्वारा इनका जांच के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है।

'वैक्सीन पासपोर्ट' क्या होता है?

- यह, संभवतः 'क्यूआर कोड' (QR code) के रूप में टीकाकरण का एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, जिसे किसी स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ा जा सकता है, इसे मोबाईल फोन में स्टोर भी किया जा सकता है, तथा इसका प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है। इसका ज्यादातर उपयोग अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए किया जाता है।
- फरवरी 2021 में, इजरायल द्वारा पहली बार, इस प्रकार की 'प्रमाणन प्रणाली' की शुरुआत की गई थी। इसके माध्यम से, कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण करवा चुके लोगों को कुछ सुविधाओं और कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए, 'कोविड -19 टीकाकरण प्रमाणपत्र' को एक अनिवार्य दस्तावेज़ के रूप में लागू करने के खिलाफ है।
- महामारी संचरण को कम करने में टीकाकरण की प्रभावकारिता के बारे में अभी भी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।
- टीकाकरण साक्ष्य की आवश्यकता और इसे जारी करने के क्षेत्राधिकार में एकरूपता का अभाव है।
- यात्रियों का अधिमान्य टीकाकरण किये जाने से गंभीर कोविड–19 से संक्रमित होने के उच्च जोखिम की संभवना युक्त प्राथमिकता प्राप्त आबादी के लिए टीकों की आपूर्ति में कमी हो सकती है।
- इस बात की संभावना है कि इन 'वैक्सीन पासपोर्ट्स' का उपयोग अधिकारियों द्वारा धारकों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए किया जा सकता है। इससे निजता संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं।

https://indianexpress.com/article/explained/vaccine-passports-what-are-they-and-who-might-need-one-7269400/lite/.

8. 'वैक्सीन राष्ट्रवाद' क्या है?

संदर्भ: हाल ही में, 'ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क' (AIPSN) ने कहा है कि 'वैक्सीन राष्ट्रवाद' का विचार पूरी तरह से गलत है, और इसे त्याग देना चाहिए।

संबंधित प्रकरण: केंद्र सरकार द्वारा देश से होने वाले निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे मैत्रीपूर्ण विकासशील देशों को टीकों की मुफ्त आपूर्ति तथा निम्न-आय वाले देशों को वैक्सीन आपूर्ति करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय COVAX कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान से अर्जित की गई 'अच्छी साख' खोने की संभावना है।

वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है?

- वैक्सीन राष्ट्रवाद (Vaccine Nationalism) की स्थिति में कोई देश किसी वैक्सीन की खुराक को अन्य देशों को उपलब्ध कराने से पहले अपने देश के नागरिकों या निवासियों के लिए सुरक्षित कर लेता है।

- इसके लिए सरकार तथा वैक्सीन निर्माता के मध्य खरीद-पूर्व समझौता कर लिया जाता है।

अतीत में इसका उपयोग:

वैक्सीन राष्ट्रवाद नयी अवधारणा नहीं है। वर्ष 2009 में फ़ैली H1N1फ्लू महामारी के आरंभिक चरणों में विश्व के धनी देशों द्वारा H1N1 वैक्सीन निर्माता कंपनियों से खरीद-पूर्व समझौते किये गए थे।

- उस समय, यह अनुमान लगाया गया था कि, अच्छी परिस्थितियों में, वैश्विक स्तर पर वैक्सीन की अधिकतम दो बिलियन खुराकों का उत्पादन किया जा सकता है।
- अमेरिका ने समझौता करके अकेले 600,000 खुराक खरीदने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस वैक्सीन के लिए खरीद-पूर्व समझौता करने वाले सभी देश विकसित अर्थव्यवस्थायें थे।

संबंधित चिंताएँ:

- वैक्सीन राष्ट्रवाद, किसी बीमारी की वैक्सीन हेतु सभी देशों की समान पहुंच के लिए हानिकारक है।
- यह अल्प संसाधनों तथा मोल-भाव की शक्ति न रखने वाले देशों के लिए अधिक नुकसान पहुंचाता है।
- यह विश्व के दक्षिणी भागों में आबादी को समय पर महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य-वस्तुओं की पहुंच से वंचित करता है।
- वैक्सीन राष्ट्रवाद, चरमावस्था में, विकासशील देशों की उच्च-जोखिम आबादी के स्थान पर धनी देशों में सामान्य-जोखिम वाली आबादी को वैक्सीन उपलब्ध करता है।

आगे की राह:

विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान टीकों के समान वितरण हेतु फ्रेमवर्क तैयार किये जाने की आवश्यकता है।

- इसके लिए इन संस्थाओं को आने वाली किसी महामारी से पहले वैश्विक स्तर पर समझौता वार्ताओं का समन्वय करना चाहिए।
- समानता के लिए, वैक्सीन की खरीदने की क्षमता तथा वैश्विक आबादी की वैक्सीन तक पहुच, दोनों अपरिहार्य होते है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है?
2. COVID 19 रोग के उपचार में किन दवाओं का उपयोग किया जा रहा है?
3. SARS- COV 2 का पता लगाने के लिए विभिन्न परीक्षण।
2. H1N1 क्या है?

मेंस लिंक: वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है? इससे संबंधित चिंताओं पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G138G31QP.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

9. स्वाइन फीवर (swine fever)

संदर्भ: मिजोरम के चार जिलों में कुछ क्षेत्रों को अफ्रीकी स्वाइन फीवर (African swine fever- ASF) के उत्केंद्रों (Epicentres) के रूप में घोषित कर दिया गया है। इस बीमारी से एक महीने में अब तक 1,119 सुअरों की मौत हो चुकी है।

अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) के बारे में: ASF एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है, जो घरेलू और जंगली सूअरों को संक्रमित करता है। इसके संक्रमण से सूअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार (Hemorrhagic Fever) से पीड़ित होते है।

1. इसे पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था।
2. इस रोग में मृत्यु दर 100 प्रतिशत के करीब होती है, और चूंकि इस बुखार का कोई इलाज नहीं है, अतः इसके संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका जानवरों को मारना है।
3. अफ्रीकी स्वाइन फीवर से मनुष्य के लिए खतरा नहीं होता है, क्योंकि यह केवल जानवरों से जानवरों में फैलता है।
4. FAO के अनुसार, यह रोग अत्याधिक संक्रामक है तथा इसकी सीमापार संक्रमण क्षमता से इस क्षेत्र के सभी देशों में संकट उत्पन्न हो गया है, इसके साथ ही एक बार फिर इस रोग का भूत अफ्रीका से बाहर पाँव पसार रहा है। यह रोग, वैश्विक खाद्य सुरक्षा तथा घरेलू आय के लिए महत्वपूर्ण संकट उत्पन्न कर सकता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. स्वाइन फीवर और स्वाइन फ्लू में अंतर?
2. क्या स्वाइन फीवर मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है?
3. क्या यह एक वायरल बीमारी है?
4. इसकी खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी?
5. 2020 में कौन से देश इससे प्रभावित हुए हैं?
6. क्या इसके खिलाफ कोई टीका उपलब्ध है?

मेंस लिंक: अफ्रीकी स्वाइन स्वाइन फीवर, लक्षण और इसके प्रसरण पर एक टिप्पणी लिखिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GHI8GSTV2.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

10. दिल्ली में वायरस के U.K प्रकार का बढ़ता प्रसार

संदर्भ: दिल्ली में कोविड-19 मामलों से लिए गए अनुक्रमित जीन के नमूनों में वायरस के U.K प्रकार अर्थात (U.K. variant- B.1.1.7) का अनुपात मार्च के दूसरे सप्ताह में पिछले सप्ताह के 28% से बढ़कर 50% हो गया है।

संबंधित प्रकरण:

इस U.K वैरिएंट में **N501Y** नामक एक उत्परिवर्तन होता है, जोकि वायरस का संचरण तीव्र करने वाला बताया जाता है। इसके परिणामस्वरूप प्रारम्भिक तौर पर, संक्रमित मामलों की संख्या में वृद्धि तथा रोग की गंभीरता और मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है।

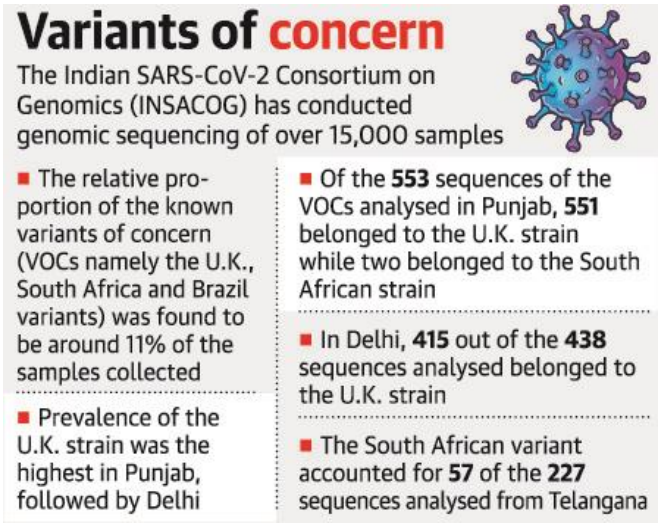

पृष्ठभूमि: पंजाब, छत्तीसगढ़ और गुजरात के साथ-साथ दिल्ली में भी उन राज्यों में भी शामिल है, जहाँ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों के बीच पहचान किये गए, U.K प्रकार के वायरस से संक्रमित मामलों से, कहीं ज्यादा संख्या में संक्रमण मामले काफी बड़े समुदाय में पाए गए हैं।

'वायरस उत्परिवर्तिन' का कारण:

उत्परिवर्तन अथवा 'म्युटेशन' का तात्पर्य, जीनोम अनुक्रमण में होने वाला परिवर्तन होता है।

- वायरस में 'उत्परिवर्तन' उनके क्रमिक विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है।
- लाखों लोगों के संक्रमित हो जाने के बाद वायरस पर 'क्रमिक विकास' का दबाव बढ़ जाता है।
- SARS-CoV-2 के मामले में, जोकि एक राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA) वायरस है, उत्परिवर्तन का अर्थ, उसके अणु-क्रम संयोजन व्यवस्था में बदलाव होता है।
- आरएनए वायरस में उत्परिवर्तन, प्रायः वायरस द्वारा स्व-प्रतिलिपियाँ (copies of itself) बनाते समय गलती करने के कारण होता है।

प्रीलिम्स लिंक:

5. कोविड-19 क्या है?
6. उत्परिवर्तन क्या है?
7. mRNA क्या है?
8. RT- PCR टेस्ट क्या है?

मेंस लिंक: कोविड- 19 वायरस के उत्परिवर्तन से संबंधित चिंताओं पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GKM8H105K.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

विषय:लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका।

1. पुलिस सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2006 में दिया गया फैसला

संदर्भ: उच्चतम न्यायालय ने कहा है, कि **प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006)** मामले में, पुलिस सुधारों से संबंधित दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का उपयोग, समय-समय पर, जब भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे हल करने के लिए एक मंत्र के रूप में किया जाता है।

संबंधित प्रकरण: महाराष्ट्र में कई आईपीएस अधिकारियों द्वारा लॉबिंग किए जाने के आरोप और सरकार की मिलीभगत से नियुक्तियों पर निर्णय लेने वाले सत्ता के दलालों से संबंधित नवीनतम प्रकरण सामने आने से पता चलता है कि सिस्टम में मामूली बदलाव आया है।

'पुलिस सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला' क्या है?

कई अन्य पदों पर नियुक्त रहने के अलावा उत्तरप्रदेश पुलिस तथा असम पुलिस के डीजीपी के रूप में काम करने के पश्चात, प्रकाश सिंह ने सेवानिवृत्ति के बाद वर्ष 1996 में पुलिस सुधारों की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी।

उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए **सितंबर 2006** में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पुलिस सुधार लागू करने का निर्देश दिया था।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव:

1. कुछ महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को 'पुलिस महानिदेशक' (DGP) के पद पर नियुक्ति करने जैसी स्थिति से बचने के लिए **डीजीपी का कार्यकाल और चयन प्रक्रिया निर्धारित** की जानी चाहिए।
2. कोई राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 'पुलिस महानिरीक्षक' के लिए एक **न्यूनतम कार्यकाल** निर्धारित होना चाहिए, जिससे राजनेताओं द्वारा बीच में ही इनका स्थानांतरण नहीं किया जा सके।
3. अधिकारियों की नियुक्तियों से संबंधित निर्णय, राजनीतिक नेताओं की पोस्टिंग और स्थानान्तरण करने संबंधी शक्तियों को पृथक करते हुए, पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ नौकरशाहों से मिलकर बने 'पुलिस स्थापना बोर्ड' (**Police Establishment Boards- PEB**) द्वारा किये जाने चाहिए।

4. पुलिस कार्रवाई से पीड़ित आम लोगों की सुनवाई के लिए 'राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण' (**State Police Complaints Authority**- SPCA) की स्थापना की जाए।
5. पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए जांच तथा कानून और व्यवस्था संबंधी कार्य अलग किये जाएँ।
6. राज्य सुरक्षा आयोगों (**State Security Commissions**- SSC) का गठन किया जाए, और इनमे सिविल सोसायटी के सदस्य शामिल किये जाएँ।
7. एक 'राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (**National Security Commission**) का गठन किया जाए।

इन सुझावों पर राज्यों की प्रतिक्रिया:

- वर्ष 2006 में दिए गए फैसले के बाद से किसी भी राज्य ने शीर्ष अदालत के निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया है।
- 18 राज्यों द्वारा इस दौरान अपने पुलिस अधिनियमों को पारित या संशोधित किया गया है, लेकिन इनमे से कोई भी पुलिस अधिनियम पूरी तरह से विधायी मॉडल के अनुरूप नहीं है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना कब की गई थी?
2. रिबेरो समिति का संबंध किससे है?
3. मलिमथ समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें।
4. भारतीय संविधान की 7 वीं अनुसूची के तहत पुलिस।
5. प्रकाश सिंह मामला किससे संबंधित है?

मेंस लिंक: पुलिस सुधारों पर एक टिप्पणी लिखिए।

https://indianexpress.com/article/explained/explained-2006-sc-ruling-police-reforms-states-circumvent-influence-postings-7251526/.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

2. चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स (Chandler Good Government Index- CGGI)

सूचकांक के बारे में:

'चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स' (Chandler Good Government Index- CGGI), विश्व भर में 104 देशों की सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलता को मापने के लिए सरकारी पेशेवरों (Government Practitioners) द्वारा, सरकारी पेशेवरों के लिए तैयार किया गया एक वार्षिक सूचकांक है।

चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस (CIG) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है।

सूचकांक के सात स्तंभ:

1. नेतृत्व और दूरदर्शिता (leadership and foresight);
2. मजबूत कानून और नीतियां (robust laws and policies);
3. मजबूत संस्थान (strong institutions);
4. वित्तीय प्रबंधन (financial stewardship);
5. आकर्षक बाज़ार (attractive marketplace);
6. वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा (global influence and reputation); और
7. लोगों की उन्नति में मदद करना (helping people rise)।

सूचकांक का महत्व: किसी राष्ट्र की सफलता में अच्छी सरकार एक निर्णायक कारक होती है। 'चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स' (CGGI), नागरिकों और व्यवसायों के लिए सकारात्मक परिणामों को हासिल करने हेतु सशक्त सरकारी क्षमताओं में निवेश करने के महत्व को दर्शाता है।

CGGI- 2021 के प्रमुख बिंदु:

1. सूचकांक के शीर्ष दस देशों में यूरोप के सात देश शामिल हैं, हालांकि शीर्ष दस देशों में चार महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व है, जिसमे एशिया से सिंगापुर, ओशिनिया से न्यूजीलैंड तथा अमेरिकी महाद्वीप से कनाडा शामिल है।
2. शीर्ष दस देशों में शामिल सभी देश, विश्व बैंक द्वारा के अनुसार, उच्च आय वाले देश हैं।

सूचकांक में भारत का प्रदर्शन:

CGGI- 2021 में भारत को 49 वाँ स्थान दिया गया है।

Overall Rank		Leadership & Foresight	Robust Laws & Policies	Strong Institutions	Financial Stewardship	Attractive Marketplace	Global Influence & Reputation	Helping People Rise
1	Finland	1	5	1	13	4	18	1
2	Switzerland	9	3	8	4	2	17	3
3	Singapore	3	18	7	1	1	40	4
4	Netherlands	10	2	22	7	3	5	6
5	Denmark	2	7	3	10	7	19	5
6	Norway	6	1	10	2	22	27	2
7	Sweden	4	6	5	9	13	11	7
8	Germany	23	13	11	3	8	2	9
9	New Zealand	5	3	4	5	15	49	19
10	Canada	11	8	6	13	14	32	16

प्रीलिम्स लिंक:

1. सूचकांक के बारे में।
2. जारीकर्ता
3. रैंकिंग में प्रयुक्त मानदंड।
4. देशों का प्रदर्शन

मेंस लिंक: 'चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स' पर एक टिप्पणी लिखिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G9H8HAB8I.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

विषय:भारत एवं इसके पड़ोसी- संबंध।

1. जम्मू में रोहिंग्या की प्रवासियों की रिहाई से उच्चतम न्यायालय का इंकार

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कि जम्मू में बंद अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को कानून का पालन किए बगैर वापस म्यांमार नहीं भेजा जाएगा।

केंद्र सरकार ने, अदालत को आश्वासन देते हुए कहा है कि रोहिंग्या प्रवासियों को देश से निर्वासित करने में कानून का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा।

संबंधित प्रकरण: कुछ समय पूर्व, अदालत में रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित एक याचिका दायर की गई थी, जिसमे, हिरासत में लिए गये रोहिंग्या शरणार्थियों को तत्काल तुरंत रिहा करने तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकार और गृह मंत्रालय को अनौपचारिक शिविरों में रोहिंग्याओं के लिए शीघ्र ही 'शरणार्थी पहचान पत्र' जारी करने हेतु निर्देश देने की मांग की गयी है।

अदालत की टिप्पणी:

हालांकि, संविधान में प्रतिष्ठापित **'समता का अधिकार' (अनुच्छेद 14) और 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (अनुच्छेद 21) का अधिकार भारत के नागरिकों तथा प्रवासियों**, दोनों को प्राप्त है, तथा 'निर्वासित नहीं किए जाने का अधिकार' नागरिकता के आनुषंगिक है।

1. 'निर्वासित नहीं किए जाने का अधिकार', **संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(e)** के तहत प्रद्दत 'भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने या बसने के अधिकार' के 'आनुषांगिक' या 'सहवर्ती' है।
2. **संविधान का अनुच्छेद 19 (1)(e),** भारत के प्रत्येक नागरिक को, देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से भ्रमण करने, निवास करने और बसने का अधिकार प्रदान करता है।

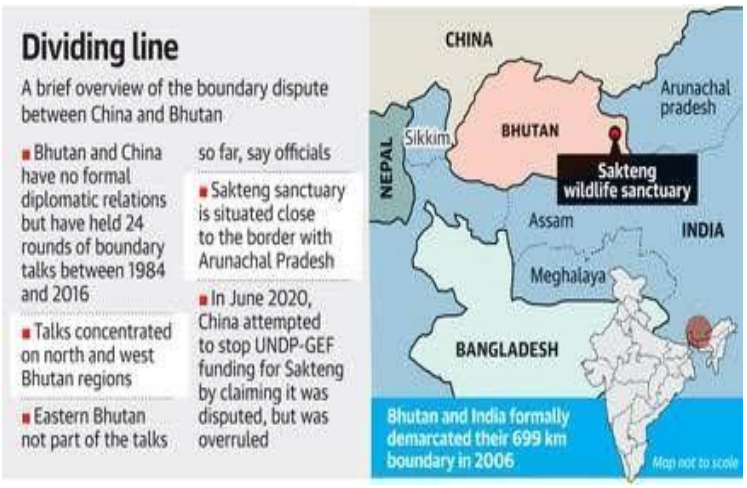

भारत में शरणार्थियों पर लागू होने वाले कानून और नियम:

भारत में, विशेष रूप से शरणार्थियों से संबंधित कोई कानून पारित नहीं किया गया है।

- इसलिए, रोहिंग्या शरणार्थियों को अक्सर 'विदेशियों विषयक अधिनियम' (**Foreigners Act**), **1946** तथा 'विदेशियों विषयक आदेश' (Foreigners Order), 1948 के तहत सरकार द्वारा निर्वासित किये जाने वाले अवैध आप्रवासियों के वर्ग में शामिल कर लिया जाता है।
- हालांकि, एक विधिक रूप से, शरणार्थी, अप्रवासियों की एक विशेष श्रेणी होते है और उन्हें 'अवैध अप्रवासियों के वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. रोहिंग्या कौन हैं?
3. 'रखाइन प्रदेश' की अवस्थिति।
4. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में।
5. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) बनाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय।

मेंस लिंक: रोहिंग्या संकट पर एक टिप्पणी लिखिए।

https://www.google.com/amp/s/www.thehindu.com/news/national/rohingyas-shall-not-be-deported-until-procedure-is-followed-supreme-court/article34272232.ece/amp/.

स्रोत: द हिंदू

2. भूटान और चीन के मध्य सीमा वार्ता तय

संदर्भ: भूटान और चीन, दोनों देश, शीघ्र ही सीमा-वार्ता आयोजित करने तथा सीमा-विवाद संबंधी समाधान प्रक्रिया को तेज करने हेतु रोडमैप पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गए हैं।

आगामी वार्ता, दोनों देशों के मध्य सीमा वार्ता प्रक्रिया का 25 वां दौर होगा। वर्ष 2017 में हुए डोकलाम गतिरोध, तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगने वाली भूटान की पूर्वी सीमा पर जून 2020 में चीन के द्वारा अपना दावा करने के बाद यह पहली वार्ता होगी।

विवादित क्षेत्र: अब तक, इन वार्ताओं में दो विवादित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: भूटान के उत्तर में अवस्थित 'पसामलंग घाटी' (Pasamlung Valley) तथा 'जकरलंग घाटी' (Jakarlung Valley) और भूटान के पश्चिम में भारत के साथ त्रिकोणीय जंक्शन पर अवस्थित 'डोकलाम'।

हालांकि, जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र की एक पर्यावरणीय बैठक में, चीन ने भूटान के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित **'सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य' (Sakteng Wildlife sanctuary) को भी विवादित बताते हुए**, अभयारण्य को दिए जा रहे अनुदान पर आपत्ति जताई थी।

भारत के लिए चिंता का विषय:

- चीन द्वारा किये जाने वाले क्षेत्रीय दावे, भारत के छोटे पड़ोसी देशों पर दबाव डालने तथा इन देशों को भारत के साथ किसी प्रकार की निकटता रखने के लिए दंडित करने हेतु, चीनी रणनीति का एक हिस्सा है।
- वर्ष 2017 में चीन ने 'डोकलाम पठार' में घुसपैठ की थी, जिस पर भूटान अपना दावा करता है, जिससे भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 'गतिरोध' की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

प्रीलिम्स लिंक:

1. मानचित्र पर निम्नलिखित को खोजें: सकतेंग, डोकलाम, जकरलंग, चुम्बी घाटी और डोकलाम।
2. भारत, भूटान और चीन के मध्य त्रि-पक्षीय संधि-स्थल सीमा।

मेंस लिंक: डोकलाम स्टैंड-ऑफ पर एक टिप्पणी लिखिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GIK8FE7D8.1&imageview=0.

3. संयुक्तराष्ट्र में चीन और पाकिस्तान द्वारा एक-दूसरे के 'मूल हितों' को समर्थन

संदर्भ: चीन और पाकिस्तान ने **संयुक्तराष्ट्र संबंधी मामलों पर द्विपक्षीय विमर्श** करने के बाद, संयुक्त राष्ट्र में एक-दूसरे के "मूल एवं प्रमुख हितों" का समर्थन करने का वादा किया है।

बीजिंग, 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करेगा और इस्लामाबाद, चीन को हांगकांग और शिनजियांग मुद्दों पर समर्थन देगा।

भारत के लिए चिंता का विषय:

- चीन और पाकिस्तान, अपने संबंधों को आधिकारिक तौर पर 'हर-मौसम के साथी' (all-weather partners) तथा दोनों देशों को 'आयरन ब्रदर्स' बताते हैं। हाल ही के महीनों में, दोनों देशों ने अपने लिए संवेदनशील समझे जाने वाले मुद्दों पर एक दूसरे को अत्यंत महत्वपूर्ण समर्थन देने संबंधी समझौता किया है।
- दोनों देशों के मध्य रिश्तों में यह विकास, विशेषकर भारत, यू.एस., ऑस्ट्रेलिया और जापान के चतुर्पक्षीय फ्रेमवर्क तथा 'नियम-आधारित व्यवस्था', जिसे 'क्वाड' भी कहा जाता है, को लक्षित करते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले "चयनात्मक बहुपक्षवाद" (Selective Multilateralism) की चीन द्वारा कड़ी आलोचना के दौरान हुआ है।
- वर्ष 2019 और 2020 में, चीन ने 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' में कम से कम तीन मौकों पर कश्मीर मुद्दे को उठाया था, जिसमे चीन ने, भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरसित करने, जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन तथा इसके विशेष दर्जे को रद्द करने संबंधी मामलों पर चर्चा करने का प्रस्ताव किया था।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GIK8FE7DE.1&imageview=0.

4. भारत द्वारा 156 देशों के लिए ई-वीजा की सुविधा बहाल

संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 156 देशों से चिकित्सा परिचर्या सहित चिकित्सा कारणों, व्यापार और सम्मेलनों में भाग लेने के उद्देश्य से आने वाले विदेशियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा (ई-वीजा) सुविधा बहाल कर दी गयी है।

पृष्ठभूमि: वर्ष 2020 में प्रतिबंध लगाए जाने से पहले ई-वीजा सुबिधा 171 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध थी।

ई-वीजा (e-visa) क्या होता है?

- ई-वीजा, पांच श्रेणियों में प्रदान किया जाता है - पर्यटन, व्यवसाय, सम्मेलन, चिकित्सा और चिकित्सा-परिचर्या।

- इस व्यवस्था के तहत, कोई विदेशी नागरिक यात्रा से चार दिन पहले ई-वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
- आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के सत्यापित होने के पश्चात, एक 'इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अधिकार-पत्र' (electronic travel authorization- ETA) उत्पन्न होता है, जिसे देश में आगमन करने पर चेकपोस्ट पर दिखाना होता है।
- भारत में केवल 28 निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और पांच प्रमुख बंदरगाहों पर, ई-वीजा के माध्यम से प्रवेश की अनुमति है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. ई-वीजा क्या है?
2. पात्रता
3. लाभ

मेंस लिंक: 'ई-वीजा' योजना पर एक टिप्पणी लिखिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G4Q8G2T3J.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

5. यूरोपीय संघ परिषद द्वारा इंडो-पैसिफिक रणनीति के निष्कर्षों का अनुमोदन

संदर्भ: यूरोपीय संघ परिषद (**Council of the European Union**) द्वारा 'बढ़ती चुनौतियों और तनाव' के दौर में, 'क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा, समृद्धि और सतत विकास में योगदान करने के उद्देश्य से' अपने रणनीतिक फोकस, उपस्थिति और कार्रवाईयों को सुदृढ़ करने हेतु, **यूरोपीय संघ की भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में सहयोग-रणनीति** के निष्कर्ष को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र हेतु यूरोपीय संघ की नवीकृत प्रतिबद्धता के अंतर्गत:

- दीर्घकालिक फोकस रखा जाएगा, और यह प्रतिबद्धता "लोकतंत्र, मानवाधिकारों, कानून के शासन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान को बनाए रखने" पर आधारित होगी।
- इसका लक्ष्य, नियम-आधारित प्रभावी बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना होगा।
- कोविड-19 महामारी के आर्थिक और मानवीय प्रभावों को कम करने के लिए एक साथ, समावेशी और स्थाई सामाजिक-आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने की दिशा, में काम किया जाएगा।

इसकी आवश्यकता के पीछे कारण:

इंडो-पैसिफिक में वर्तमान गतिशीलता के चलते गहन भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो रही है, जिस कारण व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ-साथ तकनीकी, राजनीतिक और सुरक्षा क्षेत्रों में भी तनाव बढ़ा है। इन घटनाक्रमों से इस क्षेत्र ओर इसके आप-पास के क्षेत्रों की स्थिरता और सुरक्षा के लिए संकट बढ़ता जा रहा है, जिसका यूरोपीय संघ के हितों पर सीधे प्रभाव पड़ता है।

'इंडो-पैसिफिक' क्या है?

एकल रणनीतिक क्षेत्र के रूप में **'इंडो-पैसिफिक' (Indo- Pacific)** की अवधारणा, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के परिणाम है। यह, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य परस्पर संपर्क तथा सुरक्षा और वाणिज्य के लिए महासागरों के महत्व का प्रतीक है।

'इंडो-पैसिफिक क्षेत्र' का महत्व:

1. क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने हेतु।

2. भारत की रणनीतिक स्थिति में बढ़त के लिए, अमेरिका के साथ मजबूत संबंधों को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है।
3. राष्ट्रीय हितों के लिए दीर्घकालिक परिकल्पना।
4. हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की तेजी से बढ़ती उपस्थिति, व्यापार और सेना के माध्यम से एशिया तथा उससे आगे भूराजनीतिक पहुंच का विस्तार करने के चीनी प्रयास।
5. नौ-परिवहन की स्वतंत्रता, क़ानून-आधारित व्यवस्था का पालन करने तथा व्यापार हेतु सुव्यवस्थित माहौल का निर्माण करने हेतु।
6. मुक्त समुद्र एवं मुक्त हवाई मार्गों तथा कनेक्टिविटी के लिए; और अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए।

भारत के लिए 'इंडो-पैसिफिक क्षेत्र' की भूमिका एवं निहितार्थ:

- इंडो-पैसिफिक / हिंद-प्रशांत क्षेत्र, जैसा कि, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में वर्णित है, विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले और आर्थिक रूप से गतिमान हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह, भारत के पश्चिमी तट से संयुक्त राज्य के पश्चिमी तट तक विस्तृत है।
- भारत, सदैव से गंभीर राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं वाला देश रहा है और "इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी" अवधारणा का सबसे महत्वपूर्ण पैरोकार है।
- मुक्त अर्थव्यवस्था के साथ, भारत, हिंद महासागर में आने निकटवर्ती देशों और विश्व की प्रमुख समुद्री शक्तियों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है।

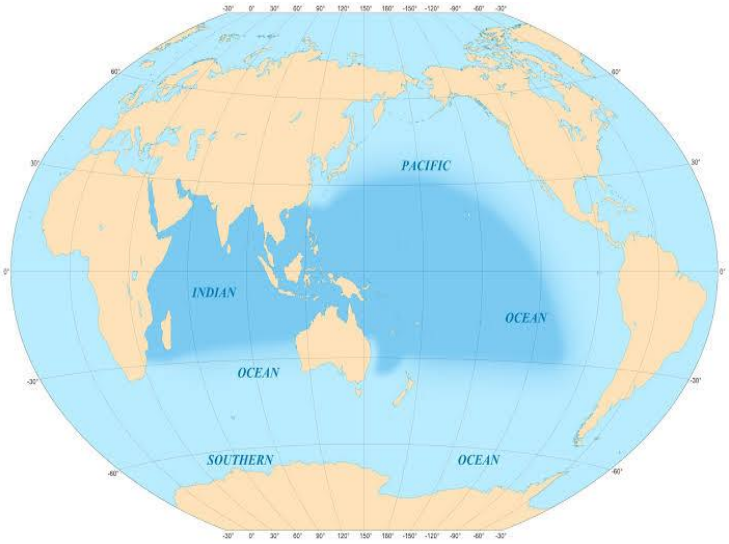

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'प्रशांत क्षेत्र' के बारे में।
2. 'हिंद महासागर क्षेत्र' का अवलोकन।
3. इन क्षेत्रों में अवस्थित महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य, खाड़ियाँ और मार्ग।

मेंस लिंक: भारत के लिए 'इंडो-पैसिफिक क्षेत्र' के सामरिक महत्व पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू

6. दंतक परियोजना (Project DANTAK)

संदर्भ: हाल ही में, भूटान में दंतक परियोजना ने 60 साल पूरे किए हैं।

परियोजना के बारे में: 24 अप्रैल 1961 को प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना की गई थी।

भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास और तरक्की को प्रभावित करने में कनेक्टिविटी के अत्यधिक महत्व को देखते हुए, दंतक को राज्य में पथप्रदर्शक मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का काम सौंपा गया था।

परियोजना द्वारा निष्पादित उल्लेखनीय कार्य:

पारो हवाई अड्डा, योनफुला एयरफील्ड, थिम्फू - त्रासीगंग राजमार्ग, दूरसंचार और हाइड्रो पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर, शेरुबसे कॉलेज, कांग्लुंग और इंडिया हाउस एस्टेट का निर्माण आदि।

महत्व: इन वर्षों में, भूटान राजशाही के परिकल्पना और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप, दंतक परियोजना ने भूटान में असंख्य राजसी जरूरतों को पूरा किया है।

- दंतक द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थापित चिकित्सा और शिक्षा सुविधाएं, उन स्थानों में उपलब्ध होने वाली पहली सुविधाएँ थीं।
- सड़क के किनारे अवस्थिति भोजन की दुकानों ने भूटानी लोगों को भारतीय व्यंजनों से परिचित कराया और भारतीय भोजन के प्रति उनका स्वाद विकसित हुआ।

PROJECT DANTAK : BRIEF HISTORY

Project Dantak was raised in 1961 for works in Bhutan. The Project was established after talks between Pandit Jawaharlal Nehru and the Third Druk Gyalpo, King of Bhutan in 1958. Col TV Jaganathan was appointed as the first Chief Engineer on 29 May 1961. From humble beginning in bamboo huts in 1961, the Project has evolved into a formidable organisation, contributing to economic growth of Royal Kingdom of Bhutan through infrastructure building.

स्रोत: पीआईबी

7. करेन विद्रोही (Karen rebels)

संदर्भ: म्यांमार में फ़रवरी 1 को हुए तख्तापलट के पश्चात, **जातीय अल्पसंख्यक करेन विद्रोहियों** द्वारा म्यांमार सेना की चौकियों की कुछ हमले किये गए, जिसके बाद म्यांमार सेना ने थाई सीमा के नजदीक स्थित एक गाँव और सीमांत बस्ती पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं।

'करेन नेशनल यूनियन' (Karen National Union- KNU), म्यांमार का सबसे पुराना विद्रोही समूह है, इसने कहा है कि उसके लड़ाकों ने साल्वीन नदी के पश्चिमी तट पर सेना के कैंप पर कब्ज़ा कर लिया है।

KNU कौन हैं?

- 'करेन नेशनल यूनियन' (KNU) एक प्रमुख राजनीतिक संगठन है, जो थाईलैंड की सीमा पर स्थित करेन, अथवा कायिन (Kayin) राज्य में बसने वाले जातीय अल्पसंख्यक **करेन समुदायों** का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसका लक्ष्य, जिन राज्यों में करेन समुदाय के लोग बहुसंख्यक है, उनमे आत्म-निर्णय (self-determination) का अधिकार हासिल करना है। करेन समुदाय के लोगों की आबादी लगभग 1.6 मिलियन हैं, जो मोटे तौर पर बेल्जियम की आबादी के बराबर है।

'करेन संघर्ष' का इतिहास: तत्कालीन बर्मा की आजादी के बाद की राजनीतिक प्रक्रिया में 'करेन समुदाय' हाशिए पर चला गया था। इसके बाद, वर्ष 1949 में 'करेन नेशनल यूनियन' (KNU) द्वारा एक विद्रोह शुरू किया गया, जो लगभग 70 वर्षों तक जारी रहा।

- म्यांमार के राज्य और सेना में बहुसंख्यक बामर समुदाय का वर्चस्व, इसकी इसकी प्रमुख शिकायतों में से एक है।
- इस संघर्ष को, विश्व में सबसे लंबे समय तक जारी रहने वाले गृहयुद्धों में से एक के रूप में वर्णित किया जाता है।

इनकी प्रमुख मांग: करेन राष्ट्रवादी, वर्ष 1949 से **कावथोली (Kawthoolei)** नामक एक स्वतंत्र राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

प्रीलिम्स लिंक:

1. करेन कौन हैं?
2. इनके संघर्ष का कारण
3. कावथोली क्या है?

स्रोत: द हिंदू

विषय:द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

1. बिम्सटेक (BIMSTEC)

संदर्भ: हाल ही में, **श्रीलंका की अध्यक्षता में**, 17 वीं बिम्सटेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल) मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी।

- इस बैठक में म्यांमार सहित सभी सात सदस्य देशों ने भाग लिया। ज्ञातव्य है, कि म्यांमार, वर्तमान में सेना विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है।

बिम्सटेक (BIMSTEC) क्या है?

बिम्सटेक का पूरा नाम 'बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल' अर्थात (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation- BIMSTEC) है।

- बिम्सटेक, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के सात देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। वर्ष 1997 में, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को एकीकृत करने के प्रयास में इस समूह की स्थापना की गई थी।
- मूल रूप से इस समूह में **बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड** शामिल थे, बाद में **म्यांमार, नेपाल और भूटान** भी इसके सदस्य बन गए।
- बिम्सटेक, में अब दक्षिण एशिया के पांच देश और आसियान के दो देश शामिल हैं तथा यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु की भूमिका भी निभाता है।
- इस समूह में **मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर** दक्षिण एशिया के सभी प्रमुख देश शामिल हैं।

बिम्सटेक क्षेत्र का महत्व: बिम्सटेक के सात देशों और इसके आसपास में विश्व की कुल आबादी का लगभग पांचवा भाग (22%) निवास करता है, और इनका संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद $ 2.7 ट्रिलियन के करीब है।

- बंगाल की खाड़ी, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जिसका अभी तक दोहन नहीं किया गया है। विश्व में व्यापार की जाने वाली कुल सामग्री का लगभग एक-चौथाई भाग, प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है।

भारत के लिए बिम्सटेक का महत्व:

- इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के लिए यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है।
- बिम्सटेक, न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों को जोड़ता है, बल्कि महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को परस्पर संबद्ध करता है।
- भारत के लिए, यह 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' की प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं को कार्यान्वित करने के लिए एक प्राकृतिक मंच है।

- नई दिल्ली के लिए, बिम्सटेक से सम्बद्धता का एक प्रमुख कारण इस क्षेत्र की विशाल संभावनाएं हैं, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग खोलती हैं।
- लगभग 300 मिलियन लोग या भारत की लगभग एक-चौथाई आबादी, बंगाल की खाड़ी से सटे चार तटीय राज्यों (आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) में निवास करती है।
- रणनीतिक दृष्टिकोण से, बंगाल की खाड़ी, जोकि मलक्का जलडमरूमध्य के लिए एक कीप (funnel) की भांति है, लगातार प्रभावशाली होते जा रहे चीन के लिए हिंद महासागर तक अपनी पहुँच बनाए रखने के लिए, एक प्रमुख थिएटर के रूप में उभरा है।
- चूंकि चीन द्वारा हिंद महासागर में पनडुब्बियों तथा जहाजों की आवाजाही में बढ़ोत्तरी सहित बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में प्रभुत्व जमाने वाली गतिविधियाँ की जा रही हैं, ऐसे में बिम्सटेक देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना भारत के हित में होगा।

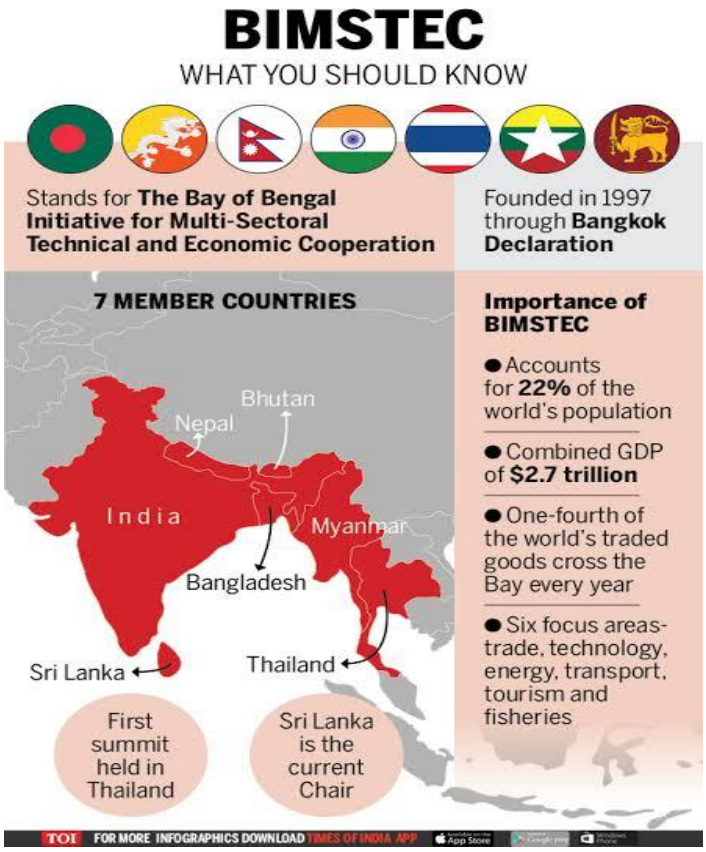

प्रीलिम्स लिंक:

1. बिमस्टेक के बारे में।
2. सदस्य देश।
3. उद्देश्य।

मेंस लिंक:

भारत के लिए बिमस्टेक के महत्व पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GEP8EHLJP.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

2. आपूर्ति श्रृंखला बेहतर बनाने संबंधी पहल (SCRI)

संदर्भ: हाल ही में, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों द्वारा औपचारिक रूप से आयोजित त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक में **'आपूर्ति श्रृंखला बेहतर बनाने संबंधी पहल'** (**Supply Chain Resilience Initiative- SCRI**) की औपचारिक शुरुआत की गई है।

SCRI के बारे में: 'आपूर्ति श्रृंखला बेहतर बनाने संबंधी पहल' (SCRI) का लक्ष्य इस क्षेत्र में अंततः मजबूत, स्थायी, संतुलित और समावेशी विकास हासिल करने की दृष्टि से आपूर्ति श्रृंखला में वृद्धि करने हेतु एक कुशल चक्र का निर्माण करना है।

- SCRI के तहत, शुरुआत में, आपूर्ति श्रृंखला की प्रत्यास्थता संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा को साझा करने, निवेश-प्रोत्साहन करने वाले कार्यक्रमों तथा हितधारकों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधता की संभावना का पता लगाने का अवसर प्रदान करने हेतु क्रेता-विक्रेता सम्मलेन कार्यक्रमों का आयोजन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इस पहल के अंतर्गत संभावित नीतिगत उपाय:

1. डिजिटल प्रौद्योगिकी के संवर्धित उपयोग का समर्थन करना और
2. व्यापार और निवेश के विविधीकरण पर जोर देना।

महत्व: 'आपूर्ति श्रृंखला बेहतर बनाने संबंधी पहल' का उद्देश्य, कोविड -19 महामारी के दौरान इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को फिर से शुरू करने की संभावनाओं के बीच चीन पर निर्भरता में कमी करना है।

- इसका उद्देश्य, आसियान-जापान आर्थिक सुनम्य कार्य योजना (Asean-Japan Economic Resilience Action Plan) और भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा भागीदारी (India-Japan Industrial Competitiveness Partnership) जैसी मौजूदा द्विपक्षीय फ्रेमवर्क का निर्माण करना और इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'आपूर्ति श्रृंखला बेहतर बनाने संबंधी पहल' के बारे में
2. प्रतिभागी
3. उद्देश्य

मेंस लिंक: 'आपूर्ति श्रृंखला बेहतर बनाने संबंधी पहल' के महत्व पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: पीआईबी

विषय:भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव; प्रवासी भारतीय।

1. संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) (The Joint Comprehensive Plan of Action)

संदर्भ: शीघ्र ही अमेरिका और ईरान, दोनों देशों द्वारा **'ईरान के परमाणु कार्यक्रम'** को सीमित करने वाले समझौते में वापस शामिल होने के लिए मध्यस्थों के माध्यम से वार्ता शुरू की जाएगी। ज्ञात हो कि, लगभग तीन वर्ष पूर्व, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया था।

संबंधित प्रकरण: राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा, वर्ष 2018 में, अमेरिका को समझौते से बाहर कर लिया गया था। इसके अलावा, उन्होंने ईरान पर प्रतिबंधों और अन्य सख्त कार्रवाइयों को लागू करके उस पर 'अधिकतम दबाव' डालने का विकल्प चुना था।

- इसकी प्रतिक्रिया में ईरान ने यूरेनियम संवर्द्धन और अपकेन्द्रण यंत्रों (Centrifuges) का निर्माण तेज कर दिया, साथ ही इस बात पर जोर देता रहा कि, उसका परमाणु विकास कार्यक्रम नागरिक उद्देश्यों के लिए है, और इसका उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।
- ईरान की कार्यवाहियों ने 'ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों' के संबंध में प्रमुख वैश्विक शक्तियों पर दबाव बढ़ा दिया, जिससे पश्चिम एशिया में अमेरिकी सहयोगियों और रणनीतिक साझेदारों के बीच तनाव में वृद्धि हुई।

'ईरान परमाणु समझौते' के बारे में:

- इसे 'संयुक्त व्यापक कार्य योजना' (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) के रूप में भी जाना जाता है।
- यह समझौता अर्थात 'संयुक्त व्यापक कार्य योजना', ईरान तथा P5 + 1 (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जर्मनी, और यूरोपीय संघ) के मध्य वर्ष 2013 से 2015 से तक चली लंबी वार्ताओं का परिणाम था।

- इस समझौते के तहत, तेहरान द्वारा, परमाणु हथियारों के सभी प्रमुख घटकों, अर्थात सेंट्रीफ्यूज, समृद्ध यूरेनियम और भारी पानी, के अपने भण्डार में महत्वपूर्ण कटौती करने पर सहमति व्यक्त की गई थी।

वर्तमान में चिंता का विषय:

- जनवरी 2020 में, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर जनरल क़ासिम सुलेमानी पर ड्रोन हमले के बाद, ईरान ने 'संयुक्त व्यापक कार्य योजना' (JCPOA) की शर्तों का पालन नहीं करने की घोषणा कर दी।
- JCPOA के भंग होने से ईरान, उत्तर कोरिया की भांति परमाणु अस्थिरता की ओर उन्मुख हो गया, जिससे इस क्षेत्र में और इसके बाहर भी महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

इस समझौते का भारत के लिए महत्व:

- ईरान पर लगे प्रतिबंध हटने से, चाबहार बंदरगाह, बंदर अब्बास पोर्ट, और क्षेत्रीय संपर्कों से जुड़ी अन्य परियोजनाओं में भारत के हितों को फिर से सजीव किया जा सकता है।
- इससे भारत को, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में चीनी उपस्थिति को बेअसर करने में मदद मिलेगी।
- अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों की बहाली से भारत को ईरान से सस्ते तेल की खरीद और ऊर्जा सुरक्षा में सहायता मिलेगी।

प्रीलिम्स लिंक:

1. JCPOA क्या है? हस्ताक्षरकर्ता
2. ईरान और उसके पड़ोसी।
3. IAEA क्या है? संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध
4. यूरेनियम संवर्धन क्या है?

मेंस लिंक:

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) पर एक टिप्पणी लिखिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GGE8EL811.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

2. 'उइघुर' कौन हैं? (Who are Uighurs?)

संदर्भ: हाल ही में, जापानी विदेश मंत्री 'तोशिमित्सु मोतेगी' (Toshimitsu Motegi) ने चीन के **उइघुर अल्पसंख्यकों** के मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में अपने चीनी समकक्ष से कड़ी चिंता व्यक्त की है।

उइगर: 'उइघुर' अथवा 'उइगर', चीन के उत्तर-पश्चिमी **शिनजियांग प्रांत में** निवास करने वाले **अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय** हैं।

- उइगर, **चीन की तुलना में तुर्की तथा अन्य मध्य एशियाई देशों से करीबी नृजातीय संबंधों का दावा करते हैं।**

चीन उइगरों को क्यों निशाना बना रहा है?

शिनजियांग तकनीकी रूप से **चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र** है। शिनजियांग, चीन का सबसे बड़ा क्षेत्र है तथा खनिजों से समृद्ध है इसके साथ ही इस **प्रांत की सीमायें भारत, पाकिस्तान, रूस और अफगानिस्तान सहित आठ देशों के साथ मिलती** है।

1. पिछले कुछ दशकों में, शिनजियांग प्रांत आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है, इसके साथ ही बड़ी संख्या में बहुसंख्यक **'हान चीनी' (Han Chinese)** इस क्षेत्र में आकर बस गए तथा बेहतर नौकरियों पर कब्जा कर लिया है। हान चीनीयों ने उइगरों के लिए आजीविका तथा पहचान के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है।

2. इन्ही कारणों से, छिटपुट हिंसा की शुरुआत हुई तथा वर्ष 2009 में शिनजियांग प्रांत की राजधानी उरुमकी में 200 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर हान चीनी थे। तब से कई अन्य हिंसक घटनाएं हुई हैं।
3. बीजिंग का कहना है कि **उइगर समुदाय एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता है** और, उइगरों के तुर्की तथा अन्य मध्य एशियाई देशों से सांस्कृतिक संबंधों के कारण, चीनी नेताओं को डर है कि पाकिस्तान जैसी जगहों से संचालित होने वाले उग्रवादी तत्व शिनजियांग में अलगाववादी आंदोलन को प्रोत्साहन व सहयोग दे सकते हैं।
4. इसलिए, चीन की नीति पूरे समुदाय को संदिग्ध मानने तथा उइगरों की अलग पहचान को समाप्त करने हेतु एक व्यवस्थित परियोजना के आरम्भ करने की प्रतीत होती है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. उइगर कौन हैं?
2. शिनजियांग कहाँ है?
3. हान चीनी कौन हैं?
4. शिनजियांग प्रांत की सीमा से लगे भारतीय राज्य।

मेंस लिंक: उइगर कौन है तथा ये समुदाय किन कारणों से चर्चा में है?

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G738EV3DD.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

3. केंद्र सरकार द्वारा इतालवी नौसैनिकों संबंधी मामला बंद करने हेतु सम्मति की मांग

संदर्भ: हाल ही में, सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय से, वर्ष 2012 में केरल तट के नजदीक दो मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ भारत में लंबित आपराधिक मुकदमों को बंद करने संबंधी आवेदन पर 'तत्काल सुनवाई करने का आग्रह' किया गया है।

पृष्ठभूमि: इतालवी जहाज एनरिका लेक्सी पर तैनात, जिरोने (Girone) और लाटोरे (Latorre) नामक दो इतालवी अधिकारियों द्वारा 'मछुआरों' को 'समुद्री डाकू' समझते हुए गोली मार कर हत्या कर दी थी।

संबंधित प्रकरण: पिछले साल अगस्त में एक वर्चुअल सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि, अदालत, पीडितो के परिवारजनों को पर्याप्त मुआवजा दिये जाने के बाद ही भारत में इतालवी नौसैनिकों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे को समाप्त करेगी।

- अदालत ने, सरकार से, मारे गए मछुआरों के परिवारों के लिए 'पर्याप्त' मुआवजा राशि देने हेतु इटली के साथ वार्ता करने के लिए भी कहा था।

सरकार का पक्ष:

आठ महीने पहले, केंद्र सरकार द्वारा शीर्ष अदालत को, इस मामले में 'स्थायी मध्यस्थता न्यायालय' (Permanent Court of Arbitration- PCA) के फैसले को 'स्वीकार करने व उसका पालन करने' संबंधी अपने निर्णय के बारे में सूचित किया गया था।

- हेग स्थित 'स्थायी मध्यस्थता न्यायालय' (PCA) ने कहा था, कि 'इतालवी नौसैनिकों पर इनके मूल देश इटली में मुकदमा चलाया जाना चाहिए'।
- सरकार ने अदालत को स्पष्ट करते हुए कहा है, कि भारत, 'संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि' (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) के तहत गठित 'मध्यस्थता अधिकरण' के फैसले के प्रति बाध्य है।
- चूंकि, भारत संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता है, अतः यह फैसला 'अंतिम' है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है।

अधिकरण का निर्णय क्या था?

- 3: 2 के नजदीकी वोट के साथ, अधिकरण ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, इतालवी नौसनिकों को 'संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि' (UNCLOS) के तहत इतालवी राज्य-अधिकारियों के रूप में राजनयिक प्रतिरक्षा हासिल थी।
- इस घटना की आपराधिक जांच फिर से शुरू करने के लिए "इटली द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धता" को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण ने कहा कि, इस मामले में, भारत को अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए।

प्रीलिम्स लिंक:

1. PCA- रचना, कार्य और सदस्य
2. UNCLOS क्या है?
3. UNCLOS के अनुच्छेद 87, 90 और 100 किससे संबंधित हैं?
4. इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी (ITLOS) के बारे में
5. NIA क्या है?
6. स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) के बारे में
7. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253

मेंस लिंक:

PCA के कार्यों और महत्व पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GGT8F6HHT.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

4. भारत और रूस S-400 मिसाइल प्रणाली सौदे के लिए प्रतिबद्ध

संदर्भ: हाल ही में, भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव (Nikolai Kudashev) द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है, कि भारत और रूस, दोनों देश S-400 मिसाइल प्रणाली सौदे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समझौते के तहत, S-400 मिसाइल प्रणाली, वर्ष के अंत तक भारत के लिए सौंपी जानी है। उन्होंने कहा कि दोनों देश, इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध करते हैं।

संबंधित प्रकरण: S-400 मिसाइल प्रणाली सौदे के कारण अमेरिका द्वारा CAATSA कानून अर्थात 'अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों को प्रतिबंधो के माध्यम से प्रत्युत्तर अधिनियम' (Countering America's Adversaries through Sanctions Act- CAATSA) के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है।

इसी प्रकार के समान सौदों पर अमेरिका, चीन और तुर्की पर पहले से ही प्रतिबंध लगा चुका है।

S-400 वायु रक्षा प्रणाली एवं भारत के लिए इसकी आवश्यकता:

- S-400 ट्रायम्फ (Triumf) रूस द्वारा डिज़ाइन की गयी एक मोबाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (surface-to-air missile system- SAM) है।
- यह विश्व में सबसे खतरनाक, आधुनिक एवं परिचालन हेतु तैनात की जाने वाली लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली SAM (MLR SAM) है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित, 'टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस' (Terminal High Altitude Area Defence - THAAD) से काफी उन्नत माना जाता है।

CAATSA क्या है?

- CAATSA अर्थात 'अमेरिकी प्रतिद्वंद्वियों को प्रतिबंधो के माध्यम से प्रत्युत्तर अधिनियम' (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act- CAATSA) का प्रमुख उद्देश्य दंडात्मक उपायों के माध्यम से ईरान, उत्तर कोरिया और रूस को प्रत्युत्तर देना है।
- इसे वर्ष 2017 में अधिनियमित किया गया था।
- इसके तहत, रूस के रक्षा और ख़ुफ़िया क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लेनदेन करने वाले देशों के खिलाफ लगाए जाने वाले प्रतिबंधो को शामिल किया गया है।

लगाये जाने वाले प्रतिबंध

1. अभिहित व्यक्ति (sanctioned person) के लिए ऋणों पर प्रतिबंध।
2. अभिहित व्यक्तियों को निर्यात करने हेतु 'निर्यात-आयात बैंक' सहायता का निषेध।
3. संयुक्त राज्य सरकार द्वारा अभिहित व्यक्ति से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर प्रतिबंध।
4. अभिहित व्यक्ति के नजदीकी लोगों को वीजा से मनाही।

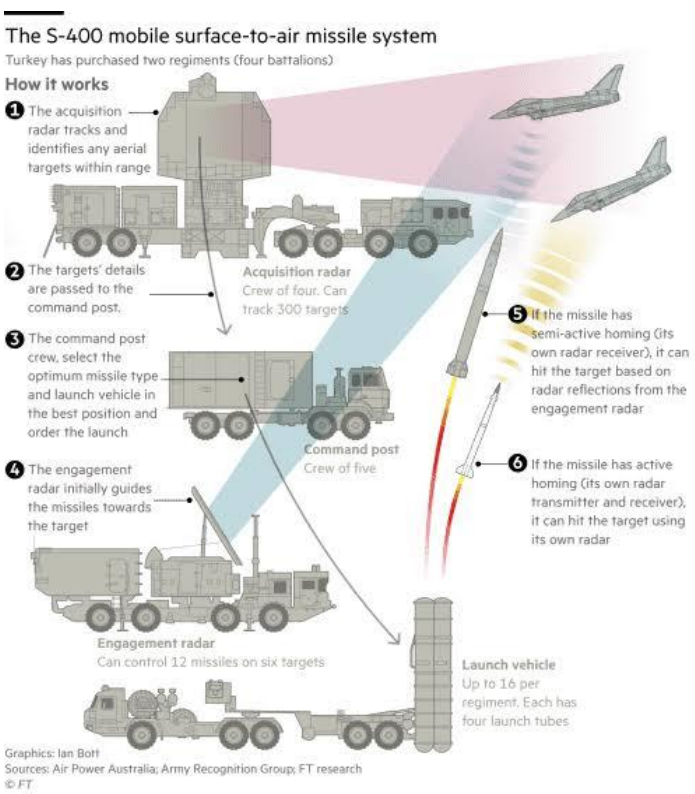

प्रीलिम्स लिंक:

1. CAATSA किससे संबंधित है?
2. CAATSA के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां।
3. लगाये जाने वाले प्रतिबंधों के प्रकार।
4. भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण रक्षा सौदे।
5. ईरान परमाणु समझौते का अवलोकन।

मेंस लिंक: CAATSA की विशेषताओं और महत्व पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू

5. भारत, अमेरिकी ट्रेजरी की मुद्रा निगरानी सूची में शामिल

प्रसंग: हाल ही में, अमेरिका ट्रेजरी द्वारा, **संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मैक्रोइकॉनॉमिक और विदेशी मुद्रा नीतियों** पर एक रिपोर्ट जारी की गई है।

- इस अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट का अप्रैल 2021 संस्करण बिडेन प्रशासन की पहली रिपोर्ट है।
- यह रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत की जाती है और अमेरिका के 20 सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा-कार्यप्रणालियों की समीक्षा करती है।

प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की समीक्षा करने हेतु तीन मानदंडों का उपयोग किया जाता है:

1. एक महत्वपूर्ण (कम से कम $ 20 बिलियन) द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष
2. एक सामग्री चालू खाता अधिशेष
3. विदेशी मुद्रा बाजारों में लगातार सतत हस्तक्षेप

नवीनतम रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

भारत, अपनी मुद्रा-कार्यप्रणालियों के संदर्भ में **'निगरानी सूची'** में शामिल 11 देशों में से एक है।

- दिसंबर 2020 में जारी रिपोर्ट में भी भारत इस सूची में शामिल था।
- भारत के अलावा इस सूची में शामिल अन्य 10 देश, चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मैक्सिको हैं।
- भारत, तीन में से दो मानदडों को पूरा करता है- "व्यापार अधिशेष" मानदंड और "निरंतर, एकतरफा हस्तक्षेप" मानदंड।

'मुद्रा-हेरफेर' / 'करंसी मैन्युपुलेशन' क्या है?

'किसी देश द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ' हासिल करने के लिए जानबूझकर अपनी मुद्रा और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर को प्रभावित करने' को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा 'मुद्रा हेरफेर' (Currency Manipulation) के रूप में परिभाषित किया जाता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. अमेरिका की 'करंसी मैन्युपुलटेर्स' सूची
2. निगरानी सूची में शामिल देश
3. मानदंड
4. निहितार्थ
5. भारत का स्थान

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GJJ8G6H4A.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

6. शिनजियांग अपराधों के लिए चीन की जांच: ह्यूमन राइट्स वॉच

संदर्भ: हाल ही में, एक अंतर्राष्ट्रीय 'ह्यूमन राइट्स वॉच' (HRW) द्वारा 'संयुक्त राष्ट्र' से चीन सरकार द्वारा शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमानों के खिलाफ किए जा रहे अपराधों के आरोपों की जांच करने की अपील की गई है।

संबंधित प्रकरण: मानवाधिकार समूह द्वारा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में 'बड़े पैमाने पर मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने, धार्मिक प्रथाओं पर कड़ी कर्रवाई तथा अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्य कार्रवाईयों संबंधी रिपोर्ट्स' का हवाला दिया गया है।

समूह ने इन कार्रवाईयों को, **'अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय'** की स्थापना करने वाले 'संधिपत्र' में परिभाषित 'मानवता के विरुद्ध अपराध' के समान बताया है।

आवश्यक कार्यवाही: चूंकि, चीन, 'रोम संविधि' (Rome Statute) पर हस्ताक्षर-कर्ता नहीं है, और इसलिए, चीनी राज्य क्षेत्र में तथाकथित किये जा रहे अपराधों पर '**अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय' (ICC)** का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है।

- चीन द्वारा, चीनी अधिकारियों के खिलाफ की जाने वाली किसी भी कार्रवाई को रोकने हेतु 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' के सदस्य के रूप में अपनी 'वीटो पॉवर' का उपयोग किया जा सकता है।
- अतः, 'संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग' (UNHRC) द्वारा आरोपों की जांच करने, अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को चिह्नित करने तथा उनको जवाबदेह ठहराने हेतु एक रोडमैप बनाने के लिए एक 'निकाय' का गठन किया जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि: विदेशी सरकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार, 1 मिलियन से अधिक लोग शिनजियांग क्षेत्र के शिविरों में कैद हैं।

- इस क्षेत्र के अधिकारियों पर बलात श्रम करवाने और जन्म-नियंत्रण लागू करने संबंधी आरोप लगाए गए है।
- चीनी सरकार द्वारा इन सब दुर्व्यवहार संबंधी शिकायतों को खारिज करते हुए कहा जाता है, कि ये शिविर, आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिए नौकरी प्रशिक्षण तथा कट्टरपंथ से निपटने हेतु बनाए गए हैं।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GCH8GH2BB.1&imageview=0.

7. 'अमेरिकी मुद्रा निगरानी सूची' नीतियों में अनुचित हस्तक्षेप है: अधिकारी

संदर्भ: भारतीय वाणिज्य सचिव अनूप वाधवान ने अमेरिकी सरकार द्वारा भारत को 'मुद्रा-हेरफेर करने वाले देशों या **'करंसी मैन्युपुलटेर्स' (Currency Manipulators) निगरानी सूची** में शामिल करने संबंधी फैसले के औचित्य पर सवाल उठाया है।

इसके अलावा, यह सूची दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए अपने अधिदेशों को पूरा करने हेतु आवश्यक नीति-विस्तार में अनुचित हस्तक्षेप करती है।

संबंधित प्रकरण: हाल ही में, अमेरिकी राजकोष विभाग (U.S. Treasury Department) ने, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा भारी मात्रा में डॉलर की गई खरीद (सकल घरेलू उत्पाद का 5% के लगभग) का हवाला देते हुए, अमेरिकी कांग्रेस में पेश की गयी 'करंसी मैन्युपुलटेर्स' निगरानी सूची में भारत को बनाए रखा है।

भारत को मुद्रा निगरानी सूची में शामिल करने का एक और कारण **20 बिलियन डॉलर या इससे अधिक का व्यापार अधिशेष** भी है।

पृष्ठभूमि: केंद्रीय बैंक के प्रमुख अधिदेशों में 'मुद्रा में स्थिरता' लाना शामिल होता है, इसके लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय करते हैं।

'मुद्रा-हेरफेर' / 'करंसी मैन्युपुलेशन' क्या है?

'किसी देश द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ' हासिल करने के लिए जानबूझकर अपनी मुद्रा और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर को प्रभावित करने' को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा '**मुद्रा हेरफेर' (Currency Manipulation)** के रूप में परिभाषित किया जाता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. अमेरिका की 'करंसी मैन्युपुलटेर्स' सूची

2. निगरानी सूची में शामिल देश
3. मानदंड
4. निहितार्थ
5. भारत का स्थान

मेंस लिंक: 'अमेरिकी मुद्रा निगरानी सूची' के संदर्भ में भारत की चिंताओं पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GN38GLAVL.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

8. 'ट्रैवल बबल'

संदर्भ: भारत में कोविड-19 मामलों में हालिया उछाल के मद्देनजर, श्रीलंका ने भारत के साथ प्रस्तावित 'यात्रा बुलबुला' अर्थात 'ट्रैवल बबल' (Travel Bubble) शुरू करने का फैसला स्थगित कर दिया है।

'ट्रैवल बबल' क्या होता है?

- 'ट्रैवल बबल' व्यवस्था के अंतर्गत, घरेलू स्तर पर नॉवेल कोरोनवायरस महामारी को नियंत्रित करने में अच्छा प्रदर्शन करने देशों या राज्यों के मध्य फिर से संपर्क स्थापित किया जाता है।
- इस प्रकार के बबल में, समूह में शामिल देशों के मध्य परस्पर व्यापार संबंधों को फिर से जोड़ने तथा यात्रा और पर्यटन जैसे किकस्टार्ट क्षेत्रों (kickstart sectors) को पुनः खोलने की सुविधा होती है।

महत्व और संभावनाएं:

विश्व भर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों के मध्य संभावित 'ट्रैवल बबल' का आकार, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 35 प्रतिशत के बराबर होगा। इस तरह की व्यवस्था छोटे देशों द्वारा विशेष रूप से पसंद की जा रही है, जिसके तहत ये देश बड़े भागीदारों के साथ फिर से व्यापार करने में सक्षम होंगे, परिणामस्वरूप इन्हें अधिक लाभ हासिल करने की संभावना होती है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'ट्रैवल बबल' क्या है?
2. 'ट्रैवल बबल' और सामाजिक बुलबुले के मध्य अंतर।
3. 'ट्रैवल बबल' के उदाहरण।

मेंस लिंक: 'ट्रैवल बबल' की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GN38GL9PC.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

9. दक्षिण चीन सागर विवाद (South China Sea dispute)

संदर्भ: फिलीपींस द्वारा समुद्री जलधारा के एक विवादित क्षेत्र में संचित तेल-भंडार पर अपना दावा जताने के लिए दक्षिण चीन सागर में सैन्य जहाजों को तैनात करने की योजना बनाई जा रही है।

पृष्ठभूमि: फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे को, फिलीपींस के दावाकृत जलक्षेत्र में चीनी गतिविधियों को लेकर, उसका सामना करने से अनिच्छा के लिए बढ़ती घरेलू आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

'दक्षिण चीन सागर' की अवस्थिति:

- दक्षिण चीन सागर, दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक भुजा है।
- यह, चीन के दक्षिण, वियतनाम के पूर्व और दक्षिण, फिलीपींस के पश्चिम और बोर्नियो द्वीप के उत्तर में अवस्थित है।

- यह, **ताइवान जलडमरूमध्य** द्वारा 'पूर्वी चीन सागर' और '**लूजॉन स्ट्रेट**' के माध्यम से 'फिलीपीन सागर' से जुड़ा हुआ है।
- **सीमावर्ती देश और भू-भाग:** जनवादी चीन गणराज्य, चीन गणराज्य (ताइवान), फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम।

सामरिक महत्व:

- 'दक्षिणी चीन सागर' अपनी अवस्थिति के कारण सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर (मलक्का जलसन्धि) के बीच संपर्क-कड़ी है।
- 'संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास अभिसमय' (**United Nations Conference on Trade And Development-UNCTAD)** के अनुसार, वैश्विक नौपरिवहन का एक-तिहाई भाग 'दक्षिणी चीन सागर' से होकर गुजरता है, जिसके द्वारा अरबों का व्यापार होता है। इस कारण भी यह एक महत्वपूर्ण भूराजनीतिक जल निकाय है।

दक्षिणी चीन सागर में अवस्थित द्वीपों पर विभिन्न देशों के दावे:

- **'पारसेल द्वीप समूह'** (Paracels Islands) पर चीन, ताइवान और वियतनाम द्वारा दावा किया जाता है।
- **स्प्रैटली द्वीप समूह' (Spratley Islands)** पर चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस द्वारा दावा किया जाता है।
- **स्कारबोरो शोल (Scarborough Shoal)** पर फिलीपींस, चीन और ताइवान द्वारा दावा किया जाता है।
- वर्ष 2010 से, चीन द्वारा निर्जन टापुओं को, 'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी' (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) के अंतर्गत लाने के लिए, कृत्रिम टापुओं में परिवर्तित किया जा रहा है। (उदाहरण के लिए, हेवन रीफ, जॉनसन साउथ रीफ और फेरी क्रॉस रीफ)।

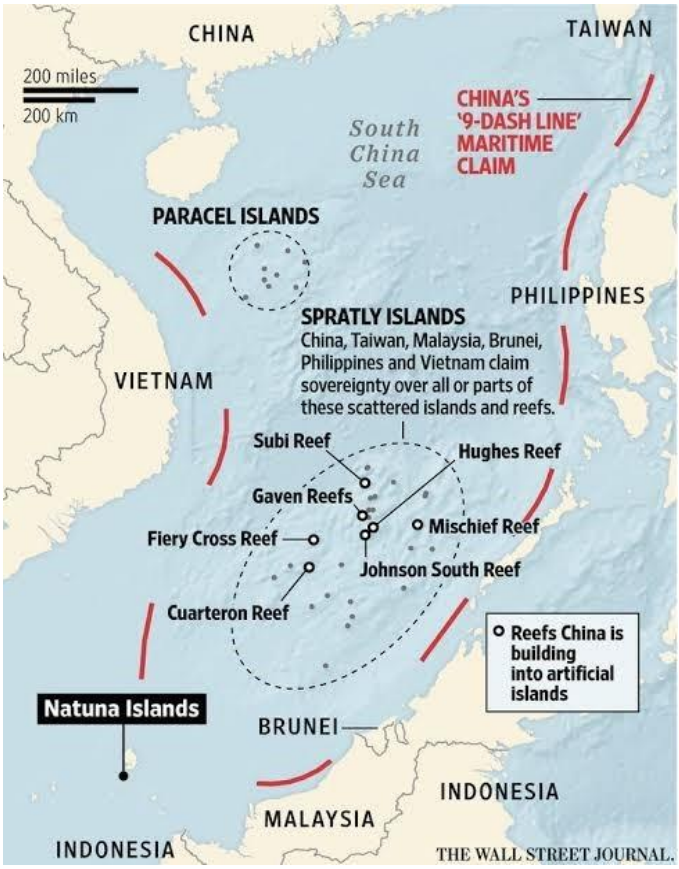

प्रीलिम्स लिंक:

1. विवाद में शामिल देश
2. नाइ-डैश लाइन क्या है?
3. इस क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण खाड़ियाँ, मार्ग एवं सागर
4. विवादित द्वीप और उनकी अवस्थिति
5. UNCLOS क्या है?
6. ताइवान स्ट्रेट और लूजॉन स्ट्रेट की अवस्थिति

मेंस लिंक: दक्षिण चीन सागर विवाद पर एक टिप्पणी लिखिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GN38GL9P6.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

10. अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की रिपोर्ट

संदर्भ: हाल ही में, 'अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग' (United States Commission on International Religious Freedom-USCIRF) द्वारा अपनी वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। USCIRF, एक स्वतंत्र, द्विस्तरीय, संघीय सरकारी आयोग है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट में कहा गया है, कि 14 देशों को "विशेष चिंताजनक देश" (Countries of Particular Concern-CPC) के रूप में अभिहित किया जाना चाहिए।
- इन देशों की सरकारे, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी 'सुनियोजित, निरंतर तथा घोर उल्लंघन करने में लिप्त रही हैं या इन्हें अनदेखा करती रही हैं। भारत भी इसमें शामिल है।

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में USCIRF की गई टिप्पणियां:

- USCIRF ने कहा है, कि इस वर्ष भारत में धार्मिक स्वतंत्रता स्थिति "अपने नकारात्मक प्रक्षेपपथ पर बनी रही"।
- सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त हिंदू राष्ट्रवादी नीतियों के परिणामस्वरूप धार्मिक स्वतंत्रता का 'सुनियोजित, निरंतर तथा घोर उल्लंघन होता रहा।
- रिपोर्ट में विशेष रूप से, धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण 'नागरिकता संशोधन अधिनियम' (CAA) के पारित किए जाने का उल्लेख किया गया है।
- रिपोर्ट में, गत वर्ष हुए दिल्ली दंगों में पुलिस की मिलीभगत होने की और इशारा किया गया है।
- इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है, कि सरकार द्वारा "बाबरी मस्जिद मस्जिद को ध्वस्त करने के आरोपी सभी व्यक्तियों को बरी कर दिया गया" तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा और हिंसा फैलाने वालों के लिए 'दण्ड मुक्ति (Impunity) की संस्कृति' के कारण होने वाली धार्मिक हिंसा से निपटने में सरकार की निष्क्रियता दिखाई।

USCIRF द्वारा की गई सिफारिशें:

- प्रशासन द्वारा 'धार्मिक स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन' करने वाले भारतीय व्यक्तियों और संस्थाओं पर नियोजित प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।
- प्रशासन द्वारा, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों, 'जैसे कि चतुर्पक्षीय क्वाड समूह के मंत्रि-स्तरीय सम्मलेन', पर अंतर-धार्मिक वार्ताओं और सभी समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देना।"
- अमेरिका-भारत द्विपक्षीय मंचो पर, मामलों पर सुनवाईयों का आयोजन करके, पत्र लिखकर तथा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का गठन करने, आदि माध्यमों से इन विषयों को उठाना चाहिए।

निहितार्थ: USCIRF की सिफारिशें गैर-बाध्यकारी होती हैं और पिछले वर्ष दिसंबर में जारी की गई रिपोर्ट में भारत को "विशेष चिंताजनक देश" (CPC) के रूप में नामित करने की सिफारिश की गई थी, जिसे ट्रम्प प्रशासन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।

अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF): अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (United States Commission on International Religious Freedom-USCIRF), एक स्वतंत्र, द्विस्तरीय, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फ़ेडरल गवर्नमेंट कमीशन/ संघीय सरकारी आयोग है।

- इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (International Religious Freedom Act- IRFA) के तहत वर्ष 1998 में की गयी थी।
- यह, विश्व में धर्म और आस्था संबंधी स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार की निगरानी करता है।
- USCIRF, वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी उल्लंघनों की निगरानी करता है, और राष्ट्रपति, विदेश सचिव और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है।

"विशेष चिंताजनक देश" (CPC) क्या हैं?

वर्ष 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (International Religious Freedom Act- IRFA) के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन करने के दोषी राष्ट्र के लिए "विशेष चिंताजनक देश" (Countries of Particular Concern-CPC) घोषित किया जाता है। 'धार्मिक स्वतंत्रता का विशेषतः घोर उल्लंघन' का तात्पर्य 'धार्मिक स्वतंत्रता का 'सुनियोजित, निरंतर तथा घोर उल्लंघन' से है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. USCIRF क्या है?
2. प्रमुख चिंता वाले देश (Countries of Particular Concern-CPC) क्या है?
3. मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में

मेंस लिंक: देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में भारतीय राजनीति कितनी सफल रही है? चर्चा कीजिए।

https://www.thehindu.com/news/international/india-should-be-a-country-of-particular-concern-for-religious-freedom-us-commission/article34379418.ece/amp/.

11. 'वैश्विक सैन्य-व्यय के रुझान' पर रिपोर्ट (Report on trends in global military expenditure)

संदर्भ: आल ही में, 'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट' (SIPRI) द्वारा वर्ष 2020 में वैश्विक सैन्य व्यय के रुझानों पर एक रिपोर्ट जारी की गई है।

प्रमुख निष्कर्ष:

1. वर्ष 2020 में, सबसे बड़े पाँच सैन्य व्यय-कर्ता क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, रूस और यूनाइटेड किंगडम थे। कुल वैश्विक सैन्य व्यय का 62 % संयुक्त रूप से इन देशों द्वारा किया गया।
2. विश्व के शीर्ष सैन्य व्यय-कर्ताओं द्वारा, महामारी के दौरान भी, वर्ष 2019 की तुलना में अधिक सैन्य-व्यय किया गया।
3. वर्ष 2020 में, अमेरिका द्वारा कुल $ 778 बिलियन, चीन द्वारा $ 252 बिलियन और भारत द्वारा 72.9 बिलियन डॉलर का सैन्य-व्यय किया गया।
4. कुल मिलाकर, पिछले वर्ष वैश्विक सैन्य-व्यय बढ़कर 1981 बिलियन डॉलर हो गया, जोकि वर्ष 2019 के सैन्य-व्यय से 2.6 प्रतिशत अधिक है।

SIPRI के बारे में: स्वीडन स्थित, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI), युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण तथा निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए समर्पित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है।

- वर्ष 1966 में, स्वीडिश संसद के एक निर्णय के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी, तथा इसके लिए स्वीडिश सरकार से वार्षिक अनुदान के रूप में, इसकी कुल निधि का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है।

- यह संस्था नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों को आँकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. SIPRI के बारे में
2. रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
3. रिपोर्ट में भारत का सैन्य-व्यय विश्लेषण

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विषय:महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच- उनकी संरचना, अधिदेश।

1. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) (International Criminal Court)

संदर्भ: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के दो शीर्ष अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है।

संबंधित प्रकरण: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) द्वारा अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों द्वारा कथित अपराधों की जांच की जा रही थी। किंतु, ट्रम्प प्रशासन अफगानिस्तान में की गई कार्रवाईयों के लिए अमेरिकियों के खिलाफ तथा फिलिस्तीनियों के खिलाफ की गई कार्रवाईयों के लिए इजरायल पर मुकदमा चलाने पर खुले आम ट्रिब्यूनल के विरुद्ध था।

आईसीसी के बारे में:अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court -ICC) **हेग, नीदरलैंड में स्थित** है। यह नरसंहार, युद्ध अपराधों तथा मानवता के खिलाफ अपराधों के अभियोजन के लिए अंतिम न्यायालय है।

- आईसीसी, विश्व का प्रथम स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय समुदायों के प्रति गंभीर अपराधों के दोषी अपराधियों पर मुकदमा चलाने तथा उन्हें सजा देने के लिए की गयी है।
- इसकी स्थापना 'रोम संविधि' (Rome Statute) के अंतर्गत की गयी, और यह कानून, 1 जुलाई 2002 को लागू हुआ।

वित्तीयन (Funding): न्यायालय का व्यय, मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा पूरा किया जाता है, हालांकि इसे सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी व्यक्तियों, निगमों तथा अन्य संस्थाओं से स्वैच्छिक योगदान भी प्राप्त होता है।

संरचना और मतदान शक्ति:

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के प्रबंधन, विधायी निकाय तथा सदस्य सभा में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि शामिल होता है।

ICJ vs. ICC

	International Court of Justice (ICJ) La Cour Internationale de Justice (CIJ)	International Criminal Court (ICC) La Cour pénale internationale (CPI)
Year Court Established	1946	2002
UN-Relationship	Official court of the U.N., commonly referred to as the "World Court."	Independent. May receive case referrals from the UN Security Council.
Location	The Hague, The Netherlands	The Hague, The Netherlands
Types of Cases	Contentious between parties & Advisory opinions	Criminal prosecution of individuals
Subject Matter	Sovereignty, boundary, & maritime disputes, trade, natural resources, human rights, treaty violations, treaty interpretation, and more.	Genocide, crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression
Funding	UN-funded.	Assessed contribution from state parties to the Rome Statute; voluntary contributions from the U.N.; voluntary contributions from governments, international organizations, individuals, corporations and other entities.

- प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है तथा सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए "हर संभव प्रयास" किया जाता है। किसी विषय पर सर्वसम्मति नहीं होने पर वोटिंग द्वारा निर्णय किया जाता है।
- आईसीसी में एक अध्यक्ष तथा दो उपाध्यक्ष होते है, इनका चुनाव सदस्यों द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिएकिया जाता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. ICJ और ICC के मध्य अंतर
2. इन संगठनों की भौगोलिक अवस्थिति
3. रोम संविधि क्या है?
4. आईसीसी के आदेश।
5. जब इसके आदेश लागू नहीं किए जाते हैं तो क्या होता है?

मेंस लिंक: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर एक टिप्पणी लिखिए।

स्रोत: द हिंदू

2. उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) (North Atlantic Treaty Organization)

संदर्भ: यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने, हाल ही में, नाटो (NATO) से उनके देश को गठबंधन की सदस्यता प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है, कि रूस समर्थक अलगाववादियों के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने का यही एकमात्र तरीका है।

पृष्ठभूमि: पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में, जहाँ मुख्यतः रूसी-भाषी आबादी की संख्या अधिक है, वर्ष 2014 से सरकारी बलों तथा अलगाववादियों के मध्य लड़ाई जारी है, तथा इस क्षेत्र में इस संघर्ष के और तीव्र होने की आशंका बढ़ती जा रही है। वर्ष 2014 में मास्को ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर अपना कब्ज़ा कर लिया था।

'उत्तर अटलांटिक संधि संगठन' (नाटो) के बारे में:

- यह एक '**अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन**' है।
- **'वाशिंगटन संधि'** द्वारा स्थापित किया गया था।
- इस संधि पर **4** अप्रैल **1949** को हस्ताक्षर किए गए थे।
- **मुख्यालय** - ब्रुसेल्स, बेल्जियम।
- **मित्र राष्ट्रों का 'कमान संचालन मुख्यालय'** - मॉन्स (Mons), बेल्जियम।

महत्व: नाटो, एक 'सामूहिक रक्षा प्रणाली' का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत इसके स्वतंत्र सदस्य राष्ट्र, किसी भी बाहरी हमले के जवाब में परस्पर प्रतिरक्षा हेतु सहमत होते हैं।

संरचना: नाटो की स्थापना के बाद से, गठबंधन में नए सदस्य देश शामिल होते रहें है।

- शुरुआत में, नाटो गठबंधन में 12 राष्ट्र शामिल थे, बाद में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है।
- नाटो गठबंधन में शामिल होने वाला सबसे अंतिम देश 'उत्तरी मकदूनिया' था, उसे 27 मार्च 2020 को शामिल किया गया था।
- नाटो की सदस्यता, 'इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने में योगदान करने में सक्षम किसी भी 'यूरोपीय राष्ट्र' के लिए खुली है'।

राजनीतिक उद्देश्य: नाटो, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, और सदस्य देशों के लिए, समस्याओं का समाधान करने, विश्वास का निर्माण करने तथा दीर्घ-काल में संघर्ष रोकथाम हेतु रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है।

सामरिक उद्देश्य - नाटो, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजनयिक प्रयास विफल होने की स्थिति में, नाटो, के पास संकट-प्रबंधन कार्रवाई करने हेतु सैन्य शक्ति उपलब्ध है। ये सैन्य-कार्रवाई, नाटो की संस्थापक संधि के **'सामूहिक रक्षा अनुच्छेद'- वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5** अथवा संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत, अकेले या अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से- के अंतर्गत की जाती है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. नाटो- स्थापना एवं मुख्यालय
2. नाटो 'एलाइड कमांड ऑपरेशन' क्या है?
3. 'नाटो' का सदस्य बनने हेतु शर्ते?
4. वाशिंगटन संधि का अवलोकन।
5. 'उत्तरी अटलांटिक महासागर' के आसपास के देश।
6. नाटो में शामिल होने वाला अंतिम सदस्य।

मेंस लिंक:

नाटो के उद्देश्यों और महत्व पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GP98F2EHB.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

3. नौवहन कार्यवाही की स्वतंत्रता (FONOP) (Freedom of Navigation Operation)

संदर्भ: हाल ही में, अमेरिकी नौसेना ने सार्वजनिक रूप जारी एक बयान में कहा है, कि उसने, इसी सप्ताह की शुरुआती दिनों में भारत के 'विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र' (Exclusive Economic Zone- EEZ) में लक्षद्वीप के निकट, जानबूझ कर, नई दिल्ली की पूर्व सहमति के बिना, 'नौवहन स्वतंत्रता कार्यवाही' अर्थात 'फ्रीडम ऑफ़ नैविगेशन ऑपरेशन' (FONOP) को अंजाम दिया है।

अमेरिका ने दावा किया है, कि भारत के समुद्री कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून- 'संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि' (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) - के अनुरूप नहीं है। भारत ने अमेरिका के इस दावे को खारिज करते हुए इस फैसले का विरोध किया है ।

पृष्ठभूमि: भारत के समुद्री कानून के अनुसार, किसी भी देश को उसके 'विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र' (EEZ) में सैन्य अभ्यास करने से पहले उसकी सहमति लेना आवश्यक है।

- हालांकि किसी देश की, अपने तट से 12 समुद्री मील की दूरी तक क्षेत्रीय-जल पर 'पूर्ण संप्रभुता' होती है, किंतु उसके लिए, आधाररेखा से 200 समुद्री मील तक विस्तारित 'विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र' में केवल समुद्री संसाधनों की खोज और उपयोग संबंधी विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं।

संबंधित प्रकरण: अमेरिका का कहना है, कि, भारत की पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता, अंतरराष्ट्रीय कानूनों और 'फ्रीडम ऑफ़ नैविगेशन ऑपरेशन' (FONOP) से असंगत है।

भारत, चीन और कई अन्य देशों के विपरीत, **अमेरिका द्वारा 'संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि' (UNCLOS) की अभिपुष्टि नहीं की गई है।** तथा अमेरिका, चीन के आक्रामक क्षेत्रीय दावों को चुनौती देने के लिए विवादित दक्षिण

चीन सागर तथा हिंद महासागर क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में, नियमित रूप से 'फ्रीडम ऑफ़ नैविगेशन ऑपरेशन' (FONOP) करता रहता है।

वर्तमान में चिंता का विषय:

ऐसे समय में जब अमेरिका द्वारा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ एक 'विश्वसनीय निवारण' तैयार करने हेतु 'क्वाड' तथा अन्य तंत्रों के माध्यम से भारत का नजदीकी सहयोग हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है, तब भारत के 'विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र' में अमेरिका द्वारा 'फ्रीडम ऑफ़ नैविगेशन ऑपरेशन' की 'आक्रामक रूप से सार्वजनिक घोषणा का लहजा और तेवर' भारतीय सुरक्षा संस्थानों के कान खड़े करता है।

'फ्रीडम ऑफ़ नैविगेशन ऑपरेशन' क्या है?

'नौवहन स्वतंत्रता कार्यवाही' अर्थात 'फ्रीडम ऑफ़ नैविगेशन ऑपरेशन' (FONOP) में अमेरिकी नौसेना द्वारा तटवर्ती देशों के विशिष्ट क्षेत्रों के जल में मार्ग बनाना शामिल है।

- अमेरिकी रक्षा विभाग (DoD) के अनुसार, 'नौवहन स्वतंत्रता' अर्थात फ्रीडम ऑफ़ नैविगेशन' (FON) कार्यक्रम 40 वर्षों से अस्तित्व में है, और 'विश्वभर में इसके नौवहन और हवाई मार्ग संबंधी अधिकारों तथा स्वतंत्रता का दावा करने और इनका प्रयोग करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति को लगातार पुष्टि करता रहता है।'
- इस प्रकार के अभिकथन इस बात का संकेत देते हैं, कि संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य देशों के अत्यधिक समुद्री दावों को चुपचाप स्वीकार नहीं करता है, और इस प्रकार, यह, इन देशों द्वारा किए गए दावों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्वीकार किए जाने से रोक देता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. UNCLOS क्या है?
2. EEZ क्या है?
3. FONOP के बारे में

मेंस लिंक: विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के महत्व पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GUG8FEF3F.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

4. बाजार में जीवित वन्य स्तनधारी जीवों की बिक्री पर रोक लगाने का आग्रह

संदर्भ:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (World Organisation for Animal Health / OIE) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme- UNEP) द्वारा कोविड-19 जैसी नई बीमारियों के पैदा होने से रोकने हेतु **खाद्य बाजारों** में जीवित वन्य स्तनधारियों की बिक्री को रोकने का आह्वान किया गया है।

आवश्यकता:

चूंकि, पारंपरिक बाजार, बड़ी आबादी के लिए भोजन और आजीविका प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, जीवित वन्य स्तनधारियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से बाजार में काम करने वाले श्रमिकों और ग्राहकों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है।

- जीव, विशेष रूप से वन्य जीव, मनुष्यों में होने वाले सभी संक्रामक रोगों के 70% से अधिक रोगों का स्रोत होता है, जिसमे से अधिकाँश नए विषाणुओं के कारण होते हैं। वन्य स्तनधारियों से, विशेष रूप से नई बीमारियों के होने का खतरा होता है।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (World Organisation for Animal Health / OIE) के बारे में:

वैश्विक स्तर पर पशु रोगों से निपटने की जरूरत के मद्देनजर 25 जनवरी 1924 को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए जिसके तहत **'द ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपीज़ूटीज़'** (**the Office International des Epizooties-OIE**) का गठन किया गया था।

- मई 2003 में इस संस्था का नाम 'विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (World Organisation for Animal Health) कर दिया गया, किंतु 'संक्षिप्त' रूप में इसके 'OIE' नाम का प्रयोग जारी रहा।
- 'OIE' विश्व भर में पशु स्वास्थ्य से संबंधित सुधारों के लिए जिम्मेदार अंतर सरकारी संगठन है।
- इसे विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा एक संदर्भ संगठन (**Reference Organisation**) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यह संगठन, सभी सदस्य देशों की सरकारों द्वारा नामित प्रतिनिधियों की **विश्व प्रतिनिधि सभा** के अधिकार और नियंत्रण में कार्य करता है।
- 'ओआईई' का मुख्य उद्देश्य 'जंतुमारी' / एपिज़ूटिक (epizootic) बीमारियों को नियंत्रित करना और उनके प्रसार को रोकना है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. WTO के बारे में
2. OIE के बारे में
3. लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार का प्रशासन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय।

मेंस लिंक: कोविड-19 जैसी नई बीमारियों के पैदा होने से रोकने हेतु खाद्य बाजारों में जीवित वन्य स्तनधारियों की बिक्री को रोकने की आवश्यकता क्यों है? चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G4M8FS6GH.1&imageview=0.

5. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) संधि

संदर्भ: हाल ही में, सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने कहा है, कि उन्हें उम्मीद है कि भारत 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) जैसे क्षेत्रीय व्यापारिक समझौतों पर अपने दृष्टिकोण का 'पुनर्मूल्यांकन' करेगा। ज्ञातव्य है कि भारत, वर्ष 2019 में 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' समझौते से अलग हो गया था।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में भारत की मौजूदगी की आवश्यकता:

- बढ़ती हुई वैश्विक अस्थिरता के दौर में एक समावेशी संरचना का निर्माण करने हेतु क्षेत्र की सहायता करने में भारत को 'एक महत्वपूर्ण भूमिका' अदा करनी थी।
- इस प्रकार के व्यापारिक समझौते, भारतीय कंपनियों को बड़े बाजारों में भी अपनी ताकत दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।
- इसके अलावा, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता हुआ तनाव, क्षेत्र के लिए 'गंभीर चिंता' का विषय है, जोकि महामारी के कारण और भी सघन हो गया है।

RCEP क्या है?

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP), विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता है, जिसमे चीन, जापान ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और आसियान (ASEAN) के दस देश, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया,

इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार और फिलीपींस शामिल है। यह नवंबर 2020 में लागू हुआ था तथा इसमें भारत शामिल नहीं है।

RCEP के लक्ष्य और उद्देश्य:

1. उभरती अर्थव्यवस्थाओं को विश्व के शेष भागों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करने हेतु टैरिफ कम करना, तथा सेवा क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना।
2. कंपनियों के लिए समय और लागत की बचत करने हेतु ब्लॉक के सदस्य देशों में भिन्न-भिन्न औपचारिकताओं को पूरा किये बिना किसी उत्पाद के निर्यात करने की सुविधा प्रदान करना।
3. इस समझौते में बौद्धिक संपदा संबंधी पहलुओं को शामिल किया गया है, किंतु इसमें पर्यावरण संरक्षण और श्रम अधिकारों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

RCEP में भारत क्यों शामिल नहीं हुआ?

भारत, 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी' (RCEP) से मुख्यतः चीन द्वारा उत्पादित सस्ते सामान के देश में प्रवेश करने संबंधी चिंताओं के कारण अलग हो गया था। चीन के साथ भारत का व्यापार असंतुलन पहले से काफी अधिक है। इसके अलावा, यह समझौता सेवाओं को पर्याप्त रूप से खुला रखने में विफल रहा था।

प्रीलिम्स लिंक:

1. RCEP - संरचना और उद्देश्य
2. आसियान देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते
3. आसियान देशों की भौगोलिक अवस्थिति
4. RCEP के लक्ष्य और उद्देश्य

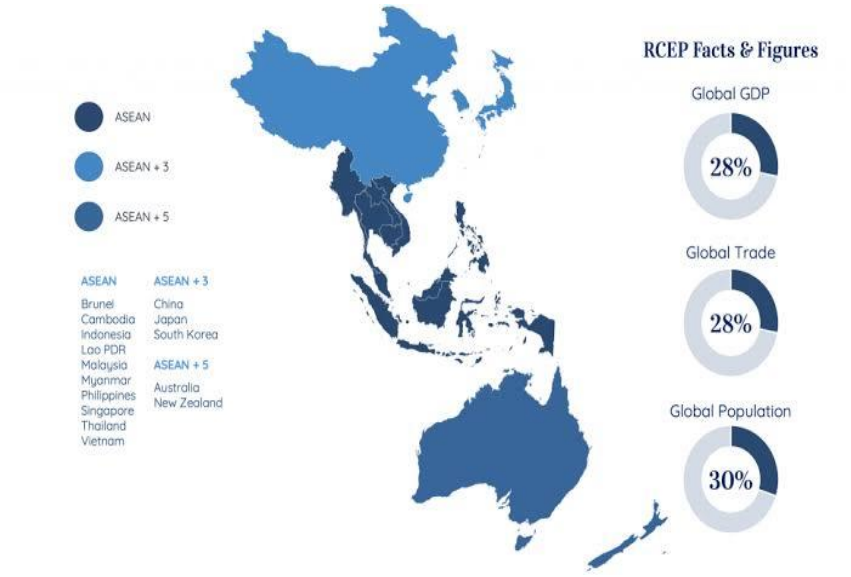

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GCT8FUUKN.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

6. नाटो भी अमेरिका के साथ अफगानिस्तान से वापस

संदर्भ: हाल ही में, 'उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन' (NATO) द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, 11 सितंबर तक अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से होने वाली वापसी के साथ ही नाटो कमांड के अधीन तैनात विदेशी सैनिक भी अफगानिस्तान से वापस चले जाएंगे।

वापसी के बाद, अमेरिका और नाटो का लक्ष्य अफगानिस्तान को सुरक्षा के लिए अफगानी सेना और पुलिस बलों पर निर्भर करना है, जिसे उन्होंने अरबों डॉलर व्यय करके विकसित किया है। हालांकि वर्तमान में, अफगानिस्तान में शांति वार्ताएं कोशिशों के दौर से गुजर रही हैं और अक्सर छिटपुट विद्रोह की घटनाएँ होती रहती हैं।

पृष्ठभूमि: 11 सितंबर एक काफी प्रतीकात्मक तारीख है। इस दिन, 20 वर्ष पूर्व अल-कायदा द्वारा विमान अपहरण करके अमेरिका पर हमला किया गया था, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया था।

'उत्तर अटलांटिक संधि संगठन' (नाटो) के बारे में:

- यह एक 'अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन' है।
- 'वाशिंगटन संधि' द्वारा स्थापित किया गया था।
- इस संधि पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे।
- मुख्यालय - ब्रुसेल्स, बेल्जियम।
- मित्र राष्ट्रों का 'कमान संचालन मुख्यालय' - मॉन्स (Mons), बेल्जियम।

संरचना: नाटो की स्थापना के बाद से, गठबंधन में नए सदस्य देश शामिल होते रहें है। शुरुआत में, नाटो गठबंधन में 12 राष्ट्र शामिल थे, बाद में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है।

- नाटो गठबंधन में शामिल होने वाला सबसे अंतिम देश 'उत्तरी मकदूनिया' था, उसे 27 मार्च 2020 को शामिल किया गया था।
- नाटो की सदस्यता, 'इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने में योगदान करने में सक्षम किसी भी 'यूरोपीय राष्ट्र' के लिए खुली है'।

उद्देश्य:

राजनीतिक: नाटो, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, और सदस्य देशों के लिए, समस्याओं का समाधान करने, विश्वास का निर्माण करने तथा दीर्घ-काल में संघर्ष रोकथाम हेतु रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है।

सामरिक- नाटो, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजनयिक प्रयास विफल होने की स्थिति में, नाटो, के पास संकट-प्रबंधन कार्रवाई करने हेतु सैन्य शक्ति उपलब्ध है। ये सैन्य-कार्रवाई, नाटो की संस्थापक संधि के **'सामूहिक रक्षा अनुच्छेद'- वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5** अथवा संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत, अकेले या अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से- के अंतर्गत की जाती है।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GCT8FUUI2.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

7. कुलभूषण जाधव प्रकरण

संदर्भ: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पाकिस्तान के विदेश विभाग से '**अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' (International Court of Justice- ICJ)** के फैसले को लागू करने हेतु 'कुलभूषण जाधव' मामले पर सुनवाई करने के संबंध में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में भारत की 'गलतफहमी' को दूर करने को कहा है।

संबंधित प्रकरण: अप्रैल 2017 में एक 50 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी।

- भारत ने जाधव के लिए वकील उपलब्ध कराने पर रोक लगाने तथा 'मौत की सजा' को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ '**अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' (ICJ)** में अपील की।
- 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' ने जुलाई 2019 में इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि, पाकिस्तान, जाधव की दोष-सिद्धि तथा सुनाई गयी सजा की प्रभावी समीक्षा तथा पुनर्विचार करे तथा बिना देरी किए भारत के लिए जाधव को वकील की सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करे।

- 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' ने अपने 2019 के फैसले में पाकिस्तान से सैन्य अदालत द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी को दी गई सजा के खिलाफ अपील के लिए उचित मंच प्रदान करने के लिए भी कहा था।

'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां:

- पाकिस्तान सेना द्वारा जाधव को हिरासत में लेने के तुरंत बाद उसकी गिरफ्तारी के बारे में भारत को सूचित नहीं करने पर इस्लामाबाद ने 'वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस' (Vienna Convention on Consular Relations) के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है।
- भारत को जाधव से संपर्क करने और हिरासत के दौरान उससे मिलने तथा उसके लिए कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के अधिकार से वंचित किया गया है।

'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' (ICJ) के बारे में:

- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' (International Court of Justice- ICJ)** की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के एक चार्टर द्वारा की गई थी और इसके द्वारा अप्रैल 1946 में कार्य आरंभ किया गया था।
- यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है तथा हेग (नीदरलैंड) के पीस पैलेस में स्थित है।
- यह, संयुक्त युक्त राष्ट्र के छह प्रमुख संस्थानों के विपरीत एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है।
- यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा इसके लिए निर्दिष्ट किये गए कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है।

संरचना: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ वर्ष के कार्यकाल हेतु चुना जाता है। ये दोनों संस्थाएं एक ही समय पर, लेकिन अलग-अलग मतदान करती हैं।

- न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित होने के लिये किसी उम्मीदवार को दोनों संस्थाओं में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिये।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय की कुल संख्या के एक-तिहाई सदस्य, प्रति तीन साल में चुने जाते हैं और ये सदस्य न्यायाधीश के रूप में पुन: निर्वाचित होने के पात्र होते हैं।
- 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' के लिए एक लेखागार (रजिस्ट्री), जोकि उसका स्थायी प्रशासनिक सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अंग्रेज़ी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषाएँ हैं।

'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' के 15 न्यायाधीश निम्नलिखित क्षेत्रों से चुने जाते हैं:

1. अफ्रीका से तीन
2. लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से दो
3. एशिया से तीन
4. पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से पाँच
5. पूर्वी यूरोप से दो

न्यायाधीशों की स्वतंत्रता: अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अन्य निकायों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते है। न्यायालय के सदस्य स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं, अपने कर्तव्यों की शपथ लेने से पूर्व,

जिनका पहला काम खुली अदालत में यह घोषणा करना होता है, कि वे अपनी शक्तियों का निष्पक्षता और शुद्ध अंतःकरण से उपयोग करेंगे।

अधिकार क्षेत्र और कार्य:

- 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' **दोहरे अधिकार क्षेत्र** सहित एक 'विश्व न्यायालय' के रूप में कार्य करता है अर्थात् देशों के मध्य कानूनी विवादों का निपटारा करना (विवादास्पद मामले), जिनके लिए पक्षकार देशों द्वारा अदालत में लाया जाता है, तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा उसके लिए निर्दिष्ट किये गए कानूनी प्रश्नों पर सलाह प्रदान करना (सलाहकार कार्यवाही)।
- केवल संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश तथा 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' अधिनियम के पक्षकार देश अथवा विशेष शर्तों के तहत 'न्यायालय' के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने वाले देश ही 'विवादास्पद मामलों' (**Contentious Cases**) के निपटान हेतु 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' में पक्षकार हो सकते हैं।
- 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' का निर्णय अंतिम और पक्षकार देशों के लिए बाध्यकारी होता है, तथा इसके फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है (ज्यादा से ज्यादा, इसके फैसले की, मामले से संबंधित किसी नए तथ्य की खोज पर फिर से व्याख्या की जा सकती है)।

प्रीलिम्स लिंक:

1. ICJ और ICC के बीच अंतर।
2. इन संगठनों की भौगोलिक अवस्थिति स्थिति और आसपास के देशों का अवलोकन।
3. यूएस और तालिबान के बीच दोहा समझौता।
4. रोम संविधि क्या है?

मेंस लिंक: 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' (ICJ) पर एक टिप्पणी लिखिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G7J8G32VQ.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

8. अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरातत्व स्थल दिवस

संदर्भ: प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 18 अप्रैल को 'अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरातत्व स्थल दिवस' (International Day for Monuments and Sites) के रूप में घोषित किया गया है।

- कई देशों में इस दिन को **'विश्व विरासत दिवस' (World Heritage Day)** के रूप में भी मनाया जाता है।
- **इस वर्ष के 'विश्व विरासत दिवस' का विषय है:** "मिश्रित भूत: विविधतापूर्ण भविष्य" (Complex Pasts: Diverse Futures)।
- वैश्विक स्तर पर, इस दिवस को **'अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद' (International Council on Monuments and Sites- ICOMOS)** द्वारा आयोजित किया जाता है।

'विश्व विरासत स्थल' क्या है?

- ये संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO) अर्थात यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्थल होते हैं। विश्व धरोहर के रूप में वर्गीकृत स्थलों को, यूनेस्को मानवता के लिए महत्वपूर्ण मानता हैं, क्योंकि ये स्थल सांस्कृतिक और भौतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं।
- विश्व धरोहर स्थलों की सूची, यूनेस्को की 'विश्व विरासत समिति' द्वारा प्रशासित 'अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम' द्वारा तैयार की जाती है। इस समिति में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्वाचित यूनेस्को के 21 सदस्य देश शामिल होते है।

- प्रत्येक विश्व धरोहर स्थल, जहाँ वह अवस्थित होता है, उस देश के वैधानिक क्षेत्र का भाग होता है तथा यूनेस्को द्वारा इसके संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में माना जाता है।

'विश्व विरासत स्थल' के लिए अर्हता:

विश्व विरासत स्थल के रूप में चयनित होने के लिए, किसी स्थल को पहले से ही भौगोलिक एवं ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट, सांस्कृतिक या भौतिक महत्व वाले स्थल के रूप में अद्वितीय, विशिष्ट स्थल चिह्न अथवा प्रतीक के रूप में वर्गीकृत होना चाहिए।

भारत में विश्व विरासत स्थल:

पूरे विश्व में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 1121 विश्व धरोहर स्थलों में से, 38 विश्व विरासत संपत्तियां **38 विश्व विरासत परिसंपत्तियां** भारत में अवस्थित है।

- इनमें से 30 धरोहर स्थलों को 'सांस्कृतिक' तथा 7 को 'प्राकृतिक विरासत स्थलों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, एक विरासत स्थल "खांग्चेंडज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान" (Khangchendzonga National Park) को 'मिश्रित' विरासत स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- वर्ष 2019 में, 'जयपुर सिटी', भारत के विश्व धरोहर स्थलों की 'सांस्कृतिक' सूची के तहत 38 वाँ विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
- अब तक, भारत की तुलना में केवल चीन, इटली, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस की विश्व विरासत सूचियों में अधिक स्थान शामिल हैं।

प्रीलिम्स लिंक:

1. किसी स्थल को 'विश्व विरासत स्थल' किसके द्वारा घोषित किया जाता है?
2. संकटग्रस्त सूची क्या है?
3. संभावित सूची क्या है?
4. भारत में 'विश्व विरासत स्थल' और उनकी अवस्थिति

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

10. बोआओ फोरम (Boao Forum)

संदर्भ: हाल ही में, दक्षिण चीन में हाइनान प्रांत के 'बोआओ' में **'बोआओ फोरम फॉर एशिया' (Boao Forum for Asia- BFA)** वार्षिक सम्मलेन 2021 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था।

- इस वर्ष के सम्मेलन में 60 से अधिक देशों और क्षेत्रों के 2,600 से अधिक मेहमानों ने भाग लिया।
- **विषय:** "ए वर्ल्ड इन चेंज: ज्वाइन हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन।"

कार्यक्रम के दौरान, **बोआओ फोरम फॉर एशिया' (BFA)** द्वारा **एशियाई अर्थव्यवस्था पर एक वार्षिक रिपोर्ट** जारी की गई।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित है:

- 'क्रय शक्ति समता' (Purchasing Power Parity) के संदर्भ में, वर्ष 2020 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में, एशिया की सामूहिक रूप से हिस्सेदारी 47.3 प्रतिशत तक पहुँच गई, और यह वर्ष 2019 की हिस्सेदारी से 0.9 प्रतिशत अधिक रही। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एशिया की बढ़ती भूमिका का संकेत है।

- सभी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का त्वरण गति से आर्थिक एकीकरण हो रहा है। फरवरी 2021 तक, एशिया के भीतर और बाहर 186 क्षेत्रीय व्यापार समझौते हो चुके थे, जोकि विश्व के कुल क्षेत्रीय समझौतों का 54.9 प्रतिशत है।
- विशेष रूप से, नवंबर 2020 में हस्ताक्षरित '**क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते' (RCEP)** से क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक विकास की गति सशक्त एवं तीव्र हुई है। इस समझौते से एशिया में मुक्त व्यापार समझौतों संबंधी वार्ताओं को तीव्र करने हेतु नया प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

'बोआओ फोरम' के बारे में:

- बोआओ फोरम फॉर एशिया' (BFA) की शुरुआत वर्ष 2001 में 25 एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी। वर्ष 2006 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 28 हो गई।
- यह एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- यह, एशिया और विश्व में राजनीतिक, व्यापारिक और शैक्षणिक नेताओं के लिए एक उच्च स्तरीय मंच प्रदान करता है।
- इसका गठन, दावोस, स्विट्जरलैंड में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 'विश्व आर्थिक मंच' के मॉडल पर किया गया है।
- यह फोरम, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और एशियाई देशों को अपने विकास लक्ष्यों के नजदीक लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इस मंच ने, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, सामूहिक विकास और अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण एशिया के निर्माण में सकारात्मक योगदान किया है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. बोआओ फोरम के बारे में
2. प्रतिभागी
3. उद्देश्य

मेंस लिंक: बोआओ फोरम फॉर एशिया' (BFA) के महत्व पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GN38GL9PI.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

11. 'ग्लोबल यूथ मोबलाइज़ेशन लोकल सॉल्यूशंस' अभियान (Global Youth Mobilization Local Solutions campaign)

संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं तथा और युवा संगठनों द्वारा एक साथ मिलकर एक अनोखा अभियान शुरू किया गया है, जिसमें, नॉवेल कोरोनोवायरस बीमारी (COVID-19) महामारी से प्रभावित युवाओं की जिंदगियों को फिर से पटरी पर लाने के लिए विश्व भर से युवाओं को शामिल किया जाएगा।

'ग्लोबल यूथ मोबलाइज़ेशन लोकल सॉल्यूशंस' अभियान के बारे में:

- इस अभियान की शुरुआत 19 अप्रैल, 2021 को की गई है।
- इस अभियान का उद्देश्य महामारी से प्रभावित समुदायों में युवाओं को जीवन के पुनर्निर्माण हेतु नवप्रवर्तनशील कार्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इसके तहत, आरंभ में $ 500 से $ 5,000 की सहायता के रूप में कुल $ 2 मिलियन (लगभग 15 करोड़ रुपये) की राशि चार स्तरों में उपलब्ध कराई जाएगी तथा एक "उत्प्रेरक" कार्यक्रम द्वारा सर्वाधिक आशाजनक समाधानों का आकलन किया जाएगा तथा, आगामी महीनों में अधिक धन जुटा कर उन्हें दोहराया जाएगा।

इस अभियान में विश्व के छह सबसे बड़े युवा संगठनों द्वारा सहयोग किया जा रहा है:

1. वर्ल्ड अलायन्स ऑफ़ यंग मैन'स क्रिस्चियन एसोसिएशन
2. विश्व युवा महिला क्रिश्चियन एसोसिएशन
3. स्काउट मूवमेंट का विश्व संगठन
4. वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स
5. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज
6. ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग इंटरनेशनल अवार्ड

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'ग्लोबल यूथ मोबलाइज़ेशन लोकल सॉल्यूशंस' अभियान के बारे में।
2. उद्देश्य
3. किसके द्वारा शुरू किया गया है?

मेंस लिंक: 'ग्लोबल यूथ मोबलाइज़ेशन लोकल सॉल्यूशंस' अभियान की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करें।

https://www.downtoearth.org.in/news/health/un-drives-campaign-for-youth-as-covid-19-pandemic-ups-anxiety-among-90--76583.

स्रोत: डाउन टू अर्थ

11. 'कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स' का पाँचवाँ सत्र

संदर्भ: हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा 'मसालों और 'मसालों और पाक-कला में काम आने वाली जड़ी-बूटियों' पर कोडेक्स समिति' (Codex Committee on Spices and Culinary Herbs-CCSCH) के पाँचवें सत्र का उद्घाटन किया गया।

'कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स' (CCSCH) का गठन कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन (Codex Alimentarius Commission) के अंतर्गत किया गया है।

'कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स' (CCSCH) के बारे में:

वर्ष 2013 में गठन किया गया।

- इसका मुख्य कार्य, 'मसालों और पाक-कला में काम आने वाली जड़ी-बूटियों' के सूखे हुए, निर्जलित साबुत अवस्था, पिसे, टूटे एवं कुटे हुए, प्रकारों के लिए वैश्विक मानकों का विकास एवं प्रचार करना है।
- यह, आवश्यकता पड़ने पर, इन मसालों एवं जड़ी-बूटियों का प्रतिरूपण करने से बचाव हेतु मानकों के विकास की प्रक्रिया में अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ परामर्श भी करेगी।
- इस कमिटी के सत्रों का आयोजन भारत की मेजबानी में किया गया, तथा इसके लिए मसाला बोर्ड (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा इस आयोजन के लिए सचिवालय के रूप दायित्व निभाया गया था।

'कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन' (CAC) के बारे में:

'कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन' (Codex Alimentarius Commission-CAC), संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है।

- इसकी स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी।
- CAC का सचिवालय, रोम में स्थित 'खाद्य एवं कृषि संगठन' (FAO) मुख्यालय से कार्य करता है।
- इसका गठन, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये किया गया था।

- 'कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन' वर्ष में एक बार, जिनेवा और रोम में, बारी-बारी से, नियमित बैठकें करता है।
- वर्तमान में, इसमें 189 कोडेक्स सदस्य शामिल हैं।

कोडेक्स एलेमेंट्रिस:

- 'कोडेक्स एलेमेंट्रिस' (Codex Alimentarius), CAC द्वारा अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का एक संग्रह है।
- ये मानक सभी प्रमुख खाद्य पदार्थों (प्रसंस्कृत, अर्ध-प्रसंस्कृत, कच्चे अथवा खाद्य उत्पादों के दोबारा प्रसंस्करण में प्रयुक्त सामग्री) को कवर करते हैं
- कोडेक्स प्रावधानों में सूक्ष्मजीव-विज्ञानी मानदंडों, खाद्य योजकों, कीटनाशक, पशु औषधीय अवशिष्टों सहित खाद्य पदार्थों की स्वच्छता व पोषण संबंधी गुणवत्ता को शामिल किया गया है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. कोडेक्स एलेमेंट्रिस के बारे में।
2. 'कोडेक्स एलेमेंट्रिस कमीशन' (CAC) के बारे में।
3. CCSCH क्या है?

मेंस लिंक: मसालों और 'मसालों और पाक-कला में काम आने वाली जड़ी-बूटियों' पर कोडेक्स समिति' (CCSCH) पर एक टिप्पणी लिखिए।

स्रोत: पीआईबी

12. हेग स्थित 'रासायनिक हथियार निषेध संगठन' (OPCW) हेतु 'बाह्य लेखा परीक्षक' (External auditor for Hague-based OPCW)

संदर्भ: भारत के **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)** को तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु '**रासायनिक हथियार निषेध संगठन'** (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons- OPCW) का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है। इनका कार्यकाल वर्ष 2021 से शुरू होगा।

- हाल ही में आयोजित OPCW सम्मेलन में एक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से यह नियुक्ति की गई।
- OPCW सम्मेलन के दौरान, भारत को एशिया समूह के प्रतिनिधि के रूप में एक अन्य दो-वर्षीय कार्यकाल के लिए **OPCW की कार्यकारी परिषद के सदस्य** के रूप में भी चुना गया है।

'कार्यकारी परिषद' के बारे में:

यह 'रासायनिक हथियार निषेध संगठन' (OPCW) का शासी निकाय (governing body) है।

- इस 'कार्यकारी परिषद' में 41 OPCW सदस्य देश शामिल होते हैं, जिन्हें सदस्य देशों के परामर्श से चुना जाता है, और ये प्रति दो वर्षों में परिवर्तित होते रहते हैं।
- यह परिषद, तकनीकी सचिवालय के कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करती है और कन्वेंशन के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन को बढ़ावा देने हेतु उत्तरदायी है।
- प्रत्येक सदस्य देश को कार्यकारी परिषद में क्रमिक आधार पर चुने जाने का अधिकार होता है।

'रासायनिक हथियार निषेध संगठन' (OPCW) के बारे में:

यह,'परमाणु अप्रसार संधि' (Non-Proliferation Treaty- NPT) की शर्तों को लागू करने और इनका कार्यान्वयन करने हेतु '**रासायनिक हथियार अभिसमय' (Chemical Weapons Convention- CWC) के द्वारा स्थापित** एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।

- 'परमाणु अप्रसार संधि' (NPT) के तहत, संधि पर हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए रासायनिक हथियारों के उपयोग, संग्रहण, या हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया है।
- OPCW, हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा 'संधि' के किये जाने वाले अनुपालन को सत्यापित करने हेतु निरीक्षण करने के लिए अधिकृत है।
- OPCW और संयुक्त राष्ट्र के बीच संबंध समझौते के तहत, वर्ष 2001 तक OPCW, संयुक्त राष्ट्र के लिए, अपने निरीक्षण और अन्य कार्रवाईयों के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के माध्यम से रिपोर्ट करती थी।
- इस संगठन को रासायनिक हथियारों को खत्म करने संबंधी व्यापक प्रयासों के लिए वर्ष 2013 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

'रासायनिक हथियार अभिसमय' द्वारा निम्नलिखित कृत्यों को निषिद्ध किया गया है:

1. रासायनिक हथियारों का विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, संग्रहण, या प्रतिधारित रखना।
2. रासायनिक हथियारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तांतरण।
3. रासायनिक हथियारों का उपयोग अथवा सैन्य उपयोग के लिए तैयारी।
4. CWC -निषिद्ध गतिविधियों में शामिल होने के लिए अन्य राज्यों की सहायता करना, प्रोत्साहित करना या प्रेरित करना।
5. 'युद्ध की एक विधि के रूप में' दंगा नियंत्रण एजेंटों का उपयोग।

प्रीलिम्स लिंक:

1. OPCW के बारे में
2. CWC क्या है
3. सदस्य
4. कार्यकारी परिषद के कार्य
5. OPCW के बाह्य लेखा परीक्षक की भूमिका और कार्य

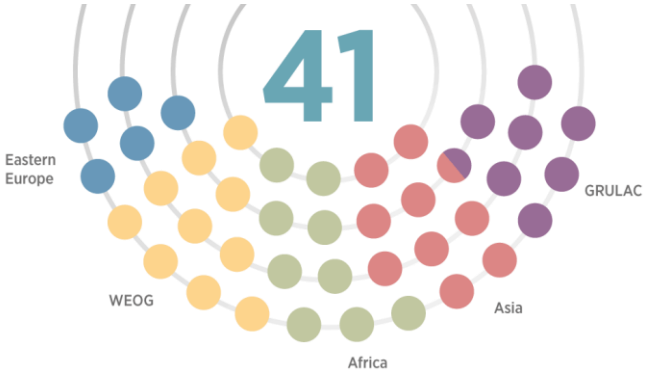

मेंस लिंक: 'रासायनिक हथियार अभिसमय' पर एक टिप्पणी लिखिए।

स्रोत: पीआईबी

13. 'ह्यूमन राइट्स वॉच' (Human Rights Watch)

संदर्भ: हाल ही में, एक अंतर्राष्ट्रीय NGO 'ह्यूमन राइट्स वॉच' ने कहा है, कि इजरायल द्वारा फिलिस्तीनियों और अपनी अरब आबादी पर "यहूदी वर्चस्व" बनाए रखने के उद्देश्य से "रंगभेद" (Apartheid) संबंधी अपराध किये जा रहे हैं।

1. 'ह्यूमन राइट्स वॉच' ने आवागमन पर प्रतिबंध, भूमि की जब्ती करने, जबरन जनसंख्या-स्थानांतरण, निवास अधिकारों से वंचित करने और नागरिक अधिकारों के स्थगन सहित कई कार्रवाईयों की ओर इशारा किया है।
2. इसकी रिपोर्ट में पाया गया है कि जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच के क्षेत्र पर एकमात्र इजरायल सरकार का नियंत्रण है।

इजरायल की प्रतिक्रिया: इजराइल ने 'ह्यूमन राइट्स वॉच' (HRW) के आरोपों को 'निरर्थक और मिथ्या' कहते हुए खारिज कर दिया है, इस पर काफी लम्बे समय से 'इजराइल-विरोधी एजेंडा' चलाने का आरोप लगाया है। ज्ञातव्य हो, कि वर्तमान में, इजराइल पर लगे कथित युद्ध अपराधों के आरोपों की जांच अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) द्वारा की जा रही है।

'ह्यूमन राइट्स वॉच' (HRW) के बारे में:

- वर्ष 1978 में स्थापित, यह एक गैर-सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है और यह मानव अधिकारों के संबंध में अनुसंधान और इनका समर्थन करता है।
- यह समूह, विभिन्न सरकारों, नीति निर्माताओं, कंपनियों और निजी तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों पर मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए दबाव डालता है, और यह समूह अक्सर. शरणार्थियों, बच्चों, प्रवासियों और राजनीतिक कैदियों के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'ह्यूमन राइट्स वॉच' (HRW) के बारे में
2. कार्य
3. उद्देश्य

मेंस लिंक: इज़राइल - फिलिस्तीन संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GUN8HE6TT.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

सामान्य अध्ययन-III

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन

विषय:भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।

1. मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation targeting)

संदर्भ: हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की 'मौद्रिक नीति समिति' हेतु आगामी पांच वर्षों के लिए +/- 2 प्रतिशत अंकों की गुंजाइश सीमा के साथ 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।

'मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण' क्या है?

- यह एक निर्दिष्ट वार्षिक मुद्रास्फीति दर प्राप्त करने हेतु मौद्रिक नीति के संयोजन पर आधारित केंद्रीय बैंक की एक नीति होती है।
- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting) का सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित होता है कि दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, सर्वोत्तम रूप से, कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के माध्यम से हासिल की जा सकती है तथा 'कीमतों की स्थिरता', मुद्रास्फीति नियंत्रित करके हासिल की जा सकती है।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क:

वर्ष 2016 में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 में संशोधन के बाद से भारत में एक 'लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क' (**Flexible Inflation Targeting Framework**) लागू है।

भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य कौन निर्धारित करता है?

संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार, प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार, रिजर्व बैंक के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है।

वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य: केंद्र सरकार द्वारा, 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए **4 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति** को अधिसूचित किया गया है। इसके साथ ही, 6 प्रतिशत की ऊपरी गुंजाइश सीमा तथा 2 प्रतिशत की निचली गुंजाइश सीमा निर्धारित की गयी है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या है?
2. मुद्रास्फीति लक्ष्य कौन निर्धारित करता है?
3. मौद्रिक नीति समिति (MPC) क्या है?
4. कार्य
5. संरचना

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GGQ8EDQEP.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

2. हरियाणा का आरक्षण कानून (Haryana's quota law)

संदर्भ: हरियाणा का 'निजी नौकरियों में आरक्षण कानून' जिसके तहत राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत रोजगार के अवसर प्रदान किया गया है, 1 मई से लागू हो जाएगा।

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक', 2020 के बारे में:

(Haryana State Employment of Local Candidates Bill, 2020)

1. इस विधेयक में निजी कंपनियों में 50,000 रुपए या उससे कम कुल मासिक वेतन या मजदूरी और समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित वेतन वाली 75% नौकरियों के लिए हरियाणा का अधिवासी होना आवश्यक किया गया है।

2. यह कानून, सरकार द्वारा अधिसूचित, सभी कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, सीमित देयता भागीदारी फर्म, साझेदारी वाली फर्म और 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाला कोई व्यक्ति अथवा इकाईयों पर लागू होगा।

इस प्रकार के विधानों से संबंधित कानूनी विवाद:

1. **नौकरियों में अधिवास के आधार पर आरक्षण का सवाल**: हालांकि, शिक्षा में अधिवास के आधार पर आरक्षण काफी सामान्य है, लेकिन, अदालतों द्वारा इसे लोक रोजगार संबंधित मामलों में लागू करने के खिलाफ रही हैं। यह नागरिकों को प्राप्त **'समानता के मौलिक अधिकार'** से संबंधित प्रश्न खड़े करता है।
2. **निजी क्षेत्र के लिए रोजगार में आरक्षण का पालन करने को विवश करने का मुद्दा:** लोक रोजगार में आरक्षण लागू करने के लिए, राज्य को संविधान के **अनुच्छेद 16 (4)** से शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन, संविधान में, निजी क्षेत्र के लिए रोजगार रोजगार में आरक्षण लागू करने हेतु राज्य की शक्तियों के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।
3. यह क़ानून **अनुच्छेद 19(1)(g)** के मापदंडो पर न्यायिक परीक्षण का सामना करने में विफल हो सकता है।

इस प्रकार के कानून लागू करने के लिए सरकार का तर्क:

- सभी नौकरियों में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों का अनुपात काफी कम होता है। इसलिए, संविधान में सभी नागरिकों के लिए समानता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, इस अधिदेश को पूरा करने हेतु विधिक सुरक्षा को निजी क्षेत्र तक विस्तारित करने के बारे में बात की जा रही है।
- चूंकि निजी उद्योगों द्वारा कई तरीकों से सार्वजनिक अवसंरचनाओं, जैसे कि- सार्वजनिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु सब्सिडी पर हासिल की गयी भूमि का उपयोग, कर छूट और कई मामलों में ईंधन आदि के लिए सब्सिडी आदि, का उपयोग किया जाता हैं। अतः, राज्य के पास निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी अधिकार होता है।

अन्य देशों में रोजगार के संदर्भ में इस प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई के उदाहरण:

कई देशों में नस्लीय और लैंगिक संदर्भ में सकारात्मक कार्रवाई अपनाई जाती है।

1. उदाहरण के लिए, अमेरिका में, हालांकि नियोक्ताओं के लिए आरक्षण लागू करने के संदर्भ में कोई वैधानिक अनिवार्यता नहीं है, फिर भी, भेदभाव के शिकार लोगों के लिए, अदालत द्वारा इस तरह की उपयुक्त सकारात्मक कार्रवाई के साथ-साथ मौद्रिक हर्जाना तथा निषेधाज्ञा राहत का आदेश दिया जा सकता है।
2. कनाडा में **एंप्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट के अंतर्गत** अल्पसंख्यक समूहों, विशेष रूप से आदिवासियों को संघीय रूप से विनियमित उद्योगों, तथा निजी क्षेत्र में भी भेदभाव से सुरक्षा प्रदान की गयी है।

चिंताएँ और चुनौतियाँ:

1. यह क़ानून, हरियाणा में औद्योगिक विकास और निजी निवेश हेतु चुनौतियां पेश करता है।
2. यह कुछ फर्मों के लिए मौजूदा कार्यबल को हटाने हेतु एक सुरक्षात्मक ढाल भी प्रदान कर सकता है।
3. सर्वोत्तम मानव संसाधनों की तलाश में निवेशक और व्यवसाय राज्य से बाहर जाना शुरू कर सकते हैं।
4. यह क़ानून, संविधान की भावना के खिलाफ है, जिसमे भारत के नागरिकों को देश में कहीं भी काम करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. कानून का अवलोकन
2. प्रयोज्यता
3. क़ानून के तहत छूट
4. इस प्रकार का कानून लागू करने वाले अन्य राज्य।

मेंस लिंक: निजी नौकरियों में आरक्षण की नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

https://m.economictimes.com/news/india/haryana-to-implement-reservation-in-private-jobs-from-may-1/amp_articleshow/81875466.cms.

स्रोत: ET

3. नामावली हेतु सामंजस्य प्रणाली संकेत (HSN कोड) (Harmonized System of Nomenclature Code)

संदर्भ: बीते वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले जीएसटी करदाताओं के लिए 6 अंको वाला 'एचएसएन कोड' अर्थात 'नामावली हेतु सामंजस्य प्रणाली संकेत' (**Harmonized System of Nomenclature Code- HSN Code**) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रावधान एक अप्रैल से लागू है।

'एचएस कोड' (HS code) का क्या अर्थ है?

यह छह अंकों का पहचान कोड होता है। छह अंकों के HS कोड में, पहले दो अंक HS खंड, अगले दो अंक HS शीर्षक तथा बाकी दो अंक HS उप-शीर्षक को प्रदर्शित करते हैं।

- इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) द्वारा विकसित किया गया है।
- इसे वस्तुओं के लिए 'सार्वभौमिक आर्थिक भाषा' में व्यक्त करता है।
- यह एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद नामावली है।
- वर्तमान में, इस प्रणाली में लगभग 5,000 कमोडिटी समूह शामिल हैं।

आवश्यकता और महत्व:

- इस प्रणाली का उपयोग, 200 से अधिक देशों द्वारा अपने सीमा शुल्कों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आँकड़े एकत्र करने, व्यापार नीतियां बनाने तथा माल की निगरानी के लिए किया जाता है।
- यह प्रणाली सीमा शुल्क और व्यापार प्रक्रियाओं के सामंजस्य में मदद करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागत को कम करती है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. HSN कोड के बारे में।
2. सुविधाएँ।
3. प्रयोज्यता।
4. महत्व।

मेंस लिंक:

HS कोड का क्या अर्थ है? इसके महत्व पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू

4. G-SAP: बाजार प्रोत्साहन हेतु प्रतिभूति अधिग्रहण योजना

संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने, हाल ही में, वित्तीय वर्ष 2022 में 'पैदावार वक्र' अर्थात 'यील्ड वक्र' (yield curve) के व्यवस्थित रूप से विकसित होने हेतु एक द्वितीयक बाजार सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम **(Government Security Acquisition Programme: G-SAP)** अर्थात G-SAP 1.0 की घोषणा की है।

इस कार्यक्रम के तहत, केंद्रीय बैंक द्वारा 1 ट्रिलियन रुपये (या एक लाख करोड़ रुपये) मूल्य के सरकारी बॉन्ड कह्रीदे जाएंगे।

महत्व: GSAP 1.0, बॉन्ड बाजार के लिए और अधिक सहूलियत प्रदान करेगा। चूंकि, इस वर्ष सरकार की उधारी में वृद्धि हुई है, अतः आरबीआई के लिए यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय बाजार में कोई व्यवधान न हो।

- यह कार्यक्रम, रेपो दर और दस-वर्षीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली आय के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा।
- G-SAP, करीब-करीब 'मुक्त बाज़ार परिचालन' (OMO) कैलेंडर के प्रयोजन को पूरा करेगा, जोकि बॉन्ड बाजार की मांग सूची में लंबे समय से शामिल हैं।

'मुक्त बाज़ार परिचालन' (OMO) क्या होता है?

मुक्त बाज़ार परिचालन (Open Market Operation- OMO), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री और खरीद होती है।

- OMO का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना है।
- यह **मात्रात्मक मौद्रिक नीति** उपकरणों में से एक होता है।

कार्यविधि: भारतीय रिजर्व बैंक, मुक्त बाज़ार परिचालन (OMO) का निष्पादन वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से करता है तथा **इसके तहत RBI जनता के साथ सीधे व्यापार नहीं करता है।**

OMO बनाम तरलता:

- जब केंद्रीय बैंक मौद्रिक प्रणाली में तरलता (liquidity) में वृद्धि करना चाहता है, तो वह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। इस प्रकार केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंकों को तरलता प्रदान करता है।
- इसके विपरीत, जब केंद्रीय बैंक मौद्रिक प्रणाली में तरलता को कम करना चाहता है, तो वह सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करेगा। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अप्रत्यक्ष रूप से धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है और अल्पकालिक ब्याज दरों को प्रभावित करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक दो प्रकार से 'मुक्त बाज़ार परिचालन' (OMO) का निष्पादन करता है:

1. **एकमुश्त खरीद (Outright Purchase- PEMO)** - यह स्थायी प्रक्रिया होती है और इसमें सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त बिक्री या खरीद की जाती है।
2. **पुनर्खरीद समझौता (Repurchase Agreement- REPO)** - यह अल्पकालिक प्रक्रिया होती है और पुनर्खरीद के अधीन होती है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. मौद्रिक बनाम राजकोषीय नीति उपकरण
2. मात्रात्मक बनाम गुणात्मक उपकरण
3. OMO क्या हैं?
4. PEMO बनाम REPO

मेंस लिंक: 'मुक्त बाज़ार परिचालन' (OMO) क्या होता हैं? इसके महत्व पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

5. अर्थोपाय ऋण (Ways and Means credit)

संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अंतरिम **'अर्थोपाय अग्रिम' (Ways and Means Advances- WMA)** योजना के तहत ₹ 51,560 करोड़ की मौजूदा सीमा को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अर्थात, कोविड–19 की फैलाव को देखते हुए 'अर्थोपाय अग्रिम' योजना के तहत निर्धारित यह सीमा 30 सितंबर अपरिवर्तित रहेगी।

इस कदम का महत्व: जिस समय 'सरकारी व्यय' में वृद्धि अपेक्षित थी, उस समय कोरोनावायरस के प्रसार के कारण इसमें कमी हो रही है। इसी समय, रिज़र्व बैंक द्वारा अर्थोपाय अग्रिम' योजना के तहत निर्धारित सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इन निधियों के उपलब्ध होने से, सरकार के लिए अपने दीर्घावधिक बाजार ऋणों से हटकर, अल्पकालिक व्यय करने के लिए कुछ अवसर मिलेगा।

'अर्थोपाय अग्रिम' (Ways and Means Advances- WMA) क्या हैं?

'अर्थोपाय अग्रिम' (WMA), सरकार के लिए, राजस्व और व्यय के मध्य अस्थायी असंतुलन को पूरा करने में समर्थ करने हेतु आरबीआई द्वारा प्रदान की गई **अस्थायी ऋण सुविधाएं** होते हैं।

- राशि उधार लेने पर सरकार, केंद्रीय बैंक को ब्याज का भुगतान करती है।
- इन ऋणों के लिए **ब्याज दर रेपो दर के समान** होती है, जबकि इनकी अवधि तीन महीने की होती है।
- 'अर्थोपाय अग्रिम' की सीमा, आरबीआई और भारत सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित की जाती हैं।
- राज्यों के लिए 21 दिनों की ओवरड्राफ्ट सुविधा (WMA सीमा से अधिक उधार लेने) की अनुमति होती है।

पृष्ठभूमि: केंद्र सरकार के लिए 'अर्थोपाय अग्रिम' (WMA) योजना का आरंभ 1 अप्रैल, 1997 को किया गया था। इसे, केंद्र सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए एडहॉक (अस्थायी) ट्रेजरी बिलों की पुरानी प्रणाली को समाप्त करने के बाद लागू किया गया था।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'अर्थोपाय अग्रिम' (WMA) क्या हैं?
2. प्रकार
3. सीमा
4. ब्याज दर
5. लाभार्थी

मेंस लिंक: 'अर्थोपाय अग्रिम' (WMA) के महत्व पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GLV8H0L1F.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

विषय:समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय।

1. उतिष्ठ भारत (स्टैंड अप इंडिया) योजना (Stand Up India Scheme)

योजना के अंतर्गत प्रदर्शन:

पांच वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा 'उतिष्ठ भारत (स्टैंड अप इंडिया) योजना (Stand Up India Scheme) की शुरुआत की गयी थी। इस योजना के तहत, अब तक:

- बैंकों द्वारा 1.14 लाख से अधिक खातों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि अनुमोदित की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत, इसमें से अधिकाँश राशि पर महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों का वर्चस्व रहा है, और इस योजना अवधि को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

'उतिष्ठ भारत' योजना / 'स्टैंड अप इंडिया' स्कीम के बारे में:

- आर्थिक सशक्तिकरण के जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन हेतु 5 अप्रैल 2016 को 'उतिष्ठ भारत' योजना की शुरुआत की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों जैसे सीमित सेवा लाभ प्राप्त करने वाले लोगों तक संस्थागत ऋण संरचनाओं का लाभ प्रदान करना है।

- इसका उद्देश्य, प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी को नई (ग्रीनफील्ड) परियोजना की स्थापना करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण प्रदान करना है।
- इसके तहत, SIDBI और NABARD के कार्यालयों को 'स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर' (SUCC) के रूप में अभिहित किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत पात्रता:

1. 18 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और / महिला उद्यमी।
2. योजना के अंतर्गत ऋण सहायता केवल ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए प्रदान की जाएगी।
3. उधारकर्ता के लिए किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान में 'डिफ़ॉल्ट' (बकाया) नहीं होना चाहिए।
4. गैर-निजी उद्यमों के मामले में, कम से कम 51% हिस्सेदारी और नियंत्रण, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और / महिला उद्यमी के पास होना चाहिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G6F8ES7MF.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

2. आरबीआई द्वारा नाबार्ड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की सहायता

संदर्भ: हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने महामारी के प्रभाव को कम करने और आर्थिक पुनरुद्धार में मदद करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022 में, नए ऋणों के रूप में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को 50,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने को कहा है।

विवरण: तदनुसार, 'नाबार्ड' (NABARD) को कृषि और संबद्ध गतिविधियों, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को सहायता प्रदान करने हेतु एक वर्ष के लिए, 25,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा (**Special Liquidity Facility**- SLF) प्रदान की जाएगी।

- आवास क्षेत्र को सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक को, एक वर्ष के लिए, 10,000 करोड़ रुपए की 'विशेष तरलता सुविधा' (SLF) दी जाएगी।
- 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों' (MSMEI) के वित्त पोषण हेतु 'सिडबी' (SIDBI) को इस सुविधा के तहत ₹ 15,000 करोड़ प्रदान किए जाएंगे।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के बारे में:

- 'नाबार्ड' (NABARD), भारत की संसद द्वारा '**राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम**', 1981 के द्वारा 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया एक शीर्ष विकास और विशेष बैंक है।
- इसका मुख्य कार्य, कृषि और ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्रों के उन्नयन हेतु ऋण प्रवाह में वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण भारत का उत्थान करना है।
- इसकी स्थापना, बी. शिवरामन की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा गठित एक समिति की सिफारिशों के आधार की गयी थी।
- 'नाबार्ड' ने, भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन, कृषि ऋण विभाग (Agricultural Credit Department- ACD) और ग्रामीण योजना एवं ऋण प्रकोष्ठ (Rural Planning and Credit Cell - RPCC) तथा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कॉरपोरेशन (Agricultural Refinance and Development Corporation - ARDC) को प्रतिस्थापित किया है।

- 'नाबार्ड' "भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों हेतु ऋण के क्षेत्र में नीति, योजना और संचालन से संबंधित मामलों" में अधिकृत संस्थान है।

महत्वपूर्ण कार्य:

1. यह ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
2. यह, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकिंग उद्योगों को निर्देशित एवं प्रेरित करने हेतु ज़िला स्तरीय ऋण योजनाएँ (district level credit plans) तैयार करता है।
3. यह सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) का निरीक्षण करता है और साथ ही उन्हें कोर बैंकिंग समाधान प्लेटफॉर्म (Core Banking Solution- CBS) से जुड़ने में सहयोग करता है।
4. यह हस्तकला कारीगरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है एवं इन वस्तुओं की प्रदर्शनी हेतु एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म (विपणन मंच) विकसित करने में उनकी मदद करता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. नाबार्ड के बारे में
2. भूमिका और कार्य
3. RRB क्या हैं?
4. CBS क्या है?

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G7L8F650U.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

3. आरबीआई के समक्ष 'ऑन टैप' लाइसेंस हासिल करने हेतु आवेदन

संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक को 'ऑन-टैप' यूनिवर्सल प्राइवेट बैंक लाइसेंस और 'लघु वित्त बैंक' लाइसेंस हेतु, दोनों के लिए, चार-चार आवेदन प्राप्त हुए हैं।

यह प्रक्रिया, इस प्रकार के लाइसेंसों के लिए आरबीआई द्वारा अगस्त 2016 और दिसंबर 2019 में जारी किए गए दिशानिर्देशों का हिस्सा है।

कौन आवेदन कर सकता है?

केंद्रीय बैंक द्वारा, अगस्त 2016 में, जारी दिशानिर्देशों के अनुसार:

'यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस' की मांग करने वाली पात्र इकाईयों के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

1. आवेदनकर्ता व्यक्तियों / इकाईयों के पास बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में वरिष्ठ पद का कार्य करने का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। 'लाइसेंस' के लिए इच्छुक निजी कंपनियों या समूहों के लिए न्यूनतम 10 वर्षों का सफल बैंकिंग रिकॉर्ड होना आवश्यक है।
2. इस प्रकार के लाइसेंस हेतु आवेदन करने वाले समूहों या कंपनियों के पास 5,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक की संपत्ति होनी चाहिए और गैर-वित्तीय व्यवसायों का इन परिसंपत्तियों में 40% या अधिक नहीं होना चाहिए।

'लघु वित्त बैंक लाइसेंस' के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता:

1. आवेदनकर्ता व्यक्तियों के पास बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में वरिष्ठ पद का कार्य करने का न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
2. इन लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले समूहों, कंपनियों, मौजूदा भुगतान बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और सहकारी बैंकों के पास कम से कम पांच साल का सफल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

पृष्ठभूमि: अप्रैल 2014 में, आरबीआई द्वारा 'बंधन बैंक' लिमिटेड और 'IDFC बैंक' को यूनिवर्सल बैंकिंग ऑपरेशन शुरू करने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। इसके बाद IDFC बैंक, 'कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड' (Capital First Ltd.) के साथ विलय होकर, IDFC फर्स्ट बैंक बन गया।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग क्या है?
2. यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए पात्रता
3. लघु वित्त बैंक लाइसेंस के लिए पात्रता
4. यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है?
5. NBFC क्या हैं?

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G138G2UTO.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

4. बैंकिंग सुधारों के जनक: भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम नरसिंहम का निधन

संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम नरसिंहम का मंगलवार को 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। एम नरसिंहम को भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सुधारों का आर्किटेक्ट कहा जाता है।

'एम नरसिम्हम' के बारे में:

- नरसिम्हम को **बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों हेतु दो उच्चस्तरीय समितियों की अध्यक्षता** करने के लिए जाना जाता है।
- दोनों नरसिम्हम समितियों का इतना महत्व है, कि आज भी इनके कुछ दृष्टिकोणों को संदर्भित किया जाता है और काम में लिया जाता है। उदाहरण के लिए, बैंकों का विलय करना और सशक्त मेगाबैंक बनाने का विचार सबसे पहले नरसिंहम समिति द्वारा पेश किया गया था।

नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट-I :

वर्ष 1991 में प्रस्तुत की गई थी।

- रिपोर्ट में एक चार स्तरीय बैंकिंग संरचना बनाने की सिफारिश की गई थी, जिसमे तीन बड़े बैंकों को शीर्ष पर रखने का सुझाव दिया गया था।
- इसमें, 'स्थानीय क्षेत्र के बैंक' जैसे 'ग्रामीण क्षेत्र-केंद्रित बैंकों', की अवधारणा को भी पेश किया गया था।
- इसमें, बैंकों के लिए 'अनिवार्य बॉन्ड निवेश' और 'नकद आरक्षित सीमा' में चरणबद्ध कटौती का प्रस्ताव रखा गया था, ताकि बैंक, अर्थव्यवस्था की अन्य उत्पादक जरूरतों के लिए ऋण देने में सक्षम हो सकें।
- इसके द्वारा, 'पूंजी पर्याप्तता अनुपात' (capital adequacy ratio- CAR) की अवधारणा पेश की गई और शाखा लाइसेंसिंग नीति को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया था।
- इस पहली नरसिम्हम समिति द्वारा, 'गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों' का वर्गीकरण करने और खातों का पूर्ण प्रकटीकरण करने संबंधी अवधारणाओं की भी सिफारिश की गई थी।
- ब्याज दरों को कम करने का प्रस्ताव करके, यह समिति ने, बैंकों के मध्य अधिक प्रतिस्पर्धा की शुरूआत की।
- इस समिति ने खराब ऋण लेने के लिए एक 'परिसंपत्ति पुनर्संरचना निधि' की अवधारणा पेश की।

नरसिम्हम समिति रिपोर्ट II - 1998:

वर्ष 1998 में सरकार द्वारा श्री नरसिम्हम की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया। इसे 'बैंकिंग सेक्टर कमेटी' के रूप में जाना जाता है। इस समिति को, बैंकिंग सुधार प्रगति की समीक्षा करने और भारत की

वित्तीय प्रणाली को और मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम डिजाइन करने का कार्य सौंपा गया था। इस समिति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे पूंजी पर्याप्तता, बैंको के विलय, बैंक कानून आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रीलिम्स एवं मेंस लिंक:

'एम नरसिम्हम' की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें।

स्रोत: द हिंदू

विषय:सरकारी बजट।

1. उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का 'लोक ऋण' स्तर सर्वाधिक

संदर्भ: मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार, भारत के 'लोक ऋण' (Public Debt) का स्तर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में उच्चतम है, हालांकि देश में मात्रात्मक सुधार कार्यक्रम (Quantitative Easing Programme) जारी है, फिर भी इसकी ऋण वहन क्षमता सबसे कमजोर है।

'लोक ऋण' क्या होता है?

किसी देश की सरकार द्वारा उधार ली गई कुल राशि को 'लोक ऋण' (Public Debt) कहा जाता है।

भारतीय संदर्भ में, 'लोक ऋण' के तहत, भारित की संचित निधि पर भारित केंद्र सरकार की कुल देनदारियाँ शामिल होती हैं। इसके तहत, लोक खाते (Public Account) के ऊपर अनुबंधित देनदारियों को शामिल नहीं किया जाता है।

'लोक ऋण' के स्रोत:

1. दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ अथवा जी-सेक (G-secs)
2. ट्रेजरी बिल अथवा टी-बिल (T-Bills)
3. बाह्य सहायता
4. अल्पकालिक ऋण

संविधान के **अनुच्छेद 292** के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा भारत की संचित निधि के ऊपर अनुबंधित देनदारियों को 'लोक ऋण' के रूप में वर्णित किया जाता है।

'लोक ऋण' के प्रकार: 'लोक ऋण' को **आंतरिक और बाह्य ऋण** में वर्गीकृत किया जाता है।

आंतरिक ऋण (Internal debt) के लिए विपणनयोग्य (**Marketable**) और गैर-विपणन योग्य (**Non-Marketable**) प्रतिभूतियों में वर्गीकृत किया जाता है।

- **'विपणन योग्य सरकारी प्रतिभूतियों'** में नीलामी के माध्यम से जारी की जाने वाली 'जी-सेक' (सरकारी प्रतिभूतियां) और 'ट्रेज़री-बिल' शामिल होते हैं।
- **'गैर-विपणन योग्य प्रतिभूतियों'** में राज्य सरकार को जारी किए जाने वाले मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की जाने वाली विशेष प्रतिभूतियां आदि शामिल होती हैं।

'ऋण-जीडीपी अनुपात' क्या है?

'ऋण-जीडीपी अनुपात' (Debt-to-GDP Ratio) किसी देश द्वारा अपने ऋण का भुगतान करने की क्षमता के बारे में बताता है। निवेशको द्वारा किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिये 'ऋण-जीडीपी अनुपात' (Debt-to-GDP Ratio) का अवलोकन किया जाता है। उच्च 'ऋण-जीडीपी अनुपात', विश्व भर में आर्थिक संकटों को हवा दे चुके हैं।

क्या 'ऋण-जीडीपी अनुपात' का कोई स्वीकार्य स्तर होता है?

राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन (FRBM) पर एन के सिंह समिति द्वारा सामान्य सरकारी ऋण-जीडीपी अनुपात' कुल 60 प्रतिशत रखने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए केंद्र सरकार के लिए 'ऋण-जीडीपी अनुपात' 40 प्रतिशत और राज्यों के लिए 20 प्रतिशत परिकलिप्त किया गया था।

प्रीलिम्स लिंक:

1. G-Secs क्या हैं?
2. टी-बिल क्या हैं?
3. 'वेज़ और मीन्स एडवांस' (Ways and Means Advances- WMA) क्या है?
4. FRBM अधिनियम क्या है?
5. भारत की संचित निधि के बारे में
6. संविधान के अनुच्छेद 292 के बारे में

मेंस लिंक: सरकारी ऋण में वृद्धि सरकार के वित्त को किस प्रकार प्रभावित करती है? चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GCT8FUNU6.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

विषय:मुख्य फसलें- देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न- सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली।

1. सरकार द्वारा अफ़ीम की पैदावार बढ़ाने संबंधी उपायों पर विचार

संदर्भ: केंद्र सरकार द्वारा 'क्षाराभ' अर्थात ऐल्कलॉइड (alkaloids) की पैदावार को बढ़ावा देने हेतु भारत में अफीम की खेती से होने वाली 'सांद्रित अफीम डंठल' (concentrated poppy straw- CPS) का उत्पादन शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने का फैसला किया गया है।

'ऐल्कलॉइड' का उपयोग चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसे कई देशों को निर्यात किया जाता है।

अफीम की खेती:

- केवल कुछ देशों को ही 'ऐल्कलॉइड' के निर्यात और निष्कर्षण के लिए अफीम की खेती करने की अनुमति है।
- भारत द्वारा, वर्तमान में, केवल **वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग द्वारा नियंत्रित सुविधाओं में अफीम के गोंद से 'ऐल्कलॉइड' का निष्कर्षण** किया जाता है। इस कारण किसानों को अफीम की फली को हाथ से चीरकर 'गोंद' निकलना पड़ता है और इसे सरकारी कारखानों को बेचना पड़ता है।

पृष्ठभूमि: भारत की अफीम फसल का क्षेत्रफल, पिछले कुछ वर्षों से लगातार कम होता जा रहा है, तथा CPS निष्कर्षण विधि के उपयोग से, औषधीय उपयोगों के लिए 'कोडीन' (अफीम से निकाले गए) जैसे उत्पादों के आयात पर सामयिक निर्भरता में कटौती करने में सहायता मिलेगी।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GGT8F6HI3.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

2. मेट्टूर-सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना

संदर्भ: हाल ही में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal- NGT) द्वारा तमिलनाडु सरकार को 'मेट्टूर-सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना' (Mettur-Sarabanga lift irrigation project) पर काम आगे बढ़ाने हेतु अनुमति दे दी गई है, और साथ ही इस परियोजना पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

संबंधित प्रकरण: 'मेट्टूर-सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना' पर रोक लगाने हेतु दायर किये गए आवेदन में दावा किया गया था, कि इस परियोजना की शुरुआत करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली गई है।

- आवेदन में, परियोजना के निर्माण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा गया था, कि इस परियोजना की परिकल्पना करते समय डेल्टा क्षेत्र के किसानों के 'नदी तटवर्ती' अधिकारों (Riparian rights) की पूर्णतयः उपेक्षा की गई है।
- इसके अलावा, चूंकि इस परियोजना में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के हित शामिल हैं, इसलिए इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक है।

'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (NGT) का निर्णय:

- इस परियोजना के तहत 4,238 एकड़ भूमि को सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत लाना प्रस्तावित है, जोकि 2,000 हेक्टेयर से कम है तथा वर्ष 2018 में जारी **संशोधित 'पर्यावरणीय प्रभाव आकलन' (Environmental Impact Assessment-EIA) अधिसूचना** के अनुसार, यह परियोजना **लघु सिंचाई प्रणालियों** की श्रेणी में आती है जिनके लिए पर्यावरणीय मंजूरी हासिल करने की अनिवार्यता से स्पष्ट छूट प्राप्त है।
- इसके अलावा, इस परियोजना के अंतर्गत, कर्नाटक से प्राप्त होने वाले पानी को केवल नियंत्रित किया जा रहा है, और मेट्टूर बांध के पानी को दोनों राज्यों में से किसी के साथ साझा नहीं किया जा रहा है तथा इसका उपयोग केवल तमिलनाडु के लाभ के लिए किया जा रहा है। अतः, **परियोजना के लिए किसी अन्य प्राधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।**

'परियोजना' के बारे में:

- 'मेट्टूर-सरबंगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना' का कार्यान्वयन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- इस परियोजना का उद्देश्य, मेट्टूर जलाशय के अधिशेष जल से, 100 टैंकों, झीलों और तालाबों के माध्यम से ईदापडी, ओमालुर, संकगिरी और मेट्टूर तालुकों की 4,200 एकड़ भूमि को सिंचित करना है।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GCT8FV00Q.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

3. स्वामित्व योजना (SWAMITVA scheme)

संदर्भ: हाल ही में, 'स्वामित्व योजना' (SWAMITVA scheme) का विस्तार सभी राज्यों में कर दिया गया है। इससे पहले, इसे केवल 9 राज्यों में शुरू किया गया था।

'स्वामित्व योजना' के बारे में प्रमुख बिंदु:

इस योजना की शुरुआत 'पंचायती राज दिवस' (24 अप्रैल, 2020) को की गयी थी।

- इस योजना के तहत, ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी ज़मीनों के स्वामित्व का मानचित्रण किया जाएगा।
- इस योजना का उद्देश्य भारत में 'संपत्ति रिकॉर्ड रखरखाव' में क्रांतिकारी बदलाव लाना है।
- यह योजना 'पंचायती राज मंत्रालय' द्वारा संचालित की जा रही है।
- इस योजना के तहत, गांवों में आवासीय भूमि का गैर-विवादित रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए, ड्रोन का उपयोग करते हुए भूमि को मापा जाएगा।
- राज्यों द्वारा ड्रोन-मैपिंग द्वारा सटीक मापों का उपयोग करते हुए गाँव की प्रत्येक संपत्ति के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जाएंगे। ये कार्ड संपत्ति मालिकों को सौंप दिए जाएंगे और इन्हें भूमि राजस्व रिकॉर्ड विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होगी।

इस योजना के लाभ:

- इस योजना के तहत प्राप्त आधिकारिक प्रमाण पत्र के माध्यम से संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति के ऊपरर बैंक ऋण और संपत्ति से जुड़ी अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
- गाँव की संपत्तियों से संबंधित ये रिकॉर्ड पंचायत स्तर भी बनाए रखे जाएंगे, जिससे संपत्ति-स्वामियों से संबद्ध करों का संग्रह किया जा सकेगा। इन स्थानीय करों से प्राप्त धन का उपयोग ग्रामीण अवसंरचनाओं और सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा।
- भूमि तथा आवासीय संपत्तियों को भू-स्वामित्व विवादों से मुक्त करने और एक आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करने के परिणामस्वरूप, संपत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है।
- करों के संग्रह, नई भवन एवं अवसंरचना निर्माण योजनाओं, परमिट जारी करने और संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा करने संबंधी प्रयासों को विफल करने, आदि के लिए परिशुद्ध संपत्ति रिकॉर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

योजना की आवश्यकता एवं महत्व:

ग्रामीण क्षेत्रों में कई ग्रामीणों के पास अपनी भूमि के स्वामित्व को साबित करने वाले कागजात नहीं होते है, इसे देखते हुए, इस योजना की आवश्यकता तब महसूस की गई।

अधिकांश राज्यों में, गांवों में संपत्तियों के सत्यापन /प्रमाणन के उद्देश्य से आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मापन नहीं किया गया है। यह नई योजना, संपत्तियों की वजह से होने वाली कलह के कारण सामाजिक संघर्ष को कम करने, सशक्तिकरण और हकदारी के लिए एक उपकरण बनने में सक्षम है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. पंचायती राज दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?
2. योजना के अनुसार, संपत्ति कार्ड कौन जारी करता है?
3. योजना के तहत विभिन्न लाभ
4. योजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय

मेंस लिंक: स्वामित्व योजना की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: पीआईबी

4. वृहत क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना ('Large Area Certification' scheme)

संदर्भ: केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के 14,491 हेक्टेयर एरिया, व्यापक क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना अर्थात 'लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन' स्कीम के तहत 'जैविक प्रमाणीकरण' हासिल करने वाला पहला वृहत संस्पर्शी क्षेत्र (large contiguous territory) बन गया गया है।

'वृहत क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना' के बारे में:

- 'कृषि और किसान कल्याण विभाग' द्वारा अपनी प्रमुख योजना 'परंपरागत कृषि विकास योजना' (PKVY) के तहत इन संभावित क्षेत्रों का इस्तेमाल करने के लिए एक अनूठा त्वरित प्रमाणन कार्यक्रम 'वृहत क्षेत्र प्रमाणीकरण' अर्थात **"लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन" (LAC)** शुरू किया गया है।
- **LAC** के तहत, क्षेत्र के प्रत्येक गांव को एक क्लस्टर/ग्रुप के रूप में माना जाता है।

- अपने निजी खेत और पशुधन रखने वाले सभी किसानों को मानक आवश्यकताओं का पालन करना होता है और प्रमाणित होने के बाद उन्हें परिवर्तन अवधि तक इंतजार नहीं करना होता है।
- PGS -इंडिया के अनुसार मूल्यांकन की एक प्रक्रिया द्वारा वार्षिक सत्यापन के माध्यम से वार्षिक आधार पर प्रमाणन का नवीनीकरण किया जाता है।

'वृहत क्षेत्र प्रमाणीकरण' (LAC) के लाभ:

1. जैविक उत्पादन के मानक नियम के तहत, रासायनिक इस्तेमाल वाले क्षेत्रों को जैविक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 2-3 वर्षों का समय लगता है।
2. इस अवधि के दौरान, किसानों को मानक जैविक कृषि मानकों को अपनाने और प्रमाणन प्रक्रिया के तहत अपने खेतों को रख-रखाव करना होता है। सफलता पूर्वक समापन होने पर, ऐसे खेतों को 2-3 वर्षों के बाद जैविक के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है।
3. प्रमाणन प्रक्रिया को प्रमाणीकरण अधिकारियों द्वारा विस्तृत डोक्यूमेंटेशन और समय-समय पर सत्यापन की भी आवश्यकता होती है।
4. LAC के तहत आवश्यक प्रकिया काफी सरल होती है और क्षेत्र को लगभग तुरंत प्रमाणित किया जा सकता है।

प्रीलिम्स और मेंस लिंक: योजना की प्रमुख विशेषताएं और महत्व।

स्रोत: पीआईबी

विषय:प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय; जन वितरण प्रणाली।

कृषि कानूनों पर गठित समिति ने उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट सौंपी

संदर्भ: हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने तीन कृषि-सुधार कानूनों पर अपनी रिपोर्ट एक बंद कवर में अदालत में सौंप दी है। यह रिपोर्ट, मामले की अगली सुनवाई के दौरान सार्वजनिक की जाएगी।

पृष्ठभूमि: सितंबर माह में, संसद द्वारा पारित किए गए तथा किसान संगठनों द्वारा विरोध किए जा रहे तीन कानून निम्नलिखित हैं:

1. कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम।
2. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम।
3. मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता (सशक्तीकरण और संरक्षण) और कृषि सेवा अधिनियम

12 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने तीन कानूनों के कार्यान्वयन को निलंबित कर दिया था तथा 'कृषि कानूनों पर किसानों की शिकायतों और सरकार के विचारों को जानने तथा उचित सिफारिशें करने हेतु' एक चार-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी।

संबधित प्रकरण: इन कृषि-कानूनों का उद्देश्य भारत के विशाल कृषि क्षेत्र को नियंत्रण-मुक्त करना है। सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों को बिचौलियों के उत्पीडन से 'मुक्त' करेंगे।

किंतु, कई किसानों को इन नए कानूनों से कुछ हासिल होने की अपेक्षा खोने का भय अधिक है और इसे विशाल वित्तीय शक्तियों वाले कृषि कारपोरेशन इनके मुख्य लाभार्थी होंगे।

नए कृषि कानूनों का उद्देश्य: ये क़ानून, किसानों को सरकार द्वारा विनियमित बाजारों (जिन्हें स्थानीय रूप से मंडियों के रूप में जाना जाता है) की उपेक्षा करने और अपनी उपज को सीधे निजी खरीदारों को बेचने हेतु सक्षम बनाते हैं।

1. किसान, अब निजी कंपनियों के साथ अनुबंध कर सकते हैं, भारत में इसे अनुबंध कृषि (Contract Farming) के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अपनी उपज को राज्य के बाहर बेच सकते हैं। वे अब निजी कंपनियों के साथ अनुबंध कर सकते हैं, भारत में अनुबंध खेती के रूप में जानी जाने वाली एक प्रथा, और राज्य की सीमाओं के पार बेच सकते हैं।
2. नए कानूनों में व्यापारियों के लिए खाद्यान्न के भण्डारण की अनुमति दी गई है। यह जमाखोरी के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के विपरीत है, और इससे महामारी जैसी स्थितियों के दौरान व्यापारियों के लिए कीमतों में वृद्धि का लाभ उठाना आसान होगा। पुराने नियमों के तहत, इस प्रकार की व्यवस्था आपराधिक कृत्य के रूप में घोषित थी।

किसानों की चिंताएं:

भारत में 86 प्रतिशत से अधिक कृषि योग्य भूमि पर छोटे किसानों द्वारा खेती की जाती है, इन किसानो में प्रत्येक के पास दो हेक्टेयर (पांच एकड़) से कम भूमि होती है।

- नए क़ानून इन किसानों के कई सुरक्षात्मक उपायों को समाप्त कर देते हैं। छोटे किसानों को डर है, कि उनके पास बड़ी कंपनियों को अपनी उपज बेचते समय, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु उपज की आवश्यक कीमतों की मांग करने हेतु पर्याप्त मोलभाव करने की शक्ति नहीं है।
- नए कानूनों में अनुबंधों को लिखित में तैयार करना अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इससे, अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन होने पर, किसानों के पास अपनी तकलीफों को साबित करना बहुत कठिन हो सकता है, और क़ानून में राहत के लिए मामूली उपाय किए गए हैं।
- नए नियमों में किसी भी उपज के लिए किसी प्रकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दी गयी है, इससे किसानों को चिंता है कि मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को किसी भी समय समाप्त कर दिया जाएगा।

प्रीलिम्स लिंक:

1. APMC क्या हैं? उनका नियमन कैसे किया जाता है?
2. मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम का अवलोकन
3. सरकार द्वारा जारी किये गए अध्यादेश कौन से है?
4. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 में मूल्य सीमा में उतार-चढ़ाव की अनुमति।
5. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के तहत भण्डार सीमा विनियमन किसके लिए लागू नहीं होगा?

मेंस लिंक: क्या आपको लगता है कि आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र के लिए प्रस्तावित सुधार किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं? स्पष्ट कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G6J8EDVMR.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

2. खाद्य क्षेत्र प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट की मंजूरी

संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10,900 करोड़ रुपए की राशि सहित 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना' हेतु मंजूरी प्रदान की गई है।

योजना के उद्देश्य:

1. वैश्विक स्तर पर खाद्य क्षेत्र से जुड़ी भारतीय इकाइयों को अग्रणी बनाना।
2. वैश्विक स्तर पर चुनिंदा भारतीय खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी व्यापक स्वीकार्यता बनाना।
3. कृषि क्षेत्र से इतर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
4. कृषि उपज के लिए उपयुक्त लाभकारी मूल्य और किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित करना।

प्रयोज्यता: इस योजना में पकाने के लिए तैयार/ खाने के लिए तैयार (रेडी टू कुक/ रेडी टू ईट) भोजन, प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां, जैविक उत्पाद, फ्री-रेंज अंडे, पोल्ट्री मांस और अंडा उत्पाद शामिल होंगे।

- योजना के लिए चुने गए आवेदकों को पहले दो वर्षों में संयंत्र और मशीनरी में निवेश करने की आवश्यकता होगी।

पृष्ठभूमि: कुल मिलाकर, वर्तमान में 13 'उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएँ' (PLI schemes) की जा रही हैं; जिनमें लैपटॉप, मोबाइल फोन और दूरसंचार उपकरण, सफेद वस्तुएं, रासायनिक सेल और वस्त्र सहित ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी हार्डवेयर आदि शामिल हैं।

प्रीलिम्स लिंक:

1. उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना - इसकी घोषणा कब की गई थी?
2. योजना के तहत किन उद्योगों के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध है?
3. योजना के तहत किस तरह का निवेश किया जा सकता है?
4. योजना की अवधि।
5. योजना का कार्यान्वयन

मेंस लिंक: इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना क्या है? चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G6J8EDVMF.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

3. संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 (UN Food Systems Summit 2021)

संदर्भ: हाल ही में, भारत में 'संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन'-2021 पर राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किया गया।

'खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन' के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा सितंबर 2021 में **प्रथम संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन** आयोजित करने का आह्वान किया गया है।
- इसका उद्देश्य **'सतत विकास' हेतु एजेंडा 2030** की परिकल्पना को साकार करने के लिए विश्व की कृषि-खाद्य प्रणालियों में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु कार्रवाई की रणनीति तैयार करना है।

- शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर पर खाद्य प्रणालियों को आकार देने वाले तौर-तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि सतत विकास के लक्ष्यों- SDGs की प्रगति को गति प्रदान की जा सके।

'खाद्य प्रणाली' का तात्पर्य:

'खाद्य प्रणाली' (Food Systems) शब्द का तात्पर्य, खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, परिवहन और उपभोग करने में शामिल गतिविधियों के समूहन से होता है।

- खाद्य प्रणालियाँ. मानव-जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती हैं।
- हमारी खाद्य प्रणालियों का दुरुस्त होना, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के साथ-साथ हमारे पर्यावरण, अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है।
- जब ये सुचारू रूप से कार्य करते हैं, तो खाद्य प्रणालियां हमें परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों के रूप में एक साथ लाने में सक्षम होती हैं।

आवश्यकता: मानवता को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुए संकट के कारण भोजन और संबंधित प्रणालियों में विभिन्न चुनौतियों का में सामना करना पड़ रहा है, जिससे उत्पादन, वितरण और खपत सहित समूची कृषि-खाद्य प्रणालियों के तहत कृषि-पद्धतियों अथवा विशिष्ट फसल-उत्पादन से अलग हमारी कार्रवाईयों और रणनीतियों को दोबारा तैयार करने की आवश्यकता उत्पन्न हो चुकी है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. SDG बनाम MDG- समानता, अंतर और समय अवधि
2. इन लक्ष्यों को अपनाना और इनका प्रशासन
3. मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बनाम पृथ्वी शिखर सम्मेलन।
4. 'खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन' के बारे में।

मेंस लिंक: सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धारित कियर गए प्रमुख लक्ष्यों की गणना कीजिए।

स्रोत: पीआईबी

4. कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund)

संदर्भ: कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund- AIF) ने 8,216 करोड़ रुपये के 8,665 आवेदन प्राप्त करने के बाद 8000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) का 58 प्रतिशत, इसके बाद कृषि-उद्यमियों का 24 प्रतिशत और निजी तौर पर किसानों का 13 प्रतिशत हिस्सा है।

'कृषि अवसंरचना निधि' के बारे में:

कृषि अवसंरचना निधि, ब्याज माफी तथा ऋण गारंटी के जरिये फसल उपरांत प्रबंधन अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यावहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक कर्ज वित्त-पोषण सुविधा है।

- यह एक अखिल भारतीय केंद्रीय क्षेत्रक योजना (**Central Sector Scheme**) है।
- इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 (10 वर्ष) है।

- इस योजना के तहत, सालाना 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ ऋण के रूप में बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये तथा 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए CGTMSE के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध कराई जाएगी।

पात्रता: इस योजना के अंतर्गत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा एक लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PAC), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (Joint Liability Groups- JLG), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअपों, आदि को उपलब्ध कराये जायेंगे।

ब्याज में छूट: इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत, सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष **2** करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज में **3%** की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम **7** वर्षों के लिए उपलब्ध होगी।

क्रेडिट गारंटी:

- **2** करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (**CGTMSE**) योजना के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा।
- इस कवरेज के लिए सरकार द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- **FPOs** के मामले में, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (**DACFW**) के **FPO** संवर्धन योजना के अंतर्गत बनाई गई इस सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

'कृषि अवसंरचना निधि' का प्रबंधन:

- 'कृषि अवसंरचना निधि' का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबन्धन सूचना प्रणाली (**MIS**) प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
- सही समय पर मॉनिटरिंग और प्रभावी फीडबैक की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमिटियों का गठन किया जाएगा।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'कृषि अवसंरचना निधि' के बारे में:
2. FPOs क्या हैं?
3. कोआपरेटिवस (Cooperatives) क्या हैं?
   संवैधानिक प्रावधान।
4. CGTMSE के बारे में।
5. केंद्रीय क्षेत्रक तथा केंद्र प्रायोजित योजनाएं।

स्रोत: पीआईबी

विषय: बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

1. 'सौर ऊर्जा क्षेत्र' के लिए प्रोत्साहन (Incentives for solar energy sector)

संदर्भ:

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं (Production-Linked Incentive scheme: PLI scheme) को मंजूरी दी गई है:

1. श्वेत वस्तुओं (एयर कंडीशनर तथा एलईडी लाइट) [White goods (air-conditioners and LED lights)]।
2. उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल (High-efficiency solar photovoltaic module)।

पीएलआई योजना के बारे में: पीएलआई योजना (PLI scheme) का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र आधारित अक्षमताओं को दूर करके, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था का निर्माण और दक्षता को सुनिश्चित करते हुए भारत में विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

- इसकी रूपरेखा भारत में उपकरणों व कल-पुर्जों के सम्पूर्ण इको-सिस्टम को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है, ताकि भारत को वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा सके।
- इस योजना के तहत, आगामी पांच वर्षों के दौरान भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिमान बिक्री पर 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- इस योजना से वैश्विक निवेश आकर्षित करने, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने और निर्यात में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।

लाभ: समेकित सोलर पीवी विनिर्माण संयंत्रों की क्षमता में 10,000 मेगावॉट की वृद्धि होगी।

- सोलर पीवी विनिर्माण परियोजनाओं में 17,200 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश होगा।
- सामग्री संतुलन के लिए पांच साल के लिए 17,500 करोड़ रुपये की मांग बढ़ेगी।
- करीब 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 1,20,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
- हर वर्ष करीब 17,500 करोड़ रुपये का आयात नहीं करना पड़ेगा।
- उच्च कुशलता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल को हासिल करने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य में गति आएगी।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GGT8F6HI1.1&imageview=0.

स्रोत: पीआईबी

विषय:विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- विकास एवं अनुप्रयोग और रोज़मर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।

1. बैकाल-जीवीडी (Baikal-GVD)

संदर्भ: हाल ही में, रूसी वैज्ञानिकों द्वारा साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील, बैकाल झील के पानी में **'बैकाल-जीवीडी' [Baikal-GVD (Gigaton Volume Detector)]** नामक **विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलिस्कोप** स्थापित किया गया है।

'बैकाल-जीवीडी' के बारे में:

- यह विश्व के **सबसे बड़े तीन न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स** में से एक है। अन्य दो न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स, **दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित 'आइसक्यूब' (IceCube)** तथा **भूमध्य सागर में स्थापित 'एंटेयर्स' (ANTARES)** हैं।
- इसका उद्देश्य **'न्यूट्रिनो' (Neutrinos) नामक दुष्प्राप्य मूलभूत अणुओं** के बारे में विस्तार से अध्ययन करना तथा उनके संभावित स्रोतों का पता लगाना है।

'न्यूट्रिनो' क्या हैं?

वर्ष 1930 में स्विस वैज्ञानिक वोल्फगैंग पाउली (Wolfgang Pauli) द्वारा प्रस्तावित 'न्यूट्रिनो' (Neutrinos) ब्रह्मांड में, 'फोटॉन' अणुओं, जो प्रकाश का निर्माण करते हैं, के पश्चात् सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले दूसरे अणु हैं। वास्तव में, न्यूट्रिनो, ब्रह्मांड में, इतनी प्रचुर मात्रा में हैं, कि प्रति सेकंड सैकड़ों ट्रिलियन न्यूट्रिनो हम सब के बीच से होकर गुजरते हैं, और हम उन्हें कभी भी नोटिस नहीं कर पाते हैं।

अध्ययन की आवश्यकता:

चूंकि, कुछ न्यूट्रिनों की उत्पत्ति बिग बैंग के दौरान हुई थी तथा सुपरनोवा विस्फोटों अथवा सूर्य में होने वाली परमाण्विक अभिक्रियाओं के परिणामस्वरूप अन्य न्यूट्रिनों का निर्माण होना जारी रहा, अतः इनका अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझने में मदद मिलेगी।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'न्यूट्रिनो' क्या हैं?
2. प्रमुख विशेषताएं
3. न्यूट्रिनो वेधशालाएँ क्या हैं? वे कहाँ स्थित हैं?

मेंस लिंक:

भारत के लिए न्यूट्रिनों के बारे में जानकारी और इसके अनुसंधान के महत्व की आलोचनात्मक रूप से जांच कीजिए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

2. कॉन्वलसंट प्लाज्मा (Convalescent Plasma)

संदर्भ: कोविड-19 मामलों में अचानक वृद्धि होने के साथ ही गुरुग्राम में, पिछले एक सप्ताह में, 'स्वास्थ्य लाभकारी प्लाज्मा' अर्थात 'कॉन्वलसंट प्लाज्मा' (Convalescent Plasma) की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि, इसकी मांग और आपूर्ति के बीच एक असंतुलन बना हुआ है, क्योंकि, विशेष रूप से प्लाज्मा दान करने हेतु लोग आगे नहीं आ रहे हैं।

चुनौतियाँ: वर्तमान में, प्लाज्मा प्रदाता को खोज पाना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों का 'टीकाकरण' किया जा चुका है, वे प्लाज्मा डोनेट करने के पात्र नहीं होते है। इस वजह से, मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन और अधिक विस्तृत होता जा रहा है।

'प्लाज्मा थेरेपी' क्या होती है?

प्लाज्मा, रक्त का एक तरल भाग होता है। संक्रमण से ठीक होने वाले रोगियों के रक्त से निकाला गया 'कॉन्वलसंट प्लाज़्मा' (Convalescent plasma), संक्रमण के विरुद्ध एंटीबॉडीज का एक स्रोत होता है।

- इस थेरेपी में कॉन्वलसंट प्लाज़्मा का प्रयोग अन्य रोगियों को ठीक करने में किया जाता है।

- यह थेरेपी कोविड-19 के लिए उपचार के लिए उपलब्ध विकल्पों में से एक है। इसके तहत प्लाज्मा प्रदाताओं को 'कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने संबंधित प्रलेखित मामले' के रूप में दर्ज होना चाहिए और साथ ही, प्रदाता को संक्रमण के अंतिम लक्षण समाप्त होने के बाद से 28 दिनों तक स्वस्थ रहना आवश्यक होता है।

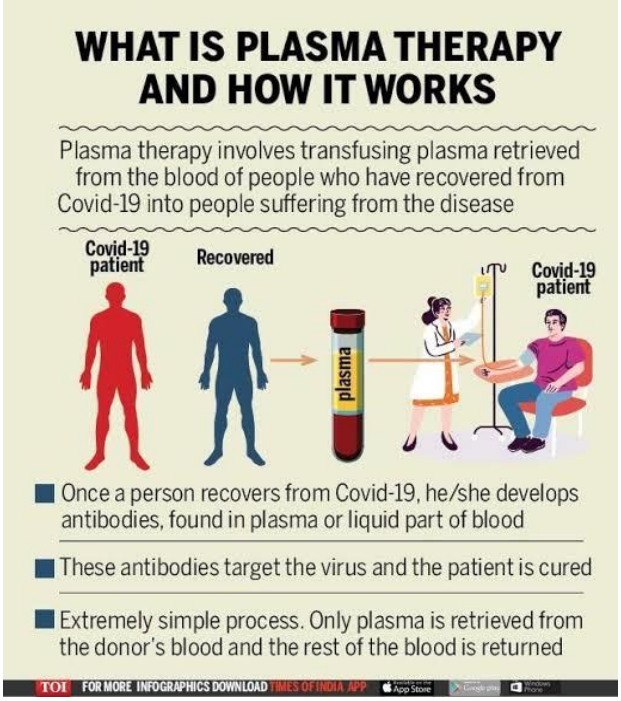

प्रीलिम्स लिंक:

1. टीकाकरण और प्लाज्मा थेरेपी के बीच अंतर?
2. अप्रतिरोधी प्रतिरक्षण क्या है?
3. एंटीबॉडी और एंटीजन क्या हैं?
4. चिकित्सा में प्रथम नोबेल पुरस्कार?
5. रक्तदान और प्लाज्मा दान के बीच अंतर।

मेंस लिंक: कान्वलेसन्ट प्लाज्मा थेरेपी के महत्व पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू

3. एक घंटे के भीतर डेंगू के निदान हेतु उपकरण

संदर्भ: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के अनुसंधानकर्ताओं ने डेंगू के शीघ्र निदान हेतु हाथ में पकड़ने वाली **'भूतल-संवर्धित रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी'** अर्थात **'सरफेस एनहैंस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी' (SERS)** आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह उपकरण, एक घंटे के भीतर डेंगू परीक्षण के परिणाम (त्वरित निदान) भी प्रदान करता है। शिक्षा मंत्रालय के **IMPRINT इंडिया कार्यक्रम** द्वारा इस अनुसंधान कार्य को वित्त पोषित किया गया है।

शीघ्र निदान की आवश्यकता:

डेंगू का शुरुआती निदान, किसी मरीज की सेहत बिगड़ने से रोकने के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण होता है। हालांकि, 'रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन' (RT-PCR) का उपयोग करके न्यूक्लिक एसिड का पता लगाने वाले जैसी पारंपरिक नैदानिक प्रक्रियाओं में, काफी समय लगता है और इसमें डेंगू निदान के लिए महंगे उपकरणों और अभिकर्मकों की भी आवश्यकता होती है।

'सरफेस एनहैंस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी' (SERS) क्या है?

खुरदरी धात्विक सतहों पर अणुओं को अवशोषित करके अथवा प्लास्मोनिक-मैग्नेटिक सिलिका नैनोट्यूब जैसी सूक्ष्मसंरचनाओं द्वारा रमन प्रकीर्णन को बढाने वाली सतह के प्रति संवेदनशील एक तकनीक है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. सीवी रमन और उनके प्रमुख योगदान के बारे में।
2. रमन प्रभाव क्या है?
3. SERS क्या है?
4. रेले प्रकीर्णन और रमन प्रकीर्णन के बीच अंतर।
5. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है?
6. IMPRINT इंडिया प्रोग्राम के बारे में।

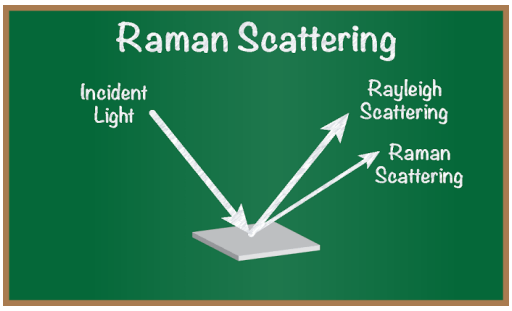

मेंस लिंक: रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर एक टिप्पणी लिखिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G7L8F6A2M.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

4. भारत का 'राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज' (NIXI) (National Internet Exchange of India)

संदर्भ: 'भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज' (National Internet Exchange of India- NIXI) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ देश में IPv6 जागरूकता और उसे अपनाने के लिए एक सहायक की भूमिका निभाने की घोषणा की है।

NIXI के बारे में: भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (NIXI) एक **गैर-लाभकारी संगठन** है।

यह वर्ष 2003 से भारत के नागरिकों को निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से इंटरनेट के बुनियादी ढांचे को फैलाने के लिए काम कर रहा है:

1. इंटरनेट एक्सचेंज, जिनके माध्यम से विभिन्न आईएसपी और डेटा सेंटर के बीच इंटरनेट डेटा का आदान-प्रदान किया जाता है।
2. .IN (डॉट आईएन) रजिस्ट्री, आईएन कंट्री कोड डोमेन का प्रबंधन व संचालन और भारत के लिए भारत IDN (आईडीएन) डोमेन।
3. IRINN (आईआरआईएनएन), इंटरनेट प्रोटोकॉल (IPv4/IPv6) का प्रबंधन और संचालन।

स्रोत: पीआईबी

5. यूरेनियम का 60% तक संवर्धन शुरू: ईरान

संदर्भ: ईरान ने अपने एक परमाणु-स्थल पर पिछले सप्ताह हुई तोड़-फोड़ को इजराइल से जोड़ते हुए प्रतिक्रिया-स्वरूप 60 प्रतिशत की शुद्धता तक यूरेनियम आपूर्ति का संवर्धन करना शुरू कर दिया है। ईरान पहली बार, परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक शुद्धता स्तर की सीमा के इतना नजदीक पंहुचा है।

'यूरेनियम संवर्धन' का लक्ष्य:

- यूरेनियम में एक दुर्लभ रेडियोधर्मी समस्थानिक 'U-235' पाया जाता है, जिसे निम्न संवर्धित स्तर पर परमाणु रिएक्टरों के ईंधन के रूप में तथा अति उच्च संवर्धित स्तर पर परमाणु बमों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।
- यूरेनियम संवर्धन का लक्ष्य U-235 के प्रतिशत स्तर में वृद्धि करना होता है, जिसे अक्सर सेंट्रीफ्यूज (Centrifuges) के माध्यम से किया जाता है। अपकेन्द्रण यंत्र (Centrifuges), अपरिष्कृत यूरेनियम के एक रूप को उच्च गति पर घुमाने वाली मशीनें होती हैं।

वर्तमान में ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम की मात्रा:

संयुक्त राष्ट्र की परमाणु-निगरानी शाखा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, ईरान फरवरी माह तक 2,967.8 किलोग्राम यूरेनियम एकत्रित कर चुका था। परमाणु समझौते के तहत निर्धारित सीमा से लगभग 14 गुना अधिक है, और इसे यदि हथियार ग्रेड के लिए परिष्कृत किया जाए तो यह तीन परमाणु बमों के निर्माण हेतु पर्याप्त होगा।

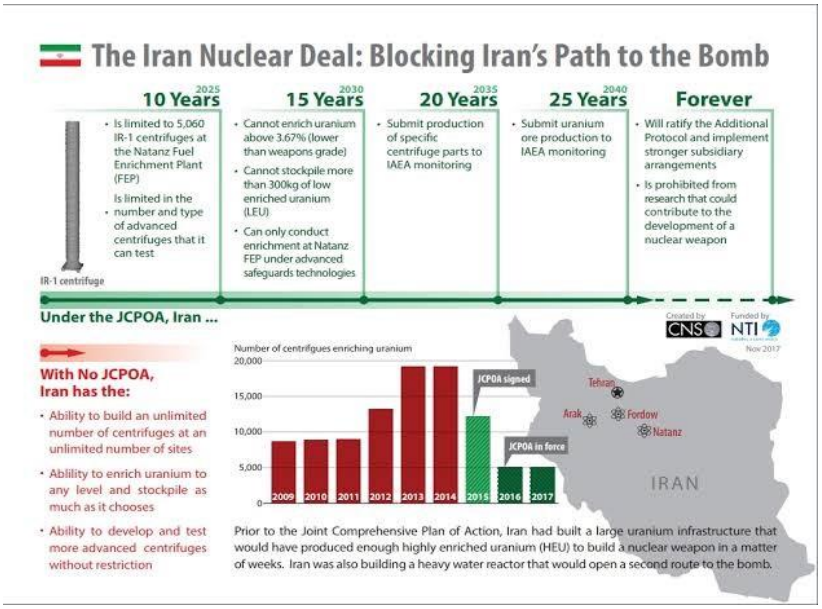

इस भंडार में 17.6 किलोग्राम यूरेनियम 20 प्रतिशत तक संवर्धित है, जिसके लिए भी, समझौते के तहत निषिद्ध वर्ष 2030 तक किया गया था।

वर्तमान में ईरान के पास अधिक मात्रा में संवर्धित यूरेनियम होने का कारण:

वर्ष 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प द्वारा ईरान समझौते को रद्द करने तथा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और अन्य दंड लगाये जाने के बाद, ईरान ने प्रतिक्रिया स्वरूप समझौते से अलग हटकर कई कदम उठाए- जैसे कि अपनी यूरेनियम आपूर्ति में 3.67 प्रतिशत की वृद्धि, यूरेनियम शुद्धता स्तर में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि तथा कुछ परमाणु स्थलों तक अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों की पहुंच सीमित करना। हालाँकि, ईरान ने इन सभी कदमो को आसानी से रद्द की जा सकने वाली कार्रवाईयां बताया।

वर्तमान चिंता का विषय: 60 प्रतिशत संवर्धन स्तर को विशेष रूप से खतरनाक बनाने वाली 'संवर्धन की पेचीदा प्रकिया' है, जिसके तहत जैसे-जैसे शुद्धता का स्तर बढ़ता जाता है, संवर्धन प्रक्रिया आसान होती जाती है, और इसके लिए आवश्यक अपकेन्द्रण यंत्रों की संख्या भी घटती जाती है।

- दूसरे शब्दों में, 20 प्रतिशत शुद्धता स्तर से संवर्धन शुरू करने पर 90 प्रतिशत शुद्धता प्राप्त करना आसान होता है, तथा 60 प्रतिशत शुद्धता स्तर से शुरू करने पर और भी आसान हो जाता है।

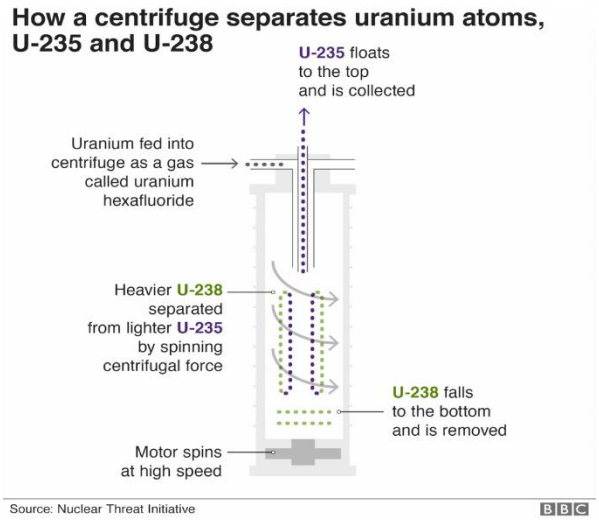

प्रीलिम्स लिंक:

1. JCPOA क्या है? हस्ताक्षरकर्ता
2. ईरान और उसके पड़ोसी।
3. IAEA क्या है? संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध
4. IAEA के सदस्य
5. IAEA के कार्यक्रम।
6. बोर्ड ऑफ गवर्नर- रचना, मतदान और कार्य
7. यूरेनियम संवर्धन क्या है?

मेंस लिंक: संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) पर एक टिप्पणी लिखिए।

स्रोत: द हिंदू

6. सौर-प्रकाश को 99 प्रतिशत तक परावर्तित करने में सक्षम 'अब तक का सर्वाधिक सफ़ेद पेंट'

संदर्भ: हाल ही में अमेरिकी इंजीनियरों द्वारा सूरज की रोशनी को 99 प्रतिशत तक परावर्तित करने में सक्षम एक पेंट का निर्माण किया गया है, जिसे अब तक के सबसे सफेद पेंट बताया जा रहा है।

इसे किस प्रकार निर्मित किया गया?

अत्याधिक-सफ़ेद (अल्ट्रा-व्हाइट) पेंट, 'बेरियम सल्फेट' से बनाया गया है, जो इसे और भी अधिक सफेद बनाता है।

विशेषताएं:

- यह पेंट, रात्रि के समय बाहरी सतहों के तापमान को आस-पास के तापमान से 19 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा रख सकता है तथा दोपहर के समय कड़ी धूप में, यह पेंट बाहरी सतहों को आस-पास के तापमान से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा रखने में सक्षम है।
- यह पेंट, 'वैंटाब्लैक' नामक सर्वाधिक काले पेंट का नजदीकी समकक्ष हो सकता है। 'वैंटाब्लैक' (Vantablack) दृश्य प्रकाश का 99.9 प्रतिशत तक अवशोषित करने में सक्षम होता है।

https://indianexpress.com/article/explained/white-paint-research-sunlight-weather-7276431/lite/.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विषय: सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरुकता।

1. नासा का इनसाइट लैंडर (NASA's InSight lander)

संदर्भ: नवंबर 2018 में लाल ग्रह की सतह पर उतरने के बाद से नासा के इनसाइट लैंडर ने मंगल ग्रह पर 500 से अधिक भूकंप रिकॉर्ड किए हैं।

- हाल ही में 3.3 और 3.1 परिमाण के दो भूकंप '**सर्बरस फॉसा' (Cerberus Fossae)** नामक क्षेत्र में दर्ज किए गए थे।
- ये निष्कर्ष, मंगल ग्रह के भूकंपीय रूप से सक्रिय होने की पुष्टि करते हैं।

'इनसाइट मिशन' के बारे में:

- इनसाइट (**InSight**) मिशन, नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का एक भाग है।
- यह मंगल ग्रह की सतह के नीचे गहराई तक पहुँचने वाला पहला मिशन होगा, तथा यह ग्रह के ऊष्मा उत्पादन को मापकर इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेगा तथा मंगल पर आने वाले भूकंपों को सुनेगा, जोकि पृथ्वी पर आने वाले भूकंप के समान होते हैं।
- यह, मंगल ग्रह के भूकंपों (**marsquakes**) से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों का उपयोग ग्रह की

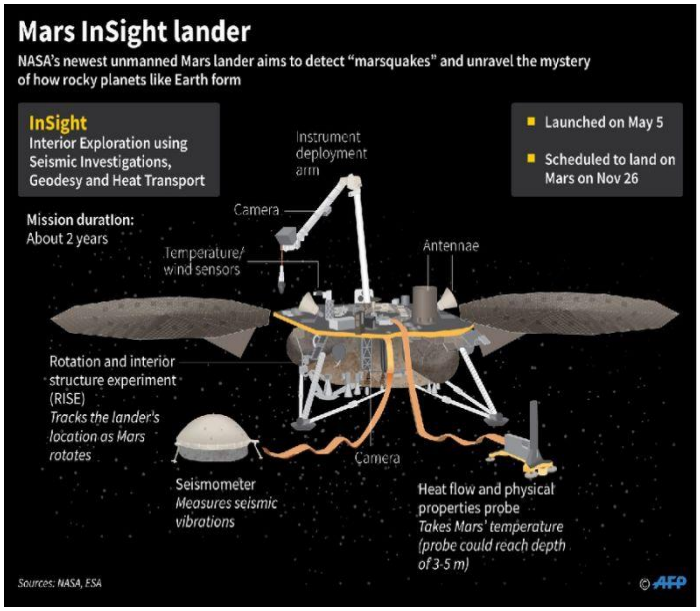

आंतरिक संरचना का मानचित्र बनाने के लिए करेगा।

मिशन का महत्व: मंगल ग्रह की उत्पत्ति से संबंधित निष्कर्ष, पृथ्वी सहित अन्य चट्टानी ग्रहों की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।

- इनसाइट, मंगल ग्रह की सतह के नीचे गहरे खड्डों में प्रवेश करके स्थलीय ग्रह की निर्माण प्रक्रियाओं के चिह्नों का पता लगाएगा, और साथ ही ग्रह के "महत्वपूर्ण संकेत": ग्रह का स्पंदन (भूकंपीय), "तापमान" (गर्मी प्रवाह जांच) और प्रतिबिंबों (सटीक ट्रैकिंग) की माप करेगा।

इनसाइट मिशन, विज्ञान के सबसे बुनियादी सवालों में से एक: स्थलीय ग्रह कैसे बने? के जवाब की खोज करेगा।

प्रीलिम्स लिंक:

1. मिशन के बारे में।
2. उद्देश्य
3. मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशन
4. पर्सवीरन्स मिशन- उद्देश्य।
5. यूएई के 'होप' और चीन के तियानवेन -1 अंतरिक्ष यान के बारे में।

स्रोत: TOI

2. इंजेन्युटी हेलीकाप्टर (Ingenuity Helicopter)

संदर्भ: नासा के 'इंजेन्युटी मिनी-हेलीकॉप्टर' (Ingenuity Mini-Helicopter) को, हाल ही में, पहली उड़ान भरने के लिए मंगल की सतह पर उतार दिया गया है।

इस हेलीकॉप्टर को 'परसिवरेंस रोवर' (Perseverance rover), जिसने इसी वर्ष 18 फरवरी को मंगल ग्रह की सतह का स्पर्श किया है, के अधोभाग में जोड़ा गया था।

'इंजेन्युटी' के समक्ष मंगल ग्रह पर आने वाली चुनौतियां:

- इंजेन्युटी हेलीकाप्टर, मंगल के विरल वातावरण में उडान भरेगा, जिसका घनत्व पृथ्वी के वातावरण की तुलना में मात्र एक प्रतिशत है, इस कारण इसकी उड़ान में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
- किन्तु, इसकी उड़ान के लिए ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से सहायता मिलेगी, जोकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र एक-तिहाई है।
- 'इंजेन्युटी' को मंगल ग्रह पर होने वाली कड़ी ठंडी रातों के दौरान, अपने बगैर सुरक्षा कवच वाले उपकरणों को जमने और टूटने से बचाने हेतु आवश्यक हीटर चलाना होगा, जिसके लिए इसे अब अपनी बैटरी का उपयोग करना पड़ेगा।

'इंजेन्युटी मंगल हेलीकाप्टर' के बारे में:

'इंजेन्युटी' हेलीकाप्टर, एक छोटा समाक्षीय (coaxial), ड्रोन रोटरक्राफ्ट है, जोकि नासा के मंगल अभियान-2020 का एक भाग है। यह अन्य भू-भागों के ऊपर, काम के स्थानों का पता लगाने तथा ग्रह पर मंगल रोवर्स का भविष्य में मार्ग तय करने संबंधी योजना बनाने में, 'फ्लाइंग प्रोब' के संभावित उपयोग हेतु एक 'तकनीकी प्रदर्शन' के रूप में कार्य करेगा।

'परसिवरेंस रोवर' के बारे में:

- परसिवरेंस रोवर (Perseverance rover) को, जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था।
- मंगल ग्रह पर परसिवरेंस अभियान का मुख्य उद्देश्य खगोल-जीवविज्ञान (astrobiology) का अध्ययन तथा प्राचीन सूक्ष्मजीवीय जीवन के खगोलीय साक्ष्यों की खोज करना है।

- यह रोवर, ग्रह के भूविज्ञान और अतीत के जलवायु के बारे में विवरण उपलब्ध कराएगा तथा मानव जाति के लिए लाल ग्रह के अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह, मंगल ग्रह की चट्टानों तथा रेगोलिथ अर्थात विखंडित चट्टानों और धूल (Reglolith) के नमूने एकत्र करने वाला पहला मिशन होगा।
- इसमें ईंधन के रूप में, प्लूटोनियम के रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न ताप द्वारा जनित विद्युत शक्ति का उपयोग किया गया है।
- परसिवरेंस रोवर में MOXIE अथवा मार्स ऑक्सीजन ISRU एक्सपेरिमेंट नामक एक विशेष उपकरण लगा है, जो मंगल ग्रह पर कार्बन-डाइऑक्साइड-समृद्ध वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पहली बार आणविक ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। (ISRU- In Situ Resource Utilization, अर्थात स्व-स्थानिक संशाधनो का उपयोग)

प्रीलिम्स लिंक:

1. मंगल मिशन
2. पर्सविरन्स रोवर - उद्देश्य
3. पर्सविरन्स रोवर पर उपकरण
4. UAE के 'होप' मिशन तथा चीन के तियानवेन -1 अंतरिक्ष यान के बारे में
5. पाथफाइंडर मिशन

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

3. अंतरिक्षीय कचरा (Space debris)

संदर्भ: हाल ही में, इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), दिल्ली को '**अंतरिक्षीय मलबे से टकराव का पूर्वानुमान लगाने हेतु एक प्रणाली विकसित करने हेतु**' विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे 'नेशनल सुपर कम्प्यूटिंग मिशन' (NSM) के तहत अनुसंधान राशि प्रदान की गई है।

इस परियोजना को **'ऑर्बिट कम्प्यूटेशन ऑफ़ रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस'** नाम दिया गया ही, और इसे दो साल में पूरा किया जाएगा।

'अंतरिक्षीय कचरा' क्या होता है?

अंतरिक्षीय कचरा अथवा अंतरिक्षीय मलबा (Space debris), संचार, परिवहन, मौसम और जलवायु निगरानी, रिमोट सेंसिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में सहयोग करने वाली, अंतरिक्ष में स्थित प्रौद्योगिकियों के समक्ष, एक वैश्विक खतरा उत्पन्न करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, और भारतीय मूल की सार्वजनिक और निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी, इन अंतरिक्षीय-पिण्डों से टकराव की संभावना का अनुमान लगाना काफी महत्वपूर्ण है।

अंतरिक्ष में मलबे की मात्रा:

चूंकि, वर्तमान सेंसर तकनीक छोटे आकार के पिंडों का पता लगाने में सक्षम नहीं है, फिर भी इसके द्वारा प्रदान किये गए आंकड़ों के आधार पर माना जाता है, कि अंतरिक्षीय मलबे में 500,000 से एक मिलियन टुकड़े / खंड शामिल हैं।

ये सभी खंड 17,500 मील प्रति घंटे (28,162 किमी प्रति घंटे) की गति से भ्रमण कर रहे है, तथा कक्षीय मलबे का एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी उपग्रह या अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त है।

इस परियोजना का महत्व: इस परियोजना के नतीजों में, एक कार्यात्मक रूप से अनुकूल, मापनीय (scalable), पारदर्शी और स्वदेश निर्मित टक्कर संभावना समाधान तैयार किया जाएगा, जिससे भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को प्रत्यक्ष $ 7 बिलियन (51,334 करोड़ रुपये) की सहायता मिलेगी।

नेत्र (NETRA):

पिछले दिसंबर में, इसरो द्वारा, अंतरिक्ष मलबे से अपनी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए, बेंगलुरु में **'नेत्र' (NETRA)** नामक **'स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस' (SSA)** नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया था।

- **'नेत्र'** का मुख्य उद्देश्य, राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की देखरेख, निगरानी और सुरक्षा करना तथा सभी SSA गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करना है।
- केवल अमेरिका, रूस और यूरोप में पास, अंतरिक्ष पिंडों पर नज़र रखने और टकराव संबंधी चेतावनियों को साझा करने वाली, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

स्रोत: पीआईबी

4. नासा के मंगल हेलीकॉप्टर की दूसरे ग्रह पर पहली उड़ान

संदर्भ: 19 अप्रैल को नासा ने मंगल ग्रह पर अपने छोटे **'इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर'** (Ingenuity Helicopter) को सफलतापूर्वक उड़ाया। किसी अन्य ग्रह पर यह **पहली मशीनी उड़ान** थी।

'इंजेन्युटी' का लक्ष्य इसके तकनीकी कार्यों का प्रदर्शन करना है, और यह 'परसिवरेंस रोवर' के वैज्ञानिक उद्देश्यों में कोई योगदान नहीं करेगा।

'परसिवरेंस रोवर' के बारे में:

- परसिवरेंस रोवर (Perseverance rover) को, जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था।
- मंगल ग्रह पर परसिवरेंस अभियान का मुख्य उद्देश्य खगोल-जीवविज्ञान (astrobiology) का अध्ययन तथा प्राचीन सूक्ष्मजीवीय जीवन के खगोलीय साक्ष्यों की खोज करना है।
- यह रोवर, ग्रह के भूविज्ञान और अतीत के जलवायु के बारे में विवरण उपलब्ध कराएगा तथा मानव जाति के लिए लाल ग्रह के अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह, मंगल ग्रह की चट्टानों तथा रेगोलिथ अर्थात विखंडित चट्टानों और धूल (Reglolith) के नमूने एकत्र करने वाला पहला मिशन होगा।
- इसमें ईंधन के रूप में, प्लूटोनियम के रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न ताप द्वारा जनित विद्युत शक्ति का उपयोग किया गया है।
- परसिवरेंस रोवर में MOXIE अथवा मार्स ऑक्सीजन ISRU एक्सपेरिमेंट नामक एक विशेष उपकरण लगा है, जो मंगल ग्रह पर कार्बन-डाइऑक्साइड-समृद्ध वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पहली बार आणविक ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। (ISRU- In Situ Resource Utilization, अर्थात स्व-स्थानिक संशाधनो का उपयोग)

प्रीलिम्स लिंक:

6. मंगल मिशन
7. पर्सविरन्स रोवर - उद्देश्य
8. पर्सविरन्स रोवर पर उपकरण
9. UAE के 'होप' मिशन तथा चीन के तियानवेन -1 अंतरिक्ष यान के बारे में
10. पाथफाइंडर मिशन

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GCH8GH2BH.1&imageview=0.

5. वर्ष 2025 में रूस का निजी अंतरिक्ष स्टेशन

संदर्भ: रूस की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा वर्ष 2025 में अपना निजी 'ऑर्बिटल स्टेशन' शुरू किए जाने की योजना बनाई जा रही है।

पृष्ठभूमि: रूस द्वारा **'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' (International Space Station- ISS) कार्यक्रम** से अलग होने तथा अकेले कार्यक्रम शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

- अमेरिकी कंपनी 'स्पेस एक्स' के पहले सफल मिशन के बाद, पिछले वर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' (ISS) पर भेजी जाने वाली मानव रहित उड़ानों के संदर्भ में, रूस का एकाधिकार समाप्त हो गया था।

'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' के बारे में:

- 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' (International Space Station- ISS) की शुरुआत वर्ष 1998 में शुरू की गयी थी और इसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहित रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान की अंतरिक्ष एजेंसीज शामिल हैं। 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' (ISS), मानव इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी अंतरराष्ट्रीय सहयोगों में से एक है।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' (ISS) पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित एक 'मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन' (निवास योग्य कृत्रिम उपग्रह) है।
- आईएसएस, सूक्ष्म-गुरुत्वीय (Microgravity) और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जिस पर खगोल-जीवविज्ञान, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, भौतिकी और अन्य क्षेत्रों से संबंधित वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं।
- आईएसएस, लगभग 93 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा प्रति दिन 15.5 चक्कर पूरे करता है।
- सोवियत संघ तथा इसके बाद रूस द्वारा भेजे गए साल्युत (Salyut), अल्माज़, और मीर स्टेशनों, तथा अमेरिका द्वारा भेजे गए 'स्काईलैब' के बाद आईएसएस नौवां अंतरिक्ष स्टेशन है जिस पर चालक दल निवास करता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' (ISS) के बारे में।
2. आईएसएस में शामिल देश
3. उद्देश्य
4. पूर्ववर्ती अंतरिक्ष स्टेशन

मेंस लिंक: 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' पर एक टिप्पणी लिखिए।

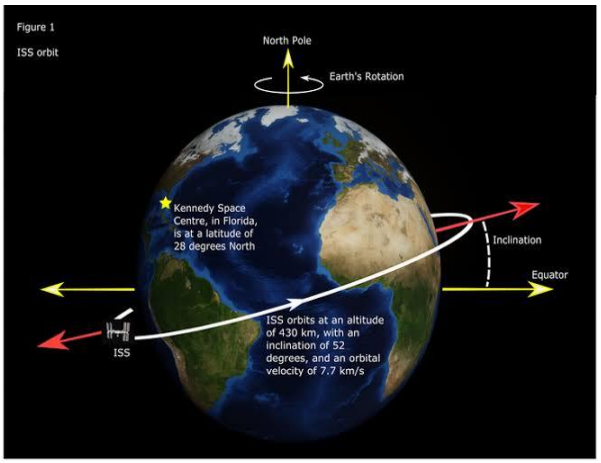

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GN38GL9PK.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

6. नासा के परसिवरेंस मिशन द्वारा मंगल पर ऑक्सीजन का निष्कर्षण

संदर्भ: हाल ही में, 'परसिवरेंस रोवर' (Perseverance rover) पर लगे एक उपकरण को पहली बार मंगल ग्रह के विरल वातावरण से ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सफलता हासिल मिली।

यह सफलता, भविष्य में चालक-दलों सहित भेजे जाने वाले अभियानों के लिए एक उम्मीद प्रदान करती है कि अंतरिक्ष यात्री, मिशन के दौरान सांस लेने और पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए इस तकनीक पर विश्वास कर सकते हैं।

मंगल ग्रह के वायुमंडल की संरचना:

मंगल ग्रह के वायुमंडल में पायी जाने वाले गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 96 प्रतिशत है, तथा ऑक्सीजन की मात्रा केवल 0.13% है। जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है।

मंगल ग्रह पर परसिवरेंस द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन किस प्रकार किया गया:

'मार्स ऑक्सीजन इन-सीटू रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन एक्सपेरिमेंट' (MOXIE) द्वारा मंगल ग्रह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया गया। यह मात्रा एक अंतरिक्ष-यात्री के लिए 10 मिनट तक सांस लेने के लिए पर्याप्त होती है।

- पृथ्वी पर एक वृक्ष की भांति, MOXIE का कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है।
- ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए, MOXIE कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं से ऑक्सीजन परमाणुओं को पृथक करता है। यह प्रक्रिया, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ऊष्मा का उपयोग करके पूरी की गई।

MOXIE के बारे में: एक तकनीकी प्रदर्शक, MOXIE प्रति घंटे 10 ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसे परसिवरेंस रोवर के भीतर लगाया जाता है।

- यह एक कार की बैटरी का आकार है, और इसका वजन पृथ्वी पर 37.7 पाउंड (17.1 किलोग्राम) तथा मंगल ग्रह पर मात्र 14.14 पाउंड (6.41 किलोग्राम) है।
- अगले दो वर्षों में, MOXIE द्वारा नौ बार ऑक्सीजन निष्कर्षण किए जाने की उम्मीद है।

लाल ग्रह पर ऑक्सीजन का उत्पादन इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले चालक-दल सहित अभियानों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति अति महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा सांस लेने के साथ-साथ, पृथ्वी पर वापस आने के लिए प्रयुक्त राकेट में ईंधन के रूप में उपयोग हेतु आवश्यक होगी।

- नासा के अनुसार, एक भविष्य के मिशन में, चार अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मंगल ग्रह से उड़ान भरने हेतु लगभग 7 मीट्रिक टन रॉकेट ईंधन और 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन- लगभग पूरे अंतरिक्ष यान के भार के बराबर- की जरूरत होगी।
- इसके विपरीत, मंगल पर रहने और काम करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने के लिए बहुत कम ऑक्सीजन, लगभग एक मीट्रिक टन, की आवश्यकता होगी।
- इस प्रकार, वापसी यात्रा के लिए, पृथ्वी से मंगल तक 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को ढोना एक बड़ी चुनौती होगी, और यदि लाल ग्रह पर ही तरल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है, तो वैज्ञानिकों का काम काफी आसान हो जाएगा।

https://indianexpress.com/article/explained/explained-nasas-perseverance-mission-extracted-oxygen-mars-why-big-deal-7284595/lite/.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

7. अनिवार्य लाइसेंस (Compulsory license)

संदर्भ: रूस द्वारा भारत के कई हिस्सों में तबाही मचा रहे कोरोनोवायरस के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं तथा साथ ही ऑक्सीजन उत्पादक तथा संकेन्द्रक यंत्रों और कोविड- संबंधी सहायता सहित विशेष विमानों को भेजने की योजना बनाई जा रही है।

हालाँकि, रूस द्वारा अमेरिकी पेटेंट के मद्देनजर रेमेडिसविर दवा भेजे जाने पर रोक लगाई जा सकती है।

संबंधित प्रकरण: रेमेडिसविर (Remdesivir) को विकसित करने **वाले कैलिफ़ोर्निया स्थित गिलियड साइंसेज इंक (Gilead Sciences)** द्वारा अमेरिकी लाइसेंस कानूनों को लागू किये जाने से रेमेडिसविर का निर्यात करने वालों को कानूनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।

- अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा कोविड-19 उपचार के लिए रेमेडिसविर को अक्टूबर 2020 में मंजूरी दी गई थी।
- रूस द्वारा **गिलियड** के अंतरराष्ट्रीय पेटेंट की अवहेलना करते हुए देश में दवा बनाने का निर्णय लिया और एक अध्यादेश जारी करके 'अनिवार्य लाइसेंस' (**Compulsory Licence**) के तहत एक रूसी कंपनी फार्मास्यन्तेज़ (Pharmasyntez) को दवा का निर्माण करने की अनुमति दे दी गई।

'अनिवार्य लाइसेंसिंग' क्या है?

अनिवार्य लाइसेंस, किसी आवेदक कर्ता को पेटेंटकर्ता की सहमति के बिना, किसी पेटेंट उत्पाद का निर्माण करने, प्रयोग करने अथवा बेचने हेतु, अथवा पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोग करने हेतु सरकार द्वारा जारी अधिकार-पत्र पत्र होता है।

- भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के अध्याय XVI तथा 'बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं' (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) समझौते के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग पर विचार किया जाता है।
- किसी उत्पाद के पेटेंट प्राप्त करने की तिथि से 3 वर्ष पश्चात किसी भी समय अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. अनिवार्य लाइसेंस क्या है?
2. भारत में इससे संबंधित प्रावधान
3. अनिवार्य लाइसेंस के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
4. अनिवार्य लाइसेंस जारी करने हेतु प्राधिकारी।

अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

https://www.google.com/amp/s/www.thehindu.com/news/national/russia-to-fly-in-assistance-including-oxygen-generators-concentrators/article34407588.ece/amp/.

स्रोत: द हिंदू

मेंस लिंक:

8. ज़्यूरोंग (Zhurong)

संदर्भ: चीन के पहले मार्स रोवर का नाम, उसके पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर, **'ज़्यूरोंग' (Zhurong)** रखा गया है। यह रोवर, चीन द्वारा मंगल ग्रह के लिए भेजे गए तियानवेन -1 प्रोब (Tianwen-1 probe) के साथ लगा हुआ है।

तियानवेन -1 प्रोब, 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में पहुंच चुका है, तथा ग्रह पर जीवन के साक्ष्यों की तलाश में मई माह में मंगल की सतह पर उतरेगा।

मिशन का महत्व: वर्ष 2019 में चीन, चंद्रमा के दूर स्थित, अब तक काफी कम अन्वेषण किये गए क्षेत्र में एक अंतरिक्ष-प्रोब (space probe) उतारने वाला, तथा दिसंबर में, 1970 के दशक के बाद पहली बार चंद्रमा की चट्टानों को पृथ्वी पर लाने वाला पहला देश बन गया था।

पूर्व सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, मंगल पर रोबोट रोवर भेजने वाला, चीन तीसरा देश बन जाएगा।

तियानवेन -1 के बारे में:

- यह चीन का पहला मंगल प्रोब है, जिसे पहले हुक्सिंग-1 (Huoxing 1) नाम से जाना जाता था।
- इस अंतरिक्ष यान में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर को भेजा गया है।
- इस यान को चीन के जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र (Xichang Satellite Launch Center) से 5 मार्च को लॉन्च किया गया।
- **लैंडिंग साइट:** यह अन्तरिक्ष यान मंगल में उत्तरी अक्षांशों में स्थित 'यूटोपिया प्लैनिटिया'(Utopia Planitia) नामक विशाल मैदान में उतरेगा, इसी स्थान पर वर्ष 1970 में नासा द्वारा भेजा गया वाइकिंग 2 मिशन उतरा था।

अभियान के प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य:

1. मंगल का भूवैज्ञानिक मानचित्र का निर्माण करना।
2. मंगल की मृदा विशेषताओं का परीक्षण करना तथा पानी-बर्फ के संभावित भंडारों की खोज करना।
3. मगल ग्रह के सतही पदार्थों की संरचना का विश्लेषण करना।
4. मंगल ग्रह के वातावरण और जलवायु की जांच करना।
5. मंगल ग्रह के विद्युत-चुम्बकीय तथा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों का अध्ययन करना।

प्रीलिम्स लिंक:

1. चीन के मंगल मिशन के उद्देश्य।
2. अन्य मंगल मिशन
3. भारत का मंगल मिशन

मेंस लिंक: चीन के मंगल मिशन के महत्व पर चर्चा कीजिए।

https://www.thehindu.com/sci-tech/science/chinas-first-mars-rover-named-zhurong/article34406877.ece/amp/.

स्रोत: द हिंदू

9. आदित्य-एल 1 सपोर्ट सेल (Aditya-L1 Support Cell)

संदर्भ:

'आदित्य-एल 1 सपोर्ट सेल', भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को एक वेब इंटरफेस पर इकट्ठा करने के लिए स्थापित किया गया एक 'कम्युनिटी सर्विस सेंटर' है।

- यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस (ARIIS) का संयुक्त प्रयास है।
- इस केंद्र का उपयोग अतिथि पर्यवेक्षकों (गेस्ट ऑब्जर्वर) द्वारा वैज्ञानिक आंकड़ों के विश्लेषण करने में किया जाएगा।

'आदित्य- L1 मिशन' के बारे में:

- यह भारत का पहला सौर मिशन है। इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (PSLV) के द्वारा XL विन्यास (XL configuration) में लॉन्च किया जाएगा।
- इस यान पर सात पेलोड (यंत्र) भेजे जाएंगे।
- इसका उद्देश्य, सूर्य के कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर हवाओं और लपटों और कोरोना से होने वाल द्रव्यों के उत्क्षेपण (Coronal Mass Ejections- CMEs) का अध्ययन करना है, और यह चौबीसों घंटे सूर्य की तस्वीरें लेने का कार्य भी करेगा।

इस मिशन का महत्व: आदित्य मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़े, सौर तूफानों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मॉडलों के बीच अंतर स्पष्ट करने, सौर तूफानों की उत्पत्ति पर रोक लगने तथा इनके द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी तय करने के दौरान गुजरने वाले अंतरिक्षीय मार्ग के बारे में जानकारी हेतु बेहद मददगार साबित होंगे।

उपग्रह का स्थापन: सूर्य के बारे में सर्वाधिक जानकारी हासिल करने हेतु, बिना किसी आच्छादन/ग्रहण के सूर्य का लगातार अवलोकन महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए, आदित्य- L1 उपग्रह को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के **लेग्रांजी बिंदु-1 (Lagrangian point 1)** के आस-पास प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा।

सूर्य और सौर हवाओं के अध्ययन का कारण:

- सूर्य एकमात्र तारा है जिसका हम करीब से अध्ययन कर सकते हैं। जिस तारे के साथ हम रहते हैं, उसका अध्ययन करके हम पूरे ब्रह्मांड के तारों के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं।
- सूर्य, पृथ्वी पर जीवन के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एक स्रोत है। जितना अधिक हम इसके बारे में जानेगे, उतना ही हम पृथ्वी पर जीवन के विकास के बारे में जान सकते हैं।
- यह सौर हवाओं का स्रोत है; जोकि सूर्य से आयनीकृत गैसों का प्रवाह होती है, तथा ये सौर हवाएं 500 किमी प्रति सेकंड (एक मिलियन मील प्रति घंटे) से अधिक की गति से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है।
- सौर हवाओं में व्यवधान होने से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र अस्थिर हो जाता है, और विकिरण पेटी में ऊर्जा स्पंदित होने लगती है, जोकि पृथ्वी के निकटवर्ती अंतरिक्ष, जिसे अंतरिक्षीय मौसम भी कहा जाता है, में परिवर्तनों का एक कारण बनती है।
- **उपग्रहों पर प्रभाव:** अंतरिक्षीय मौसम से उपग्रहों की कक्षाओं में परिवर्तन, इनके जीवन-काल में कमी अथवा इन पर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अंतरिक्षीय मौसम में हलचलों के कारणों के बारे में जानकारी से, इसका पूर्वानुमान किया जा सकता है और हम अपने उपयोगी उपग्रहों की सुरक्षा कर सकते हैं।
- **सुरक्षा और तत्परता:** सौर-हवाओं का अंतरिक्ष के वातावरण पर वर्चस्व होता है। जब हम अपने अंतरिक्ष यानो और अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से दूर भेजते हैं तब हमें अंतरिक्ष वातावरण को उसी प्रकार से जानने की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार, समुद्री यात्रियों के लिए समुद्र को समझने की जरूरत होती है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'आदित्य- L1 मिशन' के बारे में।
2. उद्देश्य
3. लेग्रांजी बिंदु (Lagrangian point) क्या हैं?
4. सौर हवाएँ क्या होती हैं?

मेंस लिंक: 'आदित्य- L1 मिशन' के महत्व पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: पीआईबी

विषय:संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

1. 'वन संरक्षण अधिनियम' मसौदा संशोधन

संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (FCA) में कई संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

मसौदा संशोधन:

- मंत्रालय द्वारा, जंगलों में रेलवे, सड़कों, वृक्षारोपण, तेल-अन्वेषण, वन्यजीव पर्यटन और 'रणनीतिक परियोजनाओं' को छूट देने का प्रस्ताव किया गया हैं।
- इसके तहत, राज्य सरकारों को निजी व्यक्तियों और कॉर्पोरेशंस (corporations) के लिए 'वन भूमि' को पट्टे पर देने का अधिकार प्रदान किया जाएगा।
- इन संशोधनों का उद्देश्य वनों के अभिनिर्धारण की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करना है।
- इनके तहत, 'प्रवेश वर्जित' / नो-गो (no-go) क्षेत्रों का सृजन करने का प्रस्ताव भी किया गया है, जिनमे कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

संबंधित मुद्दे एवं चिंताएं:

- यदि इन प्रस्तावित संशोधनों को लागू किया जाता है, तो 'गोदावरमन मामले' (टीएन गोदावरमन थिरुमुलकपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1996 में सुनाए गए एतिहासिक फैसले के प्रावधान प्रभावहीन हो जाएंगे।
- ये मामला नीलगिरी पहाड़ियों में लकड़ी की अवैध कटाई को रोकने के लिए एक याचिका के रूप में शुरू हुआ था, किंतु 'वन संरक्षण अधिनियम' (Forest Conservation Act- FCA) के क्षेत्राधिकार में विस्तार के साथ समाप्त हुआ था।

प्रस्तावित संशोधनों का आशय इस 'फैसले' की व्यापकता को सीमित करना है, इसके लिए 'वन संरक्षण अधिनियम' (FCA) की अनुप्रयोज्यता सीमा को मात्र निम्नलिखित भूमियों तक सीमित किया जाएगा:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत घोषित या अधिसूचित वन भूमि।
- 25 अक्टूबर 1980 से पहले सरकारी रिकॉर्ड में वन भूमि के रूप में दर्ज भूमि। किंतु, यदि 12 दिसंबर 1996 से पहले, इस प्रकार की भूमि को उपयोग हेतु 'वन भूमि' से गैर-भूमि में परिवर्तित कर दिया गया हो, तो इन पर 'वन संरक्षण अधिनियम' (FCA) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- संशोधन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक, राज्य सरकार की विशेषज्ञ समिति द्वारा 'वन' के रूप में अभिनिर्धारित भूमि।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बारे में:

- वन (संरक्षण) अधिनियम (FCA), देश में वनों की कटाई को नियंत्रित करने हेतु एक प्रमुख कानून है।
- इसके तहत, केंद्र सरकार द्वारा पूर्व मंजूरी के बिना, किसी भी "गैर-वानिकी" उपयोग के लिए जंगलों की कटाई को प्रतिबंधित किया गया है।
- अनापत्ति हासिल करने की प्रक्रिया के तहत स्थानीय वन अधिकार-धारकों और वन्यजीव अधिकारियों से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।

- इसके अंतर्गत, केंद्र सरकार के लिए, इस प्रकार के अनुरोधों को अस्वीकार करने या कानूनी रूप से बाध्यकारी शर्तों के साथ अनुमति देने का अधिकार प्राप्त है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. वन (संरक्षण) अधिनियम (FCA) के प्रमुख प्रावधान।
2. गोदावरमन केस किससे संबंधित है?

मेंस लिंक: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 पर एक टिप्पणी लिखिए।

https://www.downtoearth.org.in/news/forests/draft-amendment-to-forest-conservation-act-may-dilute-protection-to-forests-76145.

स्रोत: डाउन टू अर्थ

2. चिल्का झील, बंगाल की खाड़ी का एक भाग: एक अध्ययन

संदर्भ: एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ओडिशा में चिल्का झील, कभी बंगाल की खाड़ी का भाग थी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (National Institute of Oceanography- NIO), गोवा के समुद्री पुरातत्व विभाग द्वारा किये गए एक अध्ययन में इस तथ्य का पता चला है।

चिल्का झील का निर्माण:

- चिल्का झील के निर्माण की प्रक्रिया, संभवतः लगभग 20,000 वर्ष पूर्व, प्लेस्टोसीन युग (**Pleistocene epoch**) के अंतिम दौर में शुरू हुई होगी।
- भारत की प्रायद्वीपीय नदी, महानदी अपने प्रवाह के साथ भारी मात्रा में गाद (silt) भी लाती रही, जिसका कुछ भाग इसके डेल्टा में जमा होता रहा।
- तलछट से भरी हुई महानदी के बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले इसके मुहाने पर बालुका रोधों (sand bars) का निर्माण हुआ।
- इन बालुका रोधों के कारण सागरीय जल का प्रतिवाह, नदी के मुहाने (estuary) पर मंद ताजे पानी में होने लगा, जिसके परिणामस्वरूप विशाल खारे पानी की झील का निर्माण हुआ।

ऐतिहासिक साक्ष्य: ग्रीक भूगोलवेत्ता **क्लॉडियस टॉलेमी** (150 CE) ने पलोर (Palur) को कलिंग का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में वर्णित किया तथा इसे **'पालौरा' (चिल्का के निकट स्थित)** बताया।

- चीनी तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग (Xuanzang), 7 वीं शताब्दी ईस्वी, ने 'ची-ली-ता-लो-चिंग' (Che-li-ta-lo-Ching) नामक एक समृद्धिशाली बंदरगाह का जिक्र किया था। यह बंदरगाह चिलिका के तट पर छतरगढ़ में अवस्थित था।
- ब्राहमण पुराण (लगभग 10 वीं शताब्दी ईस्वी) के अनुसार, चिल्का, व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और यहाँ से जावा, मलाया और सीलोन के लिए जहाजों के माध्यम से व्यापार होता था।
- प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास ने कलिंग के राजा का 'माधोधिपति' या 'सागर का भगवान' के रूप में वर्णन किया था।

'चिल्का' के बारे में:

- चिल्का (Chilika), की लंबाई उत्तर-दक्षिण दिशा में 64 किलोमीटर, तथा पूर्व-पश्चिम दिशा में चौड़ाई 13.5 किमी है।

- यह झील, सातपाड़ा के निकट उथले और संकरे चैनल के माध्यम से समुद्र से जुडती है। इस चैनल में कई बालू के ढेर (shoals), सैंड स्पिट्स, बालुका रोध पाए जाते हैं, जिससे झील का पानी का प्रवाह समुद्र की और नहीं हो पाटा है, तथा यह संरचनाएं ज्वारीय प्रवाह को भी झील में आने से रोकती हैं।
- चिल्का, एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है।
- यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है और कई संकटग्रस्त पौधों और जीव प्रजातियों का वास स्थल है।
- वर्ष 1981 में, चिल्का झील को रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था।
- चिल्का का प्रमुख आकर्षण **इरावदी डॉल्फ़िन** हैं जिन्हें अक्सर सतपाड़ा द्वीप के नकदीक देखा जाता है।
- इस लैगून क्षेत्र के लगभग 16 वर्ग किमी में एक नलबन द्वीप (सरकंडो का जंगल) है, जिसे वर्ष 1987 में एक 'पक्षी अभयारण्य' (Nalbana Bird Sanctuary) घोषित किया गया था।
- **कालिजई मंदिर** - चिलिका झील में एक द्वीप पर स्थित है।

https://www.downtoearth.org.in/news/water/once-upon-a-time-the-chilika-was-a-part-of-the-bay-of-bengal-study-76168.

स्रोत: डाउन टू अर्थ

3. महेंद्रगिरि में ओडिशा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व प्रस्तावित

संदर्भ: ओडिशा सरकार द्वारा राज्य के दक्षिणी भाग में स्थिति 'महेंद्रगिरि' को राज्य का दूसरा 'जैवमंडल भंडार' बनाने का प्रस्ताव किया गया है। 'महेंद्रगिरि' जैव विविधता से समृद्ध एक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र है। 5,569 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत 'सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व' ओडिशा का पहला 'बायोस्फीयर रिजर्व' है, इसे 20 मई, 1996 को अधिसूचित किया गया था।

प्रस्तावित 'महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व' के बारे में:

- इसका क्षेत्रफल लगभग 470,955 हेक्टेयर है तथा यह पूर्वी घाट के 'गजपति' और 'गंजम' जिलों में विस्तारित है।
- इसका पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, दक्षिण भारतीय और हिमालीय वनस्पतियों और जीवों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो इस क्षेत्र को आनुवांशिक विविधता का पारिस्थितिक क्षेत्र बनाता है।
- महेंद्रगिरि पर 'सौरा जनजाति' निवास करती है, जोकि कांधा जनजाति के साथ 'विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह' है।

'जीवमंडल भंडार' / 'बायोस्फीयर रिजर्व' क्या हैं?

किसी स्थलीय या तटीय / समुद्री पारिस्थितिक तंत्र अथवा दोनों के संयोजन से निर्मित विशाल क्षेत्रों में फैले प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के प्रतिनिधि भागों को '**संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO)** द्वारा 'जीवमंडल भंडार' / 'बायोस्फीयर रिजर्व' (Biosphere Reserve- BR) के रूप में घोषित किया जाता है, इन्हें रूप से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है।

- 'बायोस्फीयर रिजर्व' में प्रकृति के संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक विकास तथा संबद्ध सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है।
- बायोस्फीयर रिज़र्व की अवधारणा को वर्ष 1971 में 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) के 'मैन एंड बायोस्फियर प्रोग्राम' के भाग के रूप में लॉन्च किया गया था।

'बायोस्फीयर रिजर्व' के रूप में घोषित किए जाने हेतु मानदंड:

1. प्रस्तावित स्थल में, प्रकृति संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण एक संरक्षित तथा न्यूनतम बाधित 'कोर क्षेत्र' होना चाहिए।
2. कोर क्षेत्र, एक जैव-भौगोलिक इकाई होना चाहिए और इसका क्षेत्रफल, सभी पोषण स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाली जीवनक्षम आबादी को भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।
3. प्रस्तावित स्थल में, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जैव विविधता संरक्षण में उनके ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए।
4. पर्यावरण के सामंजस्यपूर्ण उपयोग हेतु पारंपरिक आदिवासी या ग्रामीण तौर-तरीकों के संरक्षण की संभावनाएं होनी चाहिए।

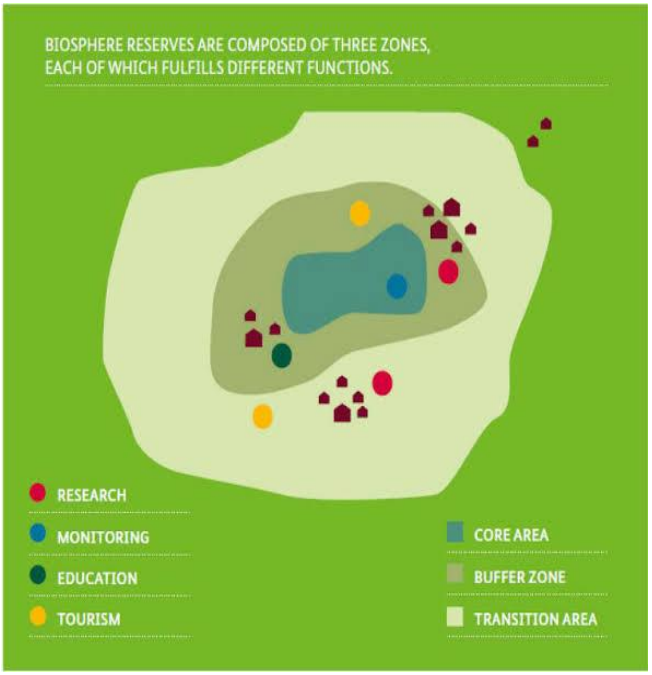

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'जीवमंडल भंडार' क्या हैं?
2. मानदंड
3. सुरक्षा
4. यूनेस्को MAB नेटवर्क के बारे में।

मेंस लिंक:

यूनेस्को के 'मैन एंड बायोस्फियर प्रोग्राम' पर एक टिप्पणी लिखिए।

https://www.downtoearth.org.in/news/wildlife-biodiversity/odisha-government-proposes-state-s-second-biosphere-reserve-at-mahendragiri-76198.

स्रोत: डाउन टू अर्थ

4. इस वर्ष वसंत काल में वनाग्नि और उनकी बारंबारता

संदर्भ: वर्ष 2021 की शुरुआत से, हिमाचल प्रदेश, नगालैंड-मणिपुर सीमावर्ती क्षेत्रों, ओडिशा, मध्य प्रदेश और गुजरात, तथा वन्यजीव अभयारण्यों में 'वनाग्नि' (Forest fires) का क्रम जारी रहा है।

- आमतौर पर, अप्रैल-मई के मौसम में, देश के विभिन्न हिस्सों में 'वनाग्नि' की घटनाएँ देखी जाती है।
- हालांकि, अब तक, उत्तराखंड में 'वनाग्नि' की घटनाएँ सामान्य से अधिक बार घटित हुई हैं, और यहाँ तक कि, सर्दियों के दौरान भी, राज्य के वनों में आग लगने की घटनाएँ देखी गई। इसका एक कारण मानसून के दौरान कम वर्षा होने की वजह से 'मृदा में शुष्कता' माना जा रहा है।

भारत के जंगलों में आग लगने का खतरा कितना है?

- **सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र (Most vulnerable areas)**: उत्तर-पूर्व और मध्य भारत के क्षेत्र, वनाग्नि के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील एवं असुरक्षित क्षेत्र हैं।

- **'अत्यधिक प्रवण' क्षेत्र ('Extremely prone' areas):** असम, मिजोरम और त्रिपुरा के जंगलों को वनाग्नि के प्रति 'अत्यधिक प्रवण क्षेत्र' के रूप में चिह्नित किया गया है।
- **अति उच्च-प्रवण श्रेणी ('Very highly prone' category)**: विस्तृत वन क्षेत्रों वाले राज्यों, जैसे कि, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश को 'अति उच्च-प्रवण श्रेणी' में शामिल किया गया है।
- **'अत्यधिक प्रवण' श्रेणी ('Extremely prone' category):** ओडिशा के मध्य क्षेत्रों सहित, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वनाग्नि के प्रति 'अत्यधिक प्रवण' हॉटस्पॉट में परिवर्तित होते जा रहे हैं।

देश में, वनाग्नि के प्रति 'अत्यधिक प्रवण' तथा 'मध्यम प्रवण' श्रेणियों के अंतर्गत, कुल वन आवरण क्षेत्र का 26.2% अर्थात 1,72,374 वर्ग किमी क्षेत्र आता है।

वनाग्नि के कारण:

1. मृदा में आर्द्रता की कमी।
2. वर्षा की कमी।
3. प्राकृतिक कारण; जैसे, बिजली गिरना, उच्च वायुमंडलीय तापमान और निम्न आर्द्रता
4. मानव निर्मित कारण, जैसे लौ, सिगरेट, विद्युत् की चिंगारी या किसी प्रकार का दहन भी जंगल में आग लगने का कारण बन जाता है।
5. मानव और मवेशियों की बढ़ती आबादी और व्यक्तियों और समुदायों द्वारा चराई, झूम खेती और वन उत्पादों संबंधी मांग में वृद्धि के साथ यह समस्या और बढ़ गई है।

वनाग्नि पर नियंत्रण पाना कठिन क्यों होता है?

- वनों की अवस्थिति और उन तक पहुँच, अग्निशमन प्रयासों को शुरू करने में बाधा उत्पन्न करती है।
- व्यस्ततम अवधि के दौरान, अग्निशमन टीमों को भेजने के लिए, कर्मियों की कमी भी एक चुनौती है।
- घने जंगलों के बीच से होकर, वन्य-कर्मियों, ईंधन और उपकरणों का समय पर भेजना, 'आग के प्रकार' पर निर्भर करता है, और अग्निशमन प्रयासों के लिए यह भी एक चुनौती है।
- चूंकि घने जंगलों में पानी से भरे हुए, भारी वाहनों को परिवहन असंभव होता है, इसलिए ब्लोअर और इसी तरह के उपकरणों का उपयोग करके आग बुझाने का काम, साधारण तरीके से शुरू किया जाता है।
- हवा की गति और दिशा, जंगल में लगी आग पर नियंत्रण पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर, आग, हवाओं की दिशा में और ऊंचाई की ओर फैलती है।

जंगलों को आग से बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

1. वर्ष 2004 के बाद से, 'भारतीय वन सर्वेक्षण' (FSI) द्वारा वास्तविक समय में वनाग्नि पर निगरानी करने हेतु 'फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम' विकसित किया गया है।

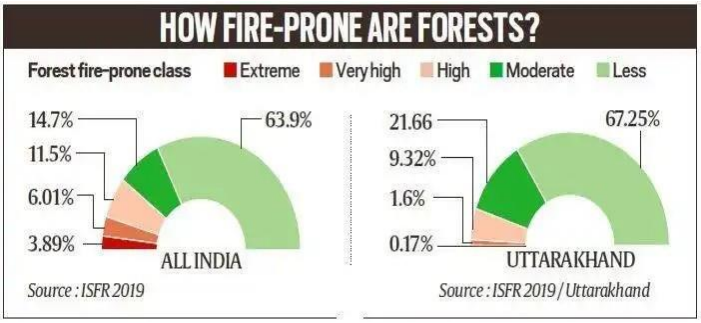

2. जनवरी 2019 में इसका उन्नत संस्करण लॉन्च किया गया था, जिसके तहत, यह सिस्टम अब, नासा और इसरो द्वारा उपग्रह के माध्यम से एकत्रित जानकारी का उपयोग करता है।
3. चिह्नित किए गए फायर हॉटस्पॉट्स से 'रियल टाइम फायर इन्फॉर्मेशन' MODIS सेंसर (1*1 किमी ग्रिड) के माध्यम से एकत्र की जाती है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से 'भारतीय वन सर्वेक्षण' को भेज दी जाती है।

https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/explained/why-forest-fires-break-out-in-the-spring-and-why-they-have-been-so-frequent-this-year-7259057/lite/.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

5. 'नेट-ज़ीरो' और इस पर भारत की आपत्तियाँ (What is net-zero and what are India's objections?)

संदर्भ: वैश्विक जलवायु नेतृत्व को पुनः हासिल करने के प्रयास में, अमेरिकी राष्ट्रपति 'जो बिडेन' द्वारा आयोजित आगामी '**वर्चुअल क्लाइमेट लीडर्स समिट**' में अमेरिका द्वारा वर्ष 2050 तक के लिए 'नेट-जीरो उत्सर्जन' (net-zero emission) लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होने की व्यापक संभावना है।

'नेट-ज़ीरो' (Net-Zero) लिए प्रतिबद्ध अन्य देश:

- ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई अन्य देशों द्वारा वर्तमान सदी के मध्य तक 'नेट-जीरो उत्सर्जन' परिदृश्य हासिल करने का वादा करते हुए पहले से ही कानून बना जा चुके हैं। यहां तक कि, चीन भी वर्ष 2060 तक **'नेट-ज़ीरो'** हासिल करने का वादा कर चुका है।
- यूरोपीय संघ द्वारा, पूरे यूरोप में, इससे संबंधित एक समान कानून तैयार करने पर काम कर रहा है, जबकि कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान और जर्मनी सहित कई अन्य देशों द्वारा **'नेट-ज़ीरो'** भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध होने का इरादा व्यक्त किया है।

'नेट-ज़ीरो' क्या है?

- 'नेट-ज़ीरो' (Net-Zero), जिसे 'कार्बन-तटस्थता' (carbon-neutrality) भी कहा जाता है, का मतलब यह नहीं है, कि कोई देश अपने सकल उत्सर्जन को शून्य तक ले जाएगा। बल्कि, 'नेट-ज़ीरो' **एक ऐसी स्थिति होती है**, जिसमें किसी देश के उत्सर्जन को, 'वायुमंडल से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण तथा निराकरण' के द्वारा क्षतिपूरित **(compensated)** किया जाता है।
- उत्सर्जन के अवशोषण में वृद्धि करने हेतु अधिक संख्या में कार्बन सिंक, जैसे कि जंगल, तैयार किये जा सकते हैं, जबकि वायुमंडल से गैसों का निराकरण करने अथवा निष्कासित करने के लिए कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की आवश्यकता होती है।

'नेट-ज़ीरो' की आवश्यकता:

- पिछले दो वर्षों से, हर देश को वर्ष 2050 तक के 'नेट-ज़ीरो' लक्ष्य पर हस्ताक्षर करने को राजी करने हेतु, एक काफी सक्रिय अभियान चल रहा है।
- तर्क दिया जा रहा है कि, **वर्ष 2050 तक वैश्विक 'कार्बन-तटस्थता'** ही 'पेरिस समझौते' के अंतर्गत निर्धारित, वैश्विक तापमान में वृद्धि को, पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में, 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर सीमित रखने का लक्ष्य हासिल करने का एकमात्र तरीका है।
- 'नेट-ज़ीरो' सूत्रीकरण, किसी भी देश के लिए उत्सर्जन-कटौती संबंधित लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है।

'नेट-ज़ीरो' और पेरिस समझौता: वर्ष 2015 का पेरिस समझौते में, जोकि जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु एक नई वैश्विक संरचना है, 'नेट-ज़ीरो' लक्ष्य का कोई उल्लेख नहीं है।

- पेरिस समझौते के तहत, प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता को, उसकी क्षमता के अनुरूप, सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु कार्रवाई करना अनिवार्य है।
- इसके तहत, सभी देशों को अपने लिए पांच या दस वर्षीय जलवायु लक्ष्य निर्धारित करना तथा उनकी प्राप्ति का प्रदर्शन करना आवश्यक है।
- अन्य अनिवार्यताओं के तहत, प्रत्येक समय-सीमा के पश्चात नए समयावधि के लिए निर्धारित लक्ष्य, पूर्व-अवधि के लक्ष्यों से अधिक महत्त्वाकांक्षी होने चाहिए।

भारत की 'नेट-ज़ीरो' के प्रति आपत्तियां:

अमेरिका और चीन के बाद, **भारत, ग्रीनहाउस गैसों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश** है, और 'नेट-ज़ीरो' लक्ष्य से बाहर रहने वाला एकमात्र प्रमुख देश है।

भारत, अकेला इस लक्ष्य का विरोध कर रहा है क्योंकि इससे भारत के सर्वाधिक प्रभावित होने की संभावना है।

भारत के लिए अद्वितीय चुनौतियां:

- आगामी दो से तीन दशकों में, भारत का उत्सर्जन, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि भारत में, लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने हेतु उच्च विकास पर जोर दिया जा रहा है।
- कितना भी वनरोपण अथवा पुनःवनीकरण इस बढ़े हुए उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है।
- वर्तमान में, कार्बन-निष्कर्षण करने वाली अधिकांश तकनीकें या तो अविश्वसनीय हैं या बहुत महंगी हैं।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'जलवायु नेताओं' के शिखर सम्मेलन के बारे में।
2. नेट-ज़ीरो क्या है?
3. नेट-ज़ीरो के लिए प्रतिबद्ध देश।
4. पेरिस समझौते के बारे में।

https://indianexpress.com/article/explained/why-india-opposes-net-zero-7263422/lite/.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

6. केन-बेतवा परियोजना (Ken-Betwa project)

संदर्भ: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के लिए, 'केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना' (Ken-Betwa river linking project) लागू नहीं करने के लिए एक पत्र लिखा है।

क्योंकि, इस 'नदी जोड़ो परियोजना' से 'पन्ना टाइगर रिजर्व' को काफी नुक्सान होगा। राज्य सरकार का खुला अनुमान है कि इस परियोजना से बाघ अभ्यारण्य का लगभग 40 प्रतिशत इलाक़ा नष्ट हो जाएगा।

पृष्ठभूमि:

- केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 'विश्व जल दिवस' के अवसर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ भारत की पहली प्रमुख नदी-जोड़ो परियोजना पर काम शुरू करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत केन और बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ा जाएगा।
- जल के बंटवारे को लेकर दो राज्यों के बीच असहमति के कारण, इस परियोजना के विचार को मंजूरी मिलने के लगभग 18 साल बाद इस समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

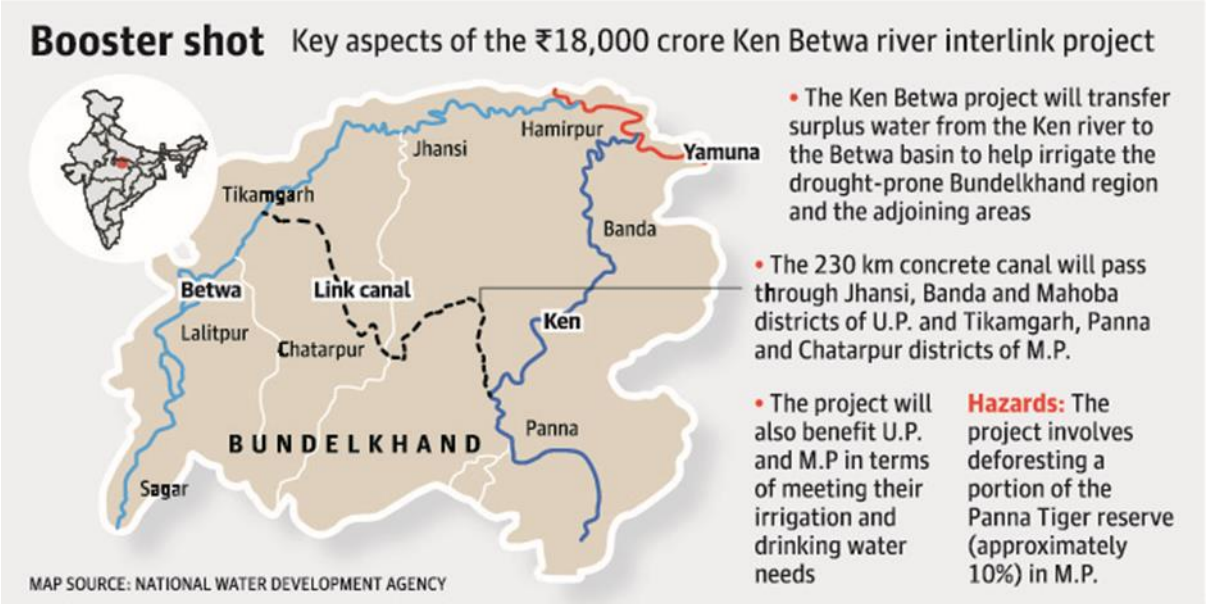

केन-बेतवा परियोजना के बारे में:

दो-भागों में पूरी की जाने वाली परियोजना के रूप में परिकल्पित 'केन-बेतवा परियोजना' **देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है।**

- इसे **अंतरराज्यीय नदी स्थानांतरण मिशन हेतु एक मॉडल परियोजना** के रूप में माना जाता है।
- **इस परियोजना का उद्देश्य,** मध्य प्रदेश में केन नदी से अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है, जिससे **सूखा-प्रवण बुंदेलखंड क्षेत्र** के उत्तरप्रदेश में झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिलों और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिलों को सिंचित किया जा सकेगा।

प्रमुख तथ्य:

1. केन और बेतवा नदियों का उद्गम मध्यप्रदेश में होता है और ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं।
2. केन नदी, उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में और बेतवा नदी हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती हैं।
3. राजघाट, परीछा और माताटीला बांध, बेतवा नदी पर स्थित हैं।
4. केन नदी, पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. परियोजना के बारे में
2. केन और बेतवा- सहायक नदियाँ और संबंधित राज्य।

मेंस लिंक: 'केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना' के महत्व पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GFK8FEAAL.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

7. चिल्का झील में डॉल्फिनों की संख्या में तीव्र वृद्धि

संदर्भ: हाल ही में, ओडिशा सरकार ने डॉल्फ़िन-गणना संबंधी अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं।

प्रमुख निष्कर्ष:

- भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ओडिशा तट पर अवस्थित, चिल्का झील में डॉल्फिनों की आबादी और पिछले साल की तुलना में इस वर्ष दोगुनी हो गई है।

- इस गणना के दौरान डॉल्फ़िन की तीन प्रजातियों, इरावदी, बॉटलनोज़ (Bottlenose) तथा हंपबैक डॉल्फ़िन की संख्या 544 दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इनकी कुल संख्या मात्र 233 थी।
- चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिनों की आबादी में वृद्धि का कारण मछली पकड़ने वाले अवैध बाड़ों का हटाया जाना बताया गया है।

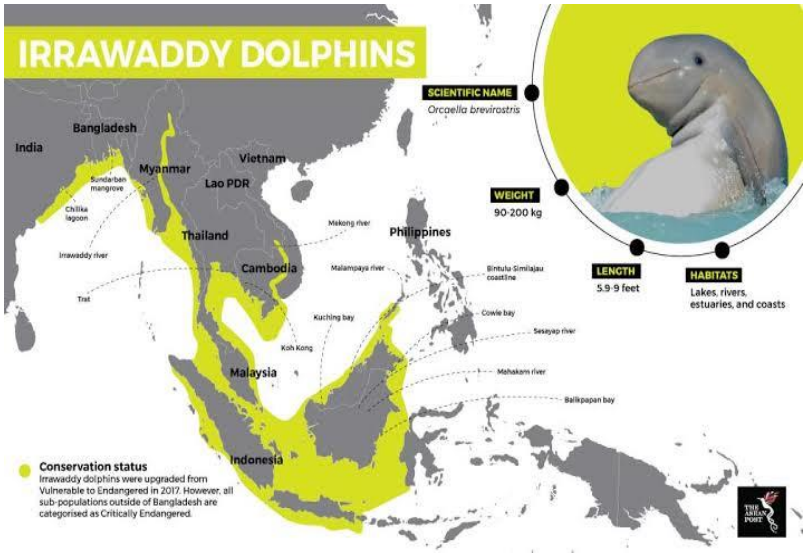

इरावदी डॉल्फ़िन के बारे में:

- इरावदी डॉल्फिन (Irrawaddy Dolphins), दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों, तथा तीन नदियों: इरावदी (म्यांमार), महाकम नदी (इंडोनेशियाई बोर्नियो) और मेकांग नदी (चीन) में पाई जाती हैं
- 'इरावदी डॉल्फ़िन' आईयूसीएन रेड सूची के अनुसार **'लुप्तप्राय' या संकटग्रस्त (Endangered)** हैं।

'इंडो-पैसिफिक बॉटलनोज़ डॉल्फ़िन' (Indo- Pacific Bottlenose dolphins) के बारे में:

- भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण चीन, लाल सागर और अफ्रीका के पूर्वी तट के तटवर्ती जल में निवास करती हैं।
- आईयूसीएन स्थिति: संकट-निकट (Near Threatened) (स्रोत: विकी)।

हिंद महासागर हंपबैक डॉल्फ़िन के बारे में:

- हिंद महासागर हंपबैक डॉल्फिन (**Indian Ocean Humpback dolphins**) हिंद महासागर में, दक्षिण अफ्रीका से भारत के मध्य, पाई जाती हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) स्थिति:** संकटग्रस्त (Endangered)। (स्रोत: विकी)
- भारत में, डॉल्फिन, भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनयम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत 'संकटग्रस्त ह्वेल प्रजाति' के रूप में संरक्षित है।
- भारतीय हंपबैक डॉल्फ़िन, वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय (Convention on International Trade in Endangered Species- CITES) की परिशिष्ट । में सूचीबद्ध है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. भारत में पाए जाने वाली विभिन्न डॉल्फ़िनों के आवास और IUCN स्थिति के बारे में।
2. डॉल्फ़िनों का वैश्विक वितरण
3. चिल्का झील
4. CITES के बारे में

https://www.google.com/amp/s/www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/dolphin-boom-in-odishas-chilika-lake/article34292274.ece/amp/.

स्रोत: द हिंदू

8. इंडियन राइनो विज़न (IRV) 2020 (Indian Rhino Vision)

संदर्भ: हाल ही में, 'इंडियन राइनो विज़न' 2020 (IRV 2020) के तत्वावधान में **'पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य'** (Pobitora Wildlife Sanctuary) से **'मानस नेशनल पार्क'** में दो वयस्क एक सींग वाले गैंडों (The Great one-horned Rhinoceros - Indian Rhinoceros) को स्थानांतरित किया गया था।

आईआरवी-2020 के तहत, वन्यजीव से वन्यजीव स्थानांतरण के अंतिम चरण में, कुल 22 गैंडो का 'मानस नेशनल पार्क' में स्थानांतरण किया गया है, जिसमे से 12 गैंडे 'पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य' से तथा 10 गैंडे 'काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान' से भेजे गए हैं।

इंडियन राइनो विज़न (IRV) 2020 के बारे में:

वर्ष 2005 में शुरू किया गया।

- इंडियन राइनो विज़न 2020**,** वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (World Wildlife Fund- WWF**)** इंडिया, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन और कई अन्य संगठनों के साथ साझेदारी में वन विभाग, असम सरकार के नेतृत्व में शुरू की गई एक पहल है।
- आईआरवी-2020 का लक्ष्य असम के नए क्षेत्रों में गैडों की आबादी बढ़ाकर, इनकी कुल संख्या 3,000 तक करना है।
- वर्तमान में, असम के चार संरक्षित क्षेत्रों- पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य', राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क - में गैंडों की आबादी पायी जाती है।

'एक सींग वाले गैंडे' के बारे में:

- भारत में केवल 'एक सींग वाले गैंडे' (The Great one-horned Rhinoceros) पाए जाते हैं।
- इन्हें 'भारतीय गैंडे' (Indian Rhinoceros) नाम से भी जाना जाता है और यह गैंडा प्रजाति में सबसे बड़ा होता है।
- इसे 'एक काले सींग' और धूसर-भूरे रंग की त्वचा की सिलवटों से पहचाना जाता है।
- ये प्रायः चराई के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और इनके आहार में सभी प्रकार की घास, पत्ते, झाड़ियों और पेड़ों की शाखाएं, फल और जलीय पौधे शामिल होते हैं।

संरक्षण स्थिति:

1. **IUCN रेड लिस्ट:** असुरक्षित (Vulnerable)
2. **वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय (CITES):** परिशिष्ट- । (विलुप्त होने के खतरा तथा CITES द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे गैर- व्यावसायिक उद्देश्यों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रतिबंधित प्रजाति)
3. **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972**: अनुसूची- ।

भारत द्वारा किए जा रहे अन्य संरक्षण प्रयास:

1. **पांच राइनो रेंज** देशों (भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया) द्वारा गैंडा प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु ' एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा-2019' (New Delhi Declaration on Asian Rhinos- 2019) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने देश में सभी गैंडों के डीएनए प्रोफाइल बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है।
3. **राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति**: इसे 2019 में एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था।

प्रीलिम्स लिंक:

1. विभिन्न गैंडा प्रजातियां
2. भारत में एक सींग वाला गैंडा
3. आवास
4. संरक्षण की स्थिति
5. संरक्षण के प्रयास
6. आईआरवी 2020 के बारे में

मेंस लिंक: 'इंडियन राइनो विज़न' 2020 पर एक टिप्पणी लिखिए।

स्रोत: द हिंदू

9. राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट (National climate vulnerability assessment)

संदर्भ: हाल ही में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा 'राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन (National climate vulnerability assessment) रिपोर्ट जारी की गई है।

- इस रिपोर्ट का शीर्षक है, 'उभयनिष्ठ रूपरेखा के माध्यम से भारत में अनुकूलन योजना तैयार करने हेतु जलवायु भेद्यता आकलन' (Climate Vulnerability Assessment for Adaptation Planning in India Using a Common Framework)।
- इस रिपोर्ट में वर्तमान जलवायु संबंधी जोखिमों और भेद्यता के प्रमुख चालकों के लिहाज से भारत के सबसे संवेदनशील राज्यों और जिलों की पहचान की गई है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील राज्यों के रूप में, 'झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम बंगाल' को चिंहित किया है।
- अधिकांशतः, देश के पूर्वी हिस्से में स्थित इन राज्यों में अनुकूलन संबंधी उपायों को प्राथमिकता देने की जरूरत है।

भेद्यता आकलन की आवश्यकता:

- बदलावों के प्रतिसंवेदनशील माने जाने वाले भारत के हिस्सों को मानचित्र पर चिन्हित कर लेने से जमीनी स्तर पर जलवायु से संबंधित कार्रवाइयों को शुरू करने में मदद मिलेगी।

- यह आकलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित उपयुक्त कार्रवाइयों को शुरू करने में नीति निर्माताओं की मदद करेगा।
- यह बेहतर तरीके से डिज़ाइन किए गए जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन से संबंधित परियोजनाओं के विकास के जरिए पूरे भारत में जलवायु परिवर्तन के लिहाज से कमजोर समुदायों को लाभान्वित करेगा।
- इन आकलनों का उपयोग पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों से जुड़ी भारत की रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है। और अंत में, ये आकलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना को मदद देंगे।

प्रीलिम्स लिंक:

1. रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
2. रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील राज्य कौन से है।

मेंस लिंक: जलवायु परिवर्तन भेद्यता क्या है? यह महत्वपूर्ण क्यों है? चर्चा कीजिए।

स्रोत: पीआईबी

10. कैरेबियाई ज्वालामुखी से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड के भारत पहुचने की पुष्टि

संदर्भ: हाल ही में, **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization- WMO)** ने पुष्टि की है, कि कैरिबियन क्षेत्र में हुए एक ज्वालामुखी विस्फोट (ला सौफ्रिएरे वल्कैनो- La Soufriere volcano) से उत्सर्जित होने वाली सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), 16 अप्रैल 2021 को भारतीय वायुमंडल में पहुँच चुकी है, जिससे देश के उत्तरी भागों में प्रदूषण-स्तर बढ़ने तथा अम्लीय वर्षा (acid rain) की आशंका तीव्र हो गई है।

वैज्ञानिकों को, पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत, 'समताप मंडल' में भी 'सल्फेट के ऐरोसॉल कणों' (सल्फ्यूरिक एसिड के पूर्ववर्ती कण) के पहुँचने संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। संभवतः इसी वजह से ये कण भारत तक पहुंचे हैं और इनके दक्षिण पूर्व एशिया के वायुमंडल तक पहुंचने की संभावना है।

प्रभाव और निहितार्थ:

- 'समताप मंडल' में ज्वालामुखीय अंत:क्षेपण का सबसे महत्वपूर्ण जलवायु प्रभाव, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड में रूपांतरण होने से होता है। सल्फ्यूरिक एसिड 'समताप मंडल' में तेजी से संघनित होकर सल्फेट के ऐरोसॉल (aerosols) कणों का निर्माण करता है।
- ऐरोसॉल कण, सौर विकरण के वापस अंतरिक्ष में होने वाले परावर्तन को तीव्र कर देते है, जिससे पृथ्वी के निचले वायुमंडल अर्थात 'क्षोभमंडल' (Troposphere) सामान्य से ठंडा हो जाता है।

सल्फर डाइऑक्साइड- स्रोत:

- वातावरण में उपस्थित 'सल्फर डाइऑक्साइड' (SO2) का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत् संयंत्रों और अन्य औद्योगिक कारखानों द्वारा जीवाश्म ईंधन का दहन होता है।
- 'सल्फर डाइऑक्साइड' उत्सर्जन के छोटे स्रोतों में, अयस्कों से धातु निष्कर्षण जैसी औद्योगिक प्रक्रियाएँ; प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी; और रेल-इंजन, जहाज और अन्य वाहन तथा अधिक मात्रा में सल्फर युक्त ईंधन का दहन करने वाले भारी उपकरण आदि शामिल होते हैं।

प्रीलिम्स लिंक:

1. सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में।
2. पर्यावरण पर स्रोत और प्रभाव।
3. ला सौफ्रिएरे ज्वालामुखी।
4. ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रदूषक।

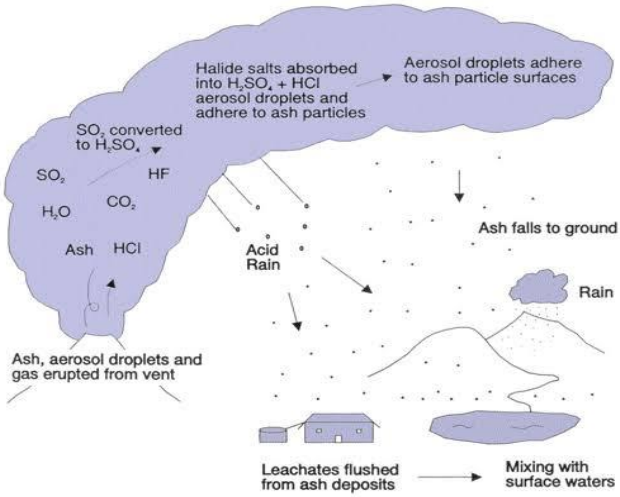

https://www.downtoearth.org.in/news/natural-disasters/sulphur-dioxide-from-caribbean-volcano-reaches-india-wmo-confirms-76547.

स्रोत: डाउन टू अर्थ

11. भारत और जर्मनी के मध्य 'समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे की समस्या' पर समझौता

संदर्भ: हाल ही में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में, भारत और जर्मनी ने '**समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों**' के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रमुख तथ्य:

- इस परियोजना की परिकल्पना, भारत और जर्मनी गणराज्य के बीच **'समुद्री कचरे की रोकथाम' (Prevention of Marine Litter)** के क्षेत्र में सहयोग के उद्देश्य से हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणापत्र की रूपरेखा के तहत वर्ष 2019 में की गई थी।
- इस परियोजना को, समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक को रोकने की व्यवस्था बढ़ाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय स्तर (MoHUA), चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तर प्रदेश, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) और कानपुर, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर शहरों में साढ़े तीन साल की अवधि के लिए चालू किया जाएगा।
- इस परियोजना के परिणाम पूरी तरह से **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी** के उद्देश्यों के अनुरूप हैं, जिसमें निरंतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

समुद्री कचरे के प्रभाव:

1. समुद्री कूड़ा पर्यावरण के लिए खतरा है और दुनिया भर में मत्स्य और पर्यटन उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
2. अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालने के अलावा, यह सूक्ष्म प्लास्टिक के बारे में बढ़ती चिंताओं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने वाले कणों के जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
3. अनुमानतः सभी प्लास्टिक का 15-20% नदियों के बहते पानी के रास्ते महासागरों में प्रवेश कर रहा है, जिनमें से 90% योगदान दुनिया की 10 सबसे प्रदूषित नदियां करती हैं। इनमें से दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवाहित होती हैं।

स्रोत: पीआईबी

12. पृथ्वी दिवस 2021 (Earth Day)

संदर्भ: प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है।

इस वर्ष अर्थात् 22 अप्रैल, 2021 को 'पृथ्वी दिवस' 51 वीं वर्षगांठ है।

पृथ्वी दिवस- 2021 का विषय: 'अपनी धरती को पहले जैसा करें' (Restore Our Earth) है।

'पृथ्वी दिवस' के बारे में:

- 'पृथ्वी दिवस', वर्ष 1970 में पहली बार मनाया गया था।
- यह कार्यक्रम वर्ष 1969 में हुए 'सांता बारबरा तेल-रिसाव' की घटना तथा साथ ही स्मॉग और प्रदूषित नदियों जैसे अन्य मुद्दों के कारण शुरू किया गया था।
- वर्ष 2009 में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 अप्रैल को 'अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मातृ दिवस' (International Mother Earth Day) के रूप में अभिहित किया गया।
- वर्तमान में, पृथ्वी दिवस, वैश्विक स्तर पर EARTHDAY.ORG, एक गैर-लाभकारी संगठन, द्वारा समन्वित किया जाता है।
- पृथ्वी दिवस 2016 के दिन ही **पेरिस समझौते** पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।

प्रीलिम्स लिंक:

1. पृथ्वी दिवस के बारे में
2. महत्व
3. उद्देश्य
4. पेरिस समझौते के बारे में
5. 'अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मातृ दिवस' के उद्देश्य

मेंस लिंक: पृथ्वी दिवस के महत्व पर चर्चा कीजिए।

https://indianexpress.com/article/explained/earth-day-2021-significance-theme-7284224/lite/.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

13. 'पायरासोल' परियोजना (Project 'Pyrasol')

संदर्भ: हाल ही में, चेन्नई में, एकीकृत सौर ड्रायर और पायरोलिसिस पायलट (Integrated Solar Dryer and Pyrolysis pilot) प्लांट की आधारशिला रखी गई।

- यह पायलट इंडो-जर्मन परियोजना 'पायरासोल' का हिस्सा है, जिसका शुभारंभ स्मार्ट शहरों के शहरी जैविक कचरे को बायोचार और ऊर्जा में बदलने के लिए किया गया है।
- यह 'पायरासोल' प्रोजेक्ट, इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा सीएसआईआर-सीएलआरआई को प्रदान किया गया था।
- यह परियोजना अंततः भारतीय स्मार्ट शहरों के 'फैब्रीस ऑर्गेनिक वेस्ट' (FOW) और 'सीवेज स्लज' (SS) के संयुक्त प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकी विकास के साथ-साथ ऊर्जा रिकवरी, कार्बन अनुक्रमीकरण और पर्यावरण सुधार से संबंधित अत्यधिक उपयोगी बायोचार और स्वच्छतापूर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देगी।

'पायरासोल' प्रोजेक्ट के बारे में: यह परियोजना भारतीय स्मार्ट शहरों के साथ-साथ अन्य शहरी केंद्रों में एकीकृत और संवादात्मक दृष्टिकोण के साथ शहरी कचरे के संग्रह, उपचार और निपटान प्रणालियों के प्रबंधन और आयोजन पर केन्द्रित है।

इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (IGSTC) के बारे में:

इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (IGSTC) की स्थापना भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और जर्मन सरकार द्वारा की गई थी।

- इसका उद्देश्य भारत-जर्मन की अनुसंधान और प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग का उपयोग करते हुए अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास एवं उद्योग में भागीदारी की सुविधा प्रदान करने पर जोर देना है।

- IGSTC अपने प्रमुख कार्यक्रम '2+2 परियोजनाओं' के माध्यम से, भारत और जर्मनी से अनुसंधान और अकादमिक संस्थानों एवं सार्वजनिक/निजी उद्योगों की क्षमता को समन्वित करके नवाचार केंद्रित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को उत्प्रेरित करता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. '2 + 2 परियोजना' कार्यक्रम के बारे में
2. इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (IGSTC) के बारे में।
3. प्रोजेक्ट 'पायरासोल'

स्रोत: पीआईबी

14. नेट ज़ीरो उत्पादक मंच (Net Zero Producers' Forum)

संदर्भ: कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, कनाडा और नॉर्वे द्वारा सम्मिलित रूप से एक 'सहकारी मंच' (कोआपरेटिव फोरम) का निर्माण किया जा रहा है, यह मंच नेट ज़ीरो उत्सर्जन हेतु व्यावहारिक रणनीतियों का विकास करेगा। ये देश सामूहिक रूप से, 40% वैश्विक तेल और गैस उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं।

'नेट ज़ीरो उत्पादक मंच' की भूमिका एवं कार्य:

नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर्स फोरम, "मीथेन के न्यूनीकरण (methane abatement), सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, स्वच्छ-ऊर्जा, कार्बन कैप्चर और भंडारण हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास एवं इन्हें लागू करने, हाइड्रोकार्बन राजस्व पर निर्भरता में परिवर्तन, तथा हर देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से अन्य उपायों को शामिल करने वाली" रणनीतियों और तकनीकों पर विचार करेगा।

'नेट-ज़ीरो' क्या है?

'नेट-ज़ीरो' (Net-Zero), जिसे 'कार्बन-तटस्थता' (carbon-neutrality) भी कहा जाता है, का मतलब यह नहीं है, कि कोई देश अपने सकल उत्सर्जन को शून्य तक ले जाएगा। बल्कि, 'नेट-ज़ीरो' **एक ऐसी स्थिति होती है**, जिसमें किसी देश के उत्सर्जन को, 'वायुमंडल से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण तथा निराकरण' के द्वारा क्षतिपूरित **(compensated)** किया जाता है।

उत्सर्जन के अवशोषण में वृद्धि करने हेतु अधिक संख्या में कार्बन सिंक, जैसे कि जंगल, तैयार किये जा सकते हैं, जबकि वायुमंडल से गैसों का निराकरण करने अथवा निष्कासित करने के लिए कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की आवश्यकता होती है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर्स फोरम' के बारे में।
2. 'जलवायु नेताओं' के शिखर सम्मेलन के बारे में।
3. नेट-ज़ीरो क्या है?
4. नेट-ज़ीरो के लिए प्रतिबद्ध देश।
5. पेरिस समझौते के बारे में।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विषय:आपदा और आपदा प्रबंधन।

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act)

संदर्भ: 'आपदा प्रबंधन अधिनियम' **(Disaster Management Act- DM Act)** को लागू करते हुए, केंद्र ने राज्यों को, निजी संयंत्रों के पास मौजूदा भंडार सहित समस्त 'तरल ऑक्सीजन' (liquid oxygen) सरकार को उपलब्ध कराने तथा इसका केवल चिकित्सीय उद्देश्यों में प्रयोग करने का आदेश दिया है।

यह आदेश केंद्रीय गृह सचिव द्वारा जारी किया गया है। **केंद्रीय गृह सचिव, 'डीएम अधिनियम', 2005 के तहत गठित 'राष्ट्रीय कार्यकारी समिति' के अध्यक्ष** होते हैं।

निहितार्थ: इस आदेश के पश्चात, फार्मास्युटिकल, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा और इस्पात क्षेत्रों सहित नौ उद्योगों को छोड़कर, सभी औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति निषिद्ध होगी।

'तरल ऑक्सीजन' के बारे में:

- यह आणविक ऑक्सीजन का तरल रूप होती है।
- लिक्विड ऑक्सीजन का रंग हल्का नीला होता है और यह प्रकृति में काफी अनुचुंबकीय (paramagnetic) होती है: इसे एक घोड़े की नाल के आकार की शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच लटकाया जा सकता है।
- इसकी प्राशीतनी अर्थात क्रायोजेनिक प्रकृति के कारण, तरल ऑक्सीजन के स्पर्श में आने वाले पदार्थ बेहद नाजुक / भंगुर हो जाते हैं।
- तरल ऑक्सीजन भी एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट भी होती है; अर्थात तरल ऑक्सीजन में कार्बनिक पदार्थ तेजी से जलते है।

उपयोग: वाणिज्यक रूप से, तरल ऑक्सीजन को एक औद्योगिक गैस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और औद्योगिक और चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है।

- तरल ऑक्सीजन, अंतरिक्ष यान रॉकेट अनुप्रयोगों के लिए, प्रायः तरल हाइड्रोजन, केरोसिन तेल या मीथेन के संयोजन में, सबसे आम क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीडाइजर प्रणोदक होती है।

इससे पिछले जारी किए गए आदेश:

22 अप्रैल को, 'आपदा प्रबंधन अधिनियम' **(DM Act)** के तहत केंद्र सरकार ने, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को, मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की निर्बाध अंतर-राज्य आवाजाही सुनिश्चित करने तथा जिन राज्यों में ऑक्सीजन संयत्र स्थित हैं, आपूर्ति केवल वहीं तक न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी निर्धारित किया था।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के बारे में:

आपदा प्रबंधन अधिनियम का उद्देश्य आपदाओं का प्रबंधन करना है, जिसके तहत शमन रणनीति तैयार करना, क्षमता-निर्माण आदि को सम्मिलित किया गया है।

- यह अधिनियम देश में जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ है।
- यह अधिनियम "आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन तथा इससे संबंधित मामलों से निपटने हेतु प्रावधान करता है।"
- इस अधिनियम में 'भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के गठन' का प्रावधान किया गया है।
- यह अधिनियम, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) का गठन करने के लिए निर्देशित करता है।
- इसमें सभी राज्य सरकारों के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के गठन को अनिवार्य किया गया है।

केंद्र सरकार के लिए प्रद्दत शक्तियां: 'आपदा प्रबंधन अधिनियम' (DM Act) के अंतर्गत केंद्र सरकार और NDMA के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

- इसके तहत, केंद्र सरकार, कोई भी कानून लागू के बावजूद (ओवर-राइडिंग पॉवर सहित) भारत में कहीं भी किसी भी प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन करने या सहायता प्रदान करने के लिए कोई भी निर्देश जारी कर सकती है।
- महत्वपूर्ण रूप से, केंद्र सरकार और NDMA द्वारा जारी किए गए ऐसे किसी भी निर्देश का केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य होता है।
- इन सभी के लिए, प्रधानमंत्री NDMA (S 6(3)) के तहत प्रद्दत सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित होता है, किए गए फैसलों का पर्याप्त राजनीतिक और संवैधानिक महत्व है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम क्या है?
2. इस अधिनियम के तहत स्थापित निकाय
3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की संरचना
4. आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्यों और केंद्र की शक्तियां
5. अधिसूचित आपदा क्या है?
6. NDRF के कार्य
7. तरल ऑक्सीजन और इसके उपयोग के बारे में।

मेंस लिंक: क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, देश के मुख्य आपदा प्रबंधन कानून के अनुकूल नहीं है? वर्तमान स्थिति में एक महामारी कानून की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।1. डीएम एक्ट क्या है?

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GI68H6OT5.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

2. असम में भूकंप

संदर्भ: हाल ही में, पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में, रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया।

भूकंप का अधिकेंद्र (Epicentre):

- प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि भूकंप का केंद्र, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट (HFT) के नजदीक कोपिली भ्रंश (**Kopili Fault**) पास स्थित था।
- यह क्षेत्र भूकंपीय रूप से अति सक्रिय है तथा यह विवर्तनिक प्लेटों के टकराव क्षेत्र से संबंधित **उच्चतम भूकंपीय जोखिम क्षेत्र V (Seismic Hazard zone V)** के अंतर्गत आता है, जहाँ भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट के नीचे अधःक्षेपित होती है।

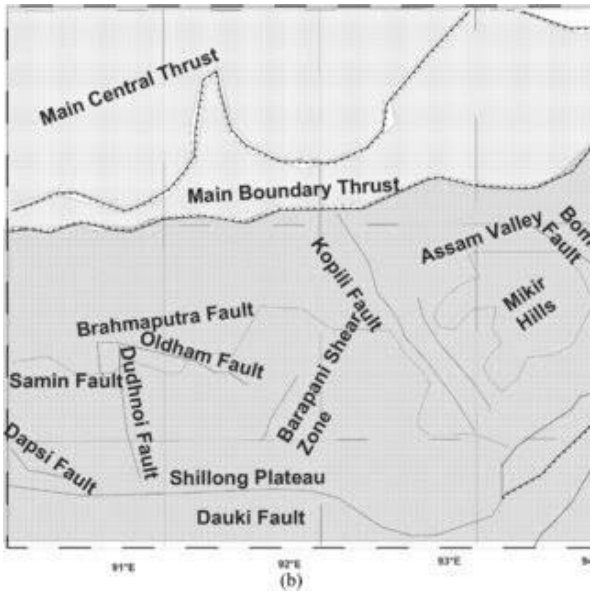

हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट (HFT) क्या है?

हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट (HFT) के लिए मुख्य फ्रंटल थ्रस्ट (MFT) के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय और यूरेशियन विवर्तनिक प्लेटों की सीमा पर भूगर्भीय भ्रंश है।

भ्रंश (fault) क्या होता है?

भ्रंश अथवा 'फाल्ट', भू-पर्पटी में एक दरार होती है, जिसके सहारे भू-पर्पटी के खंड या ब्लॉक एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं ।

समय की मांग: भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा, उच्चतम भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमारे पास भूकंप के लिए सभी स्तरों पर निरंतर तैयारी होनी चाहिए। विशेषकर, भ्रंश रेखाओं के सहारे विवर्तनिक तनाव में लगातार वृद्धि होती जा रही है।

पृष्ठभूमि: ऐतिहासिक और यंत्रवत् दर्ज किए गए भूकंप के आंकड़ों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में कई "मध्यम से लेकर बड़े भूकंप" आ चुके हैं। इनमे से, 1950 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर असम-तिब्बत क्षेत्र में आया भूकंप सबसे भयंकर था।

https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/explained/explained-in-assam-earthquake-reminder-of-seismic-hazard-along-hft-faultline-7292770/lite/.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विषय:आंतरिक सुरक्षा के लिये चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्त्वों की भूमिका।

1. नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक (Civil defence volunteers)

संदर्भ: दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि 'नागरिक सुरक्षा कर्मियों' जिन्हें **'दिल्ली सिविल डिफेंस' (DCD)** स्वयंसेवक भी कहा जाता है, को पुलिस बैरिकेड्स का उपयोग करके लोंगो को रोकने और कोविड-19 के उपयुक्त व्यवहार, जैसे कि मास्क पहनने, का उल्लंघन करने पर अभियोग लगाने की शक्ति नहीं हैं।

संबंधित प्रकरण: महामारी के दौरान अपने काम के लिए प्रशंसा हासिल करने से लेकर ज्यादती करने के आरोपों का सामना करने तक, हाल के दिनों में, राष्ट्रीय राजधानी में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की भूमिका गहन जांच के दायरे में आ गई है।

हाल ही में, ऐसी ही एक घटना आईआईटी-दिल्ली के पास सिविल डिफेंस कर्मियों के एक समूह और आम जनता के बीच पूरी तरह से लड़ाई-झगड़े में बदल गई थी।

तो, ये 'नागरिक रक्षा स्वयंसेवक' कौन हैं?

- 'नागरिक रक्षा स्वयंसेवक', दिल्ली में, जिला मजिस्ट्रेटों की कमान में कार्य करने वाले पुरुष और महिलाएं हैं।
- इनकी शीर्ष कमान संभागीय आयुक्त के पास होती है, जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा रिपोर्ट की जाती है।
- नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक 'नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968' के तहत कार्य करते हैं।

'नागरिक सुरक्षा' (सिविल डिफेंस) क्या है?

- 'नागरिक सुरक्षा अधिनियम' (Civil Defence Act), 1968 के अनुसार, 'नागरिक सुरक्षा' (सिविल डिफेंस) को ऐसे किसी भी उपाय के रूप में पारिभाषित किया गया है, "जिसके द्वारा, भारत में किसी भी प्रतिकूल हमले की स्थिति होने पर व्यक्तियों, संपत्ति और स्थानों की रक्षा की जाती है, किन्तु वास्तविक मुठभेड़ नहीं होती है"।

- अधिनियम में वर्ष 2010 के संशोधन से, 'सिविल डिफेंस' की परिभाषा में विस्तार करते हुए 'आपदा प्रबंधन' को भी इसकी जिम्मेदारियों में शामिल किया गया है।

'स्वयंसेवकों' की मूल भूमिका:

- स्थानीय प्रशासन की सहायता करना।
- महामारी के दौरान, स्वयंसेवकों ने हॉटस्पॉट की जाँच में भाग लेने और जरूरतमंदों के लिए भोजन वितरित करने के माध्यम से फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की भूमिका निभाई।
- हाल के महीनों में, 'दिल्ली सिविल डिफेंस' स्वयंसेवकों को बाजारों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर और तथा टीकाकरण केंद्रों पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए भी तैनात किया गया है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक' कौन हैं?
2. भूमिका और कार्य
3. नियुक्ति
4. जवाबदेही

मेंस लिंक:दिल्ली में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की भूमिकाओं और कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विषय:संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका।

1. चीन की डिजिटल मुद्रा (China's digital currency)

संदर्भ:

चीन द्वारा फरवरी माह में, अपनी नई डिजिटल मुद्रा के प्रयोगिक परीक्षणों का नवीनतम दौर शुरू किया गया है। खबरों के अनुसार, चीन के द्वारा इस वर्ष के अंत तक तथा **फरवरी 2022 में होने वाले बीजिंग विंटर ओलम्पिक** से पहले इस नई डिजिटल मुद्रा को व्यापक स्तर पर शुरू करने की योजना है।

चीनी डिजिटल मुद्रा की क्रियाविधि:

आधिकारिक तौर पर **'डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान' (Digital Currency Electronic Payment-DCEP)** के रूप में घोषित, डिजिटल RMB अथवा रॅन्मिन्बी (Renminbi), चीन की मुद्रा का एक डिजिटल संस्करण है। ज्ञातव्य है, रॅन्मिन्बी या RMB चीन की मुद्रा को कहा जाता है।

इसे, चीन के केंद्रीय बैंक, 'पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना' (PBOC) द्वारा अधिकृत 'एप्लिकेशन' के माध्यम से डाउनलोड और एक्सचेंज किया जा सकता है।

चीनी डिजिटल मुद्रा की प्रमुख विशेषताएं:

- यह **केंद्रीय बैंक द्वारा प्रत्याभूत एक 'वैध मुद्रा' (legal tender)** है, न कि किसी थर्ड-पार्टी ऑपरेटर द्वारा गारंटीकृत भुगतान।
- इसमें कोई **थर्ड-पार्टी लेनदेन नहीं होता** है, और इसलिए, इस पर कोई लेनदेन शुल्क नहीं लगता है।
- ई-वॉलेट के विपरीत, **डिजिटल मुद्रा को इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं** है। इसके द्वारा 'नियर-फील्ड कम्युनिकेशन' (NFC) तकनीक के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
- गैर-बैंक भुगतान प्लेटफार्मों, जिन पर उपयोगकर्ताओं को बैंक खातों को लिंक करने की आवश्यकता होती है, के विपरीत, 'डिजिटल मुद्रा' संबंधी खातों को एक 'निजी पहचान संख्या' के साथ खोला जा सकता है।

प्रीलिम्स लिंक:

1. विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी
2. विभिन्न देशों द्वारा शुरू की गई क्रिप्टोकरेंसी
3. ब्लॉकचेन तकनीक क्या है?

मेंस लिंक: 'क्रिप्टोकरेंसी' क्या होती हैं? इनके विनियमन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

स्रोत: द हिंदू

2. यूनाइटेड किंगडम, नीरव मोदी का प्रत्यर्पण करने पर सहमत

संदर्भ: हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम के गृह विभाग द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के 13,758 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले से संबंधित हीरा व्यापारी नीरव मोदी को भारत के लिए प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी गयी है। प्रत्यर्पण को मंजूरी, दो महीने पहले, लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद दी गयी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, कि प्रथम दृष्टया नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला बनता है।

आगे की कार्रवाई:

- आरोपी के पास 'सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट' के इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए, 14 दिनों के भीतर यूनाइटेड किंगडम के उच्च न्यायालय में गुहार लगाने का कानूनी रास्ता शेष है।
- यदि कोई अपील नहीं की जाती है, तो 'सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट' द्वारा प्रत्यर्पण के आदेश दिए जाने के 28 दिनों के भीतर अनुरोध किए गए व्यक्ति को प्रत्यर्पित कर दिया जाता है।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी:

दिसंबर 2019, एक विशेष अदालत द्वारा 'प्रवर्तन निदेशालय' की याचिका पर हीरा कारोबारी नीरव मोदी को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के $ 2 बिलियन की धोखाधड़ी मामले में एक **भगोड़ा आर्थिक अपराधी (fugitive economic offender)** घोषित कर दिया गया था।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी- परिभाषा:

कोई व्यक्ति, जिसके खिलाफ कम से कम 100 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के आर्थिक अपराध में शामिल होने के कारण गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और जो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भारत से भाग गया है, ऐसे व्यक्ति को अपराधी माना जायेगा।

प्रक्रिया: जांच एजेंसियों द्वारा **'धन शोधन निवारण अधिनियम' (Money-Laundering Act)** के तहत 'विशेष अदालत' में एक आवेदन दायर किया जाता है। इस आवेदन में जब्त की जाने वाली संपत्तियों और व्यक्ति के ठिकाने से संबधित अन्य जानकारी का विवरण होता है।

1. इसके बाद, विशेष न्यायालय द्वारा, उस व्यक्ति को एक निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने के लिए एक नोटिस जारी किया जाता है। उपस्थिति होने के लिए, **नोटिस के जारी होने से कम से कम छह सप्ताह** के बाद की तारीख निर्धारित की जाती है।
2. यदि वह व्यक्ति निर्धारित स्थान और तिथि पर हाजिर हो जाता है, तो आगे की कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। यदि वह व्यक्ति हाजिर नहीं होता है, तो जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर व्यक्ति को **भगोड़ा आर्थिक अपराधी** घोषित कर दिया जाता है।

3. भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया व्यक्ति '**भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम**', **2018** के अनुसार, इस प्रकार की घोषणा के 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दे सकता है।

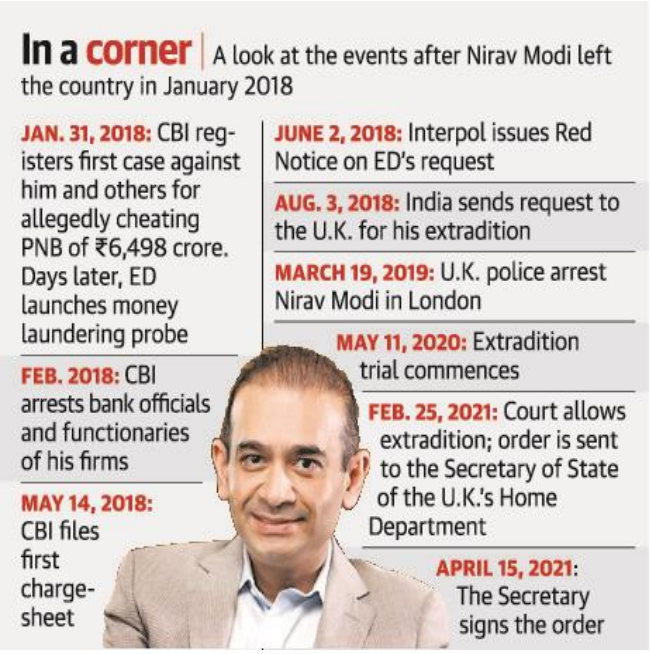

प्रीलिम्स लिंक:

1. 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' कौन होता है?
2. 'प्रवर्तन निदेशालय' की संरचना एवं शक्तियां
3. सीबीआई की स्थापना और शक्तियां
4. PMLA क्या है?
5. 'भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम' का अवलोकन

मेंस लिंक: 'भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम' के महत्व और प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G0K8G6VT7.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

3. इंटरनेट से अपमानजनक सामग्री को हटाने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश

संदर्भ: यह देखते हुए कि 'इंटरनेट न कभी सोता है और न कभी भूलता है' दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अश्लील वेबसाइटों से आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो जैसी अपमानजनक सामग्री को हटाने में आने वाले समस्याओं से निपटने हेतु कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

संबंधित प्रकरण: यह प्रकरण, एक महिला द्वारा अदालत में दायर की गई याचिका के बाद सामने आया है। याचिका में महिला ने कहा है, कि उसकी कुछ तस्वीरें, जोकि बिल्कुल अश्लील या आपत्तिजनक नहीं थी, उसकी बगैर सहमति के, उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से लेकर एक अश्लील वेबसाइट पर अपमानजनक शीर्षक लगाकर अपलोड कर दी गईं।

उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश:

- किसी अदालत में इस प्रकार की शिकायत आने पर, अदालत द्वारा, जिस वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है, उसे तत्काल इस तरह की सामग्री को हटाने हेतु निर्देश जारी किया जाए। और हर हालत में, अदालत के आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हट जानी चाहिए।
- उच्च न्यायालय ने वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को निर्देश जारी करते हुए कहा है, कि आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित करने वाली वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए, कम से कम 180 दिनों की अवधि के लिए आपत्तिजनक सामग्री से संबंधित सभी जानकारी और संबंधित रिकॉर्ड को, जाँच में उपयोग हेतु, संरक्षित करना अनिवार्य होगा।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GN38GLAVD.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

4. 'व्हाट्सएप की निजता नीति' (WhatsApp privacy policy)

संदर्भ: हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप द्वारा दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में व्हाट्सएप ने 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग' (Competition Commission of india- CCI) द्वारा इसकी विवादित **नई निजता नीति** की जांच करने हेतु दिए गए आदेश को चुनौती दी थी।

संबंधित प्रकरण: व्हाट्सएप ने याचिका में दावा किया था कि चूंकि उसकी 'निजता नीति' का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग' (CCI) द्वारा इसकी जांच का आदेश देने की आवश्यकता नहीं थी। व्हाट्सएप के मालिक फेसबुक द्वारा भी 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग' के इस आदेश चुनौती देते हुए इसी तरह की याचिका दायर की गई थी।

'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग' (CCI) का वक्तव्य:

CCI ने तर्क दिया है, कि जांच का आदेश इस बात का पता लगाने के लिए दिया गया है, क्या डेटा तक पहुँच होने से प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग किया जा सकता है।

- नई निजता नीति द्वारा कथित रूप से अत्यधिक डेटा संग्रह करके प्रभावित किया जा रहा है और यह जांचने की जरूरत है कि क्या अत्यधिक डेटा संग्रह से प्रतिस्पर्धा-विरोधी निहितार्थ किसी सीमा के बाहर किसी मुद्दे पर उल्लंघन कर रहा है।
- आयोग ने कहा, कि वह व्हाट्सएप की 'नई निजता नीति' पर काम कर रहा है, जिसका, उपभोक्ताओं का 'अत्यधिक डेटा संग्रह' करने तथा उसका प्रतिस्पर्धा-विरोधी संदर्भों में तथा साझा करने में उपयोग किया जा सकता है।

निजता नीति की प्रमुख विशेषताएं:

1. **तीसरे पक्ष की सेवाओं के साथ जानकारी साझा करना:** जब उपयोगकर्ता, तीसरे-पक्ष की सेवाओं या व्हाट्सएप सेवाओं के साथ एकीकृत फेसबुक कंपनी के अन्य उत्पादों पर यकीन करते हैं, तो उपयोगकर्ता तथा साझा करने वाले अन्य लोगों के बारे में उन तीसरे-पक्ष की सेवाओं को जानकारी हासिल हो सकती है।
2. **हार्डवेयर की जानकारी:** व्हाट्सएप, उपयोगकर्ता के उपकरणों के बैटरी स्तर, सिग्नल शक्ति, ऐप संस्करण, ब्राउज़र जानकारी, मोबाइल नेटवर्क, कनेक्शन जानकारी (फोन नंबर, मोबाइल ऑपरेटर या आईएसपी सहित) आदि एकत्र करता है।
3. **अकाउंट डिलीट करना:** यदि कोई उपयोगकर्ता, ऐप में दी गयी प्रक्रिया का उपयोग किए बिना अपने डिवाइस से व्हाट्सएप ऐप को हटा देता है, तो उस उपयोगकर्ता की जानकारी प्लेटफ़ॉर्म में संग्रहीत रहेगी।
4. **डेटा स्टोरेज:** व्हाट्सएप कहता है कि वह फेसबुक की वैश्विक अवसंरचनाओं और डेटा केंद्रों का उपयोग करता है। यह भी कहा गया है कि कुछ मामलों में, उपयोगकर्ताओं के डेटा को संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जिन स्थानों पर फेसबुक की सहयोगी कंपनियां है, वहां स्थानांतरित किया जा सकता है।
5. **अवस्थिति:** भले ही कोई उपयोगकर्ता अपनी अवस्थिति संबंधी सुविधाओं का उपयोग नहीं करता है, तो भी व्हाट्सएप उसकी सामान्य अवस्थिति (शहर, देश) का अनुमान लगाने के लिए आईपी पते और फोन नंबर क्षेत्र कोड जैसी अन्य जानकारी एकत्र करता है।

6. **भुगतान सेवा:** व्हाट्सएप का कहना है कि अगर कोई भी उपयोगकर्ता अपनी भुगतान सेवाओं का उपयोग करता है तो वे आपके बारे में अतिरिक्त जानकारी संसाधित करेंगे, जिसमें भुगतान खाता और लेनदेन की जानकारी शामिल है।

संबंधित चिंताएँ:

- व्हाट्सएप की नई नीति, डेटा संरक्षण विधेयक, 2019' को आधार प्रदान करने वाली 'श्रीकृष्ण समिति' की रिपोर्ट की सिफारिशों की अवहेलना करती है।
- डेटा स्थानीयकरण के सिद्धांत का उद्देश्य निजी डेटा का देश के बाहर हस्तांतरण पर रोक लगाना है, इससे व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के साथ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- नई गोपनीयता नीति के लागू होने पर व्हाट्सएप किसी उपयोगकर्ता का मेटाडेटा भी साझा कर सकता है, अर्थात, वार्तालाप के मूल संदेशों के आलावा सबकुछ साझा किया जा सकता है।
- यदि उपयोगकर्त्ता व्हाट्सएप की अद्यतन गोपनीयता नीति से असहमत हैं, तो इस नई नीति लागू होने के बाद उनके पास व्हाट्सएप छोड़ना होगा।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GHI8GSTVG.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

5. क्रू-2 मिशन (Crew-2 mission)

संदर्भ: हाल ही में, एक **'वाणिज्यिक चालकदल कार्यक्रम' (Commercial Crew Programme- CCP)** के अंतर्गत नासा और स्पेसएक्स के मध्य सहयोग के तहत चार अंतरिक्ष यात्रियों को, फ्लोरिडा से **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)** के लिए भेजा गया है।

इस मिशन को 'क्रू -2' (Crew-2 mission) का नाम दिया गया है, और यह 'स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन' (SpaceX Crew Dragon) का 'चालक दल' ले जाने हेतु दूसरी उड़ान (crew rotation) है। इस उड़ान में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को शामिल किया गया है।

'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' पर क्रू-2 द्वारा किए जाने वाले कार्य:

- इस मिशन के सदस्य सूक्ष्म-गुरुत्व (microgravity) का अध्ययन, आहार संबंधी सुधारों का शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की कार्य-पद्धति तथा आँतों के माइक्रोबायोम पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने हेतु 'खाद्य शरीर क्रियाविज्ञान' (food physiology) पर शोध कार्य करेंगे, इसके साथ ही, ये सदस्य, यह भी पता लगाएंगे कि आहार संबंधी सुधार, चालक-दल को अंतरिक्ष-यात्रा के अनुकूल बनाने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं।
- इस दौरान इनका ध्यान मुख्यतः अंतरिक्ष अध्ययन में 'ऊतक-चिप्स' (**Tissue Chips**) की श्रृंखला जारी रखने पर केन्द्रित रहेगा। ये 'ऊतक चिप्स' मानव अंगों के छोटे प्रतिरूप होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, जो मानव शरीर की भांति व्यवहार करती हैं। नासा के अनुसार, ये चिप्स संभवतः सुरक्षित और प्रभावी दवाओं और टीकों की पहचान करने की प्रक्रिया तेज कर सकते हैं।

वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम: 'वाणिज्यिक क्रू / चालकदल कार्यक्रम' (Commercial Crew Programme- CCP) का मुख्य उद्देश्य, लागत के संदर्भ में अंतरिक्ष तक पहुंच को आसान बनाना है, ताकि कार्गो और चालक दलों को **अंतर्राष्ट्रीय**

अंतरिक्ष स्टेशन से आसानीपूर्वक लाया और ले जाया जा सके। इससे बड़ी मात्रा में और व्यापक वैज्ञानिक शोध किये जा सकेंगे।

इस कार्यक्रम के माध्यम से, नासा द्वारा 'बोइंग' और 'स्पेसएक्स' जैसे वाणिज्यिक भागीदारों के साथ साझेदारी करके अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करने की योजना बनाई गयी है, और साथ ही नासा द्वारा इन कंपनियों को 'वाणिज्यिक कक्षीय परिवहन सेवाओं' (Commercial Orbital Transportation Services- COTS) के डिजाइन और निर्माण के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।

पृष्ठभूमि: नासा द्वारा सितंबर 2014 में 'बोइंग' और 'स्पेसएक्स' को अमेरिका से 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन' तक चालक दलों को लाने-ले जाने हेतु परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए चुना गया था।

प्रीलिम्स लिंक:

1. नासा का 'वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम' - भागीदार।
2. अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम
3. डेमो-1 बनाम डेमो-2 मिशन
4. ISS क्या है?
5. अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में

https://indianexpress.com/article/explained/explained-the-significance-of-the-crew-2-mission-launched-today-7286184/lite/.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

6. साइबर अपराध स्वयंसेवक कार्यक्रम (Cybercrime volunteer programme)

संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि, चूंकि 'पुलिस' संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत एक "राज्य का विषय" है, अतः यह साइबर अपराध स्वयंसेवक कार्यक्रम के तहत भर्ती होने वाले स्वयंसेवकों की केंद्रीकृत सूची नहीं बनाता है।

पृष्ठभूमि: हाल ही में, सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत एक आवेदन में राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के **साइबर अपराध स्वयंसेवक कार्यक्रम** के तहत आवेदन करने वाले स्वयंसेवकों की कुल संख्या के बारे में जानकारी माँगी गई थी। उक्त आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि इस बारे में, संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सीधे जानकारी मांगी जा सकती है।

'साइबर अपराध स्वयंसेवक कार्यक्रम' के बारे में:

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre- I4C) द्वारा देश की सेवा करने का जूनून रखने वाले नागरिको को एक साथ एक मंच पर लाने और देश में साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में योगदान करने हेतु 'साइबर अपराध स्वयंसेवी कार्यक्रम' की परिकल्पना की गयी है।

- संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, आवश्यकता के अनुसार, स्वयंसेवकों को पंजीकृत और उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है।
- इस कार्यक्रम का लक्ष्य, इंटरनेट पर गैरकानूनी सामग्री को चिह्नित करने के लिए लगभग 500 व्यक्तियों को शामिल करना है।

भूमिकाएँ और कार्य:

- स्वयंसेवकों के लिए "सौंपे गए / किए गए कार्यों की सख्त गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक होगा"।
- नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य नोडल अधिकारी को स्वयंसेवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

- इस योजना के तहत, स्वयंसेवकों को इस कार्यक्रम के साथ उनके संबंध के बारे में कोई भी सार्वजनिक बयान जारी करना निषिद्ध है, और किसी भी सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंच पर गृह मंत्रालय के नाम का उपयोग करने तथा मंत्रालय से किसी प्रकार की संबद्धता का दावा करने के लिए 'सख्ती से प्रतिबंधित' है।

संबंधित चिंताएं:

- मंत्रालय किस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि किन्ही तत्वों द्वारा गलत तरीके से व्यक्तिगत या राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए कार्यक्रम का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- कार्यक्रम के तहत, एक बार शिकायत करने के बाद उसे वापस लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है।
- "राष्ट्र-विरोधी" गतिविधियों से संबद्ध की जाने वाली 'विधिविरुद्ध सामग्री' की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है।
- इसके तहत, **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2013) मामले में** दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन हो सकता है। इस फैसले में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, कि ऑनलाइन वार्ताओं पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का उपयोग राज्य द्वारा इंटरनेट पर 'वाक् स्वातंत्र्य' (free speech) का अपराधीकरण करने में एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाए।

प्रीलिम्स लिंक:

1. I4C के बारे में।
2. साइबर स्वयंसेवक कौन हैं?
3. भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

साइबर स्वयंसेवक कौन हैं? उनकी भूमिकाओं और कार्यों से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा कीजिए।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=GI68H706F.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

मेंस लिंक:

विषय:सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन- संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।

1. पंजाब सरकार की ड्रग्स मामलों पर पुरस्कार नीति

संदर्भ: हाल ही में, पंजाब सरकार द्वारा, 'स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम' (Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act) अर्थात NDPS एक्ट के तहत ड्रग्स की रिकवरी करने हेतु जानकारी तथा सूचना देने को प्रोत्साहित करने हेतु एक पुरस्कार नीति को मंजूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु:

- इस नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों-मुखबिरों-स्रोतों को, पर्याप्त मात्रा में ड्रग्स पकड़वाने हेतु दी गई जानकारी में, तथा NDPS अधिनियम, 1985 और PIT NDPS अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों को सफलतापूर्वक लागू करने में उनकी भूमिका को मान्यता प्रदान की जाएगी।
- सफल अन्वेषण, अभियोजन, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती, निवारक हिरासत और अन्य महत्वपूर्ण नशीली दवाओं के खिलाफ कार्यों के लिए पुरस्कार की मात्रा, मामले-दर-मामला के आधार पर तय की जाएगी।

'स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम' 1985: 'स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम' (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट) को नारकोटिक ड्रग्स संबंधित एकमात्र अभिसमय, 'कन्वेंशन

ऑन साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस' तथा 'नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सबस्टेंस' के अवैध व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अंतर्गत भारत द्वारा समझौते के दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था।

1. NDPS एक्ट, 1985, भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए वैधानिक ढांचा तैयार करता है।
2. इस अधिनियम के तहत, 'स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों' की खेती, उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, उपभोग, अंतर-राज्य गतिविधि, ट्रांसशिपमेंट, आयात और निर्यात प्रतिबंधित है।
3. हालाँकि, चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर, सरकार द्वारा दिए गए किसी भी लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण के नियमों और शर्तों के अनुसार उपरोक्त मामलों में छूट प्रदान की गई है।
4. केंद्र सरकार को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों' की खेती, उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, बिक्री, खपत, उपयोग आदि को विनियमित करने का अधिकार है।
5. राज्य सरकारों के लिए, अफीम, खसखस, औषधीय अफीम के निर्माण और हशीश को छोड़कर भांग की खेती तथा अफीम की अंतर-राज्य गतिविधियों के लिए अनुमति देने तथा विनियमित करने का अधिकार दिया गया है।
6. केंद्र सरकार, किसी पदार्थ को, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के निर्माण में इसके संभावित उपयोग के आकलन के आधार पर, 'नियंत्रित पदार्थ' (controlled substance) घोषित कर सकती है।
7. अधिनियम के प्रयोजनों हेतु, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों को अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार है।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G8B8GOR8T.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

सामान्य अध्ययन-IV

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि

विषय: लोक प्रशासन में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र।

1. गंभीर अपराध से बरी अभ्यर्थी को नियोक्ता द्वारा खारिज किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

संदर्भ: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, किसी लोक नियोजक द्वारा, अतीत में, संदेह के लाभ पर गंभीर अपराध से बरी, नौकरी हेतु आवेदन करने वाले किसी अभ्यर्थी को अस्वीकार किया जा सकता है।

अदालत की टिप्पणी:

- किसी व्यक्ति के मात्र बरी होने का तथ्य पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह सबूतों के अभाव के आधार पर पूर्ण रूप से एकदम बरी किया गया है, अथवा आपराधिक न्यायशास्त्र (criminal jurisprudence) के तहत मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए आवश्यक मानक पूरा नहीं होने पर, आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है।
- संदेह के लाभ के आधार पर बरी होना, सम्मान के साथ बरी होने से काफी भिन्न होता है। किसी जघन्य अपराध के आरोप में सम्मान के साथ बरी होने होने वाले किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रोजगार के लिए पात्र माना जाना चाहिए।

- इसके अलावा, किसी आपराधिक मामले में बरी होना, किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को स्वतः ही हकदार नहीं बना देता है।

'सम्मान के साथ' बरी किया जाना:

जब किसी अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गए साक्ष्य, अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों को साबित करने में पूर्णतयः विफल रहते है, और अभियुक्त को पूर्ण विवेचना के बाद बरी कर दिया जाता है, तो इसे **'सम्मान के साथ'** बरी किया जाना (Honourably Acquitted) कहा जा सकता है।

पृष्ठभूमि:

यह मामला, राजस्थान के मामले से संबंधित है, जिसमे गवाहों के मुकर जाने से वर्ष 2009 में एक व्यक्ति को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया। वह व्यक्ति, एक महिला के ऊपर ट्रैक्टर चढाने तथा इसका विरोध करने वाले लोगों पर चाकू से हमला करने वाले एक समूह में शामिल था।

https://epaper.thehindu.com/Home/MShareArticle?OrgId=G6F8ES7M5.1&imageview=0.

स्रोत: द हिंदू

विषय: नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि

2. बंदर के भ्रूण में विकसित मानव कोशिकाओं पर नैतिकता संबंधी बहस

संदर्भ: हाल ही में, अमेरिकी शोधकर्ताओं को पहली बार मानव कोशिकाओं को बंदर के भ्रूण में विकसित करने में सफलता हासिल हुई है।

- मैकाक बंदरों के भ्रूण में मानव कोशिकाओं को एकीकृत करके, शोधकर्ताओं ने एक नामुमकिन समझा जाने वाला 'काल्पनिक उपकरण' (**काइमरिक टूल- Chimeric Tool)** तैयार किया है।
- ये काल्पनिक जीव, जिन्हें 'किमीरा' (Chimeras) कहा जाता है, दो भिन्न प्रजातियों की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। संबंधित मामले में ये 'किमीरा' मनुष्य और बंदर प्रजातियों से बने हैं।

'काइमरिक' शोध का उद्देश्य:

- शोधकर्ताओं का मानना है, कि दो अलग-अलग प्रजातियों की कोशिकाओं को एक साथ विकसित करने की यह क्षमता वैज्ञानिकों को अनुसंधान और चिकित्सा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है, जिससे, प्रारंभिक मानव विकास, बीमारियों का उद्भव, विकास-अनुक्रम तथा उम्रवृद्धि संबंधी मौजूदा जानकारी में वृद्धि होगी।
- इसके अलावा, इस तरह के शोध से दवाओं के आकलन में भी मदद मिल सकती है और अंग- प्रत्यारोपण जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों का समाधान किया जा सकता है।

इससे संबंधित नैतिक चिंताएँ:

- आमतौर पर, विभिन्न प्रजातियां परस्पर संकर-प्रजनन नहीं करती हैं और यदि वे ऐसा करती हैं, तो इससे उत्पन्न संतान लंबे समय तक जीवित नहीं रहती हैं और इस प्रकिया में कोई संतान न होने की संभावना अधिक होती है। हालांकि, कुछ दुर्लभ संकर जीव, प्राकृतिक रूप से मौजूद पाए गए हैं और ये संभवतः विभिन्न प्रजातियों के जीवों के मध्य अनजाने में हुई क्रॉस ब्रीडिंग का परिणाम होते है।

- यद्यपि 'किमीराओं' के बारे अधिक शोध, प्रगति की ओर अग्रसर कर सकते हैं, जिसका अर्थ होगा कि, इनका उपयोग मनुष्यों के लिए अंगों के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। फिर भी, ये 'किमीरा', मानव और गैर-मानव कोशिकाओं का मिश्रण होंगे, यह विचार ही कई लोगों के लिए असुविधाजनक हो सकता है।
- यह शोध "नैतिक स्तर पर दार्शनिक और नैतिकता संबंधी मुद्दे को उठाता है: हमें अन्य जीव-रूपों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए?"।
- इस शोध के विरोधियों का तर्क है कि, 'किमीरा शोध' जानवरों के प्रति होने वाले अन्याय को और बदतर कर सकता है और ये मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव-जानवर अंगो का उपयोग करने के औचित्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं।

अतीत में इस प्रकार के मामले:

- वर्ष 2018 में, डॉ. हे जियानकुई (He Jiankui) ने जीन एडिटिंग तकनीक '**CRISPR**' का उपयोग करके आनुवंशिक रूप से संशोधित शिशुओं (Modified Babies) को उत्पन्न करने का दावा किया था।
- डॉ जियानकुई ने दावा किया, कि उन्होंने एक मानव भ्रूण के जीन को परिवर्तित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट वांछित विशेषताओं के साथ जुड़वा लड़कियों का जन्म हुआ है। इस घटना को, इस प्रकार से मानव-संतति की उत्पत्ति का पहला उदाहरण माना जाता है।
- भारत जैसे विकासशील देशों में, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें भी एक विवादास्पद विषय हैं।

https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-human-cells-grown-in-monkey-embryos-sparked-ethics-debate-7281659/lite/.

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु तथ्य

1. सैन्य फार्म (Military farms)

सेना ने 132 साल तक कार्यरत रहने के पश्चात् सैन्य फार्म औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया है। हाल ही में इसके लिए औपचारिक समापन समारोह आयोजित किया गया था।

'सैन्य फार्म' क्या हैं?

- इन सैन्य फार्मों को ब्रिटिश भारत में किले या नगर की रक्षा करने वाली सेना के लिए गायों का स्वास्थ्यप्रद दूध उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। पहला सैन्य फार्म 1 फरवरी, 1889 को इलाहाबाद में स्थापित किया गया था।
- स्वतंत्रता के बाद पूरे भारत में 30 हजार मवेशियों के साथ 130 सैन्य फार्म बनाए गए थे। यहाँ तक कि 1990 के दशक के अंत में लेह और कारगिल में भी सैन्य फार्मों की स्थापना की गई थी।
- सैन्य फार्मों द्वारा एक सदी से अधिक समय तक 3.5 करोड़ लीटर दूध तथा 25,000 टन घास की आपूर्ति की जाती रही।

सैन्य फार्मों को बंद करने का सुझाव:

- वर्ष 2012 में, क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच द्वारा सैन्य फार्मों को बंद किए जाने की सिफारिश की गई थी।

- दिसंबर 2016 में, सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने तथा रक्षा व्यय के पुनर्संतुलन हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकतकर (रिटायर्ड) समिति ने भी इन फॉर्म्स को बंद करने की सिफारिश की थी।

2. एआईएम-प्राइम (AIM-PRIME)

- यह कार्यक्रम, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) और वेंचर सेंटर की साझेदारी में अटल इनोवेशन मिशन द्वारा शुरू किया गया है।
- एआईएम-प्राइम (नवाचार, बाजार परकता और उद्यमिता पर शोध कार्यक्रम), संपूर्ण भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स और उद्यमिता संस्थानों को प्रोत्साहित करने और उन्हें मदद करने के लिए शुरू की गई एक पहल है।

3. क्यूलेक्स' या आम घरेलू मच्छर

- क्यूलेक्स मच्छर (Culex mosquitoes) कुछ गंभीर बीमारियों के ज्ञात वाहक होते हैं।
- ये **1-1.5 किमी** की दूरी तक उडान भर सकते हैं।
- ये गंदे व ठहरे हुए पानी में प्रजनन करते हैं।

चर्चा का कारण: दिल्ली में कई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों द्वारा अपने आसपास मच्छरों की संख्या में वृद्धि होने की शिकायत की है, जिससे नगर निगमों को उच्च स्तर की बैठकें बुलानी पड़ रही हैं तथा मच्छरों की वृद्धि पर रोक लगाने के लिए अभियान तेज किये गए हैं।

4. छोटी बचतों पर ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं

इस तिमाही के लिए छोटी बचतों पर ब्याज दरों में महत्वपूर्ण कटौती करने संबंधी अधिसूचना जारी होने के कुछ घंटों बाद ही सरकार द्वारा इसे वापस ले लिए गया और ब्याज दरों में की गई तीव्र कटौती को पलट दिया गया।

'ब्याज दरें' किस प्रकार तय की जाती हैं?

- सैद्धांतिक रूप से, वर्ष 2016 के बाद से, सरकारी प्रतिभूतियों पर लाभ तथा तदनुसार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाओं पर कुछ विस्तार सहित, इनकी परिपक्वता के आधार पर ब्याज दरें पुनः निर्धारित की जाती हैं। हालांकि, व्यवहार में, कई अन्य कारकों पर विचार करते हुए ब्याज दरों में बदलाव किया जाता है।
- छोटी बचत योजनाओं की टोकरी में, बचत जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), लोक भविष्य निधि (PPF), किसान विकास पत्र (KVP) और सुकन्या समृद्धि योजना सहित 12 उपकरण शामिल होते हैं।

5. सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रोशेना 2021 (Exercise SHANTIR OGROSHENA 2021)

- यह बांग्लादेश में आयोजित होने वाला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है।
- इस वर्ष भारतीय सेना भी इस सैन्य अभ्यास में भाग लेगी।
- यह सैन्य अभ्यास, बांग्लादेश में वहां के 'राष्ट्रपिता' बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा और यह बांग्लादेश की आज़ादी के शानदार 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगा।
- पूरे अभ्यास के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के सैन्य पर्यवेक्षक भी उपस्थित रहेंगे।

6. मुंबई में तीसरा संयुक्त लॉजिस्टिक नोड (JLN) (Third joint logistics node (JLN) in Mumbai)

- संयुक्त लॉजिस्टिक नोड (JLN), द्वारा सशस्त्र बलों को उनके सामरिक प्रयासों में तालमेल स्थापित करने के प्रयास में उनके छोटे हथियारों के गोला-बारूद, राशन, ईंधन, जनरल स्टोर, सिविल क्षेत्र से किराए पर लिए गए परिवहन वाहनों, विमानन में प्रयुक्त होने वाले वस्त्र, पुर्जों और इंजीनियरिंग सहायता हेतु एकीकृत लॉजिस्टिक कवर प्रदान करेंगे।
- मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त लॉजिस्टिक नोड्स (JLN) की स्थापना हेतु सरकारी स्वीकृति पत्र पर 12 अक्टूबर, 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। गुवाहाटी और अंडमान-निकोबार कमान, पोर्ट ब्लेयर के लिए संयुक्त लॉजिस्टिक नोड्स इसी वर्ष जनवरी में शुरू हो गए थे।

7. दादा साहब फाल्के पुरस्कार

प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

पुरस्कार के बारे में:

- दादासाहेब फाल्के पुरस्कार भारत का सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है।
- यह पुरस्कार, फिल्म समारोह निदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन) द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए नकद और एक शॉल प्रदान की जाती है।
- यह पुरस्कार 'भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास में उत्कृष्ट योगदान' के लिए प्रदान किया जाता है।
- पहली बार यह पुरस्कार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। पहली बार 'भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला' अभिनेत्री देविका रानी को यह पुरस्कार दिया गया था।

8. संकल्प से सिद्धि

यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफ़ेड (TRIFED) द्वारा शुरू किया गया **'गांव एवं डिजिटल कनेक्ट अभियान'** है।

- यह 1 अप्रैल, 2021 से शुरू किया गया 100 दिन की मुहिम है।
- इस मुहिम से 150 टीमें (ट्राइफेड एवं राज्य कार्यन्वयनकारी एजेंसियों से प्रत्येक क्षेत्र में 10) जुड़ेंगी, जिनमें से प्रत्येक 10 गांवों का दौरा करेंगी। प्रत्येक क्षेत्र में 100 गांव तथा देश में 1500 गांवों को अगले 100 दिनों में कवर किया जाएगा।
- इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य इन गांवों में वन धन विकास केन्द्रों को सक्रिय बनाना है।

9. चिनाब ब्रिज: विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल

भारतीय रेलवे द्वारा 'चिनाब पुल का मेहराब बंदी' (आर्क निर्माण) का कार्य पूरा कर लिया गया है।

- चिनाब पुल 'उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला' रेल लिंक परियोजना (USBRL) का हिस्सा है।
- यह भारतीय रेलवे द्वारा 'जम्मू और कश्मीर' में बनाया जाने वाला **विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है।**
- चिनाब पुल की लंबाई 1,315 मीटर होगी।
- यह नदी तल के स्तर से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पुल, पेरिस में एफिल टॉवर से 35 मीटर ऊंचा है।

10. 'ला पेरॉस' सैन्याभ्यास (LA PEROUSE)

- यह एक बहुपक्षीय समुद्री सैन्याभ्यास है, जिसे इस वर्ष पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है।
- इसका नेतृत्व फ्रांसीसी नौसेना द्वारा किया जाता है।
- भारत, इस सैन्याभ्यास में भाग ले रहा है।

11. 'इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम' (IVEP) 2021

- हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 'इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम' 2021 की मेजबानी की गयी।
- 26 देशों की चुनाव प्रबंधन संस्थाओं (ईएमबी)/संगठनों और तीन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- IEVP 2021 में प्रतिभागियों के लिए भारतीय चुनाव प्रक्रिया के व्यापक परिदृश्य, मतदाता सुविधा के लिए ECI द्वारा उठाये गए कदम, चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता और पहुंच, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की बदलती जरूरतों के बारे में समीक्षाएं प्रस्तुत की जायेंगी।

12. लैब ऑन व्हील्स (Lab on wheels)

- 'पहियों पर प्रयोगशाला' (लैब ऑन व्हील्स), दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) की 'एजुकेशन रीचेज़ यू' (**Education Reaches You**) योजना का एक हिस्सा है।
- 'लैब ऑन व्हील्स' एक विशिष्ट रूप से निर्मित बस है, जिसमे 17 कंप्यूटर, दो टेलीविज़न, एक 3 डी प्रिंटर, कैमरा और सामान्य प्रिंटर लगे है। यह बस, गणित, विज्ञान और उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छात्रों को मार्गदर्शन करने हेतु अपने आउटरीच कार्यक्रम के भाग के रूप में शैक्षिक व्याख्यान, ट्यूटोरियल देने के लिए शहर में भ्रमण करेगी।
- यह प्रयोगशाला, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में और अल्पसुविधाप्राप्त बालकों के लिए विज्ञान संबंधी शिक्षा प्रदान करेगी।

13. वुल्फ-रेएट तारे (Wolf-Rayet stars)

- हाल ही में, भारतीय खगोलविदों ने वुल्फ-रेएट तारों (Wolf-Rayet stars) में एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाया है।
- ये दुर्लभ वुल्फ-रिएट तारे, सूर्य की तुलना में एक हजार गुना अधिक चमकदार पिंड हैं।

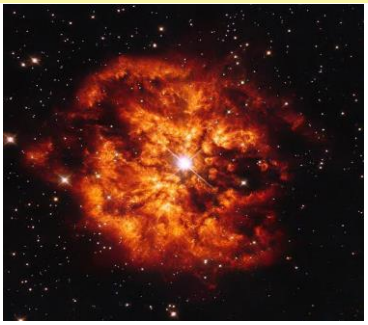

- ये असाधारण स्पेक्ट्रा वाले विविध तारों का समूह है, तथा आयनित हीलियम और अत्यधिक आयनित नाइट्रोजन या कार्बन की विशिष्ट एवं विस्तृत उत्सर्जन रेखाओं को दिखाते हैं।
- अब तक ज्ञात वुल्फ-रेएट तारों की सतह का तापमान 30,000 K से लेकर 210,000 K है, जोकि लगभग सभी अन्य प्रकार के तारों की तुलना में अधिक है।
- इनके लिए पहले W- टाइप स्टार कहा जाता था।

14. विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day)

- 7 अप्रैल को 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
- 7 अप्रैल, वर्ष 1948 को 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO) के गठन हुआ था, इसी उपलक्ष्य में इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- **इस वर्ष का विषय:** "सभी के लिए एक न्यायपूर्ण, स्वस्थ दुनिया का निर्माण" (Building a fairer, healthier world for everyone)।

15. मधुक्रांति पोर्टल

- "मधुक्रांति पोर्टल", राष्ट्रीय मधुमक्खीपालन और शहद मिशन (NBHM) के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है।
- यह पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शहद व अन्य मधुमक्खी उत्पादों के ट्रेसेबिलिटी स्रोत को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विकसित किया गया है।

16. 'अनामाया' (Anamaya)

- अनामया, पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) द्वारा समर्थित एक आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग है।
- यह भारत के जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को बेहतर करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को एकीकृत करेगी।
- यह पहल, जनजातीय समुदायों में 'रोकी जा सकने वाली मौतों' को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

17. बैसाखी

- पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा भारत के सिख तीर्थयात्रियों को वार्षिक बैसाखी समारोह में भाग लेने के लिए 1,100 से अधिक वीजा जारी किए गए हैं।
- धार्मिक तीर्थस्थलों की यात्राओं पर पाकिस्तान-भारत प्रोटोकॉल के ढांचे के तहत, भारत से हर साल बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्री विभिन्न धार्मिक त्योहार मनाने पाकिस्तान जाते हैं।
- बैसाखी, हिंदू सौर नव वर्ष की शुरुआत को चिह्नित करती है। वैसाखी, बैसाख महीने के पहले दिन, आमतौर पर हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है, तथा यह सिख धर्म में एक ऐतिहासिक और धार्मिक त्योहार है।

18. लाल सागर (Red sea)

लाल सागर (इरिथ्रियन सागर भी), अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित, हिंद महासागर का समुद्री खाड़ी जलक्षेत्र है। यह दक्षिण में बाब अल-मन्देब जलसन्धि तथा अदन की खाड़ी के माध्यम से महासागर से जुड़ती है। इसके

उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी, और स्वेज की खाड़ी (स्वेज नहर के लिए मार्ग) स्थित है। ये सागर, 'लाल सागर रिफ्ट' से होकर गुजरता है, जोकि 'ग्रेट रिफ्ट वैली' का एक भाग है।

लाल सागर की लवणता, विश्व औसत से लगभग 4 प्रतिशत अधिक है। इसके कई कारक है:

1. सागर में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदियों या धाराओं का अभाव।
2. कम लवणता वाले हिंद महासागर के साथ सीमित संबद्धता।
3. वाष्पीकरण की उच्च दर और बहुत कम वर्षा।

19. हांगकांग से पलायन करने वाले प्रवासियों हेतु ब्रिटेन में 'निधि' की स्थापना

- ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसके पूर्व उपनिवेश 'हांगकांग' में बढ़ते हुए राजनीतिक दमन से बचने के लिए, हांगकांग से आने वाले प्रवासियों को देश में बसने के लिए सहायता हेतु 43 मिलियन डॉलर (59 मिलियन डॉलर) का फंड स्थापित किया जा रहा है।
- ब्रिटिश नेशनल (ओवरसीज) पासपोर्ट धारकों को, विशेष वीजा देने, काम करने हेतु मार्ग खोलने, निवास, तथा संभावित रूप से हांगकांग की 7.4 मिलियन आबादी में से 5 मिलियन लोगों को संभावित नागरिकता देने का प्रस्ताव किया गया है।

20. ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque)

वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी 'ज्ञानवापी मस्जिद' का एक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। इससे यह पता लगाया जाएगा कि, मौजूदा इमारत किसी प्रकार का 'आरोपण', 'परिवर्तन' या 'परिवर्धन' है अथवा किसी भी अन्य धार्मिक इमारत की संरचनात्मक अतिव्याप्ति है।

संबंधित प्रकरण:

अदालत ने यह यह आदेश एक याचिका के आधार पर जारी किया है, जिसमे, जिस भूमि पर 'ज्ञानवापी मस्जिद' बनी हुई है, उसे हिन्दुओं को वापस सौपने की मांग की गई है। याचिका में दावा किस्या गया है, कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मस्जिद बनाने के लिए पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्सों को गिरा दिया था।

21. नैनोस्निफर (NanoSniffer)

- यह एक 'माइक्रोसेंसर-आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर' (Microsensor based explosive trace detector-ETD) है।
- यह आईआईटी बॉम्बे इनक्यूबेटेड स्टार्टअप नैनोस्निफ टेक्नोलॉजीज (IIT Bombay Incubated Startup Nanosniff Technologies) द्वारा विकसित किया गया विश्व का पहला माइक्रोसेन्सर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर (ETD) है।
- 'नैनोस्निफर', अनुसंधान, विकास और विनिर्माण के मामले में 100% 'मेड इन इंडिया उत्पाद' है। 'नैनोस्निफर' की मुख्य तकनीक अमेरिका और यूरोप में पेटेंट द्वारा संरक्षित है।
- यह उपकरण, 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है और यह विस्फोटको की विभिन्न वर्गों में पहचान और वर्गीकरण भी करता है।

22. डूम्स-डे ग्लेशियर (Doomsday Glacier)

- अंटार्कटिका में स्थित, इस ग्लेशियर को 'थ्वायटेस' (Thwaites) ग्लेशियर भी कहा जाता है।
- इस ग्लेशियर का पिघलना काफी लंबे समय से चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि इसके द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक रूप से समुद्र स्तर में होने वाली वृद्धि और तेज हो सकती है।
- थ्वायटेस ग्लेशियर की अधिकतम चौड़ाई 120 किमी चौड़ा है। अपने विशाल क्षेत्रफल (1.9 लाख वर्ग किमी) के कारण, इस ग्लेशियर के पिघलने से वैश्विक जल स्तर में आधा मीटर से अधिक की वृद्धि हो सकती है।

23. उन्नत पुरावशेष प्रबंधन प्रणाली (AAMS) (Advanced Antiquities Management System)

- हाल ही में गोवा सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- यह प्राचीन वस्तुओं के भंडारण हेतु देश में इस प्रकार की पहली प्रणाली है।
- AAMS, विभिन्न वस्तुओं के भंडारण हेतु एक सॉफ्टवेयर-चालित स्वचालित स्टोरेज है।
- वर्तमान में, इस प्रणाली के द्वारा 83 पुरावशेषों को सूचीबद्ध किया गया है, और इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर से जुड़ी प्राचीन वस्तुओं के बारे में त्वरित जानकारी प्रदान करना, भंडार स्थान की बचत करना और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करना है।

24. ब्रुसेलोसिस (Brucellosis)

- ब्रुसेलोसिस, 'ब्रुसेला' वर्ग के बैक्टीरिया द्वारा होने वाला एक जूनोटिक संक्रमण है।
- यह जीवाणु संक्रमण पशुओं से मनुष्यों में फैल सकता है। यह संक्रमण, आमतौर पर कच्चे या अधपके डेयरी उत्पादों के सेवन से फैलता है।

25. उमंगोत नदी (Umngot)

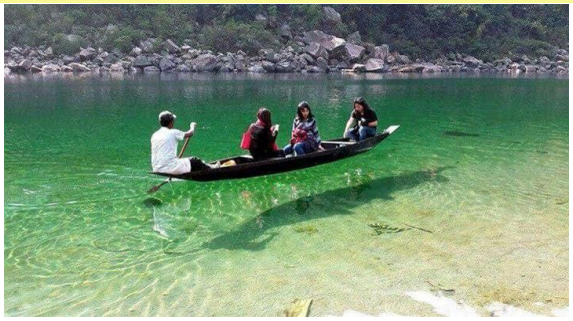

- यह मेघालय में बहने वाली एक नदी है।
- इसे भारत की सबसे निर्मल / स्वच्छ नदी माना जाता है।
- यह नदी, बांग्लादेश की सीमा से लगे 'डॉकी' (Dawki) में कई पर्यटकों को आकर्षित करती है।
- यह नदी, री पनार (Ri Pnar) (जयंतिया पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति) तथा हेमा खिरिम (Hima Khyrim), (खासी पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति) के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है।

चर्चा का कारण: मेघालय में उमंगोत नदी पर बनाई जा रही 210 मेगावाट की जल-विद्युत् परियोजना का कम से कम 12 गांवों द्वारा कड़ा प्रतिरोध किया जा रहा है।

26. 'उरुका' क्या है?

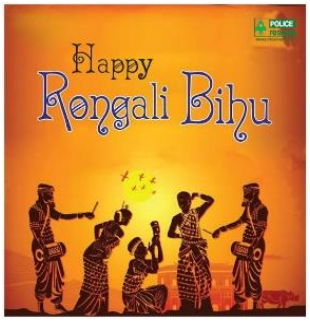

- उरुका (**Uruka**), से 'माघ बिहू' की शुरुआत होती है, यह माघ बिहू त्यौहार के पहले दिन मनाया जाता है।
- असम में रोंगाली बिहू के अवसर पर उरुका की रस्म अदा की जाती हैं, जो असमिया नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक होती है।

27. 'ईवीआर पेरियार सलाई' का नाम ग्रैंड वेस्टर्न ट्रंक (GWT) रोड

- हाल ही में, साइनबोर्ड्स पर ईवीआर पेरियार सलाई' को ग्रैंड वेस्टर्न ट्रंक (GWT) रोड के रूप में उल्लेखित किए जाने के बाद से विवाद खड़ा हो गया है।
- इसके बाद, चेन्नई राजमार्ग विभाग ने स्पष्ट किया कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार सड़क का नाम 'ग्रैंड वेस्टर्न ट्रंक' (GWT) रोड' ही है।
- 'ग्रैंड वेस्टर्न ट्रंक, का पुराना नंबर NH4 है और इसे पूनमल्ली हाई रोड भी कहा जाता है। इसका निर्माण और नामकरण 1850 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था।

28. सेरोजा (Seroja)

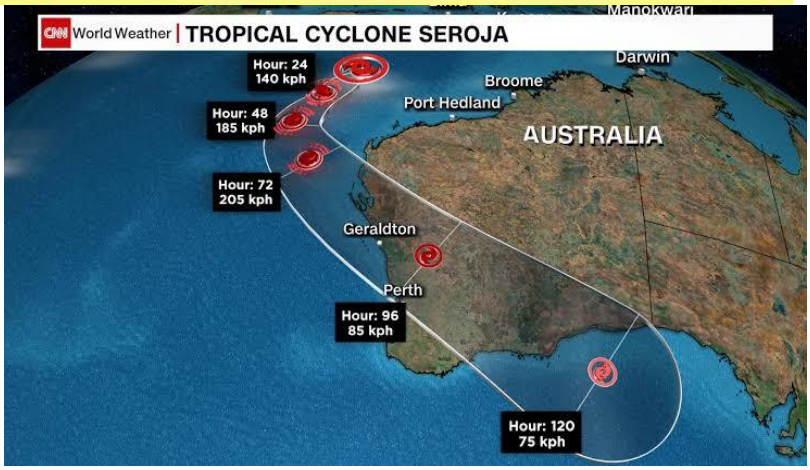

- यह, हाल ही में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट के नजदीक उत्पन्न हुआ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है।
- 'सेरोजा' का इंडोनेशियाई भाषा में अर्थ 'कमल' होता है।

29. पोषण ज्ञान

- यह, स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष है।

- नीति आयोग द्वारा, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन केंद्र, अशोका यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में, राष्ट्रीय डिजिटल कोष 'पोषण ज्ञान' की शुरुआत की गई है।
- पोषण ज्ञान डिजिटल कोष को एक संसाधन के रूप में अवधारणाबद्ध किया गया, जिसे विभिन्न भाषाओं, स्वास्थ्य प्रकारों, लक्षित उपयोगकर्ताओं और स्रोतों में स्वास्थ्य एवं पोषण के 14 विषयगत क्षेत्रों पर संचार सामग्री की खोज के लिए सक्षम किया गया है।

30. ई-सांता (e-SANTA)

- यह एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस है। यह जल कृषकों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।
- केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
- यह किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा और इससे निर्यातक सीधे किसानों से गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की खरीद कर सकेंगे, जोकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक प्रमुख कारक है।
- वेबपोर्टल के लिए तैयार किया गया ई-सांता शब्द का अर्थ 'इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑग्मेंटिंग NaCSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर' है।
- ई-सांता, जल कृषकों के लिए आय, जीवनशैली, आत्मनिर्भरता, गुणवत्ता स्तर,पता लगाने की क्षमता और नए विकल्प प्रदान करेगा।

31. नवजात, छोटे बच्चे तथा उनकी देखभाल करने वाले लोगों के अनुकूल पड़ोस प्रशिक्षण तथा क्षमता सृजन कार्यक्रम

- राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA) द्वारा 'बर्नाड वैन लीयर फाउंडेशन' (BvLF) की साझेदारी में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
- यह कार्यक्रम भारत के शहरों में बच्चों तथा परिवार अनुकूल पड़ोस विकसित करने के लिए शहर के अधिकारियों तथा युवा पेशेवर लोगों के क्षमता सृजन में सहायता के लिए बनाया गया है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत नगर के अधिकारियों तथा युवा पेशेवर लोगों को प्रमाणित प्रशिक्षण तथा क्षमता सृजन मॉड्यूल के माध्यम से कौशल संपन्न बनाया जाएगा।

32. आहार क्रांति

- आहार क्रांति, भारत में पोषक संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक अभियान है।
- विज्ञान भारती (Vibha) तथा ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टैक्नोक्रैट्स फोरम (GIST) ने मिलकर "उत्तम आहार-उत्तम विचार" के लक्ष्य को लेकर यह मिशन शुरू किया है।
- "आहार क्रांति अभियान" का उद्देश्य भारत और पूरे विश्व के सामने पेश ढेर सारी भूख और बहुत सारी बीमारियों की समस्या का समाधान तलाशना है।

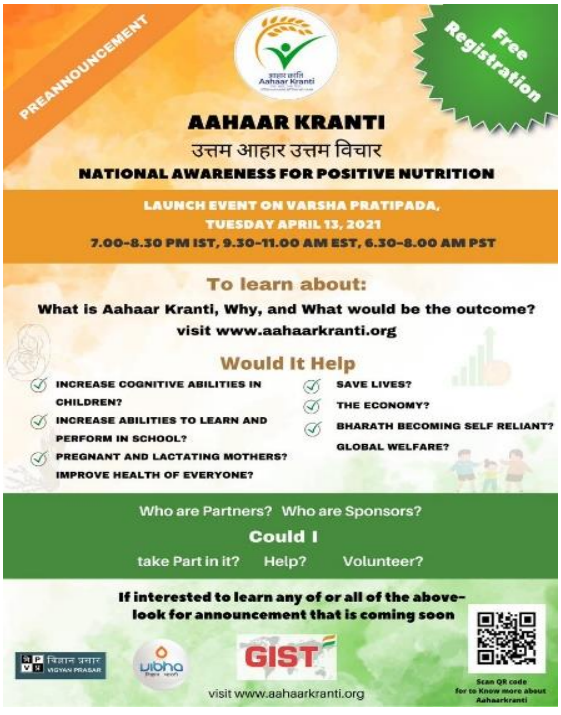

33. मंकीडेक्टाइल' क्या है?

- 'मंकीडेक्टाइल' (Monkeydactyl), सबसे प्राचीन 'सम्मुख अंगुष्ठ' अर्थात उल्टे अंगूठे वाला (opposable thumbs) एक **उड़ने वाला सरीसृप** है।
- हाल ही में, चीन में लिओनिंग के तियाओझिशन संरचनाओं में एक नवीन 'टेरोसौर' (**pterosaur**) जीवाश्म की खोज की गई है। इसे 160 मिलियन वर्ष पुराना माना जा रहा है।
- इसे कुनपेंग्गोप्टेरस एंटीपॉलिकैटस (Kunpengopterus antipollicatus) नाम दिया गया है, जिसे "मंकीडक्टाइल" भी कहा जाता है।
- 'टेरोसौर' प्रजातियां सरीसृप थीं और डायनासोर प्रजातियों से निकट संबंधित थी। ये, कीटों के बाद, उड़ान भरने में सक्षम पहले जीव थे।

पृष्ठभूमि: अंगूठे की सम्मुखता, अंगूठे को एक साथ मोड़ने, झुकाने तथा बीच में से घुमाने में सक्षम बनाती है, जिससे अंगूठे की नोक से दूसरी उंगलियों के सिरों को छुआ जा सकता है। मनुष्यों के साथ-साथ कुछ प्राचीन बंदरों और वानरों में भी 'सम्मुख अंगूठे' पाए जाते थे।

34. टीका उत्सव

- इसे टीकाकरण उत्सव या वैक्सीनेशन फेस्टिवल भी कहा जाता है।
- भारत में शुरू किया गया है।
- इसका उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ अधिकतम पात्र लोगों का टीकाकरण करना है।

35. रायसीना संवाद (Raisina Dialogue)

- हाल ही में, रायसीना संवाद का 6 वाँ संस्करण आयोजित किया जा रहा है।
- इस सम्मेलन को विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।
- 2021 संस्करण का विषय, "#वायरलवर्ल्ड: आउटरीक्स, आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल" है।
- वर्ष 2016 में शुरू हुआ, 'रायसीना डायलॉग' अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर एक प्रमुख वैश्विक सम्मेलन के रूप में विकसित हुआ है।
- यह, राजनीति, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज के नेताओं को वैश्विक स्थिति पर चर्चा करने और समकालीन मामलों पर सहयोग के अवसरों की तलाश करने के लिए आमंत्रित करता है।

36. नैरो-लाइन सेफ़र्ट 1 (NLS1) आकाशगंगा (Narrow-Line Seyfert 1 (NLS1) galaxy)

- हाल ही में, खगोल वैज्ञानिकों ने एक नई सक्रिय आकाशगंगा का पता लगाया है। इसकी पहचान सुदूर गामा रे उत्सर्जक आकाशगंगा के रूप में की गई है।
- यह लगभग 31 बिलियन प्रकाश-वर्ष की दूरी पर अवस्थिति है।

37. मानस ऐप (MANAS App)

- मानस ऐप, एक सेहत संबंधी एप्लीकेशन है, जिसका पूरा नाम 'मेंटल हेल्थ एंड नार्मलेसी ऑग्मेंशन सिस्टम' अर्थात 'MANAS' है।

- इसे प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यह प्रधानमंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में समर्थित है।
- भारतीय नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक ऐप के रूप में विकसित किया गया है
- मानस एक व्यापक और परिमार्जित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय नागरिकों की मानसिक भलाई को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है।
- मानस ऐप विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के स्वास्थ्य और कल्याणकारी प्रयासों को एकीकृत करता है।

38. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमों की समीक्षा हेतु प्राधिकारी का गठन

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 का गठन किया गया है।
- यह प्राधिकरण, आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करने हेतु और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त करेगा।
- विनियम समीक्षा प्राधिकरण के रूप में डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। यह प्राधिकरण, 1 मई से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- आरबीआई द्वारा वर्ष 1999 में विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए इसी प्रकार के एक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी।

39. साइबरस्पेस में विश्वास और सुरक्षा हेतु पेरिस कॉल

माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने भारत और अमेरिका से 'साइबरस्पेस में विश्वास और सुरक्षा हेतु पेरिस कॉल' (Paris Call for Trust and Security in Cyberspace) नामक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। विश्व के सामने खड़े नए साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए इस 'घोषणा' में अब तक 75 देश शामिल हो चुके हैं।

- 'साइबरस्पेस में विश्वास और सुरक्षा हेतु पेरिस कॉल' एक गैर-बाध्यकारी घोषणा (Nonbinding Declaration) है।
- इसके तहत, देशों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों को साइबरस्पेस में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने, गलत सूचनाओं से निपटने, तथा नागरिकों और बुनियादी अवसंरचनाओं को खतरे में डालने वाले नए खतरों का समाधान करने का आह्वान किया गया है।
- 'पेरिस कॉल' घोषणा, यूनेस्को और पेरिस शांति मंच में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के दौरान, वर्ष 2018 में, फ्रांसीसी गणतंत्र के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

40. ईटस्मार्ट सिटीज़ चैलेंज (EatSmart Cities Challenge)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।

- ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज की, ईट राइट इंडिया के तहत विभिन्न पहलों को अपनाने और बढ़ाने में अपने प्रयासों को पहचानने के लिए शहरों के बीच एक प्रतियोगिता के रूप में परिकल्पना की गई है।
- स्मार्ट सिटीज मिशन के साथ साझेदारी में यह अनूठी चुनौती, भोजन करने की सही आदतों और परिपाटियों का वातावरण बनाएगी, खाद्य सुरक्षा और नियामक वातावरण को मजबूत करेगी, उपभोक्ताओं

के बीच जागरूकता पैदा करेगी और भारत के प्रमुख शहरों में बेहतर पसंदीदा भोजन तैयार करने का आग्रह करेगी।

- यह चुनौती, सभी स्मार्ट शहरों, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की राजधानी और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए खुली है।

41. सभी के लिए परिवहन (टी4ऑल) चुनौती (Transport 4 All (T4All) Challenge)

इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी (ITDP) के सहयोग से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।

- इस चुनौती का उद्देश्य शहरों, नागरिक समूहों और स्टार्ट-अप को एक साथ लाना है ताकि ऐसा समाधान तैयार किया जा सके जिससे सार्वजनिक परिवहन में सुधार आए ताकि सभी नागरिकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके।
- सभी स्मार्ट सिटीज मिशन शहर, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों (UTs) की राजधानियां, और 5 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहर-चैलेंज के लिए पात्र हैं।

42. लैंगिक संवाद (Gender Samvaad)

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आज जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

- यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) और 'महिलाओं और लड़कियों को अर्थव्यवस्था में सशक्त बनाने के लिए जरूरी कदम' (IWWAGE) के तहत की जा रही कोशिशों का हिस्सा है।
- यह प्रयास देश भर में DAY-NRLM के तहत जेंडर आधारित प्रयासों से लैंगिक जागरूकता उत्पन्न करने, बेहतरीन प्रथाओं को जानने और राज्यों से जमीनी स्तर की आवाजों को सुनने के मकसद से शुरू किया जा रहा है।

43. डिस्क-फुटेड चमगादड़ (Disc-footed bat)

हाल ही में, मेघालय में बांस के वृक्षों पर रहने वाले भारत के पहले चमगादड़ को देखा गया है, इसके डिस्क (पंजो का आंतरिक भाग) चिपचिपा होता है।

- ये डिस्क-फुटेड चमगादड़ (यूडिसकोपस डेंटिकुलस- Eudiscopus denticulus), म्यांमार के अपने निकटतम ज्ञात निवास स्थान से लगभग 1,000 किमी पश्चिम में स्थित **नोंगखिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य** (**Nongkhyllem Wildlife Sanctuary**) के निकट मेघालय के लाईलाड क्षेत्र (**Lailad area**) में डिस्क-फुट बैट (यूडिसकोपस डेंटिकुलस) देखा गया है।
- डिस्क-फुट चमगादड़ को पाए जाने के बाद मेघालय में चमगादडों की संख्या 66 हो गई है, जो भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। इससे भारत में पाए जाने वाली चमगादड़ प्रजातियों में एक और प्रजाति बढ़ी है।

44. चोलिस्तान मरुस्थल (Cholistan desert)

- पाकिस्तान में अवस्थित है।
- हाल ही में, इस मरुस्थल में 'दो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' (GIBs) का शिकार किया गया था, इस कारण से यह चर्चा में था।
- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' राजस्थान का राज्य पक्षी है, और भारत का सर्वाधिक गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है।
- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' की आबादी राजस्थान में 100 से कम है और यह इसकी कुल आबादी का 95% है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) द्वारा वर्ष 1994 में 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' को 'संकटग्रस्त' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, किंतु इन बड़े पक्षियों को अस्तित्व के लिए लगातार खतरों को देखते हुए, इस प्रजातियों को, वर्ष 2011 में "गंभीर रूप से संकटग्रस्त" की श्रेणी में शामिल करना पड़ा।

- राजस्थान में वन्यजीव अधिकारियों द्वारा एक लंबी बहस के बाद वर्ष 2019 में देहरादून स्थित वन्यजीव संस्थान द्वारा निष्पादित परियोजना के माध्यम से राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क (DNP) में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' की कैप्टिव प्रजनन की अनुमति प्रदान की गई थी।

45. टिकी विन्यास (Tiki Formation)

टिकी विन्यास, मध्य प्रदेश में पाया गया एक ट्राइसिक भूगर्भिक काल के अंतिम दौर का एक 'विन्यास' है। यह कशेरुक जीवाश्मों का एक खजाना है।

जीवाश्मों के इस खजाने में डायनासोर के अवशेष पाए गए है, हालांकि इनमे से अभी तक किसी भी विशिष्ट प्रजाति का निर्धारण नहीं किया गया है।

चर्चा का कारण:

मध्य प्रदेश में टिकी फॉर्मेशन / विन्यास, कशेरुकी जीवाश्मों का खजाना है, जिसमे लगभग 220 मिलियन साल पहले जीवित रहने वाली एक नई प्रजाति और सिनॉडोन प्रजाति के दो जीनस, छोटे चूहे जैसे जानवर आदि के जीवश्म पाए गए हैं।

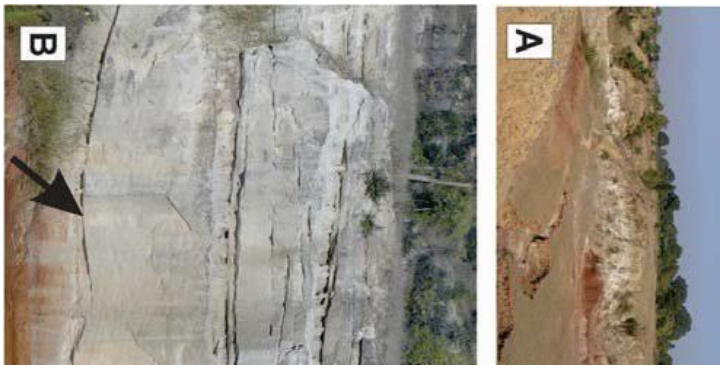

46. वंदे भारत मिशन

वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission- VBM), जिसके तहत कोविड-19 और परिणामी लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को, पिछली 7 मई से वापस लाना शुरू किया गया था, किसी भी देश द्वारा शुरू किए गए नागरिकों के सबसे बड़े निर्वातन / निकासी (evacuations) में से एक बन गया है।

अब तक, एयर इंडिया (AI) समूह द्वारा 18,19,734 यात्रियों को वापस लाने के लिए 11,523 अंतर्गामी (inbound) उड़ाने भरी गई हैं तथा 13,68,457 यात्रियों को देश से बाहर ले जाने के लिए 11,528 अन्य देश को जाने वाली / निर्गामी (outbound) उड़ाने भरी गई हैं।

वंदे भारत मिशन के तहत, इस बड़ी संख्या में हवाई मार्ग से स्थानांतरण करने वाले राष्ट्रीय वाहक को इसके बजट कैरियर एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा सहायता प्रदान की गई है

47. यूरोपीय परिषद (Council of the European Union or European Council)

यूरोपीय संघ का गठन करने वाली संधि में सूचीबद्ध यूरोपीय संघ (European Union- EU) के सात संस्थानों में तीसरे स्थान पर 'यूरोपीय परिषद' अथवा 'यूरोपीय संघ की परिषद्' (European Council) है।

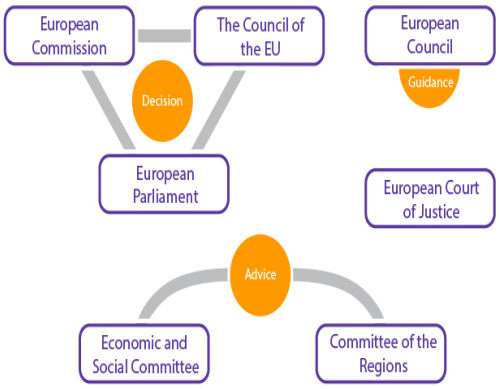

- यह यूरोपीय संघ के तीन विधायी निकायों में से एक है तथा 'यूरोपीय संसद' के साथ मिलकर 'यूरोपीय आयोग' द्वारा पेश किये जाने वाले, विधायी पहलों से संबंधित, प्रस्तावों, का संशोधन करने और इन्हें अनुमोदित करने का कार्य करती है।
- इसकी स्थापना 1 जुलाई 1967 को हुई थी।
- इस परिषद का प्राथमिक उद्देश्य, यूरोपीय संघ की विधायी शाखा के दो वीटो निकायों में से एक के रूप में कार्य करना है। यूरोपीय संघ की विधायी शाखा का दूसरा वीटो निकाय 'यूरोपीय संसद' है।
- ये दोनों निकाय, एक साथ, यूरोपीय आयोग के प्रस्तावों को संशोधित, अनुमोदित या अस्वीकृत करने का कार्य करते हैं। यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ में कानूनों को प्रस्तावित करने वाला एकमात्र निकाय है।
- संयुक्त रूप से, यूरोपीय संसद तथा यूरोपीय परिषद के पास, यूरोपीय संघ की बजट संबंधी शक्ति होती है।

48. नागरिक सेवा दिवस

- प्रति वर्ष, 21 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा 'नागरिक सेवा दिवस' (Civil Services Day) के रूप में मनाया जाता है।
- यह दिवस, सिविल सेवकों के लिए, नागरिकों के कार्यों हेतु खुद को फिर से समर्पित करने और सार्वजनिक सेवा और काम में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराने, के लिए एक अवसर के रूप में मनाया जाता है।
- इस तिथि का चुनाव, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा वर्ष 1947 में मेटकाफ हाउस, दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षकों को संबोधित करने की स्मृति को ताजा करने के लिए किया गया है।

49. # FOSS4GOV इनोवेशन चैलेंज

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सरकार में 'फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर' (**Free and Open Source Software- FOSS)** को अपनाने की दिशा में तेज़ी लाने के लिए #FOSS4GOV इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की गई है।

- #FOSS4GOV इनोवेशन चैलेंज के तहत मंत्रालय ने FOSS इनोवेटर्स, प्रौद्योगिकी उद्यमियों और भारतीय स्टार्ट-अप्स से आह्वान किया है, कि वे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शहरी शासन आदि में Govtech के लिए संभावित अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किए जाने वाले ओपन सोर्स उत्पाद नवाचारों को प्रस्तुत करें।

50. केआरआई नंग्गाला (KRI Nanggala)

- यह एक इंडोनेशियाई पनडुब्बी है, जो हाल ही में लापता हो गई थी।
- ख़बरों के अनुसार, यह पनडुब्बी, बाली द्वीप के उत्तर में 25 मील की दूरी पर युद्धाभ्यास के लिए तैयारियां कर रही थी।
- भारतीय नौसेना द्वारा लापता पनडुब्बी को खोज निकालने में इंडोनेशियाई नौसेना की मदद के लिए विशाखापत्तनम से अपने 'डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हिकल' (DSRV) को भेजा गया है।

51. सीमा सड़क संगठन (Border Road Organisation- BRO)

वर्ष 2015 से रक्षा मंत्रालय के अधीन में कार्यरत, सीमा सड़क संगठन (**BRO**) देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कठिन और दुर्गम क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सड़क निर्माण कार्यों में संलग्न है।

इसमें, भारतीय सेना के 'इंजीनियर्स कोर', इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स, सेना-सेवा कोर, सैन्य पुलिस और सेना के जवानों और अधिकारियों को अतिरिक्त रेजिमेंटल कार्यों के लिए शामिल किया जाता है।

52. जलवायु पर नेताओं का शिखर सम्मेलन- 2021 (Leaders' Summit on Climate 2021)

- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा 'पृथ्वी दिवस' (22 अप्रैल) के अवसर पर 'जलवायु पर नेताओं का शिखर सम्मेलन' अर्थात '**लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट**' नामक एक आभासी बैठक की मेजबानी की गई।
- इस दो दिवसीय सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) के अग्रगामी सम्मलेन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। COP26 का आयोजन, इस वर्ष के अंत में 'ग्लासगो' में होगा।
- शिखर सम्मेलन का प्रयोजन "जलवायु संकट से निपटने हेतु प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को प्रेरित करना" और " सशक्त जलवायु कार्रवाई की तात्कालिकता - और आर्थिक लाभों- को रेखांकित करना" है।

शिखर सम्मेलन के उद्देश्य:

1. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इस दशक में उत्सर्जन कम करने के लिए दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को तैयार करना।
2. जलवायु कार्रवाई से होने वाले आर्थिक और सामाजिक लाभों को दिखाना। नए व्यवसायों और उद्योगों का निर्माण करना।
3. जलवायु परिवर्तन के अनुकूल, तथा उत्सर्जन को घटाने वाली तकनीक का उपयोग करना। वर्ष 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों का उपयोग करना।
4. जलवायु परिवर्तन के अनुकूल तरीके खोजने के माध्यम से जीवन और आजीविका की रक्षा करना।

अमेरिका द्वारा की गयी घोषणाएँ:

1. यह घोषणा की गई कि अमेरिका द्वारा वर्ष 2030 तक अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 50% -52% की कटौती की जायेगी और इसे वर्ष 2005 के स्तर तक लाया जाएगा।

2. अमेरिका द्वारा वर्ष 2024 तक विकासशील देशों के लिए अपनी वार्षिक वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं को दोगुना किया जाएगा, तथा वर्ष 2024 तक अपने अनुकूलन वित्त का तीन गुना किया जाएगा।

53. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

- भारत में **पंचायती राज व्यवस्था** को नियमनिष्ठ करते हुए **संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम 24 अप्रैल 1993** को लागू किया गया था।
- इसी कारण, इस दिन को देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

54. डीप टाइम प्रोजेक्ट (Deep Time Project)

- फ्रांस की लोम्ब्रिवेस (Lombrives) नामक गुफा में चल रहा **'डीप टाइम प्रोजेक्ट'** समाप्त हो गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत, 15 लोगों के एक समूह को 40 दिनों और 40 रातों के लिए गुफा के अंदर रखा गया था।
- ये लोग तंबुओं में सोते थे और अपनी बिजली स्वंय बनाते थे तथा इनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था।
- डीप टाइम प्रोजेक्ट के तहत यह अध्ययन किया गया, कि किसी प्रकार का बाह्य संपर्क नहीं होने पर किसी व्यक्ति की समय के बारे में अवधारणा किस प्रकार प्रभावित होती है।
- इसका उद्देश्य, यह जांच करना था कि लोग, अपने रहने की स्थिति और वातावरण में होने वाले नाटकीय परिवर्तनों से किस प्रकार समायोजित होते हैं।
- $ 1.5 मिलियन वाले "डीप टाइम" प्रोजेक्ट का नेतृत्व करते हुए मानव अनुकूलन संस्थान (Human Adaption Institute) के वैज्ञानिकों ने कहा है कि, यह प्रयोग से उन्हें यह बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी कि लोग किस तरह से रहने की स्थिति और वातावरण में भारी बदलाव के अनुकूल बन जाते हैं।

55. बैंक के एमडी, सीईओ, निदेशक पदों के लिए 70 वर्ष की आयु सीमा

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा, निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रबंध निदेशक (MD), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और पूर्णकालिक निदेशक (WTD) पदों पर अधिकतम कार्यकाल 15 वर्ष तक तथा इन अधिकारियों के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की गई है।
- बैंक में अध्यक्ष और गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष निर्धारित की गई है।

56. भारत, हेलीकाप्टरों के लिए सिंगल क्रिस्टल घटकों का निर्माण करने में सक्षम देशों में शामिल

- हाल ही में, DRDO द्वारा सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की गई है और इसके द्वारा, हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड (HAL) के लिए, स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, 60 ब्लेडों की आपूर्ति भी की जा चुकी है।

- इसके साथ ही, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस सहित, हेलीकॉप्टर इंजन में प्रयुक्त होने वाले सिंगल क्रिस्टल (single crystal- SX) घटकों का निर्माण करने की क्षमता रखने वाले देशों की श्रेणी शामिल हो गया है।
- सिंगल-क्रिस्टल, या मोनोक्रिस्टलाइन, ठोस एक ऐसा पदार्थ होता है, जिसमें पूरे नमूने का क्रिस्टल जालक अविच्छिन्न होता है, और इसके किनारों पर कोई जोड़ नहीं होते है।

57. चर्चित स्थल: साहेल

- पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश, चाड वर्तमान में समूचे साहेल (Sahel) क्षेत्र में इस्लामिक आतंकवादियों से लड़ने हेतु पश्चिमी जगत की प्रमुख चौकी बन चुकी है। साहेल क्षेत्र में अभी भी फ्रांस की मजबूत सैन्य उपस्थिति है।
- साहेल, अफ्रीका के उत्तर में सहारा और दक्षिण में सूडान सवाना के बीच संक्रमण का पारिस्थितिक और बायोग्राफिकल क्षेत्र है।
- यहाँ की जलवायु अर्ध-शुष्क है और यह क्षेत्र अटलांटिक महासागर और लाल सागर के बीच उत्तरी अफ्रीका के दक्षिण-मध्य अक्षांशों में विस्तृत है।
- अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में उत्तरी सेनेगल, दक्षिणी मॉरिटानिया, मध्य माली, उत्तरी बुर्किना फासो, अल्जीरिया का दक्षिणी भाग, नाइजर, नाइजीरिया का उत्तरी भाग, कैमरून का उत्तरी भाग और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मध्य चाड, मध्य और दक्षिणी सूडान, दक्षिण सूडान का सबसे उत्तरी भाग, इरिट्रिया और इथियोपिया का उत्तरी भाग शामिल हैं।

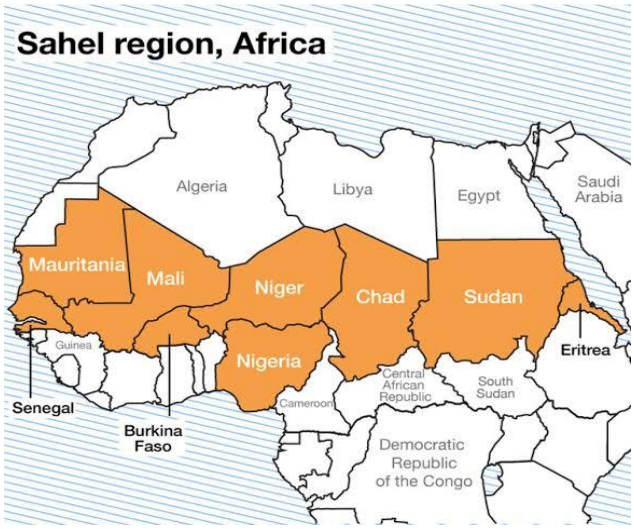

58. कोवलून प्रायद्वीप (KOWLOON PENINSULA)

हांगकांग, पश्चिमी कोवलून प्रायद्वीप पर, चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय को शहर में अपना स्थायी बेस बनाने के लिए जगह देने के लिए तैयार है। कोवलून प्रायद्वीप, हांगकांग के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मुख्य भू-भाग के दक्षिणी क्षेत्र में, विक्टोरिया हार्बर के किनारे अवस्थित प्रायद्वीप है।

59. CoWIN

- यह, भारत में कोविड-19 टीकाकरण की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्लाउड-आधारित आईटी समाधान है।
- **Co-WIN** प्लेटफ़ॉर्म, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है।

60. युद्धाभ्यास वरुण- 2021

- यह भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला द्विपक्षीय नौसेना-युद्धाभ्यास है।
- वरुण- 2021, युद्धाभ्यास का 19 वां संस्करण था और इसे अरब सागर में आयोजित किया गया था।

61. पाइथन-5 (Python-5)

- हाल ही में, DRDO द्वारा हवा से हवामें मार करने वाली मिसाइल पाइथन-5 का पहला परीक्षण किया गया।
- पाइथन, इजरायल के हथियार निर्माता राफेल डिफेंस सिस्टम द्वारा निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (AAMs) के समूह की मिसाइल है।
- पाइथन 5, दुश्मन के विमानों को बहुत कम दूरी से और लगभग दृश्य सीमा से परे, मार गिराने में सक्षम है।

62. तियान्हे मॉड्यूल (Tianhe module)

यह चीन द्वारा बनाए जाने वाले अपने निजी 'अंतरिक्ष स्टेशन' का पहला मॉड्यूल है।

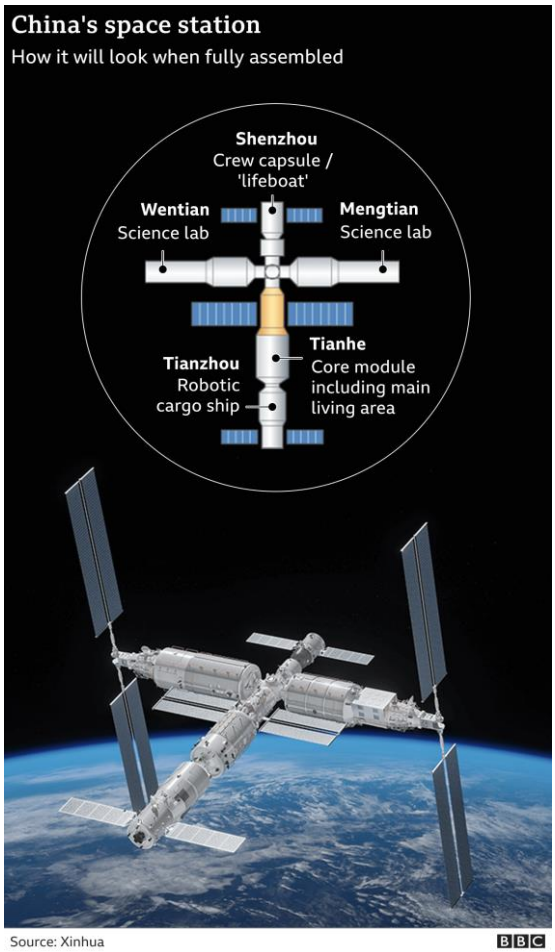

- यह कोर मॉड्यूल, वर्तमान में चीन द्वारा विकसित सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है, जिसे 'लॉन्ग मार्च -5बी' (**Long March-5B rocket**) रॉकेट द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया है। यह, दो वर्षों में अपने निजी अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने की दिशा में चीन के प्रयासों का पहले चरण है।
- तियान्हे मॉड्यूल, **तियांगॉन्ग (Tiangong) स्पेस स्टेशन** के प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

63. विश्व का प्राचीनतम पानी (World's Oldest Water)

कनाडा में 'विश्व के सबसे प्राचीन पानी' की खोज गयी है, इससे 'जीवन की शुरुआत' पर कुछ प्रकाश पड़ेगा।

- वर्ष 2019 में, टोरंटो विश्वविद्यालय की एक भूविज्ञानी और पृथ्वी विज्ञान प्रोफेसर डॉ. बारबरा शेरवुड लोलर को 'दुनिया के सबसे पुराने पानी की खोज' करने के लिए, 1 मिलियन डॉलर का **गेरहार्ड हर्ज़बर्ग कनाडा गोल्ड मेडल फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग** (Gerhard Herzberg Canada Gold Medal for Science and Engineering) का शीर्ष विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया है।

- यह पानी, कनाडा की 'किड क्रीक माइन' (Kidd Creek Mine) में 2.4 किलोमीटर की गहराई पर पाया गया था।
- यह पानी अत्यधिक खारा है तथा समुद्री जल की तुलना में दस गुना अधिक नमकीन है।

64. MACS 1407

- एमएसीएस 1407**,** भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सोयाबीन की एक अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म है।
- यह नई विकसित किस्म असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में खेती के लिए उपयुक्त है।
- नई किस्म को एमएसीएस - अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट [MACS - Agharkar Research Institute (ARI)], पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है।
- एमएसीएस 1407 को पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग तकनीक का उपयोग करके को विकसित किया गया है।
- इसका मोटा तना, जमीन से ऊपर (7 सेमी) फली आना और फली बिखरने का प्रतिरोधी होना, इसे यांत्रिक कटाई के लिए भी उपयुक्त बनाता है।
- यह पूर्वोत्तर भारत की वर्षा आधारित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है।

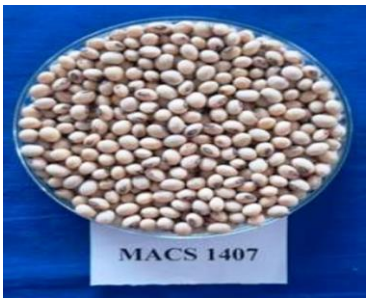

65. ब्रिटेन, स्व-चालक वाहनों के उपयोग हेतु नियम-निर्धारण करने वाला पहला देश

ब्रिटेन, मोटरमार्गों पर धीमी गति से स्व-चालक (self-driving) वाहनों का उपयोग करने संबंधी नियम-निर्धारण करने वाला पहला देश बन गया है।

- सरकार द्वारा एक 'आटोमेटिक लेन कीपिंग सिस्टम' (ALKS) शुरू किया जाएगा - जिसमे कारों को एक लेन में रखने के लिए सेंसर और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा, जिससे स्व-चालक कारें, ड्राईवर के निर्देशों के बगैर, गति तेज कर सकती है, तथा ब्रेक लगा सकती है।
- उन्हें चालक इनपुट के बिना तेजी और ब्रेक लगाने की अनुमति मिलती है।
- ALKS का उपयोग मोटरमार्गों तक ही सीमित होगा, और इसकी अधिकतम गति 60 किमी प्रति घंटा होगी।